(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 5] षष्टम् विधान सभा का पंचम् सत्र का 32वां दिवस [संख्या 24

बृहस्पतिवार

दिनांक 29 मार्च, 1979

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.01 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री लक्ष्मणसिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री सुभाष चन्द आर्य।

राजस्व विभाग में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कर्मचारी एवं अधिकारी

661. **श्री सुभाषचन्द आर्य** (सूरतगढ़) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे ?

(1) राजस्व विभाग में पिछले तीन वर्षों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा हरिजनों में से सरकारी सेवा में कौन कौन को राजपत्रित अधिकारी व कर्मचारी नियुक्त किया गया ?

(2) क्या राज्य सरकार ने निर्धारित सीमा में अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मन्त्री (श्री पुरुषोत्तम मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न की जानकारी जिलों से नहीं आई है केवल 12 जिलों से आई है इसलिए इस प्रश्न को स्थगित किया जाए।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

श्री बालकृष्ण थानवी।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : अध्यक्ष महोदय, इस सवाल का जवाब इसी सैशन में दिया जाना चाहिए।

श्री टीकमचन्द कांत (जालौर) : क्या हम उम्मीद करें कि 12 तारीख से पहले पहले इस सवाल का जवाब आएगा ?

धोलिया ग्राम फाटे से भादरिया डामर रोड का कार्य

662. **श्री बालकृष्ण थानवी** (फलौदी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि जैसलमेर जिला-अन्तर्गत आई हुई पोकरण तहसील के धोलिया ग्राम फाटे से भादरिया ग्राम तक की 9 किलोमीटर डामर सड़क पिछले 11 सालों से अधूरी पड़ी हुई है ? अगर हां, तो अधूरी

(2)

(श्री बालकृष्ण थानवी)
रही डामर सड़क कितने किलोमीटर है और अब उसे कब पूरा करवा दिया जावेगा ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री जयनारायण पूनिया) : जी हां। यह सड़क अकाल राहत कार्यों में समय-समय पर बनती आ रही है। सड़क की कुल लम्बाई 9 किलोमीटर है जिसमें 7 किलोमीटर डामर सड़क है, 2 किलोमीटर मेटल रोड है जो चालू पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री टीकम चंद कांत।

राजस्थान के मेडिकल जूरिस्ट

663. **श्री टीकम चन्द कांत** (जालौर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्थान में कार्यरत सभी मेडिकल जूरिस्ट (एम. डी. फोरेन्सिक मेडिसन) या एम. डी. (पैथोलोजी) हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? मेडिकल जूरिस्टों की सूची डिग्री सहित सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) राजस्थान में मेडिकल कालेजों में फोरेन्सिक मेडिसन में कितने पद कितने समय से रिक्त हैं ?

(3) क्या उपरोक्त सभी पदों हेतु फोरेन्सिक मेडिसन में डिग्री प्राप्त चिकित्सक उपलब्ध हो सकते हैं ? यदि हां, तो वे अब कहां कार्यरत हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री त्रिलोक चन्द जैन) : (1) जी नहीं। इस विशिष्टता में निर्धारित योग्यता रखने वाले व्यक्ति उपलब्ध नहीं हैं। राजस्थान के विभिन्न 5 मेडिकल कालेजों से सम्बन्धित अस्पतालों में कार्यरत मेडिकल जूरिस्ट की सूची मय डिग्री के इस प्रकार से है :—

स्थान	मेडिकल जूरिस्ट का नाम	डिग्री
जयपुर	डा. एम. आर. गोयल	एम. एस. (सर्जरी)
अजमेर	डा. बी. एल. असावा	एम. डी. फोरेन्सिक मेडिसन
उदयपुर	डा. ओ. पी. गुप्ता	एम. डी फोरेन्सिक मेडिसन
जोधपुर	डा. पी. दयाल	एम. डी. फोरेन्सिक मेडिसन
बीकानेर	रिक्त	....

(2) राजस्थान के विभिन्न 5 मेडिकल कालेजों में इस प्रकार के पद रिक्त हैं

कालेज का नाम	रिक्त पद रीडर	लेक्चरार
जयपुर	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं
बीकानेर	एक	एक
उदयपुर	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं
जोधपुर	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं
अजमेर	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं

(3)

(चिकित्सा मंत्री)

(3) इस समय फोरेन्सिक मेडिसन की डिग्री वालों का सारे देश में अभाव है अत: इनकी उपलब्धि के बारे में कहना कठिन है ।

श्री टीकम चन्द कांत : अध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी में दो डाक्टर हैं श्री गुप्ता और श्री असावा जो तीन साल से ऊपर रीडर का काम करने के कारण एलीजिबेल हैं । फिर यह पद रिक्त क्यों है ? यह मेरे ध्यान में है । मैं इसका उदाहरण दे सकता हूं । जैसा कि आपने कहा बीकानेर के अन्दर फोरेन्सिक मेडिसन के रीडर लगे हुए हैं वे लैक्चरार के लिए एलीजिबल नहीं हैं और मेरे ख्याल से वे ट्यूटर के लिए भी योग्य नहीं हैं । उनको आपने हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट बना रखा है जब कि आप कहते हैं कि इस योग्यता के डाक्टर उपलब्ध नहीं हैं । मैंने दो डाक्टरों के नाम बताये हैं, ये अवेलेबल हैं । उनके कई प्रार्थना पत्र प्राप्त हो चुके हैं फिर भी आपने उनको लिया नहीं है । डाक्टर गोयल का आप फर्मा रहे हैं । डाक्टर गोयल को 20-9-77 को आर. पी. एस. सी. ने रिजेक्ट कर दिया है । वे इस पद के योग्य नहीं है फिर उनको न हटाने का क्या कारण है ? वे क्या बिन्दु हैं जिन के आधार पर आपने इनको रखा है ?

श्री ईश्वर चन्द्र (पिड़ावा) : अध्यक्ष महोदय, डा. एम. आर. गोयल को आर. पी. एस. सी. ने रिजेक्ट कर दिया है उसके बाद भी आपने उनको रीडर बना रखा है । इसका क्या औचित्य है ? क्या यह सही है कि गवर्नमेंट आफ इण्डिया की इण्डियन मेडिकल कौन्सिल ने आपको एक चिठ्ठी लिखी है कि इस पद के लिए जितने रूल्स रेगुलेशन हैं, उनको राजस्थान सरकार फ्लाउट कर रही है, उनको आब्जर्व नहीं कर रही है, उनमें चेन्ज कर दिया है । जो एम. सी. आई. की बुकलेट है, उसके अनुसार काम करना चाहिए परन्तु आप उसको भी फ्लाउट कर रहे हैं । इसलिए उन्होंने धमकी दी है । उन्होंने लिखा है, अध्यक्ष महोदय, "It is alleged that the appointments are not made as per the qualifications and experience prescribed by the Medical Council of India and in the Ordinance of Rajasthan University, which are mendatory in nature. I have, therefore, been directed to request you to please look into the matter and comment on those irregularities." उन्होंने धमकी भी दी है "It is also requested that necessary steps may be taken to ensure that appointments are made as per qualifications and experience prescribed by the M. C. I. and University of Rajasthan as otherwise the colleges may face disqualification from Medical Council of India."

उन्होंने यह धमकी भी दी है कि जितने मेडिकल कालेज हैं उनको डिसक्वालिफाई कर दिया जाए । तो डा. एम. आर. गोयल के साथ यह पक्षपात क्यों किया गया है ?

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि इंडियन मेडिसन कौन्सिल द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार ही डाक्टरों को नियुक्त करना आवश्यक है तो क्या आपने उन शर्तों का पालन किया है ? दूसरी बात आपको यह कहनी है कि आपने, मंत्री महोदय, यह कहा है कि फोरेन्सिक डिपार्टमेंट में योग्यता प्राप्त डाक्टर, उम्मीदवार नहीं हैं । मेरे ख्याल से आपके विभाग ने, आपके अधिकारियों ने, मंत्री महोदय, गलत सूचना दी है । डा० गहलोत उदयपुर मेडिकल कालेज में हैं वे वहाँ पर काम कर रहे हैं । उन्होंने फोरेन्सिक मेडिसन में योग्यता प्राप्त कर रखी है । वे वहां पर सी. ए. एस. के पद पर काम कर रहे हैं । डा० माथुर दिल्ली में हैं । वे राजस्थान के रेजिडेन्ट हैं । उन्होंने इस पद के लिए एप्लाई किया है । इसके अतिरिक्त दो ऐसे डाक्टर हैं जो मेडिकल कालेज में लैक्चरार के पद के लिए उपयुक्त हैं और इंडियन मेडिकल कौन्सिल द्वारा निर्धारित योग्यता रखते हैं । उनको आपने उनका ड्यू नहीं दिया । डा० एम. आर. गोयल हैं, जिनको आपने जयपुर मेडिकल कालेज में रीडर बना रखा है, जो केवल एम. एस. जनरल सर्जरी में हैं । वे लैक्चरार के लिए उपयुक्त नहीं हैं । उनको आर. पी. एस. सी. ने रिजेक्ट कर दिया है फिर भी उनको आपने टेम्प्रेरी रीडर बना दिया है । माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि आपके मेडिकल डिपार्टमेंट में राजस्थान में ही अवेलेबल टेलेन्ट को चांस नहीं दिया जाता है । उनको अन्य स्थानों में भेजा जाता है और यहां पर नान काम्पीटेन्ट नान-क्वालिफाइड लोगों को नियुक्त कर दिया जाता है, इन लोगों को सिफारिश पर रख लिया जाता है ।

श्री कौशल किशोर जैन : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य भाषण कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : बस हो गया । अब पूछ लीजिए, क्या यह सही है ?

श्री त्रिलोक चन्द जैन : अध्यक्ष महोदय, यहां पर डा० एम. आर. गोयल के बारे में कहा गया । विश्वविद्यालय ने उनके बारे में रिलेक्सेशन किया था ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि आर. पी. एस. सी. ने उनका चयन नहीं किया है इसलिए उनको वापस करने का मामला चल रहा है । आर. पी. एस. सी. द्वारा चयन न होने के कारण उन्होंने कोर्ट में रिट कर रखी है । जो रीडर के पद के बारे में कहा गया है, इस सम्बन्ध में भी उन्होंने कोर्ट में रिट कर रखी है । परन्तु यह सही है कि आर. पी. एस. सी. से उनका चयन नहीं हुआ है और उनको रिवर्ट करने के बारे में कार्यवाही चल रही है ।

(व्यवधान)

श्री ईश्वर चन्द्र : It was all against the advise of the Medical Council of India.

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, आपके प्रति आदर रखते हुए मैं

(श्री रामकृष्ण दास गुप्ता)
निवेदन करूंगा, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि राजस्थान में फोरेन्सिक साइन्स के लिये लैक्चरार्स उपलब्ध नहीं हैं। मैंने दो नाम बताए हैं जो राज्य सेवा में हैं।

श्री टीकमचन्द कान्त : उदयपुर के अन्दर जो डाक्टर गहलोत हैं वह क्वालिफाइड हैं, लेकिन वह वहीं पर डाक्टर चौधरी के अन्डर में काम कर रहे हैं जो क्वालिफाइड नहीं हैं। आप कहते हैं कि एक भी क्वालिफाइड नहीं है। यह कहाँ तक सही है ?

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचौर) : माननीय मंत्री जी ने फर्माया कि डाक्टर गोयल ने रिट कर रखी है। केवल रिट से कुछ नहीं होता। उनको स्टे ग्रार्डर भी मिला है क्या कोर्ट से ? अगर स्टे आर्डर नहीं मिला है और आप कहते हैं कि यूनिवर्सिटी ने रिलेक्सेशन किया है, तो आप क्या इसको वापस पी. एस. सी. से चयन हेतु प्रोसेस करेंगे ? ऐसा आपको इनसे क्या चार्म है कि क्वालिफाइड डाक्टर्स के होते हुए आपने अनक्वालिफाइड डाक्टर श्री गोयल को स्पेशल फेवर कर रखा है ?

श्री त्रिलोक चन्द जैन : प्रमोशन के लिये जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिये थी, वह न होने के कारण यूनिवर्सिटी ने रिलेक्सेशन दिया था।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : रिलेक्सेशन करने का यूनिवर्सिटी को अधिकार है क्या ?

श्री त्रिलोक चन्द जैन : यूनिवर्सिटी रिलेक्सेशन कर सकती है।

(व्यवधान)

श्री टीकमचन्द कान्त : मेडिकल कौन्सिल आफ इण्डिया ने इसको कन्फर्म किया है क्या ?

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : इण्डियन मेडिकल कौन्सिल द्वारा फिक्स की हुई क्वालिफिकेशन्स होना जरूरी है।

श्री ईश्वर चन्द्र : 20 अप्रेल को आपने डाक्टर गोयल की नियुक्ति की टेम्प्रेरी एडहाक अर्जेंट बेसिस पर। Why this unholy haste? And then after 20th April, on 31st May, 1978, you are flouting the recommendations of the Public Service Commission and the University of Rajasthan. Your colleges will be disaffiliated from the Indian Medical Council. You have received such a letter from them. उनकी जो चिट्ठी आपके पास है, उस पर आपने क्या कार्यवाही की ?

श्री टीकमचन्द कांत : इसका जवाब भी दिया कि नहीं ?

श्री रघुनाथ बिश्नोई : क्वालिफिकेशन्स नहीं होते हुए भी क्या यूनिवर्सिटी को अधिकार है अपाइन्टमेंट देने का ? न्यूनतम योग्यताओं के बिना ही क्या यूनिवर्सिटी ऐसा कर सकती है ?

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : क्वालिफिकेशन न होने पर सरकार नियुक्ति कर सकती है क्या ?

श्री अध्यक्ष : सरकार को डिस्क्रिशन है, उसको चुनौती नहीं दे सकते।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, यह लॉ नहीं है, नियम हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : लॉ और नियमों में क्या फर्क है ?

(व्यवधान)

श्री ईश्वर चन्द्र : अध्यक्ष महोदय, इसको अगर ठीक नहीं किया गया तो हजारों विद्यार्थियों का भाग्य खराब हो जायेगा। इन्डियन मेडिकल कौन्सिल ने डिस्क्वालिफाई करने की धमकी दे दी है। फिर आपकी डिग्री को कोई नहीं मानेगा।

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात के लिये तो माननीय सदस्यों को कह सकता हूँ कि वह निश्चित रहें कि कोई डिसएकीलिएशन नहीं होगा।

श्री ईश्वर चन्द्र : But it is being threatened.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : और जैसा अध्यक्ष महोदय ने फर्माया, सरकार को डिस्क्रिशन है कोई भी आदेश निकालने का। जब कोई एडमिनिस्ट्रेटिव प्राब्लम आ जाती है तो ऐसी प्राब्लम्स को साल्व करने के लिए सरकार कोई भी डिसीजन ले सकती है। यह डिसीजन किसी आदमी को फेवर करने के लिए या किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं लिया गया है।

श्री ईश्वर चन्द्र : दूसरों को नुकसान तो हो ही गया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जहाँ से आपको जानकारी मिली है, मुझे भी वहाँ से ही जानकारी मिली है। आपका सोर्स और मेरा सोर्स एक ही है। किसी को नुकसान पहुँचाने के लिये नहीं किया गया है।

(व्यवधान)

हमने यह फाइल मँगा रखी है। कोर्ट में जो दावा पेश हुआ है, उसका जवाब दावा पेश करेंगे। मैं समझता हूँ उसके बाद आपको कोई शिकायत नहीं रहेगी।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री उमरावसिंह गूजर।

बाड़ी में एक्सरे प्लांट

664. **श्री उमराव सिंह गूजर** (महुआ) व **श्री सालिगराम** (बाड़ी) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) क्या यह सही है कि बाड़ी में एक्स रे प्लांट लगे हुए एक वर्ष समाप्त हो गया तथा राज्य सरकार को इस पर एक लाख रुपयों की लागत लगी है तथा वहाँ की उदार जनता द्वारा पच्चीस हजार रुपये जन सहयोग से एकत्रित कर आवश्यक भवन निर्मित करके अस्पताल को सौंप दिया गया है किन्तु वहाँ आज तक एक्स रे की सुविधायें जनता को उपलब्ध नहीं है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(2) क्या यह सही है कि मंडावर-महुआ रोड की पी. एच. सी. को रेफरल

(श्री उमराव सिंह गूजर)

अस्पताल के रूप में क्रमोन्नत किया जाना था ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार अब अब सत्र79–80 में इसे क्रमोन्नत किये जाने का विचार रखती है ?

(3) क्या महुआ की डिस्पेन्सरी में राज्य सरकार द्वारा प्रसूति गृह खोला जाना था तथा भूतपूर्व राज्य सरकार के स्वास्थ्य मन्त्री द्वारा भवन का शिलान्यास भी किया जा चुका था किन्तु इसकी क्रियान्विति आज तक नहीं हुई है ? क्या यह योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है ?

चिकित्सा मन्त्री (श्री त्रिलोक चन्द जैन) : (1) दिनांक 10-3-79 से बाड़ी में एक्सरे मशीन ने कार्य करना प्रारम्भ कर दिया।

(2) सत्र 1979–80 में सवाई माधोपुर जिले के एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को रेफरल अस्पताल में क्रमोन्नत करने हेतु भवन निर्माण के लिए चयन करना है जिसके लिए अन्य स्थानों के साथ मन्डावर के बारे में भी विचार करना सम्भव होगा।

(3) जी हां, महुआ में प्रसूति सुविधा के लिये कार्यरत डिस्पेन्सरी के अहाते में भवन निर्माण का प्रस्ताव था जिसका शिला-न्यास तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री जी ने किया। भवन निर्माण नहीं कराये जाने के कारण प्रसूति सेवाएँ उपलब्ध नहीं कराई जा सकी।

श्री उमराव सिंह गूजर : मन्त्री महोदय ने बताया कि 10–1–79 से....

एक माननीय सदस्य : 10–3–79 से।

श्री उमराव सिंह गूजर : 10–3–79 से कर दिया तो इसके पूर्व क्यों नहीं किया ? जनता ने 25 हजार खर्च करके मशीन मंगवाई वह साल भर तक बेकार पड़ी रही और उसको जंग लग गया। साल भर तक क्यों नहीं काम किया गया ?

श्री गुल मोहम्मद (जौहरी बाजार) : मंत्री महोदय यह भी बतायें कि इस प्रश्न के पूछे जाने के पहले चालू हुई है या बाद में ?

श्री ईश्वर चन्द्र : मैंने भवानी मण्डी की एक्स रे मशीन के बारे में सवाल उठाया था, दो साल हो गये लेकिन सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की, उसको ठीक करने के लिये। यह जन जीवन के साथ खिलवाड़ है।

श्री निर्मल कुमार सकलेचा (झालरा-पाटन) : एक्सरे मशीन का सवाल सारे राजस्थान का है। सारे राजस्थान की एक्स रे मशीन खराब पड़ी हुई हैं। बहुत अर्से से खराब पड़ी हुई हैं. लेकिन ठीक नहीं हो रही हैं। आज बाजार में तो एक्स रे मशीन ठीक चल रही हैं। यह गवर्नमेंट के एक्स रे वालों और बाजार के एक्स रे वालों की मिली भगत है। सारे राजस्थान में जो एक्स रे मशीन खराब पड़ी हुई हैं, वह सुचारु रूप से काम करें, क्या मन्त्री महोदय इसके लिये व्यवस्था करेंगे ?

श्री टीकम चन्द कान्त : जितनी भी राजस्थान के अन्दर एक्स रे मशीन हैं राजकीय चिकित्सालयों में, क्या उनको

(श्री टीकमचन्द कान्त)
सही ढंग से हैंडल करने के लिये एक्स रे टैक्निसियन है? कोई भी व्यक्ति हैंडल करता है और मशीन को खराब कर देता है?

श्री ईश्वर चन्द्र : हैंडल कहां से करेगा? वह तो चालू हालत में ही नहीं है।

श्री निर्मल कुमार सकलेचा : क्या सरकार सारी मशीन को चालू करा देगी?

श्री अध्यक्ष : चालू करा देंगे।

श्री मनोहर सिंह मेहता : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत यह पूछना चाहता हूँ कि प्राइवेट मशीन तो खराब नहीं होतीं, राज्य की मशीन ही जल्दी जल्दी खराब हो जाती हैं, इसका क्या कारण है?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मशीनों का काम करने का मूड नहीं है।

मुख्य मन्त्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि एक्स रे मशीनों का मामला कुछ इस तरह का है कि इस पर गवर्नमेंट जल्दी एक्शन ले जहां-जहां मशीन खराब होती रही हैं, वहां से स्टेटमेंट मंगवाया है और यह जानने का प्रयत्न किया है कि एक साल छः महीने, डेढ़ साल में मशीन खराब होने का क्या कारण है? इसमें पोजीशन यह है कि जिस फर्म से मशीनें खरीदते हैं उससे मशीन ठीक कराने का भी अनुबन्ध होता है। मशीन ठीक करने की उसकी रेस्पांसिबिलिटी रहती है। उसमें एक शर्त यह होती है कि मशीन रिपेयर्स हमारे टैक्निशियन्स से ही करायेंगे। लेकिन हमारे लगातार लिखने पर भी या तो टैक्निशियन्स आते नहीं या कभी आते हैं तो कहते हैं कि अमुक पार्ट्स की कमी है। इसलिए हम विचार कर रहे हैं कि अपने टैक्निशियन्स लगा कर इन मशीनों को ठीक करावें। फर्म से हमारी बात चल रही है....

श्री नूरा (मसूदा) : कम्पनी की दो साल की गारन्टी होती है, क्या यह नहीं हो सकता कि ठीक कराने पर होने वाला खर्चा कम्पनी से वसूल कर लें?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह वर्षों से अनुबन्ध चलता आ रहा है। हमने तो किया नहीं।

श्री अध्यक्ष : श्री मालाराम।

श्री एच. एन. शर्मा (बेगू) : **अध्यक्ष** महोदय, क्या ऐसा नहीं हो सकता जब भी एक्स रे मशीन खरीदने के आर्डर दिए जाएं, फर्म की 10 प्रतिशत सिक्योरिटी रखी जाय जिससे समय समय पर आकर टैक्निशियन ठीक करें।

प्रश्न संख्या 665

श्री अध्यक्ष : श्री मालाराम।
(अनुपस्थित : कृपया आगे देखे)

श्री उगमराज मेहता।

ब्यावर इंडस्ट्रियल एस्टेट

666. श्री उमगराज मेहता (ब्यावर) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या ब्यावर इंडस्ट्रियल एस्टेट गाँव नरसिंहपुरा व फतेहपुरिया दोयम में

(श्री उगमराज मेहता)
जमीन अवाप्ति की कार्यवाही 1973 से पैंडिंग है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि धारा 4ए, 5ए व 6 की कार्यवाही हो चुकी है ? यदि हां, तो अब इस भूमि अवाप्ति की कार्यवाही में क्या अड़चनें हैं ?

उद्योग मन्त्री (श्री सूर्यनारायण चौधरी) : (1) ब्यावर औद्योगिक क्षेत्र हेतु ग्राम नरसिंहपुरा और फतेहपुरिया दोयम में भूमि की अवाप्ति की कार्यवाही माह जुलाई, 1978 में सम्पन्न हो चुकी है।

(2) जी हां। धारा 4ए, 5ए व 6 की कार्यवाही हो चुकी है। धारा 6 की अधिसूचना प्रसारित होने के पश्चात् कुछ पक्षकारों ने जिलाधीश को आपत्तियां प्रस्तुत की हैं। न्याय की दृष्टि से पक्षकारों को उचित अवसर प्रदान कर, निर्णय लेने हेतु जिलाधीश ने दिनांक 3-4-1979 बहस के लिये नियत की है।

श्री नूरा : यह जमीन पहले ग्राम पंचायत में थी, बाद में नगरपालिका ने ले ली। अब नगरपालिका ब्यावर गांवों के विकास के लिए कुछ नहीं कर रही है। गांवों के विकास के लिये म्युनिसिपैलिटी कुछ नहीं कर रही है तो सरकार क्या कर रही है ?

श्री उगमराज मेहता : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ, आपने यह कहा कि कार्यवाही की जा चुकी है परन्तु बार बार निवेदन करने पर भी इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। मैं यह चाहूँगा कि तारीख 3-4-79 को बुलाया गया है पक्षकारों को, परन्तु पक्षकारों ने भी तय कर लिया है, सभी कार्यवाही करने के लिए, मण्डल को सौंपने के लिये ...

श्री सूर्यनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को इस सम्बन्ध में चिन्ता है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, राज्य सरकार ने भूमि अवाप्ति की कार्यवाही को एक्सपेडाइट करने के लिये हिदायतें दी हैं इसके फलस्वरूप एक्सपेडाइट भी हुई है। जो प्रक्रिया है लैण्ड एक्वीजीशन एक्ट में उसके अनुसार कुछ औपचारिकताएँ निभानी पड़ती हैं, अन्यथा सारे के सारे मामले गलत हो जाते हैं। इसकी धारा 6 के तहत समय दिया जाना आवश्यक है। माननीय सदस्य ने जो आतुरता प्रकट की है उसके लिये जिलाधीश को हिदायत करूँगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : धारा 6 की कार्यवाही कब शुरू हुई और अब कितना कार्य शेष है ?

श्री उगमराज मेहता : अध्यक्ष महोदय, उद्योग विभाग के कमिश्नर श्री डी. आर. मेहता ने बार बार रिमाइंडर भी दिये और जिलाधीश महोदय को फोन भी किया। दो साल से मामला अटका हुआ है। माननीय मन्त्री महोदय खुद जब ब्यावर पधारे उस वक्त आपने एस. डी. ओ. को बुला कर कहा, परन्तु आज तक कुछ नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष : हो जायेगा।

प्रश्न संख्या 667

श्री शिवकरण बुहाड़िया,

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 668

श्री बजरंग लाल शर्मा,

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखे)

श्री कौशल किशोर जैन।

किसानों को पम्प सेट पर ऋण

669. **श्री कौशल किशोर जैन** (भीलवाड़ा) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में पम्प सैटों पर ऋण देने की राज्य सरकार की नीति क्या है ? इसके अन्दर अनुदान राशि कितने प्रतिशत है ?

(2) लघु विकास कृपक अभिकरण भीलवाड़ा ने क्या ऋण एवं अनुदान देने में एक कुए से दूसरे कुए की दूरी 200 मीटर रखने की अनिवार्य शर्त रखी है।

(3) क्या यह सही नहीं है कि मेवाड़ अथवा उदयपुर डिवीजन के अन्दर पानी के सैंजे इतने अधिक हैं कि इस अनिवार्य शर्त का व्यावहारिक अर्थ कुछ नहीं है ?

(4) राज्य सरकार इस विषय में समुचित कार्यवाही कब तक करेगी ?

राज्य मन्त्री, कृषि (श्री हरिसिंह यादव): (1) राज्य में पम्प सैट हेतु वित्तीय संस्थानों द्वारा दिये जाने वाले ऋण के सम्बन्ध में राज्य की कोई नीति निर्धारित नहीं है। हां, वित्तीय संस्था द्वारा ऋण स्वीकृत किये जाने पर लघु कृषक एवं सीमान्त कृषक को 25 प्रतिशत व 33–1/3 प्रतिशत क्रमश: अनुदान के रूप में दिया जाता है।

(2) जी नहीं। इतना अवश्य है कि लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत भीलवाड़ा जिले में यह दूरी क्षेत्रानुसार 150 मीटर से 260 मीटर तक रखी गई है।

(3) यह सही नहीं है। मेवाड़ अथवा उदयपुर डिवीजन में सभी जगह पानी की सेज काफी नहीं है। कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निमम की वित्तीय सहायता से प्रतिपादित योजनाओं में यह व्यावहारिक है।

(4) आवश्यकता नहीं है।

श्री कौशल किशोर जैन : अध्यक्ष महोदय, खण्ड (2) के उत्तर में माननीय मन्त्री महोदय ने जो कहा है उसमें विरोधाभास है। मेरा प्रश्न स्पष्ट है, लघु विकास कृषक अभिकरण भीलवाड़ा ने क्या ऋण एवं अनुदान देने में एक कुए से दूसरे कुए की दूरी 200 मीटर रखने की अनिवार्य शर्त रखी है ? इसके उत्तर में एक ओर तो मन्त्री महोदय ने कहा है, 'जी नहीं'। दूसरी ओर स्वयं ने स्वीकार किया है कि यह दूरी 150 मीटर से 260 मीटर क्षेत्रानुसार रखी है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, राजस्थान में भीलवाड़ा से लेकर बांसवाड़ा तक इस शर्त का कोई व्यावहारिक अर्थ नहीं है। इससे लघु और सीमान्त कृपकों को ऋण मिलने में कठिनाई हो रही है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, क्या उदयपुर में सर्वे कराया गया है कि 260 मीटर की रेंज में कितने कुए आते हैं ? इस पाबन्दी के कारण एक व्यक्ति के पम्प सैट लगाने पर शेष कितनों को वंचित रह जाना पड़ता है ? पानी की पर्याप्तता होते हुए भी किसानों को इस शर्त के कारण परेशानी होती है ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अध्यक्ष महोदय, इस व्यवस्था के कारण—

(व्यवधान)

श्री ईश्वर चन्द्र : अध्यक्ष महोदय, यह जो ठेकेदारों के माध्यम से आप पम्प सैट लगा रहे हैं, एक-एक पम्प सैट पर वह डेढ़ डेढ़ हजार ले रहे हैं। क्या सरकार मार्केटिंग सोसायटी के द्वारा उनको पम्प सैट दिलाने की व्यवस्था करेगी ? क्या सीधे कृषकों को पम्प सैट नहीं मिल सकते ?

श्री रघुनन्दन व्यास (सरोही) : अध्यक्ष महोदय, यह जो 260 मीटर की सीमा है, इससे भ्रष्टाचार हो रहा है....

श्री निर्मल कुमार सकलेचा : भ्रष्टाचार को जन्म देने की यह योजना है । लोग पैसा देकर दूरी को कम कराते हैं। 260 मीटर न लिखवाने के लिये दो दो हजार रुपये की रिश्वत देते हैं । इसलिए इस सीमा को हटवा दीजिये ।

श्री रघुनन्दन व्यास : एक कुए वाले को पम्प सैट के लिए ऋण मिलेगा और दूसरा कुए वाला बैलों से सिचाई करेगा। क्या यह जानबूझ कर भेद-भाव पनपाना नहीं है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री रतनलाल वर्मा ।

श्री रतनलाल वर्मा : 260 मीटर की दूरी क्यों चाहते हैं ? जब कि 5 मीटर पर एक कुआ है और 20 मीटर पर दूसरा कुआ है । पानी का स्रोत आज तक कोई बदल नहीं सका है । इसलिए योजना को सफल बनाना है तो जहां भी पानी का स्रोत है, उसकी रिपोर्ट आ जाये, उसके आसपास की रिपोर्ट आ जाये तो कृषकों को अनुदान देने की कृपा करें ।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, वहां पानी की कमी नहीं है । वहां इस शर्त के कारण लोगों को अनुदान नहीं दिया जा रहा है । उनका ध्यान रखने की कृपा करें ।

मुख्य मन्त्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जानते होंगे, यह शर्त हमने नहीं लगाई है। यह ए. आर. डी. सी. ने शर्त लगाई है। हम चाहें तो इसमें संशोधन नहीं कर सकते हैं । यह बात सही है कि 150 से 260 मीटर की दूरी की शर्त थी, इसको कम कराने के बारे में राज्य सरकार की ओर से ए. आर. डी. सी. को लिखा गया था। माननीय सदस्य कहते हैं तो हम फिर से लिखेंगे । यह दूरी कम हो जाये तो अच्छा होगा ।

श्री कौशल किशोर जैन : जिन लोगों को ऋण एवं अनुदान दिया जा रहा है, उनके बड़े बड़े फार्म हैं। उनके 4–5 कुए हैं।

श्री रतनलाल वर्मा : माननीय मुख्य मन्त्री जी कहते हैं कि यह ए. आर. डी. सी. के अधिकारियों का काम है। मैं निवेदन करूंगा कि उन अधिकारियों को बुलाइये। मैं उनको सन्तुष्ट करूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह अधिकारी मेरे पास नहीं है। वहां बैठे हैं।

श्री रतनलाल वर्मा : आप उनको नीचे बुलाइये। मैं उनको सन्तुष्ट करूंगा। यह लघु सिंचाई योजना है, इसमें 200 मीटर की सीमा गलत रख दी है।

श्री अध्यक्ष : श्री रतन लाल जी मुख्य मंत्री जी को संतुष्ट करना चाहते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रयास करूंगा कि ए. आर. डी. सी. के अधिकारी रतनलाल जी के कमरे में आकर खड़े हो जायें।

एक माननीय सदस्य : सरकार इस शर्त को क्यों नहीं हटवाना चाहती है?

श्री गुलाबचन्द कटारिया : इस सीमा के कारण जिनके पास में कुए हैं, वह पम्प सैट से अपने खेत में सिंचाई नहीं कर सकते हैं। यह पाबन्दी साधारण किसानों पर लगाई गई है। पहले तो मेवाड़ में छोटी होल्डिंग हैं, किसी के पास एक बीघा जमीन है तो किसी के पास दो बीघा जमीन है।

श्री कौशल किशोर जैन : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्री·······

(व्यवधान)

श्री ईश्वरचन्द्र : अध्यक्ष महोदय, एक एक इंजिन पर लोग हजार हजार रुपया मुनाफा कमा रहे हैं।

श्री कौशल किशोर जैन : मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि वह 26 जिलों में सुविधा उपलब्ध करायें।

श्री अयूब खां (तिजारा) : अध्यक्ष महोदय, किसानों को जो कर्जा मिलता है पम्प सैट खरीदने के लिए वह चैक से दिया जाता है। वह चैक ठेकेदार या किसी कम्पनी के नाम से दिया जाता है। इसमें अधिकारियों को कमीशन मिलता है। मेरा निवेदन है कि उनको सीधा सैट दिया जाये। इसमें किसी के बाप का क्या जाता है? चैक क्यों नहीं सीधा उनके नाम से दिया जाता है? वे जमीन के बदले कर्ज लेते हैं।

श्री टीकमचन्द कान्त : अभी एक सूचना मिली है कि जालौर में 200 रुपया प्रति फाइल कमीशन लिया जाता है।

श्री श्योपत सिंह मकासर : बैंक मैनेजर खाता है सो खाता है अधिकारी भी खाता है तीन तीन व्यक्ति खाते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, जालौर से आने वाले माननीय सदस्य ने अभी कहा है कि प्रति फाइल 200 रुपया कमीशन लिया जाता है। किसी अधिकारी ने 200 रुपये, 300 रुपये या 400 रुपये

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)
प्रति फाइल लिये हैं, इस प्रकार से आप चार्ज लगाना चाहेंगे तो आपको यह बताना होगा कि किस फाइल पर किस अधिकारी ने 200 रुपये लिये हैं ? आप यह बताइये।

एक माननीय सदस्य: ऐसी कोई फाइल नहीं है, जिस पर 200 रुपये नहीं लिये जाते हों।

श्री श्योपतसिंह मकासर: अध्यक्ष महोदय, पम्प सैट नकद 3 हजार रुपये में मिलता है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री जी यह जानना चाहते हैं कि कौन अधिकारी रुपया लेता है। मेरा निवेदन है कि कौन अधिकारी नहीं लेता है। मैं एक बात बताना चाहता हूं, एक पम्प सैट 3 हजार रुपये में मिलता है लेकिन बैंक से कर्जा लेने वालों को वह 42 सौ में मिलता है। 1200 रुपये का फर्क है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। कृपया स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया: अध्यक्ष महोदय, मेवाड़ के गांवों में लोगों को उनके नाम से सब्सिडी मिली है लेकिन वह उन लोगों को नहीं मिल पाई है। कौन उठा ले गया ? अंगूठे लगा कर कौन उठा ले गया ? मैंने शिकायत की थी कि इसकी जांच करायें कि उनकी सब्सिडी कौन उठा ले गया है ? उनके पम्प नहीं लगे हैं। आप जानकारी करा लें। खैरवाड़ा में।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मुख्य मन्त्री महोदय ने इस पर जो प्रकाश डाला है वह पर्याप्त है।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, मुझे मौका दें कुछ पूछने का।

श्री अध्यक्ष: आपको मौका बराबर मिलता है। स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया: माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री जी के चुनाव क्षेत्र में कलेक्टर कोटा ने पम्प सैट वितरित किये हैं। मेवाड़ के गांवों के लोगों को क्यों वंचित रखा जा रहा है ? मेरे पास फोटोस्टेट कापी है।

श्री निर्मल कुमार सकलेचा: मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि क्या यह सत्य है कि बैंक द्वारा जो इन्जिन....

(व्यवधान)

श्री हरिसिंह यादव: माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी ए. आर. डी. सी. के बारे में जो प्रश्न पूछा गया उसका माननीय मुख्य मंत्री ने उत्तर दिया। कुछ प्रश्न माननीय सदस्यों ने और किये, उनमें से एक प्रश्न यह है कि दो सौ मीटर की दूरी क्यों आवश्यक है ?

(श्री हरीसिंह यादव)

ए. आर. डी. सी की शर्त के अनुसार कहीं पर यह दूरी डेढ़ सौ मीटर की और कहीं-कहीं पर दो दो सौ मीटर से भी अधिक हो सकती है। अण्डर ग्राउण्ड वाटर का जो सर्वे हुआ है, उसकी जो टेबल है उसके अनुसार दो सौ मीटर से ज्यादा नजदीक कुए होंगे तो एक कुए से दूसरे में पानी का आना जाना बना रहेगा और इस तरह से पानी की सप्लाई पूरी तरह से नहीं होगी। इसलिए कुओं की दूरी वैज्ञानिक ढंग से रखने के लिये यह सीमा आवश्यक है। हम इसकी पुनः जांच करवायेंगे। अगर ज्यादा नजदीक कुए हैं तो जैसा कि माननीय मुख्य मन्त्री ने कहा, हम ए. आर. डी. सी. को लिखेंगे कि इसको ठीक किया जाय।

श्री कौशल किशोर जैन : वह टेबल गलत है, मैं चुनौती देता हूँ।

(व्यवधान)

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल) : किसानों को कितनी दुविधा होती है। यह आपको मालूम नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है। कृपया स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री भैरोंसिह शेखावत : एक मिनट में कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। इसी प्रश्न के सम्बन्ध में अभी जैसा कि झालावाड़ से आने वाले माननीय विधायक ने कहा कि मेरे क्षेत्र में किसी प्राइवेट कम्पनी से न खरीदे जाकर मार्केटिंग सोसायटी के थ्रू खरीदे जाते हैं, इसको पूरे राजस्थान में लागू कर दिया जाय। मैं यह कहना चाहूँगा कि पूरे कोटा जिले में यह लागू है। माननीय सदस्यों की इच्छा है तो मार्केटिंग सोसायटी के थ्रू ही पम्प सैट खरीदे जाय, मैं भी इसी पक्ष का हूँ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री निर्मलकुमार सकलेचा : कोटा क्लेकटर ने यह कह रखा है कि किर्लोस्कर के अलावा दूसरे पम्प सैट नहीं खरीदे जायं।

(व्यवधान)

श्री शिवकरण बुहाड़िया (फागी) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है–

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका प्रश्न डूब चुका है। समय रहा तो ले सकता हूँ।

प्रश्न संख्या 326

श्री रामेश्वर दयाल यादव।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें।)

प्रश्न संख्या 331

श्री हरचन्द सिंह।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें।)

मरुस्थलीय विकास हेतु योजनाएं

333. श्री शंकर लाल (जैतारण) :

(श्री शंकरलाल)
क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) राजस्थान सरकार द्वारा मरुस्थलीय विकास के लिये क्या-क्या योजनाएं बनाई गई हैं और उन पर कितने समय में किन-किन योजनाओं पर कितनी-कितनी धनराशि व्यय होगी ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इन योजनाओं की सही और समय पर क्रियान्विति हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है और इन योजनाओं का परिणाम कब तक आने की आशा है ?

राज्य मन्त्री, कृषि (श्री हरिसिंह यादव): (1) राजस्थान सरकार द्वारा मरुस्थलीय विकास के लिए सूखा सम्भाव्य क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरु विकास कार्यक्रम बनाये गये हैं। यह योजना भारत सरकार की छठी पंचवर्षीय योजना, जो भारत सरकार के विचाराधीन हैं, में सम्मिलित कर ली गई है। छठी पंचवर्षीय योजना में सूखा सम्भाव्य क्षेत्र कार्यक्रम में मरुस्थलीय क्षेत्रों के विकास हेतु लगभग 29.78 करोड़ धनराशि तथा मरु विकास कार्यक्रम पर लगभग 74·32 करोड़ की धनराशि व्यय करने के प्रावधान रखे गये हैं। इस क्षेत्र के लिए वर्ष 79–80 में सूखा सम्भाव्य क्षेत्र कार्यक्रम पर 9·122 करोड़ तथा मरु विकास कार्यक्रम पर 13·14 करोड़ रुपये की राशि व्यय करने का प्रस्ताव है।

(2) इन योजनाओं की सही तथा यथा समय पर क्रियान्विति हेतु प्रत्येक जिले में जिलाधीश की अध्यक्षता में जिला विकास अधिकरण का गठन किया गया है जो एक आटोनोमस संस्था है, जो प्रत्येक जिले में कार्यक्रम की क्रियान्विति देखती है। इस कार्यक्रम की समीक्षा हेतु जिले में एक समिति का गठन भी किया गया जिसमें उस क्षेत्र के दो विधायक जनप्रतिनिधि के रूप में राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किये जाते हैं। योजना का समय समय पर क्रियान्वयन हेतु जिला विकास अधिकरण समिति की समय समय पर बैठक होती है जिसमें वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु विचार विमर्श किया जाता है। इसके अतिरिक्त समय समय पर कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु मरु विकास आयुक्त जोधपुर से भी इन अभिकरणों को दिशा निर्देश दिये जाते हैं।

इन योजनाओं का परिणाम प्रत्यक्ष दृष्टि गोचर होने लगा है।

श्री मूलचन्द डागा : रूल 42 की पालना नहीं हो रही है। It must be delivered to member. अगर कोई जवाब देता है तो प्रश्नकर्ता को सूची पहले डिलीवर करनी चाहिये।

(व्यवधान)

श्री शंकरलाल : सूची अब आई है।

श्री श्योपत सिंह मकासर : कई बार आती ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, देर आयद दुरुस्त आयद ।

श्री मूलचन्द डागा : मन्त्रीजी फारेस्ट के हैं, इसलिए जंगल में घूम रहे हैं।

श्री शंकरलाल : क्या यह सही है कि सूखा सम्भावित क्षेत्र और मरुस्थलीय योजना के तहत जो पैसा राज्य सरकार को मिला वह खर्च नहीं कर सकी ? आपने कितना खर्चा किया ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : यदि आप उस दिन थे, जिस दिन कि बजट भाषण पर वादविवाद में मैंने इन्टरवीन किया था तो आपको याद होगा कि मैंने सारे आंकड़े दिये थे कि कितना मिला और कितना खर्च हुआ ।

श्री शंकरलाल : भारत सरकार द्वारा जो धनराशि मिली वह राज्य सरकार द्वारा खर्च क्यों नहीं की जा सकी ? राज्य सरकार मरुस्थल विकास योजना और सूखा सम्भावित कार्यक्रम में मरु इलाके की अवहेलना क्यों कर रही है ? यह स्पष्ट बतायें कि वह राशि खर्च क्यों नहीं की जा सकी ?

दूसरा प्रश्न यह है, आपने कहा है कि जिला स्तर पर समितियां बनायी गयी हैं उनमें दो विधायक मनोनीत किये जाते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि जिस क्षेत्र में यह प्रोग्राम चले उस क्षेत्र के विधायक को ही मनोनीत होना चाहिए और दूसरे विधायक, जो सम्बन्धित नहीं हैं सूखा क्षेत्र से, को मनोनीत करने में क्या तुक है ? क्या सरकार यह परिवर्तन करना चाहेगी ? पाली जिले का मुझे अनुभव है कि जो क्षेत्र से सम्बन्धित नहीं हैं उनको केवल पार्टी के आधार पर मनोनीत किया गया है। दोनों बातों का उत्तर दें ।

श्री हरिसिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, चालू वर्ष के दौरान जितना धन व्यय किया गया उसके बारे में माननीय सदस्य जानकारी चाहते हैं, वह इस समय मेरे पास उपलब्ध नहीं है । पर मैं यह कह सकता हूं कि जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया था उसकी काफी बड़ी मात्रा में हमने पूर्ति की है । उस क्षेत्र के जितने भी माननीय सदस्य हैं वे जानते हैं कि इस वित्तीय वर्ष में इस क्षेत्र में काफी कार्य हुआ है ।

श्री मूलचन्द डागा : यह तो वेग रिप्लाई हुआ । कितनी धनराशि आपने खर्च की, यह बताइये ?

श्री शंकरलाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली बार भी यह प्रश्न स्थगित किया गया था....

श्री मूलचन्द डागा : कितना धन दिया गया था और कितना खर्च हुआ, यह बतायें ।

श्री शंकरलाल : पिछली बार भी मंत्री महोदय ने कहा था कि मेरे पास जानकारी नहीं है । इसी प्रश्न को स्थगित किया गया था और मंत्री महोदय ने कहा था कि आइन्दा जानकारी दूंगा लेकिन आज भी जानकारी नहीं है । मैं चैलेन्ज के साथ कह

(श्री शंकरलाल)
सकता हूं कि जो राशि भारत सरकार से मिली है राज्य सरकार उसका उपयोग नहीं कर सकी है। आपके पास कोई प्रोग्रेस नहीं है। आप आश्वासन की अवहेलना कर रहे हैं। आप आंकड़े बतायें।

श्री रघुनन्दन व्यास : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत इम्पोर्टेन्ट प्रश्न है। इसको आधा घंटे की चर्चा के लिए रख दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : मैं इस प्रश्न को स्थगित करता हूं और आशा करता हूं कि अब की बार फिर स्थगित करने का अवसर नहीं आयेगा।

स्थगित प्रश्न। नैक्स्ट।

श्री रामकरण सिंह।

श्री मथुरादास माथुर (डीडवाना) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने इस प्रश्न के उत्तर में कहा कि छठी पंचवर्षीय योजना विचाराधीन है और उसमें इतने करोड़ रुपये रखे गये हैं। क्या मैं, मुख्य मंत्री जी, आशा करूं कि इस योजना का मसविदा आज भी विचाराधीन है ? दो साल तो हो गए....

श्री बजरंगलाल शर्मा : माननीय माथुर साहब, यह प्रश्न तो स्थगित हो गया।

श्री मथुरादास माथुर : स्थगित के बारे में ही पूछ रहा हूं क्योंकि उन्होंने रेफरेन्स किया है। छठी पंचवर्षीय योजना में 29 करोड़ रुपया मरुस्थल के लिए रखा गया। मैं वह योजना देखना चाहता हूं। वह मसविदा सदन की मेज पर रखा जाये। दो साल हो गए मसविदा ही सदन की मेज पर नहीं रखा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माथुर साहब बड़ी जोर जोर से मसविदे के लिए कह रहे हैं कि दो साल हो गए मसविदा सदन की मेज पर नहीं रखा। आपने तो 6 साल तक नहीं रखा था।

श्री मथुरादास माथुर : वह एनुअल प्लान था वह रखा गया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप यह चार्ज मत लगाओ। आप कहेंगे तो आपके पास भेज दूंगा।

श्री मथुरादास माथुर : आपने छठी पंचवर्षीय योजना के नाम पर काम शुरू किया है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : फाइनल प्रारूप बनाने के बाद हम हाउस के सामने रख देंगे।

श्री मथुरादास माथुर : लेकिन वह सदन की मेज पर रखिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : रख देंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकरण सिंह

श्री बजरंगलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान रूल 41 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। रूल 41 इस प्रकार है :

"परन्तु जिस प्रश्न का मौखिक उत्तर देने के लिये समय नहीं बचा हो उसका उत्तर प्रश्न के घंटे के अन्त में यदि मंत्री अध्यक्ष से अभ्यावेदन करे कि यह प्रश्न विशेष लोकहित का है और उसका वह उत्तर देना चाहता है तो अध्यक्ष की अनुज्ञा से दिया जा सकेगा।"

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न 668 आज की तारीख में सबसे अधिक लोक महत्व का है........

श्री गुलाबचन्द कटारिया : लोक महत्व का है तो समय पर आना चाहिए था आपको।

श्री कौशलकिशोर जैन : स्थगित प्रश्न लिये जायें, माननीय अध्यक्ष महोदय। इनको समय पर आना चाहिए था।

श्री बजरंगलाल शर्मा : राज्य का पैसा लेकर अपनी नेतागिरी को उजागर करना चाहते हैं....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें।

श्री बजरंगलाल शर्मा : मैं अनुपस्थित था सदन में जब यह प्रश्न आया।

श्री श्योपतसिंह मकासर : इसलिए महत्त्वपूर्ण है ही नहीं।

श्री बजरंगलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि प्रश्न को महत्व का मानते हैं तो मेरी अनुपस्थिति जैसी छोटी बात को नहीं माना जाना चाहिए। इस प्रश्न को लिया जाये।

श्री बहादुरसिंह (नोहर) : यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको लिया जाये।

श्री बजरंगलाल शर्मा : यह समितियां क्या कर रही हैं? किसी तरह से अपनी नेतागिरी को उजागर करना चाहते हैं और फ्राड कर रहे हैं इसलिए यह बहुत ही लोक महत्व का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अगर यह प्रश्न समाप्त हो जाता है तो मैं आपके प्रश्न को ले लूंगा।

श्री बजरंगलाल शर्मा : धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकरण सिंह

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 17-3-79)

जिला जयपुर की गोचर भूमि व जोहड़ों की भूमि पर नाजायज कब्जे

334. **श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली):** क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला जयपुर में गोचर भूमि व गैर मुमकिन जोहड़ों की भूमि पर नाजायज कब्जों को रोकने में प्रशासन असफल रहा है?

(2) क्या यह सही है कि अलाटमेन्ट कमेटियों ने जो प्रस्ताव भेजे उनकी जिला प्रशासन लापरवाही या अन्य वजह से स्वीकृति व अस्वीकृति की सूचना भेजने में असफल रहा है?

(3) यदि नहीं, तो तहसील कोटपूतली के 1961 से आज तक भेजे गये प्रस्तावों की पहुंच और वापसी सूचना की तिथि बताते हुये सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

राजस्व मंत्री (श्री पुरुषोत्तम मंत्री): (1) जी नहीं। ऐसे नाजायज़ कब्जों को हटाने में जिला प्रशासन द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाती रही है।

(2) जी नहीं। अलाटमेन्ट कमेटियों द्वारा जो प्रस्ताव भेजे जाते हैं उनकी स्वीकृति व अस्वीकृति की सूचना यथा समय दी जाती रही है।

(3) सन् 1961 से आज तक तहसील कोटपूतली के जिन ग्रामों के चरागाह हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं उनकी सूची मय प्राप्ति तिथि व वापसी तिथि के परिशिष्ट 'क' संलग्न है। जिन प्रस्तावों की पत्रावलियां तलफ हो गयी हैं उनकी सूची परिशिष्ट 'ख' संलग्न है। इनकी प्राप्ति व वापसी की तिथि अवगत कराना सम्भव नहीं है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री रामकरण सिंह: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो भी जवाब दिया है वास्तव में लगता है कि स्थगित होने के बाद भी मंत्री जी ने इसकी अहमियत को नहीं समझा। यह साफ जाहिर भी है।

मेरा पहला प्रश्न था कि जिला जयपुर में गोचर भूमि बगैर मुमकिन जोहड़ों की भूमि पर नाजायज़ कब्जों को रोकने में प्रशासन असफल रहा है। आपने कहा, नहीं। एक भी आप ऐसा उदाहरण बता दें, जहां नाजायज़ कब्जों को रिजेक्ट करके कोई कानून के तहत बात की हो।

दूसरा प्रश्न मैंने अर्ज किया है कि अलाटमेंट कमेटियों ने जो प्रस्ताव भेजे, जिला प्रशासन की लापरवाही या अन्य कारणों से स्वीकृति व अस्वीकृति की सूचना भेजने में असफल रहा है। इसका आपने जवाब दिया है कि सूचना भेजी जाती रही है। मैं कोटपूतली तहसील के 18 गांवों के लिये कह सकता हूं कि उनकी पत्रावलियां नष्ट कर दी गयी हैं। अब सोचिये, अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न किया है इसका क्या नतीजा निकला? यह स्थगित किया गया, उसके बाद क्या हुआ? एक तहसील के 18 गांवों की पत्रावलियां नष्ट कर दी गईं। 1961 से अब तक जिस प्रकार से पत्रावलियां नष्ट हुईं उसकी वास्तव में जानकारी दी जाये तो सदन की आंख खुल जायें और सदन असमंजस में पड़ जाये। ऐसी हालत में आप इसका उत्तर दीजिए।

श्री रामेश्वर प्रसाद(जमुवा रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जवाब दिया है वह गलत है। मेरे क्षेत्र के गांव देवमा हरवाड़ा के चक नं. 207 की दरख्वास्त है वह मैं सदन की मेज पर रखूंगा। एक साल से जिला प्रशासन को दरख्वास्तें दे रहे हैं लेकिन एक्शन लेना तो दूर रहा उस पर मकान बना चुके हैं, काश्त की जमीनें दबा ली है। चक न. 207 को पूरा का पूरा दबा लिया लेकिन जिला प्रशासन कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है।

श्री डूंगर राम पंवार(टीबी): एक्शन ले ही नहीं सकते।

(व्यवधान)

श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमूं): मैं राजस्व मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि

(20)

(श्री रामेश्वरदयाल यादव)
क्या यह सच नहीं है कि जयपुर जिले में 77–78 के राजस्व अभियान के दौरान अलाटमेंट समितियों द्वारा रिकमंड करके प्रस्ताव जयपुर कलेक्टर को भेज दिया था किन्तु अभी तक जयपुर जिले की किसी भी तहसील के लिये स्वीकृति नहीं दी है ?

क्या यह सच नहीं है कि इन जमीनों में ग्राम पंचायतों ने काम के बदले अनाज योजना में स्कूल भवन बनाये हैं और तह–सीलदार और नायब तहसीलदार अण्डर सेक्शन 91 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट बेदखल की कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री खंगारसिंह चौधरी(खारची): अलाट-मेंट किसे कहते हैं, नियम किसे कहते हैं ? इसका भी होश नहीं है।

श्री रामकरण सिंह: जिला प्रशासन बिलकुल असफल रहा है।

श्री पुरुषोतम मंत्री: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है वह केवल कोटपूतली तहसील के बारे में है....

श्री रामकरण सिंह: जयपुर जिले के बारे में भेजा है....

(व्यवधान)

श्री पुरुषोतम मंत्री: I am sorry for that.

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह प्रश्न जिला जयपुर के बारे में है। उत्तर आ रहा है।

(व्यवधान)

श्री पुरुषोतम मंत्री : इस प्रश्न के तीन खण्ड हैं। दो खण्ड जयपुर जिले के बारे में हैं। एक खण्ड कोटपूतली से सम्बन्धित है। शुरू में गलत कह दिया, sorry. मैंने निवेदन किया, 76 प्रस्ताव आये थे। उन 76 प्रस्तावों की सूची मैंने पेश कर दी है। वह आपके पास पहुंच गई है। दूसरी सूची 18 प्रस्तावों की है। जिनकी फाइल तलब करते हैं, अध्यक्ष महो-दय, मैं निवेदन करूं कि फाइल तलबी के कुछ नियम हैं, किन शर्तों में तलब की जाती है। इसलिये उनकी वापसी की, प्राप्ति की तारीख नहीं बतायी जा सकती। चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य ने दरयाफ्त किया है कि उनके क्षेत्र के अन्दर 91 धारा की कार्यवाही की जा रही है जहां पर काम के बदले अनाज योजना में स्कूल बनाये गये। ऐसा मेरी कोई जानकारी में नहीं है। फिर भी इसकी जांच करवा लूंगा।

दूसरा प्रश्न पूछा, साल भर में जो प्रस्ताव भेजे उन पर कोई फैसला नहीं किया। मेरे पास कोई जानकारी नहीं। आपने भी मुझे नहीं कहा है। फिर भी जानकारी करके माननीय सदस्य को दे दूंगा।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : यह केवल चौमूं का सवाल नहीं है ...

श्री रघुनाथ विश्नोई : सरकार की नीति क्या है ?

श्री रामकरण सिंह : 18 फाइलों को तलब किया गया, विशेष कारण है जिसकी वजह से तलब की गईं ....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

एक माननीय सदस्य : नशाबन्दी वाला....

श्री अध्यक्ष : नशाबन्दी को जाने दीजिये....

श्री बजरंगलाल शर्मा : नशाबन्दी समिति का प्रश्न है। लाखों रुपये मिलते हैं। भूख हड़ताल की घोषणा करते हैं....

(व्यवधान)

श्री कौशल किशोर जैन : स्थगित प्रश्न अभी बाकी हैं। एक स्थगित प्रश्न लेने की कृपा करें।

श्री भंवरलाल ऐरन (नसीराबाद): प्रश्न संख्या 668 का उत्तर दिलाया जाये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, I am very sorry, I cant.'

श्रीमती उजला अरोड़ा : शराबबन्दी की समिति पर, यह जरूरी है यहां पर चर्चा होनी चाहिये....

(व्यवधान)

सामाजिक संस्था है। इस तरह से लोग कहें कि सरकार के पैसे का दुरुपयोग किया जाता है....

श्री श्योपतसिंह मकासर : बोलने दीजिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, आप स्थान ग्रहण करें। आपकी आपत्ति से मेरी सहानुभूति है। नियम हैं उन नियमों के अन्तर्गत अगर आप इस प्रश्न को महत्व देती हैं तो उठा सकती हैं। आज प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ, यह घोषणा हो चुकी है।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय सदस्या, कल से बहुत परेशान हैं। सारा दिन धूप में खड़ी रहीं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अगर 15 सैकण्ड भी होते तो मैं इसको ले लेता, फिर 10, 15 मिनट चर्चा कर लेते लेकिन 12 बज चुके थे, मैंने घोषणा कर दी। अब इस प्रश्न को मैं नहीं ले सकता....

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : समय बढ़ाया जाये....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, मुझे पूर्ण विश्वास है....

श्री मती उजला अरोड़ा : सदन में आरोप लगाये जा रहे हैं....

एक माननीय सदस्य : महिलाओं के प्रति आपकी उदारता रहनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : मेरी बात सुनिये, आप व्यथित हैं. अभी स्थान ग्रहण करें।

श्री श्योपत सिंह मकासर : माननीय सदस्या की आत्मा की शान्ति के लिए कुछ समय दे दें, कल से परेशान है।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। नशा-बन्दी का मामला है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभी पहली अप्रेल नहीं आई है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : इस बारे में उत्तर आना बहुत जरूरी है, अध्यक्ष महोदय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, माननीय बजरंग लाल जी, दोनों को मेरा नम्रतापूर्वक निवेदन है कि मुझसे कक्ष में आकर मिले।

प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं कक्ष में मिलूंगी लेकिन कोई उत्तर नहीं मिलेगा। ये दो दो मन्त्री जी यहां बैठे हैं, उत्तर यहां दिलवाया जाय।

(व्यवधान)

श्री श्योपत सिंह मकासर : अन्तरात्मा की आवाज है।

(व्यवधान)

श्री राम नारायण चौधरी (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, वे सब मिले हुए हैं।

श्री बजरंग लाल शर्मा : सारा सदन जानना चाहता है, उत्तर दिलवा दिया जाय।

श्री कौशल किशोर जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके पहले स्थगित प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय मंत्री महोदय, आप यह स्पष्ट कर दें।

श्री नवरंग सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मेरी बात सुनिये, आपके लिए मेरे मन में बहुत लिहाज है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है........

श्री अध्यक्ष : कल इस बारे में चर्चा हो सकती है........

(व्यवधान)

मेरी व्यवस्था से असन्तुष्ट हैं तो आप बहिर्गमन कर जायं।

(श्री अध्यक्ष)

मेरी व्यवस्था मैंने दे दी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप बहुत उदार हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, यह नहीं हो सकता है। मैंने व्यवस्था दे दी है। अब आप कृपया स्थान ग्रहण कर लें।

(व्यवधान)

श्री बहादुर सिंह (नोहर) : महत्वपूर्ण प्रश्न है इसलिये लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : मैंने नहीं कहा यह महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन मैंने व्यवस्था दे दी है।

श्री भंवरलाल ऐरन : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या की भावना की कद्र करें। प्रश्न का उत्तर दिलवाया जाय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मेरी उदारता का दुरुपयोग करवाना चाहते हैं।

श्री भंवरलाल ऐरन : हम आपकी उदारता का सदुपयोग चाहते है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, मुझसे आप कक्ष में मिलिये। आपकी भावना मैं समझ सकता हूं। मैं कल इस बारे में कोई न कोई नियमों के अन्तर्गत व्यवस्था करूंगा और आपको चर्चा उठाने की अनुमति देने के विषय में विचार करूंगा।

(शेष तारांकित प्रश्नोतर के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

खेतड़ी पंचायत समिति की सड़कें

665. श्री मालाराम (खेतड़ी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या खेतड़ी पंचायत समिति में आजादी से लेकर आज तक कोई ऐसी सड़क बनाई है जिसकी लम्बाई 15 कि.मी. की दूरी है? यदि नहीं बनाई, तो क्यों?

उत्तर

जी हां।

खेतड़ी पंचायत समिति में आजादी से लेकर आज तक जो सड़कें बनाई गई हैं उनमें दो सड़कें 15 कि. मी. से अधिक लम्बाई की हैं जो खेतड़ी से निजामपुर 23 कि०मी० तथा खेतड़ी से माऊडा 22 कि. मी. लम्बी है।

अकाल राहत के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण

667. श्री शिवकरण बुहाड़िया (फागी):

(श्री शिवकरण बुहाड़िया)

क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में अकाल राहत के अन्तर्गत जिन सड़कों का निर्माण करवाया था क्या वे पूर्ण हो गई हैं ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ? उन्हें पूर्ण करवाने के लिये क्या राज्य सरकार के पास कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक इन अपूर्ण सड़कों को पूरा करवाया जायेगा ?

(2) फागी विधान सभा क्षेत्र में बनी जो सड़कें अकाल राहत के अन्दर अपूर्ण रह गई हैं तथा उनको पूर्ण करने के लिये प्रचुर मात्रा में मैटीरियल पड़ा है उसकी हिफाजत का कौन जिम्मेदार है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। राहत कार्यों में निर्मित सड़कें अभी अधूरी हैं। राहत कार्यों के अन्तर्गत सड़क निर्माण का कार्य प्रभावित क्षेत्र की जनता को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु प्रारम्भ किया जाता है और अकाल का समय समाप्त होने पर कार्य बन्द कर दिये जाते हैं। जब कभी भी राहत कार्य व अन्य कार्य हाथ में लिये जाते हैं, उस समय अकाल के समय अधूरे रहे कार्यों को प्राथमिकता दी जाती है।

(2) फागी विधान सभा क्षेत्र में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत अपूर्ण रही सड़कों पर अवशेष रहा मैटीरियल निर्माण विभाग की हिफाजत में है।

प्रदेश नशाबन्दी समिति

668. **श्री बजरंगलाल शर्मा** (बनी-पार्क) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्थान में प्रदेश नशाबन्दी समिति या मण्डल जैसी कोई संस्था है ? यदि हां, तो उनका गठन किसने किया है ? उसके पदाधिकारी एवं सदस्य कौन हैं ?

(2) क्या उक्त समिति की जिला समितियां भी हैं ? यदि हां, तो कितनी और किस किस जिले में हैं तथा उनके पदाधिकारी और सदस्य कौन कौन हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) उक्त प्रदेश समिति एवं उसकी जिला समितियों का वार्षिक व्यय कितना है और क्या राज्य सरकार से भी उसे कोई सहायता मिलती है ? यदि हां, तो कुल कितनी ?

(4) उक्त मंडल अथवा समिति के उद्देश्य क्या हैं और किस कानून के अन्तर्गत वह गठित है ?

(5) क्या उक्त संस्था के अतिरिक्त भी राज्य में और कोई संगठन है जो उसी प्रकार का कार्य कर रहा है ? उसका वार्षिक व्यय भार कितना है ?

उत्तर

(1) जी हां।

राजस्थान नशाबन्दी मण्डल का गठन

(आबकारी मंत्री)

राज्य सरकार द्वारा किया गया है। मण्डल के पदाधिकारियों एवं सदस्यों की सूची 'क' संलग्न है।

(2) जी हां।

राजस्थान नशाबन्दी मण्डल ने 21 जिला मण्डल गठित किये हैं। सूची 'ख', जिसमें पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम भी अंकित है, संलग्न है।

(3) चूंकि मण्डल ने अपना कार्य वर्ष 78–79 में ही प्रारम्भ किया है इनके वार्षिक खर्चे के आंकड़े वर्ष के समाप्त होने पर ही दिये जाना सम्भव हो सकेगा। जी हां। राज्य सरकार ने अब तक इस मण्डल को 8,01,414 रुपयों का अनुदान स्वीकृत किया है।

(4) राजस्थान नशाबन्दी मण्डल का गठन राज्य में नशाबन्दी के पक्ष में वातावरण बनाने, राज्य सरकार द्वारा मद्य निषेध के सम्बन्ध में घोषित नीतियों के क्रियान्वयन के कार्य को देखने, नशाबन्दी के क्षेत्र में आने वाली समस्याओं को सुलझाने के लिए सुझाव देने तथा आबकारी कानून, नियम एवं आदेशों का पूर्णतया पालन करवाने हेतु आदेश कार्यपालक शक्तियों (Executive powers) के अधीन जारी किये हैं।

(5) जी हां। जो अन्य संस्थाएं कार्य कर रही हैं वे स्वयंसेवी संस्थाएं हैं। ये संस्थाएं जब कभी अनुदान हेतु राज्य सरकार को प्रार्थना पत्र देती हैं तब इस प्रकार के आंकड़े प्रस्तुत करती हैं। जब से नशाबन्दी मण्डल का गठन (28–3–78) हुआ है तब से इन संस्थाओं को राज्य सरकार द्वारा कोई अनुदान नहीं दिया गया है। केवल मात्र राजस्थान स्टेट भारत स्काउट एण्ड गाइड जयपुर, जो कि एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था है, को वर्ष 1977–78 में दिये गये अनुदान से शेष रही राशि का उपयोग इस वर्ष करने के लिये स्वीकृति दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 17–3–79)

बाढ़ के बचाव हेतु जिलेवार आवंटित धनराशि

326. श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमू) : क्या अकाल-सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में बाढ़ से बचाव कार्य के लिए इस वर्ष जिलेवार कितनी धनराशि आवंटित की गई और बचाव कार्य कितने लिए गए तथा कितने पूरे किए गए ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार के पास चौमूं क्षेत्र के ग्राम हस्तेड़ा की मेढा नदी व उदयपुरिया नला के निर्माण कार्य के प्रस्ताव विचाराधीन हैं? यदि हां, तो सिचाई विभाग द्वारा कब तक कार्य पूरे करवाये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बाढ़ के बचाव कार्यों के लिये इस वर्ष आवंटित की गई धनराशि का जिलेवार विवरण मय कार्यों की संख्या की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। प्राप्त सूचना के आधार पर लगभग सारे कार्य निर्माणाधीन हैं।

(2) चौमूं क्षेत्र के उदयपुरिया नाला एवं मेढा नदी पर हस्तेड़ा ग्राम को पाल के बाढ़ नियंत्रण कार्य राहत विभाग से स्वीकृत नहीं किये गये हैं। उक्त दोनों कार्यों के लिये जिलाधीश, जयपुर ने नवम्बर 78 के अन्तिम पखवाड़े में मुख्य अभियन्ता सिंचाई विभाग को प्रस्ताव भेजे थे। उक्त प्रस्ताव माह मार्च, 79 में सिंचाई विभाग द्वारा राहत विभाग को भेजे गये। प्रस्ताव देरी होने के कारण अब स्वीकृत किया जाना सम्भव नहीं है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें।

कृषि उपज मंडी पीलीबंगा से भूतपूर्व प्रधानों द्वारा निर्माण कार्यों हेतु ली गई अग्रिम राशि

331. श्री हरचन्द सिंह (पीलीबंगा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या कृषि उपज मंडी समिति पीलीबंगा से श्री सत्यपाल, श्री रामनारायण (घमड़िया) व श्री बीरबल, भूतपूर्व प्रधान, पंचायत समिति, सूरतगढ़ व श्री भागीरथ जाखड़ ने पुलियाओं के निर्माण हेतु अग्रिम राशि, सीमेंट एवं ईंटें लीं और निर्माण कार्य नहीं करवाया और अंकेक्षण आक्षेप भी उनके विरुद्ध लगे हैं ?

(2) क्या सरकार उनके खिलाफ गबन के मामले दर्ज करवाने की सोच रही है ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(3) उपरोक्त चारों व्यक्तियों के द्वारा उक्त मंडी समिति से 1970 से आज तक कितनी कितनी राशि नकद, कितना कितना सीमेंट एवं कितनी कितनी ईंटें बतौर अग्रिम राशि उठायी गई हैं तथा कितने कितने कार्यों का निर्माण करवाया है ? अगर नहीं करवाया, तो सरकार उनके खिलाफ क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि कृषि उपज मण्डी समिति, पीलीबंगा से इन सदस्यों ने पुलियाओं के निर्माण हेतु अग्रिम राशि तथा कुछ सामग्री प्राप्त की थी परन्तु यह सही नहीं है कि निर्माण कार्य नहीं करवाये गये। इनमें से एक ने पूरा निर्माण कार्य कराने का प्रमाण कार्य प्रस्तुत नहीं किया है। इसके बारे में अंकेक्षण रिपोर्ट में आक्षेप किया गया था।

(2) इस विषय में मण्डी समिति द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

(3) उपरोक्त चारों व्यक्तियों द्वारा 1970 से अब तक जितनी राशि व सामग्री ली है उसका विवरण संलग्न है। केवल श्री

(कृषि मंत्री)
भागीरथ द्वारा 11 पुलियाओं का निर्माण नहीं कराया गया है। उनके विरुद्ध पी. डी. आर. एक्ट के अन्तर्गत जिलाधीश द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखे)

बाढ़ पीड़ितों के लिए पाम आयल की व्यवस्था

346. **श्री जगदीश चन्द्र शर्मा** (रतनगढ़) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) इस वर्ष बाढ़ पीड़ितों के लिए राजस्थान में कुल कितना पाम ऑयल प्राप्त हुआ था ? राज्य सरकार द्वारा किस किस तहसील को कितना कितना अलाट किया गया ? इसके रख रखाव एवं ढुलाई पर हुए जिलेवार, तहसीलवार खर्च की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) यह तेल कितने बाढ़ पीड़ितों को बांटा गया ? तहसीलवार संख्या बताने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि पाम आयल भारी मात्रा में बाजारों में बिक रहा है और इसकी सूचना राज्य सरकार को विभिन्न स्थानों से प्राप्त होने पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई ?

उत्तर

(1) इस वर्ष राजस्थान में 74.870 मैट्रिक टन पाम आयल बाढ़ पीड़ितों के लिये प्राप्त हुआ था। जिलाधीशों द्वारा तहसीलों को किये गये आवन्टन की सूची संलग्न है। इसके रख-रखाव एवं ढुलाई पर हुये जिलेवार। तहसीलवार खर्चे की सूची भी सदन पर प्रस्तुत है।

(2) यह तेल अब तक 18101 बाढ़ पीड़ित परिवारों को बांटा गया है। तहसीलवार सूची संलग्न है।

(3) यह तेल चूरू, झुन्झुनू व सीकर जिलों को आवंटित किया गया था। जिला झुंझुनू व सीकर में उक्त तेल बाजार में बिकने संबंधी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। जिलाधीश चूरू ने अवगत कराया है कि रामगढ़ में यह तेल बाजार में बिकने की शिकायत प्राप्त हुई थी परन्तु जांच करने पर यह शिकायत सही नहीं पाई गई।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

ग्राम सुरायता, तहसील सोजत में कायम किये गये भू-राजस्व अधिभार की वसूली

803. **श्री खंगार सिंह चौधरी** (खारची): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला पाली की तहसील सोजत के ग्राम सुरायता में संवत् 2021 से 2024 तक खाता संख्या 29,250, 312 व 157 का कितना कितना भू-राजस्व अधिभार कायम किया गया व कितना कितना भू-राजस्व अधिभार कब कब वसूल किया गया ?

(2) प्रश्न के भाग (1) में बताये गये खातों यानि जोतों (होल्डिग) में कौन कौन

(श्री खंगारसिंह चौधरी)

सी होल्डिंग 30 स्टैंडर्ड एकड़ से बड़ी हैं व उनका क्या क्या सालाना भू-राजस्व है व, क्या क्या भू-राजस्व अधिभार उन पर राजस्थान भू-राजस्व अधिभार अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत देय होता है व प्रश्न के भाग (1) में वसूल किया गया या कायम किया गया भू-राजस्व अधिभार इस भाग में बताये गये भू-राजस्व अधिभार के बराबर है या नहीं ? अगर नहीं है, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला पाली की तहसील सोजत के ग्राम सुरायता में सम्वत् 2021 से 2024 तक खाता सख्या 29 व 157 में अधिभार लगने योग्य खाता नहीं होने के कारण अधिभार कायम ही नहीं किया गया। खाता संख्या 250 व 312 पर भू-राजस्व अधिभार निम्न विवरणानुसार कायम किया गया :—

वर्ष	खाता सं.	भू-राजस्व अधिभार	वसूल राशि
2021	250	365.59	39.00
2022	–	365.59	–
2023	–	365.59	–
2024	–	720.66	720.66
		1817.43	759.66
2021	312	43.97	43.97
2022	312	43.97	43.97
2023	312	43.97	43.97
2024	312	43.97	43.97

(2) प्रश्न के भाग '1' में बताए गए खातों यानि जोतों (होल्डिंग) में होल्डिंग संख्या 250 व 312, 30 स्टेण्डर्ड एकड़ से बड़ी हैं व उनका सालाना भू-राजस्व निम्न है। उन पर राजस्थान भू-राजस्व अधिभार अधिनियम की धारा 3(3) के अन्तर्गत जो अधिभार देय होता है वह निम्न प्रकार है। तथा प्रश्न के भाग एक में वसूल किया गया या कायम किया गया भू-राजस्व अधिभार इस भाग में बताए गए भू-राजस्व अधिभार के बराबर है।

वर्ष	30 एकड़ स्टेण्डर्ड से अधिक होल्डिंग सं	भू-राजस्व	देय अधिभार	वसूली की गई
2021	250	801.68	365.59	39.00
2022	250	801.68	365.59	–
2023	250	801.68	365.59	–
2024	250	720.66	720.66	720.66
(2)				
2021	312	175.87	43.97	43.97
2022	312	175.87	43.97	43.97
2023	312	175.87	43.97	43.97
2024	312	175.87	43.97	43.97

ग्राम आलनियास तहसील डेगाना की गोचर भूमि का मामला

804. श्री राम रघुनाथ चौधरी (डेगाना) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम आल-

(29)

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

नियास, तहसील डेगाना जिला नागौर की खसरा नं, 210, 247, 339, 217, 304, 391, 1061, 229, 310, 548, 236, 282, 953 घोचर गोषित हैं ? अगर हां, तो घोषणा किस दिन की गई एवं ग्राम पंचायत को किस तारीख को हस्तान्तरित कर सम्भला दी गई ? विवरणसदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या यह सही है कि खसरा नं. 247 पर किसी श्री कल्याण सिंह नामक व्यक्ति ने नाजायज कब्जा कर रखा है ? अगर हां, तो बताएं कि वे कहां के निवासी हैं ? कितने रकबे पर कब से कब्जा है ? क्या उस कब्जे को कभी हटाया गया है ? क्या हटाने पर पुनः दुवारा कब्जा किया है एवं मौजूदा कार्यवाही की क्या स्थिति है ? पूर्ण सूचना सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(3) क्या यह सही है कि श्री कल्याण सिंह ने उस भूमि, जिस पर कब्जा कर रखा है, को अपने अथवा अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम से नियमित करने हेतु कार्यवाही की है ? अगर हां तो क्या क्या ?

(4) क्या यह सही है कि सरकार ने इस कब्जे को नाजायज कब्जा मान कर फसल को मिलाया था ? अगर हां, तो फिर तहसीलदार ने नियमन की कार्यवाही किस प्रकार की ?

उत्तर

(1) यह सही है कि ग्राम आलनियास तहसील डेगाना के खसरा नं. 210, 217, 229, 247, 304, 310, 339, 391, 548, 1061 जिलाधीश नागौर के आदेश सं. 536 दिनांक 28–9–59 के द्वारा चरागाह गोषित की गई थी । खसरा नं. 953 सैटलमेंट के पूर्व से ही घोषित चरागाह है । खसरा नं. 236,282 उपखंड अधिकारी मेड़ता द्वारा दिनांक 17–4–69 को चरागाह घोषित किया गया है । उक्त-खसरा नं. का कब्जा दिनांक 14–10–59 एवं 16-8-69 को ग्राम पंचायत का सौंपा गया ।

(2) यह सही है कि खसरा नं. 247 रकबा 22 बीघा पर दिनांक 9-12-75 से श्री कल्याण सिंह राजपूत निवासी रिंया तहसील मेड़ता का अतिक्रमण है । उक्त अतिक्रमण का कब्जा दि. 26-2-76 को हटाया गया । दिनांक 25-7-76 को उसने पुनः कब्जा किया । मामले की सुनवाई तहसीलदार डेगाना द्वारा की जा रही है, जिसकी अगली तारीख पेशी 30-3-79 है ।

(3) श्री कल्याण सिंह द्वारा खसरा नं. 247, जिस पर उसका अतिक्रमण किया हुआ था, को नियमन करने की सिफारिश तत्कालीन तहसीलदार द्वारा नियमन कमेटी को की गई थी। नियमन कमेटी ने उक्त सिफारिश खारिज कर दी ।

श्री कल्याण सिंह के पुत्र रतनसिंह, गिरवरसिंह ने एक राजस्व वाद इस्तकरार-हक व हुक्म इस्तनाई दवामी का खसरा नं. 247 रकबा 56 बीघा 13 बिस्वा का उप खण्ड न्यायालय मेड़ता में सरकार

(राजस्व मन्त्री)

जरिये तहसीलदार डेगाना व सरपंच ग्राम पंचायत आलनियावास के विरुद्ध दायर है । इस मामले में अभी तक प्रतिवादीगण की तलबी होना शेष है और इसकी अग्रिम पेशी 28–4–79 को निश्चित की हुई है ।

(4) यह सही है कि अतिक्रमण होने पर दो बार फसलें नष्ट करवाई गई थीं । तत्कालीन तहसीलदार ने नियमन की कार्यवाही अतिक्रमी कल्याण सिंह का उक्त भूमि पर सम्वत् 2012 से कब्जा काश्त मौखिक सहायत के अनुसार मान कर दिनांक 15-1-76 को नियमन करने की सिफारिश कर मामला नियमन कमेटी को प्रेषित किया, जहां खारिज कर दी गई ।

दौसा में अन्त्योदयी परिवारों के भू-आवंटन का मामला

805 **श्री राम रघुनाथ चौधरी** (डेगाना) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या उप खंड अधिकारी तहसीलदार दौसा ने अन्त्योदय परिवार को भू-आवंटन करने हेतु ग्राम देहलाड़ी ग्राम पंचायत बड़ा गांव तहसील दौसा में खसरा नं.170-172 के लिए उक्त घोषणा पत्र माह जुलाई 1-7-78 को जारी किए थे तथा आवंटन की तारीख 9-8-78 तय की थी ? अगर हां, तो यह भूमि किस किस अन्त्योदयी को उस दिन या उस दिन नहीं, तो किस दिन आवंटित की गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या बड़ा गांव में भी कुछ भूमि आवटित की गई है जिनका कब्जा देने हेतु तहसीलदार दौसा ने दिनांक 2 –8–78 को आदेश निकाले थे ? अगर हां, तो कौन कौन लोग थे तथा उनको यह भूमि आवंटन करने हेतु उक्त घोषणा-पत्र कब निकाला गया ? उक्त घोषणा-पत्र की नकल व अन्य सूचना सदन की मेज पर रखें तथा यह भी बताएं कि उन्हें काश्त हेतु किस खसरा नम्बर में कितनी भूमि का आवंटन किया एवं किस तारीख को कब्जा दिया ?

(3) क्या यह कब्जा भी काश्तकारों को मौके पर भूमि को माफ कर नहीं दिया गया ? अगर हां, तो क्यों ?

(4) क्या इन आवंटियों को भूमि गलत अलाट करने के सम्बन्ध में पिछली विधान सभा सत्र में एक स्थगन प्रस्ताव द्वारा आपका ध्यान आकर्षित कर इन सारी गलत कार्यवाहियों के बारे में अवगत कराया गया था ? अगर हां, तो अब तक इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) उप खण्ड अधिकारी दौसा द्वारा अन्त्योदय परिवारों को भू-आवंटन करने हेतु ग्राम देहलाड़ी पंचायत बड़ा गांव तहसील दौसा को भूमि खसरा नं 170–172 के आवंटन के लिए दि. 1–7–78 को कोई उक्त उद्घोषणा पत्र जारी नहीं किया गया बल्कि दि. 29-7-78 को उद्घोषणा-पत्र जारी पर आवंटन हेतु 9-8-78 निश्चित

(राजस्व मन्त्री)

की गई थी। किन्तु उक्त भूमि का आवंटन नहीं किया गया।

(2) जी हां। ग्राम बड़ा गांव में दि. 9–8–78 को निम्न अन्त्योदयी परिवारों को खसरा नं: 716/4 में से 20 बीघा एवं 369/3 में से 12 बीघा भूमि का आवंटन किया गया था जिसका कब्जा देने हेतु तहसीलदार दौसा ने दि. 22-8-78 को पटवारी के नाम आदेश निकाले थे किन्तु कब्जा अभी तक नहीं दिया गया है क्योंकि आवंटित भूमि भराव की है जिसमें पानी भरा हुआ था। अब कुछ भूमि में पानी सूख गया है जिसका दो व्यक्तियों को कब्जा दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है। शेष आवंटियों के लिए वैकल्पिक कार्यवाही की जा रही है। इस भूमि के आवंटन हेतु उद्घोषणा-पत्र जारी नहीं किया गया था।

1–बद्री पुत्र मूल्या कुम्हार नि. बड़ गांव खसरा नं. 716/4 में से 5 बीघा।

2 शंकर पुत्र देवा खटीक नि० वडागांव ख० 716/4 में से 5 बीघा।

3. घीया पुत्र मंगला कोली नि० ठोकरिया ख० नं० 716/4 में से 5 बीघा।

4. बद्री पुत्र मूल्या खटीक नि० बड़ागांव ख० नं० 369/3 में से 6 बीघा।

5. कन्हैयालाल पुत्र भोरीलाल खाती नि० ठिकरिया ख० नं० 716/4 में से 5 बीघा।

6. कल्ला पुत्र भूरा हरिजन नि० बड़ा गांव ख० नं० 369/4 में से 6 बीघा।

(3) पटवारी को कब्जा देने हेतु तहसीलदार दौसा ने लिखा है।

(4) यह मामला एक अन्य विषय से सम्बन्धित स्थगन प्रस्ताव पर उठा था। मामले में जिलाधीश से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई है।

सूरास पंचायत समिति के चौराहे पर बने पक्के मकानों का नियमन

807. **श्री राम प्रसाद लड्ढा** (माण्डल) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सूरास पंचायत का गुढ़ा चौराहा काफी वर्षों से आबाद चौराहा है तथा वहां पर बने पक्के मकान गत 15–20 वर्षों से बने हुए हैं?

(2) क्या उस चौराहे पर पक्के मकान का नियमन कराने बाबत पिछले कई वर्षों से कार्यवाही चल रही है किन्तु पिछली सरकार ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया? अगर हां, तो ऐसे मामलों को राज्य सरकार अब कब तक निपटा देगी?

उत्तर

(1) यह सही है कि सुरास पंचायत का गुढ़ा चौराहा काफी वर्षों से आबाद चौराहा है तथा वहां पर काफी वर्षों से अधिकांश पक्के मकान बने हुए हैं।

(2) इस चौराहे पर बने पक्के मकानों

(राजस्व मन्त्री)

का नियमन करने की कार्यवाही राज्य सरकार के विचाराधीन है। शीघ्र ही निर्णय किया जावेगा।

जिला गंगानगर में पटवारियों की नियुक्तियां

808. श्री बहादुरसिंह (नौहर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

जिलाधीश, जिला गंगानगर ने पिछले 12 महीनों में कितने पटवारी नियुक्त किये तथा किन किन को किये ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

जिलाधीश, जिला गंगानगर ने पिछले 12 महीनों में 7 पटवारी नियुक्त किये हैं। सूची संलग्न है ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

सिरोही जिले के तालाब और बांध

809 श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सिरोही जिले में कुल कितने तालाब या बांध हैं ? क्या अखेलाव, लाखेलाव, निडोला, दूदियां धान्धेला, ढड़ व मन्दाकिनी नामक बांध सिरोही में हैं जो टूट फूट गए हैं ?

(2) क्या इनका सर्वे हुआ है ? और यदि नहीं, तो क्या इनका सर्वे सिंचाई सुविधा बढ़ाने हेतु करवाया जा रहा है जिससे सिरोही का सिंचित क्षेत्र बढ़ सके ?

(3) क्या इसी सन्दर्भ में अनगोर बांध को पूरा करने हेतु प्रावधान हुआ था और सर्वे हो कर काम शुरू भी हुआ था ? क्या यह सही है कि एग्रोनोमिस्ट की रिपोर्ट गलत करवा कर उस काम को बन्द करवाया जा रहा है ?

(4) क्या एक ही अनगोर बांध से दस हजार एकड़ से अधिक भूमि सिंचित होती है किन्तु मूल्यांकन गलत और अनुपात से नीचे हुआ है ? क्या इसी प्रकार काना कोलर, ध्रुवाना, गोडाणा, कृष्णसागर, धान्तातिवरी, चडुआल बांध को दो-दो फीट ऊपर करने का काम भी रुका हुआ है तथा जिनका निकास मुख्य स्थान पर नहीं देने के कारण सिंचाई सुविधा दस हजार एकड़ नहीं बढ़ाई जा सकी है ? क्या राज्य सरकार ऐसे आदेश कर सिंचाई क्षेत्र बढ़ाएगी ?

उत्तर

(1) सिरोही जिले में कुल 26 बांध सिंचाई विभाग के अधीन हैं । सूची 'क' संलग्न है। अखेलाव बांध टूटा हुआ नहीं है। लाखेलाव, निडोला, दूदिया, धान्धला, ढढ़ व मन्दाकिनी आदि तालाब सिंचाई विभाग के नहीं हैं।

(2) जी नहीं।

चूंकि ये तालाब 50 एकड़ सिंचाई

(सिंचाई मन्त्री)

क्षमता से कम है इसलिए ये पंचायतों के अधीनस्थ हैं।

(3) इस वर्ष अनगोर पर 11.0 लाख रु० का प्रावधान है व कार्य चालू है । इस वर्ष 11.0 लाख खर्च होने की सम्भावना है। एग्रोनोमिस्ट द्वारा लाभ लागत के मूल्यांकन जो पहली बार हुए, में कुछ असंगतियां थी, परन्तु पुनः मूल्यांकन करवाने पर इनका बी० सी० रेश्यो 1.58:1 आया व यह योजना योग्य पाई गई, अतएवं काम बन्द नहीं करवाया।

(4) जा नहीं।

इस बांध से 3573 एकड़ भूमि सिंचित होना प्रस्तावित है । कानाकोलर, कृष्ण-सागर, घन्ता, तवरी, चड्आल बांधों को ऊंचा उठाना सम्भव नहीं है, क्योंकि इन बांधों में पानी की आमंद कम है। घुरवाना व गोडाना तालाबों को ऊंचा करवाया जा रहा है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

विद्युत् मण्डल के नियमित कनिष्ठ अभियन्ताओं की वेतन वृद्धि का मामला

810. श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) विद्युत मंडल में जिन कनिष्ठ अभियन्ताओं/अधिदर्शकों का नियमन अगस्त, 1976 में किया गया था उनको पहली वेतन वृद्धि कब दी जावेगी जब कि उनका एक वर्ष का प्रोवेशन काल बहुत पहले ही पूरा हो चुका है ?

(2) इस पहली वेतन वृद्धि के आदेश कौन जारी करेगा तथा अब तक ये आदेश जारी क्यों नहीं किये जा रहे हैं ?

(3) क्या उक्त अधिकारी को इन कनिष्ठ अभियन्ताओं/अधिदर्शकों के गुप्त प्रतिवेदन प्राप्त हो गये हैं ? यदि नहीं, तो इस बारे में क्या किया जा रहा है ? उन कनिष्ठ अभियन्ताओं/अधिदर्शकों को पहली वेतन वृद्धि क्यों नहीं दी जा रही है, जिनका गुप्त प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ?

(4) विद्युत मंडल में उन कनिष्ठ अभियन्ताओं का दैनिक यात्रा भत्ता कितना है जिनका मूल वेतन रु. 650 प्रति माह है ? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(5) यदि इन का दैनिक यात्रा भत्ता रु. 15/–है तो इनके यात्रा बिल इस दर से पिछले सात महीनों से पास क्यों नहीं किये जा रहे हैं ?

(6) यदि यह दैनिक यात्रा भत्ता रु. 15/– नहीं है, तो यह यात्रा बिल एतराज लगा कर वापस क्यों नहीं लौटाये जा रहें हैं ?

(7) मंडल में जयपुर में कार्यरत कनिष्ठ अभियन्ताओं को सिटी कम्पेन्सेटरी भत्ता (सी. सी. ए.) क्यों नहीं दिया जाता

(श्री नवरंग सिंह)

है जब कि यह सहायक अभियन्ताओं तथा अधिदर्शकों को दिया जाता है? यह विसंगति दूर क्यों नहीं की जाती ?

(8) मंडल के एम. आर. टी. वृत में रिले टेस्टिंग में लगे अभियन्ताओं का कार्य फंक्शनल होते हुए भी उन्हें वाहन भत्ता रु. 80/–प्रति माह की दर से क्यों नहीं दिया जाता ?

(9) मंडल द्वारा सहायक अभियन्ता पद हेतु ली गई परीक्षा (दिसम्बर, 1978) के परिणाम कब तक घोषित कर दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) कनिष्ठ अभियन्ताओं/अधिदर्शकों, जिनका नियमन अगस्त, 1976 में किया गया था की वेतन वृद्धि दो साल के प्रोबेशन काल पूर्ण होने पर तथा इस काल का कार्य संतोषप्रद पाये जाये पर देय होती है।

(2) पहली वेतन वृद्धि के आदेश प्रोबेशन काल पूर्ण होने पर तथा उनका कार्य संतोषप्रद पाने पर नियुक्ति अधिकारी के द्वारा जारी किये जाते हैं। जिनका दो साल का प्रोबेशन काल पूर्ण हो गया है और जिनका कार्य संतोषप्रद पाया गया है, उनकी वेतन वृद्धि के आदेश समय-समय पर जारी कर दिये गये हैं।

(3) अधिकांश कनिष्ठ अभियन्ताओं/अधिदर्शकों, जिनका माह अगस्त, 76 में नियमन किया गया था, के गोपनीय प्रतिवेदन प्राप्त हो गये हैं। इनमें से जिनका परिवीक्षा काल संतोषप्रद पाया गया है, उनके वेतन वृद्धि के आदेश जारी कर दिये गये हैं। शेष कनिष्ठ अभियन्ताओं व अधिदर्शकों के गोपनीय प्रतिवेदनों की जांच की जा रही है तथा वार्षिक वेतन वृद्धि देने के लिये सूचना संबंधित अधिकारियों से एकत्रित करने के लिये भी आदेश जारी कर दिये गये हैं।

(4) (5) व (6) विद्युत मण्डल में ऐसे कनिष्ठ अभियन्ताओं, जिनका मूल वेतन रुपये 650/–प्रतिमाह है, को दैनिक भत्ता रुपये 15/–प्रति दिवस की दर से नियमानुसार देय है। इस सन्दर्भ में नवीनतम आदेश क्र. संख्या राराबिम/वित्त एवं नियम/पत्रा. 24 (20) प्रे. 19, दिनांक 7 मार्च, 1979 की एक प्रति संलग्न है। यात्रा भत्ता नियमों के अधीन वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में कुछ स्पष्टीकरण के अभाव में एम. आर. टी. वृत में 12 कनिष्ठ अभियन्ताओं के बिल रोक लिये गये थे। वांछित स्पष्टीकरण प्राप्त होने के बाद अब इन बिलों को पास कर दिया गया है।

(7) मान्यता प्राप्त यूनियन के साथ हुए समझौते के अनुसार मण्डल की वेतन शृंखला जो 1-1-69 से लागू हुई, में नगरीय क्षतिपूरक भत्ता (सी. सी. ए.) 509 रुपये प्रति माह तक वेतन पाने वालों को ही देय था। अब मण्डल ने इस मामले पर विचार करके 1-4-74 से प्रभावी नवीन वेतन शृंखला में दिनांक 1-4-78 से राज्य सरकार के नियम के अनुसार ही नगरीय क्षतिपूरक भत्ता (सी.सी.ए.) देने का निर्णय

(विद्युत मन्त्री)

लिया है, जिससे अब यह विसंगति दूर हो जावेगी।

(8) मण्डल के आदेश दिनांक 12-5-78 के अनुसार एम. आर. टी. वृत में कार्यरत अभियन्ताओं का कार्य फन्कशनल होने के कारण उन्हें वाहन भत्ता 50/– रु. प्रति माह ही देय था। अब मण्डल के नवीन आदेश दिनांक 22-3-79 के अनुसार मीटर रिले एण्ड टेस्टिंग वृत में कार्यरत अभियन्ता फील्ड जाव श्रेणी में रखे गये हैं जिसके अनुसार अब इन्हें 80/– रु. प्रति माह वाहन भत्ता दिनांक 1-4-79 से देय होगा।

(9) यह परिणाम उच्च न्यायालय की निषेधाज्ञा के कारण रुके हुये हैं। परिणाम की घोषणा निषेधाज्ञा की निरस्ति पर निर्भर है।

(आदेश के लिये कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

जोधपुर नगर को प्रति माह दिये गये विद्युत कनेक्शन

811. श्री माधो सिंह कछवाह (सरदारपुर) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राज्य विद्युत मंडल में किसानों और उपभोक्ताओं को विद्युत अधिकारियों के पीछे छोटे-छोटे कामों के लिये चक्कर लगाने पड़ते हैं? यदि हां, तो इसके लिए कौन जिम्मेवार हैं? यदि नहीं, तो गत वर्ष 1978 में चार से पांच हजार विद्युत उपभोक्ता जोधपुर में विद्युत कनेक्शन 6 से 9 माह तक क्यों नहीं पा सके?

(2) जोधपुर नगर में प्रति माह कितने उपभोक्ताओं को कनेक्शन (औद्योगिक इकाइयों के अतिरिक्त) जनवरी, 1978 से दिये गये? 31 दिसम्बर, 1978 को कितने कनेक्शन उपभोक्ताओं को देने बकाया रहे? यदि 4000 के क़रीब बाकी थे, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। जोधपुर नगर में वर्ष 1978 में केवल 623 ऐसे प्रार्थना पत्र थे जिनको मकान मालिक, नगर विकास न्यास अथवा म्युनिसिपल बोर्ड का नो आब्जेक्शन एवं "एल" फार्म, स्टाम्प पेपर आदि विलम्ब से प्रेषित करने के कारण कनेक्शन लेने में छः माह से अधिक का समय लग गया।

(2) जोधपुर नगर में वर्ष 1978 की जनवरी से दिसम्बर के अन्त तक 3424 उपभोक्ताओं को कनेक्शन (औद्योगिक इकाइयों के अतिरिक्त) निम्नानुसार दिये गये:

जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रेल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर
186	329	608	792	202	184	171	129	120
अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर						
266	184	232						

36

(विद्युत मंत्री)

दिनांक 31-12-78 को जोधपुर नगर के 3971 प्रार्थना पत्र कनेक्शन हेतु पेन्डिग थे जिनका विवरण निम्न प्रकार है :

कुल बकाया आवेदन पत्र	जिनके एस्टीमेट बनाये जा रहे थे	जिनके डिमांड नोट जारी हुए थे	जिनके कनेक्शन के आदेश जारी हो चुके थे	जिनके "एल" फार्म आदि बकाया थे
3971	1705	1071	829	366

1976 से 1979 के बीच राज्य में किया गया ग्रामीण विद्युतीकरण

812. **श्री रतन लाल वर्मा** (भिनाय) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य के 200 विधान सभा क्षेत्रों में से किस किस विधान सभा क्षेत्र के किन किन ग्रामों का विद्युतीकरण माह जुलाई, 1976 से 15 फरवरी, 1979 तक किया गया और उस पर कितनी कितनी राशि किस किस क्षेत्र में खर्च की गई ? सबसे अधिक विद्युतीकरण किस क्षेत्र में हुआ और सब से कम किस क्षेत्र में ? सम्पूर्ण जानकारी सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) पंचायत समिति क्षेत्र भिनाय एवं पंचायत समिति क्षेत्र अराई जिला अजमेर के एक भी गांव में उपरोक्त अवधि में विद्युतीकरण नहीं होने का क्या कारण है ? इन दोनों समिति क्षेत्र के किन किन ग्रामों को 31 मार्च, 1979 से 31 मार्च, 1980 तक विद्युतीकरण से लाभान्वित कर दिया जावेगा ?

(3) भिनाय विधान सभा क्षेत्र के किस-किस ग्राम में बिजली है और अन्य क्षेत्रों के मुकाबले उसका क्या प्रतिशत होता है ? क्या कांग्रेस के राज्य में यह क्षेत्र उपेक्षित रहा था और क्या अब भी उपेक्षित रहेगा ? यदि नहीं, तो क्या सम्पूर्ण क्षेत्र के सभी ग्रामों का विद्युतीकरण अब 3 साल की आने वाली अवधि में पूर्ण हो जायेगा ?

उत्तर

(1) ग्रामीण विद्युतीकरण पर खर्चे का हिसाब विधान सभा क्षेत्रवार नहीं रखा जाता है । अतः यह जानकारी देना सम्भव नहीं है ।

(2) माह जुलाई 76 से 15 फरवरी 79 तक अजमेर जिले की अराई पंचायत समिति के 46 ग्रामों का विद्युतीकरण आर.ई.सी. योजना के अन्तर्गत किया गया है और दो ग्रामों का विद्युतीकरण सामान्य कार्यक्रम के अन्तर्गत इस माह के अन्त तक किया जा रहा है । भिनाय पंचायत समिति के निम्न 13 ग्रामों को वर्ष 1979–80 में विद्युतीकरण के लिये स्वीकृति दी गई है :

(विद्युत मन्त्री)

1. राता कोट . डबरेला
3. बरोल 4. बडली
5. जांताया 6. भगवानपुरा
7. मियां 8. हरनिया
9. गुन्दाली 10. जालिया
11. सूंपा 12. साथला
13. सोहनपुरा

(3) विधान सभा क्षेत्रों के आधार पर विद्युतीकरण के कोई आंकड़े सकलित नहीं किये जाते हैं। अतः इस सम्बन्ध में कुछ भी कहना सम्भव नहीं है।

एल. फार्म के मुताबिक विद्युत् फिटिंग

813. **श्री हरसहाय मीणा** (लालसोट): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विद्युत निरीक्षक एल. फार्म के अनुसार विद्युत् फिटिंग न पाये जाने पर, विद्युत् मंडल री-टेस्टिंग फीस के साथ दुबारा एल. फार्म लेता है? यदि नहीं, तो विद्युत् निरीक्षक को क्यों नहीं सहायक अभियन्ता वितरण राजस्थान विद्युत मंडल आदेश देते हैं कि वे री-टेस्टिंग फीस के साथ एल. फार्म न लेवें ?

(2) एल. फार्म के अनुसार विद्युत् फिटिंग न पाये जाने की दशा में विद्युत् मंडल द्वारा की गई कितनी शिकायतें विद्युत् निरीक्षक कार्यालय को प्राप्त हुई ? अप्रेल, 1975 से 31 मार्च, 1978 तक प्राप्त हुई शिकायतों की सूची, हर सहायक अभियन्ता, वितरण द्वारा की गई शिकायतों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) उपरोक्त शिकायतों पर विद्युत् निरीक्षक द्वारा विद्युत ठेकेदारों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? प्रत्येक शिकायत पर की गई कार्यवाही का विवरण देने की कृपा करें।

(4) क्या यह सही है कि इसी तरह की शिकायत विद्युत् मंडल में ग्राम मूडोता, तहसील आमेर की एल. फार्म के अनुसार फिटिंग न पाये जाने पर विद्युत् निरीक्षक को जनवरी, फरवरी, 78 में की थी ? यदि हां, तो क्या विद्युत् निरीक्षक ने सम्बन्धित विद्युत ठेकेदारों के लाइसेन्स निरस्त कर दिए ? क्या ऐसा प्रकरण पहले भी किसी विद्युत ठेकेदार के साथ किया गया ? यदि हां, तो उसकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ? और यदि नहीं, तो इन्हीं ठेकेदारों के लाइसेन्स क्यों निरस्त किए गये ?

(5) क्या यह सही है कि सिर्फ उपरोक्त ठेकेदारों, जिनके लाइसेन्स निरस्त किए गये हैं, से विद्युत् निरीक्षक विद्वेष की भावना रखते हैं ? क्या इन पर की गई कार्यवाही किसी बुरी भावना से प्रेरित थी, फिर इन पर ही क्यों यह कार्यवाही की गई जब कि विद्युत मंडल में इस प्रकार की शिकायतें आम तौर से आती हैं ?

(6) तकनीकी समिति द्वारा लाइसेन्स निरस्त करने के आधार को स्पष्ट किया

(श्री हरसहाय मीणा)

जावे तथा पूर्ण रूपेण विवरण दिया जाय कि विद्युत् ठेकेदार का लाइसेन्स किस आधार पर निरस्त किया जाता है ?

(7) क्या यह सही है कि विद्युत् मंडल से फिटिंग पूरी न पाये जाने की प्रत्येक शिकायत पर विद्युत् ठेकेदार का लाइसेन्स विद्युत् निरीक्षक द्वारा तकनीकी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है ? यदि हां, तो कितने ठेकेदारों के विरुद्ध की गई शिकायतें, लाइसेन्स तकनीकी समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई ? यदि हां, तो कितने लाइसेन्सों के बावत तकनीकी समिति ने लाइसेन्स निरस्त करने की सहमति प्रदान की ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। उपरोक्त ठेकेदारों, जिनके लाइसेन्स निरस्त किए गये हैं, के अलावा कितने और ठेकेदारों के लाइसेन्स तकनीकी समिति को विद्युत निरीक्षक द्वारा पेश किए गये एवं उन पर तकनीकी समिति ने क्या साहसिक निर्णय (एक्शन) लिया ? पूर्ण सूची देने का कष्ट करें। इस तरह की और कितनी शिकायतें तकनीकी समिति के समक्ष विचाराधीन हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां। चूंकि एल. फार्म में फिटिंग के नियमों के अनुसार टैस्ट परिणाम भरने होते हैं अतः अगर फिटिंग में कोई कमी अथवा बढ़ोतरी पाई जाय तो स्वाभाविक ही दूसरे टैस्ट परिणाम जो निकले भरने पड़ते हैं। इसलिए संशोधित एल. फार्म देना होता है।

(2) अप्रेल, 1975 से 31 मार्च, 78 तक 53 शिकायतें प्राप्त हुई। सूची संलग्न है।

(3) उपरोक्त शिकायें प्राप्त होने पर संबंधित सहायक अभियन्ताओं को इस कार्यालय के परिपत्र संख्या 3273 दिनांक 25-11-71 के अनुसार कार्यवाही करने को लिखा गया। गम्भीर शिकायतें तकनीकी समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं।

(4) जी हां, अधिक्षण अभियन्ता (जे. पी.डी.सी.) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल, जयपुर के द्वारा विद्युत फिटिंग न पाये जाने की प्राप्त शिकायत में यह लिखा था कि विभाग के उप सचिव (सतर्कता) विद्युत मण्डल के जांच के समय एल. फार्म के अनुसार विद्युत फिटिंग न पाये जाने के लिये लिखा। अतः इस मामले में तकनीकी समिति के अभियंता के आधार पर विद्युत ठेकेदार के लाइसेन्स निरस्त किये गये।

(5) जी नहीं। यही एक मामला उप सचिव (सर्तकता) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल, व अधीक्षण अभियन्ता (जे. पी. डी. सी.) राजस्थान राज्य विद्युत के स्तर से गोपनीय शिकायत प्राप्त होने पर तकनीकी समिति के समक्ष रखा गया।

(6) तकनीकी समिति ने पत्रावलियां देखकर व विद्युत ठेकेदारों का साक्षात्कार कर निर्णय लिया कि इन फर्मों द्वारा नियमों का उल्लंघन किया गया था। अतः तकनीकी समिति ने अपने प्रदत्त अधिकार नियम, 23 के अन्तर्गत लाइसेन्स निरस्त किए।

(विद्युत मन्त्री)

(7) जी नहीं। केवल गम्भीर शिकायतों पर विद्युत ठेकेदारों के लाइसेन्स निरस्त किये गये उनकी सूची संलग्न है। तकनीकी समिति के पास इस समय कोई मामला विचाराधीन नहीं है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

फलौदी नगर का बिजली घर

814. **श्री बालकृष्ण थानवी** (फलौदी): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) फलौदी नगर में बिजली घर कब से किस किस के जरिये संचालित है ?

(2) राज्य सरकार द्वारा बिजली घर हाथ में लेने के बाद फलौदी तहसील के कितने ग्रामों में कब कब से बिजली पहुंचाई गई ?

(3) फलौदी तहसील में कुल कितने ग्राम हैं और उनमें से अब तक कितने ग्राम विद्युतीकरण से लाभान्वित हैं तथा शेष ग्रामों को कब तक बिजली से लाभान्वित कर दिया जायेगा ?

(4) वित्तीय वर्ष सन् 1978-79 में फलौदी तहसील के कितने ग्रामों में विद्युतीकरण किया गया ?

(5) वित्तीय वर्ष सन् 1979-80 में फलौदी तहसील के कितने एवं किन किन ग्रामों में विद्युतीकरण किया जायेगा ?

(6) क्या यह सही है कि फलौदी तहसील के नमकरिण मलार तथा नमकरिण, वाय के औद्योगिक क्षेत्र को जहां कि करीबन 600 नमक उत्पादक औद्योगिक बिजली कनेक्शन लेने को तैयार है और जहां के नमक उत्पादकों ने हाल ही में राज्य विद्युत-बोर्ड द्वारा जारी किये गये पांच साला विद्युत बांड बड़ी संख्या में इसी आधार से खरीदे हैं कि बोर्ड द्वारा घोषित नीति के अनुसार बांड राशि का उपयोग बिजली कार्य के लिये उसी स्थान पर तत्काल किया जायेगा जिस स्थान के लोगों ने ग्रामीण विद्युतीकरण बाण्ड खरीदे हैं ? यदि हां, तो नमकरिण, मलार तथा नमकरिण वाय में बिजली कब पहुंचाई जा रही है ?

(7) पंचायत समिति वाय (तहसील फलौदी) के मुख्यालय वाय को विद्युत मंत्री जी द्वारा घोषित इस नीति के अनुसार कि आगामी साल पंचायत समिति हर मुख्यालय पर बिजली पहुंचादी जायेगी, बिजली से कब तक जोड़ दिया जायेगा ?

(8) फलौदी तहसील में कार्यरत कितने नलकूपों को अब तक विद्युत् शक्ति से जोड़ा जा चुका है ? उनके नाम क्या क्या हैं और शेष कहां कहां के नलकूपों को कब कब विद्युत् शक्ति से जोड़ दिया जायेगा ?

(9) फलौदी तहसील के उन ग्रामों एवं उन नलकूपों को जो कि बीकानेर जिलान्तर्गत आई हुई कोलायत तहसील, जहां कि भाखरा नांगल बिजली पहुंची हुई है, के नजदीक आये हुए हैं को भाखरा नांगल बिजली स्कीम से जोड़ने की योजना है, क्या ? अगर है, तो कब तक ?

(40)

(श्री बालकृष्ण थानवी)

(10) विद्युत् सब स्टेशन, देचू जहां से की फलौदी बिजली घर को विद्युत् शक्ति प्राप्त होगी फलौदी को कब से बिजली देनी प्रारम्भ कर देगा ?

(11) क्या यह सही है कि फलौदी तहसील के जो 43 ग्राम, ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत आज से करीब दो साल पूर्व बिजली विभाग, जोधपुर से प्रस्तावित किये गये थे ? यदि हां, तो उनमें अब तक बिजली न लगने का क्या कारण रहा एवं अब उनमें कब कब बिजली पहुंचा दी जायेगी ? उन 43 प्रस्तावित ग्रामों के नाम क्या क्या हैं ?

(12) क्या यह भी सही है कि जोधपुर जिले की सर्वाधिक महत्वपूर्ण तहसील फलौदी है फिर भी उसे अभी तक ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में विधिवत क्यों नहीं लिया गया है तथा अब कब लिया जा रहा है ?

(13) फलौदी तहसील के बड़े कस्बों तथा 1) लोहाकृत 2) पीलवा 3) चाडी 4) वाय आदि को मय रास्ते में पड़ने वाले ग्रामों 1) लोडियां, छीला (2) कोलूपाबू (3) आमला, शैतानसिंह नगर, पलीना, देणोक, आऊ 4) मलार, हिन्दालगोल, नमकरिण मलार व वाय वगरह को सन् 1979–80 की ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में लिया जाकर इन्हें विद्युत् शक्ति से जोड़ा जायेगा ? नहीं, तो कब तक जोड़ने की योजना है ?

(14) क्या यह सही है कि फलौदी तहसील के एक मात्र चालू औद्योगिक क्षेत्र नमकरिण मलार व नमकरिण वाय में बिजली पहुंचाने का सर्वे राजस्थान सरकार, केन्द्रीय सरकार व विश्व बैंक की ओर से पूर्व में हो चुका है ? अगर हां, तो कब कब हुआ और अब तक वहां बिजली न पहुंचाने का क्या कारण रहा है तथा अब कब पहुंचाई जा रही है ?

उत्तर

(1) फलौदी नगर में बिजली घर दिनांक 18.6.1958 से विद्युत मण्डल द्वारा संचालित है। इससे पूर्व यह निजी संस्था/कम्पनी मैसर्स मदनलाल काबरा द्वारा वर्ष 1948 में पावर हाउस के निर्माण के बाद 1950 जब से उसमें विद्युत उत्पादन शुरू हुआ संचालित था।

(2) फलौदी तहसील में विद्युतीकृत फलौदी नगर के अतिरिक्त ग्राम खींचन को वर्ष 1977-78 में विद्युतीकृत किया गया है।

(3) फलौदी तहसील में कुल 130 गांव एवं कस्बे हैं। अब तक एक कस्बा फलौदी तथा गांव खींचन विद्युतीकृत है। नौ गांवों को आर. ई. सी. योजना तथा पांच गांवों को डी. पी. ए. पी. कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्युतीकरण के लिये स्वीकृत किया गया है। शेष के विद्युतीकरण के बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है।

(4) वित्तीय वर्ष 1978-79 में माह

(विद्युत मंत्री)
फरवरी के अन्त तक फलौदी तहसील के किसी ग्राम का विद्युतीकरण नहीं किया गया है।

(5) आर. ई. सी. की स्वीकृत योजना के अन्तर्गत ग्राम बावड़ी, सिहडा, घिटडी एवं उगरास वित्तीय वर्ष 1979-80 में विद्युतीकरण के लिए प्रस्तावित हैं।

(6) ऐसे प्रस्तावों की जांच के पश्चात् ही कुछ कहना सम्भव हो सकेगा।

(7) कोई स्वीकृत कार्यक्रम नहीं है। अतः अभी निश्चित रूप से कुछ कहना सम्भव नहीं है।

(8) राज्य के जलदाय विभाग के छः नलकूपों को फलौदी तहसील में बिजली दी गई है तथा चार ऐसे नलकूपों को बिजली उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है जिनका विवरण निम्न प्रकार है:—

1. फलौदी नगर	पांच नलकूपों को बिजली दी गई	
2. खींचन	एक नलकूप को बिजली दी गई	
3. शैतानसिंह नगर	,,	,,
4. आमला	,,	,,
5. बीटडी	,,	,,
6. लोहावट	,,	,,

इनके अतिरिक्त और कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(9) ऐसी कोई योजना स्वीकृत अथवा विचाराधीन नही है।

(10) चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक देचू ग्रिड स्टेशन से फलौदी को बिजली उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है।

झुन्झुनूं जिले की हरिजन बस्तियों में विद्युतीकरण

815. **श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़)**: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

झुन्झुनूं जिले में अप्रेल, 78 से अब तक कितनी हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण किया गया है? कितनी बस्तियों के विद्युतीकरण करने के प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है? ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

झुन्झुनूं जिले में माह अप्रेल, 78 से फरवरी 79 के अन्त तक 72 हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे और इन सब की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। कोई प्रस्ताव अब स्वीकृति के लिये विचाराधीन नहीं है। स्वीकृत बस्तियों

(विद्युत मंत्री)

में से तीन बस्तियों का विद्युतीकरण कर दिया गया है जिनका विवरण निम्न प्रकार है :—

1. जेई पहाड़ी
2. उदावास
3. लालपुरा

अजमेर जिले का सिंचित क्षेत्र

816. श्री करतार सिंह (किशनगढ) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्तमान में अजमेर जिले में कुल कितनी हेक्टेयर सिंचित भूमि (इरिगेटेड) एरिया है तथा यह जिले के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है ?

(2) वर्तमान में अजमेर जिले में क्या क्या सिंचाई के साधन हैं तथा उनसे कितनी कितनी हैक्टेयर भूमि सिंचित होती है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि अजमेर जिले का बहुत ही कम भाग सिंचित क्षेत्र में है ? यदि हां, तो अजमेर जिले का सिंचित क्षेत्र बढ़ाने की राज्य सरकार के पास क्या कोई योजना है ? यदि हां, तो कृपया बताने का कष्ट करें कि वह योजना क्या है तथा उसकी क्रियान्विति कब तक सम्भव है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) अजमेर जिले में सिंचित क्षेत्र बढ़ाने बाबत क्या राज्य सरकार ने कभी चम्बल नदी से लिफ्ट सिंचाई योजना के अन्तर्गत नहर लाने तथा ट्यूब वैल लगाने हेतु सर्वे किया है ? यदि हां, तो कृपया सर्वेक्षण रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्तमान में अजमेर जिले के 37997 हैक्टैयर भूमि सिचाई बांधों/तालाबों से सिंचित होती है जो कि जिले के कुल क्षेत्रफल का 4.60 प्रतिशत है।

(2) अजमेर जिले में सिंचाई मुख्यतया तालाबों व कुओं से होती है। तालाबों से सिंचाई 37997 हैक्टेयर में होती है। कुओं से सिंचाई होने वाली भूमि के आंकड़े सिंचाई विभाग नहीं रखता।

(3) जी हां। सिंचित क्षेत्र को बढ़ाने हेतु सिंचाई विभाग द्वारा लघु एवं मध्यम सिंचाई योजना के अन्तर्गत 7 योजनायें निर्माणाधीन हैं जो सूची 'क' में दर्शाई गई है। इन योजनाओं के पूर्ण होने पर 2488 हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। सभी योजनायें जून 1981 तक पूर्ण हो जावेगी।

(4) अजमेर जिले में सिंचाई बढ़ाने हेतु चम्बल नदी से लिफ्ट सिंचाई योजना के अन्तर्गत नहर लाने हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। ट्यूब वैल लगाना इस विभाग से सम्बन्धित नहीं है।

किसानों को सिंचाई हेतु बिजली देने का आधार

817. श्री नूरा (मसूदा) —क्या

(43)

(श्री नूरा)
विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) राज्य में किसानों को सिचाई के लिये बिजली के कनेक्शन देने हेतु क्या नियम निर्धारित हैं ?

(2) क्या यह सही है कि अलवर जिले के बहादुरपुर ग्रामवासी श्री राधेश्याम गोयल ने स्वयं तथा अपने परिवार वालों के नाम से बहुत से कनेक्शन ग्राम खाट्टा, किथुर व चिकानी में सिंचाई हेतु ले रखे हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि इन कनेक्शनों पर न तो इनके पास स्वयं की जमीन है और न कुआ ही है ? यदि हां, तो इनको गैर कानूनी ढंग से बिजली का कनेक्शन क्यों दिया गया ?

(4) क्या यह तथ्य सही है कि श्री राधेश्याम गोयल द्वारा विभिन्न नामों से लिये गये इन कनेक्शनों पर बिजली विभाग का पचासों हजार रुपया गत वर्षों से बकाया चला आ रहा है ? यदि हां, तो इतनी बड़ी रकम वसूल न करने के क्या कारण हैं ?

(5) क्या यह सही है कि श्री राधेश्याम गोयल द्वारा उपरोक्त कनेक्शनों पर बकाया राशि जमा न कराने तथा बिजली की चोरी करके बिजली विभाग को नुकसान पहुंचाने के संबंध में अलवर बिजली वर्कर्स यूनियन के सह मन्त्री ने बिजली विभाग एवं विद्युत मंत्री को पत्र लिख कर तुरन्त कार्यवाही करने की मांग की है ? यदि हां, तो विभिन्न स्तर पर अब तक क्या कार्यवाह हुई और यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(6) क्या यह सही है कि श्री राधेश्याम गोयल व उनके परिवार वालों को गैरकानूनी ढंग से उपरोक्त कनेक्शन देने में स्थानीय विद्युत विभाग के अधिकारियों की मिली भगत व कर्त्तव्यहीनता है ? यदि हां, तो ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्या राज्य सरकार भविष्य में इस सारे मामले की जांच कराने और दोषी व्यक्तियों को कठोर दण्ड देने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) राज्य के किसानों को सिचाई के लिये बिजली के कनेक्शन (जनरल कन्डीशन आफ सप्लाई) विद्युत प्रदाय हेतु विद्युत मण्डल द्वारा निर्धारित सामान्य शर्तों के तहत दिये जाते है।

(2) अलवर जिले के बहादुरपुर ग्रामवासी श्री राधेश्याम गोयल ने स्वयं तथा अपने परिवार वालों के नाम से 8 कनेक्शन ले रखे हैं।

(3) जी हां। सम्बन्धित कृषकों द्वारा इकरारनामा तथा श्री राधेश्याम गोयल आदि के द्वारा अतिरिक्त धरोहर राशि जमा कराने पर ये कनेक्शन दिये गये थे।

(4) जी हां लगभग 43, 449.53 रुपये की राशि बकाया है।

पिड़ावा क्षेत्र के विद्युतीकृत गांव

818. **श्री ईश्वर चन्द्र** (पिड़ावा) :

(श्री ईश्वर चन्द्र भटनागर)
क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगें :–

(1) पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र के कितने गांव विद्युतीकृत है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) 22 जून 77 से 10–2–79 तक किन-किन गांवों का विद्युतीकरण किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि पिड़ावा क्षेत्र की बारम्बार अनुरोध के बाद भी कोई विद्युतीकरण योजना नहीं बनाई जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो योजना की रूपरेखा प्रस्तुत करने की कृपा करें।

उत्तर

(1) पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र के 67 ग्राम विद्युतीकृत हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) 22 जून, 77 से 10.–2.–79. तक विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा जिला झालावाड़ में एक ग्राम नूरपुरा (छीतर खेड़ा) को विद्युतीकृत ग्रामों में नियमित किया गया है।

(3) जी नहीं, बिजली की उच्च प्रसारण लाइनों तथा उपयुक्त भूजल उपलब्धि के अभाव के कारण पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र के लिए विद्युतीकरण की योजना बनाना सम्भव नहीं हो सका है। फिर भी वर्ष 1978–79 में मण्डल के सामान्य विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत 21 ग्रामों के विद्युतीकरण की स्वीकृति प्रदान की गई है।

सहायक रजिस्ट्रार सूरतगढ़ द्वारा किये गये घोटालों की जांच

820. श्री हरचन्द सिंह (पीलीबंगा) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या श्री राठी एफ. आई. का कार्य, जो रजिस्ट्रार द्वारा सौंपा गया, कर रहे हैं या कोई अन्य कार्य सहायक रजिस्ट्रार सूरतगढ़ द्वारा अज्ञात कारणों की वजह से करवाया जा रहा है ?

(2) क्या श्री राठी ने किसी सहकारी क्रय विक्रय समिति से उस समिति के लिए माल खरीद हेतु राजस्थान से बाहर जाने पर दैनिक भत्ता 31 रु. की दर से उठाया है ? अगर हां, तो किन नियमों के तहत ?

(3) क्या श्री राठी एफ. आई. सूरतगढ़ राजस्थान से बाहर किसी समिति के लिए सामान क्रय हेतु गये ?

(4) क्या रजिस्ट्रार से बाहर जाने को नियमों में वांछित स्वीकृति प्राप्त कर ली थी ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(5) क्या यह सही है कि सहायक रजिस्ट्रार सूरतगढ़ श्री राठी से साज बाज किये हुए है, इसलिए श्री राठी से उसकी ड्यूटी का काम न लेकर अनधिकृत खरीद-

(श्री हरचन्द सिंह)
दारी करवाता है अनधिकृत भत्ता उसे समितियों से दिलवाता है और समितियों व सरकारी धन का गबन करता है ?

(6) क्या सरकार उक्त घोटालों की जाँच किसी निष्पक्ष अधिकारी से करवाने की सोच रही है ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) श्री राठी को रजिस्ट्रार द्वारा सूरतगढ़ इकाई में निरीक्षक (कार्यकारी) के पद पर लगाया गया था। इन्हें सहायक रजिस्ट्रार, सूरतगढ़ ने फंक्शनल इंसपेक्टर के कार्य हेतु लगाया है। श्री राठी सूरतगढ़ इकाई की क्रय विक्रय सहकारी समितियों का कार्य देख रहे हैं।

(2) जी हां। राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अन्तर्गत यात्रा बिल उठाया गया है।

(3) जी हाँ।

(4) रजिस्ट्रार से इस सम्बन्ध में कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है।

(5) जी नहीं।

(6) संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, बीकानेर को प्राथमिक जांच कराने के आदेश दिये गए हैं।

राज्य सरकार की खनिज नीति

822. श्री खंगार सिंह चौधरी (खारची) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने अपनी खनिज नीति की घोषणा दिनांक 20–11–78 को की ? यदि हाँ, तो नीति के महत्त्वपूर्ण पहलू क्या हैं ? क्या राज्य सरकार खनिज व्यवसाय में एकाधिपत्य को समाप्त किये बिना व अधिक व्यक्तियों को खनन पट्टे दिये बिना उक्त नीति को कार्यान्वित कर सकती है ?

(2) क्या राज्य सरकार ने लाइम स्टोन की लीजेज का सोजत उप खंड में 55 से आज तक एक या दो घराने का एकाधिपत्य जमा रखा है ? क्या राज्य सरकार अपनी उक्त नीति को करनी में बदलेगी व लम्बी लम्बी लीजेज को समाप्त करेगी व एकाधिपत्य को समाप्त करेगी ?

(3) मंडला, अटवड़ा की लीजेज क्या एक ही घराने के पास हैं व कितने वर्षों से हैं ? उक्त घराने ने खनिज सम्पदा पर आधारित क्या कोई उद्योग लगाया है ? यदि नहीं, तो क्या राज्य सरकार इस लीज को रद्द करेगी व उद्योग नीति के अनुसार राजस्थान अप्रधान खनिज रियायती नियम, 1977 को संशोधित कर घोषित नीति के अनुरूप बनायेगी व लीज भी 1 वर्ग कि.मी. से अधिक नहीं देगी ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार की खनिज नीति का दिनांक 21–6–78 के मन्त्रि मण्डल द्वारा अनुमोदन किया गया जिसकी

(खनिज मन्त्री)

प्रतिलिपि संलग्न है। इस नीति के अनुसार खनिज क्षेत्र में एकाधिकार समाप्त करने हेतु पूर्व निर्धारित अधिकतम क्षेत्र की सीमा में कमी की जाकर छोटे पट्टे देने का निर्णय लिया गया है।

(2) सोजत में जो खनन पट्टे सन् 1955 से अब तक दिये गये हैं उनकी सूची संलग्न है। इसके अनुसार तीन घरानों द्वारा इस क्षेत्र में 1955 से आज तक कार्य किया गया है। नई नीति एवं नियम के अनुसार पट्टे का अधिकतम क्षेत्र 15 वर्ग किलोमीटर हो सकता है और ये खनन पट्टे इस सीमा के अन्तर्गत हैं। अब इनके द्वारा 15 वर्ग किलोमीटर से अधिक के छोड़े गये क्षेत्रों में 1 वर्ग किलोमीटर के पट्टे आवंटित करने की कार्यवाही की जा रही है।

(3) मंडला एवं अटवड़ा क्षेत्र क्रमशः 1955 व 1962 से एक ही घराने के पास हैं। इनके द्वारा चूने के भट्टे लगा कर चूना बनाया जा रहा है। नई नीति एवं अप्रधान खनिज रियायत नियम 1977 के अनुसार क्षेत्र की अधिकतम सीमा 15 वर्ग किलोमीटर है और यह पट्टे इस सीमा के अन्तर्गत है अतः इन पट्टों को रद्द करना नियमानुसार नहीं होगा। इस क्षेत्र के नये पट्टे केवल 1 वर्ग किलोमीटर के दिये जाने का निर्णय लिया जा चुका है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट देखें)

(खनिज नीति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

खनिज विभाग में ज्योलोजिस्ट के पद

823. श्री गोविन्द सिंह शक्तावत (कुम्भलगढ़) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सन् 1977–78 के बाद ज्योलोजिस्ट के कितने नये पद सृजित किये गये व पहले कितने थे? नये रखने पर कितने नये क्षेत्रों का सर्वे हुआ? कृपया रिकार्ड सदन की मेज पर रखें।

(2) सिरोही एम. ई. की पोस्ट कब से रिक्त है?

(3) जब ए. एम. ई. सोजत छः माह से अधिक से सोजत व सिरोही का कार्य कर रहा है तो सिरोही के एम. ई. पद का क्या औचित्य है? आर. एस. आर. में क्या ऐसा प्रावधान है कि छः माह से अधिक पद रिक्त रहे तो वह पद व्यर्थ माना जाता है? यदि ऐसा है, तो एम. ई. सिरोही का पद समाप्त क्यों नहीं किया गया?

(4) कितने ए. एम. ई. पदस्थापन के इन्तजार में बैठे हैं?

(5) श्री गुप्ता ए. एम. ई. निदेशालय, खान विभाग में पदस्थापन के इन्तजार में कब से हैं?

(6) इस वर्ष कितने नये ए. एम. ई./एम. ई. कार्यालय खोले गये? इससे राज्य सरकार पर कितना वित्तीय भार पड़ा?

(श्री गोविन्द सिंह शक्तावत)

(7) यदि ये कार्यालय नहीं खोले जाते तो क्या असर पड़ता ?

(8) खानों के निरीक्षण इस वर्ष प्रत्येक एम. ई./ए. एम. ई ने कितनी बार कब कब किये ?

(9) उड़न दस्ता के कार्यों की उपयोगिता गत वर्ष व इस वर्ष क्या रही ?

(10) कितने नये अतिरिक्त निदेशक बनाये गये इससे कार्य में तथा राज्य की आय में क्या असर पड़ा ?

(11) इस वर्ष राज्य स्तर पर कितने एल. डी. सी./यू. डी. सी. व लेखा लिपिकों के स्थानान्तरण किये गये व किन किन के वापस निरस्त किये गये ? ऐसा किस कारण से किया गया ?

(12) माननीय मन्त्री महोदय ने एम. ई. उदयपुर का व निदेशालय का तथा मैकेनिकल के कार्यालय के निरीक्षण कब किये इनके क्या नतीजे रहे ? क्या एम. ई. उदयपुर में मंत्री जी ने फाइलें गुम पाईं ? यदि हां, तो कितनी कितनी, उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

उत्तर

(1) सन् 1977–78 के बाद ज्योलोजिस्ट के कोई भी नये पद सृजित नहीं किये गये। अतः उनके द्वारा नये सर्वे, का कार्य सम्पादन का प्रश्न ही नहीं उठता। वर्ष 77–78 तक कुल 40 पद ज्योलोजिस्ट के स्वीकृत थे।

(2) सिरोही एम. ई. की पोस्ट दिनांक 23-7-78 से रिक्त है।

(3) खनिज अभियन्ता के पद पर पदोन्नति विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक नहीं होने से राज्य सरकार के द्वारा नहीं की जा सकी। अतः उक्त पद पर तदर्थ व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की गई। छः माह से अधिक अवधि तक रहे रिक्त पद को समाप्त करने का राज्य सेवा नियम में कोई प्रावधान नहीं है।

(4) कोई भी सहायक खनिज अभियन्ता पदस्थापन के इन्तजार में नहीं बैठा है।

(5) श्री गुप्ता सहायक खनिज अभियन्ता निदेशालय में मिनरल इव्यूयूएशन सेल के लिये स्वीकृत सहायक खनिज अभियन्ता के पद पर कार्य कर रहे हैं। इनकी आदेश संख्या निदे/ नियुक्ति/1/प–54/3432 दिनांक 26-7-78 के अन्तर्गत सहायक खनिज अभियन्ता, डूंगरपुर के पद से निदेशालय में पदस्थापन का इन्तजार अंकित करते हुए स्थानान्तर किया गया किन्तु निदेशालय में ही एक सहायक खनिज अभियन्ता का पद उपलब्ध होने के कारण विभाग ने इनका इसी पद पर पदस्थापन करने का निर्णय लिया है।

(6) इस वर्ष खनिज अभियन्ता (रिट) का कार्यालय जयपुर में स्थापित करने की स्वीकृति हुई, परन्तु इस पद पर अभी तक अधिकारी का पदस्थापन नहीं हुआ है।

(7) चूंकि उच्च न्यायालय की एक बेन्च जयपुर में स्थापित होने से इन क्षेत्रों के मुकदमों में पैरवी समय पर हो सके इस

(48)

(खनिज मन्त्री)

उद्देश्य से इस कार्यालय की स्थापना की गई।

(8) इस वर्ष प्रत्येक ए. एम. ई./एम. ई. द्वारा किये गये निरीक्षण का प्रपत्र संलग्न है।

(9) खनिज अभियन्ता उड़नदस्ता मुख्यालय निदेशालय का गठन जुलाई सन् 1977 में किया गया ताकि राज्य में अनधिकृत खनन व निर्गम को कम किया जा सके व आय की चोरी स्रोतों पर ही बन्द करने की कार्यवाही की जा सके। मुख्यतः उड़नदस्ते को उन भगड़ों पर भेजा जाता है जहां पर बड़ी मात्रा मे अनधिकृत खनन या निर्गम की शिकायतें प्राप्त होती हैं। उड़न दस्ते ने माह नवम्बर 77 से फरवरी 78 तक कुल संख्या 23·277 = 18 खनिज के अनधिकृत निर्गम के नकद वसूल किये। इसके अलावा इस अवधि में खनिजों के अनधिकृत खनन के 19 पंचनामे बनाये व सम्बन्धित खनिज अभियन्ता/सहायक खनिज अभियन्ताओं को कोर्ट में चालान करने हेतु भेजे गये। इस दौरान 29 खजन पट्टों का निरीक्षण राजस्व चोरी का पता लगाने के उद्देश्य से किया। मकराना की 67 मार्बल की रेन्ट कम रोयल्टी लीजेज का सुरक्षित खनन करवाने की दृष्टि से निरीक्षण करवा कर कई को सहायक खनिज अभियन्ता मकराना से 15 दिवसीय नोटिस दिलवाये। इसके अलावा 25 रोयल्टी नाकों का अचानक निरीक्षण किया गया था। किन्तु कोई राजस्व की हानि न हुई।

(10) अतिरिक्त निदेशक के दो नये पद सृजित किये गये तथा एक पद का नाम संयुक्त निदेशक (प्रशासन) से बदल कर अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) में परिवर्तित किया गया। एक पद माईनिंग विंग के लिये खनिज नियन्त्रण, खनिज रियायत एवम् खनिज राजस्व की समुचित व्यवस्था के लिये तथा दूसरा पद भू-वैज्ञानिक विंग के लिये भू-गर्भिक सर्वेक्षण, खनिजों की खोज छिद्रण द्वारा खनिज भण्डारों का मूल्यांकन तथा खनिज आधारित उद्योग की सम्भावना का निरूपण एवं खनिज विश्लेषण के कार्य में गति देने हेतु किया गया है। इन पदों के सृजन के गत 6 माह से ही कार्य में गति आई है। खनिज आय जो 6·30 करोड़ गत वर्ष थी वह इस वर्ष 7·50 करोड़ होने की सम्भावना है। नये खनन पट्टे लगभग 4000 इस वर्ष दिये गये हैं। खनिज रियायत के कार्य में गति आई है। भूविज्ञान क्षेत्र में 1450 वर्ग किलो मीटर के क्षेत्र के खनिज सर्वेक्षण के लक्ष्य की तुलना में 3000 वर्ग कि. मी. के क्षेत्र का खनिज सर्वेक्षण किया गया है जिसके फलस्वरूप बेराइटीज खनिज के दो भण्डार उदयपुर जिले में एवं बहुमात्रिक खनिज के भण्डार भीलवाड़ा एवं उदयपुर जिले में मिले हैं। तथा कई खनिजों के भण्डार का मूल्यांकन किया गया है। सवाई माधोपुर में सीमेंट फैक्ट्री के लिये अतिरिक्त चूने के पत्थर का भण्डार सिद्ध किया गया है। मिनी सीमेन्ट प्लान्ट लगाने के लिए चूने के पत्थर के भण्डारों का पता लगाया गया तथा खनिजों के परिशोधन हेतु कई सफल प्रयोग किये गये। इसके अतिरिक्त सर्वेक्षण एवं पूर्वेक्षण परियोजनाओं के कार्यों को गतिशील बनाने हेतु प्रयत्न किये गये और इस वर्ष ड्रिलिंग कार्य में ही गत वर्ष की

(खनिज मन्त्री)

तुलना में अधिक प्रगति हुई है।

(10) गत वर्ष ड्रिलिंग 13000 मीटर हुआ जब कि इस वर्ष फरवरी तक ही लगभग 14000 मीटर ड्रिलिंग हो चुका है। इन पदों के सृजन से भविष्य में भी कार्य समापन में गति, आय में वृद्धि तथा प्रशासन में सुधार होने की अधिक सम्भावना है।

(11) इस वर्ष राज्य स्तर पर 117 वरिष्ठ लिपिकों एवं 195 कनिष्ठ लिपिकों के स्थानान्तरण किये गये। इनमें से 23 वरिष्ठ लिपिकों के एवं 16 कनिष्ठ लिपिकों के स्थानान्तरण निरस्त किये गये। ये स्थानान्तरण प्रशासनिक दृष्टि से किये गये। चूंकि विभाग में लेखा लिपिकों के पद स्वीकृत नहीं हैं अतः स्थानान्तरण करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(12) माननीय खनिज मंत्री महोदय द्वारा दिनांक 19-1-79 को निदेशालय खान एवं भू-विज्ञान विभाग, दिनांक 20-1-79 को यान्त्रिक अभियन्ता कर्मशाला कार्यालय का एवं दिनांक 1-1-79 को खनिक अभियन्ता, उदयपुर कार्यालय का निरीक्षण किया। यान्त्रिक अभियन्ता कार्यालय के निरीक्षण के दौरान दिये गये निर्देशों के अनुसार कर्मशाला लेखों की विस्तृत जांच एवं भौतिक संस्थापन का कार्य मुख्य लेखाधिकारी, राजस्थान जयपुर के माध्यम से कर्मशाला के प्रारम्भ होने के दिनांक से कराये जाने की कार्यवाही जारी है। खनिज अभियन्ता, उदयपुर कार्यालय के निरीक्षण के दौरान रिकार्ड कीपर ने माननीय मंत्री महोदय को अवगत कराया कि पूर्व रिकार्ड कीपर ने 1705 पत्रावलियां कम सम्भलाई। माननीय मंत्री महोदय द्वारा इन्हीं पत्रावलियों को गुमी मानली गई थीं। इस आधार पर तत्कालीन लिपिक श्री सिद्धवाडिया को निदेशालय सेवा दिनांक 1-1-79 द्वारा निलम्बित कर दिया गया। इसके बाद विस्तृत जाँच करने पर पाया गया कि उनकी गिनती 1705 न होकर 1748 थी। इनमें से 1583 पत्रावलियाँ पत्रावली पंजिकायें क्रमानुसार व नामानुसार बस्तों में ही मिल गई। इसके बाद भी पत्रावलियों की तलाश जारी रखने के फलस्वरूप 164 पत्रावलियां और इन्हीं बस्तों में बन्धी हुई पाई गई। इनमें से 54 पत्रावलियां ऐसी थीं जो रजिस्टर में दर्ज नहीं थी परन्तु रजिस्टर में क्रमांक अवश्य दर्ज थे, 64 पत्रावलियाँ ऐसी थीं जिन पर रजिस्टर का क्रमांक तो दर्ज था लेकिन रजिस्टर में अंकित पत्रावलियों के सन्दर्भ नहीं मिलते हैं तथा 46 पत्रावलियाँ ऐसी थीं जिन पर न तो क्रमांक अंकित था एवं न ही रजिस्टर से इनका मिलान होता था। इस प्रकार 1748 पत्रावलियों में से 1747 पत्रावलियाँ उपलब्ध हो गई हैं। इस पर अग्रिम कार्यवाही जारी है।

घग्घर बाढ़ से किसानों की हुई क्षति का मुआवजा

824. श्री गुरुशरण छाबड़ा (सूरतगढ़) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सन् 1976-77 में घग्घर बाढ़ के समय चक 6 व 9 जी. बी. के बाँध

(50)

(श्री गुरुशरण छाबड़ा)

मंडियों को बचाने हेतु तोड़े गये ? यदि हाँ, तो उनसे इन चकों का कितना नुकसान हुआ और मुआवजा अब तक किसानों को क्यों नहीं मिला ? यह मुआवजा कब तक दे दिया जावेगा ?

(2) सन् 78-79 इसी वर्ष में फिर बांध टूटने से 9 जी. बी. व 6 जी. बी. का बाँध टूटने से कितना नुकसान हुआ ? मुआवजा कब तक दे दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) वर्ष 1976-77 में चक 6 जी. बी. व 9 जी. बी. में नाली फ्लड से बाँध टूटने से 6 जी. बी. में 1222100) रुपये व 9 जी. बी. में 274000) रुपये कुल 1496100) रुपये की फसलों आदि का नुकसान हुआ था जिसका कोई मुआवजा काश्तकारों को नहीं दिया गया। नाली फ्लड से नाली के बैंड की फसलों को जो नुकसान होता है उसका अब तक कभी मुआवजा नहीं दिया गया है। अलबत्ता उस वर्ष सहायतार्थ मुफ्त राशन, आटा, दाल बांटी गई थी व शत प्रतिशत सिंचाई कर की छूट स्वीकृत की गई थी।

(2) वर्ष 1978 में घग्घर बाढ़ के समय बाँध टूटने से चक 6 जी. बी. में 36 व्यक्तियों का अनुमानित 343893) रुपये व चक 9 जी. बी. में 12 काश्तकारों का 87330) रुपये का अनुमानित नुकसान हुआ। काश्तकारों को मुआवजा देने का कोई प्रावधान नहीं है। अलबत्ता चक 6 जी. बी. में 36 व्यक्तियों को 180 क्विन्टल गेहूँ व 9 जी. बी. के 12 काश्तकारों को 60 क्विन्टल गेहूँ निःशुल्क सहायता के रूप में स्वीकृत किया गया है जो वितरित किया जा रहा है। सिंचाई कर की शत प्रतिशत छूट भी स्वीकृत की गई है।

चम्बल नदी से बजरी निकालने का ठेका

825. श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे –

(1) चम्बल नदी में से बजरी निकालने का ठेका, रंगपुर जिला कोटा एवं केशवराय-पाटन जिला बून्दी के किन-किन व्यक्तियों के नाम है और कब कितनी राशि में लिया गया ?

(2) क्या यह सही है कि क्रमशः सर्व श्री मांगी लाल, मोहन लाल, लटूरलाल, छीतरलाल, छोटूलाल, राम धन, कैलाश, जगन्या, बाल्या, कल्याण आदि जाति कोर निवासी केशवरायपाटन ने भी चम्बल नदी केशवरायपाटन व रंगपुर से बजरी निकालने का ठेका ले रखा है ? यदि हां, तो कब और कितनी राशि में लिया ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त व्यक्तियों द्वारा चम्बल नदी में से बजरी निकालने के ठेके की राशि जमा नहीं कराई ? यदि हाँ, तो कितनी राशि बकाया है ? क्या इस सम्बन्ध में उक्त व्यक्तियों के नाम नोटिस जारी किये गये हैं ? यदि हां, तो नोटिसों की एक एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) चम्बल नदी में से बजरी निकालने का ठेका रंगपुर जिला कोटा में जिन व्यक्तियों को दिया गया है उनकी सूची संलग्न है। केशवरायपाटन जिला बून्दी में बजरी निकालने का ठेका किसी भी व्यक्ति के नाम स्वीकृत नहीं है।

(2) इस प्रश्न में उल्लेखित व्यक्तियों में से किसी भी व्यक्ति के नाम ठेका स्वीकृत नहीं है।

(3) जब व्यक्तियों के नाम ठेका नहीं है तब ठेके की बकाया का प्रश्न ही नहीं उठाता है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

सहकारी विभाग के कर्मचारी अधिकारी

826. **श्री बत्ती लाल मीणा** (टोडाभीम) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) सहकारी विभाग के अन्तर्गत सन् 1956 से लेकर आज तक कुल कितने अधिकारी और कर्मचारियों की भर्ती की गई ? उनमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों का अनुपात क्या रहा ? कृपया प्रति वर्ष के आधार पर, सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि इस विभाग में अनुसूचित जाति और जन-जाति के व्यक्तियों के साथ खुले आम पक्षपात किया गया और यही कारण है कि इनका अनुपात बहुत कम है ?

(3) क्या राज्य सरकार इस प्रकार हो रहे पक्षपात को दूर करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो किस प्रकार ?

उत्तर

(1) अधिकारियों की सूचना संलग्न परिशिष्ट "अ" में अंकित है। कर्मचारियों की सूचना परिशिष्ट "ब" में अंकित है।

(2) जी नहीं। विभाग में अनुसूचित जन-जाति एवं अनूसूचित जाति के कमी का कारण विभाग में वर्ष 1970 के बाद नियुक्ति कम होना है। वर्ष 1970 से पूर्व आरक्षण सिर्फ 12½ प्रतिशत था और 1970 तक ही विभाग में नियुक्ति अधिक हुई हैं।

(3) विभाग द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों का राज्य सरकार की नीति के अनुसार ही नियुक्ति में आरक्षण का पूर्ण ध्यान रखा जा रहा है।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

पंचायत समिति क्षेत्र प्रतापगढ़ की सहकारी समितियों में हुए गबन के मामले

827. **श्री कारू भाई मीणा** (प्रतापगढ़) क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

प्रतापगढ़, पंचायत समिति क्षेत्र में

(श्री कारू भाई मीणा)
निम्न सहकारी समितियों में हुए गबन के बारे में क्या प्रगति हो चुकी है :–

1. अरनोद सेवा सहकारी समिति के मंत्री श्री मनोहर सिंह जिनके विरुद्ध रु. 17866.02 का गबन का प्रकरण है ?

2. राजस्थान वन श्रमिक सहकारी समिति भू. पू. मंत्री श्री ओंकार लाल शर्मा जो चिकलाड़ एवं बगडावाद समितियों में 21265.22 पैसे गबन की वसूली नोटिस 7-12-74 ।

3. श्री तखतसिंह पिता लालसिंह अध्यक्ष गणेश क्रय विक्रय सहकारी समिति दलोट एवं रायपुर के विरुद्ध आडिट रिपोर्ट के 22-3-75 के अनुसार 94135. 19 पैसे का गबन ।

4. श्री मांगीलाल निवासी दलोट भू.पू. मंत्री रायपुर, गुड़ खांडसारी सहकारी समिति रायपुर, पंचायत समिति अरनोद के विरुद्ध 27-12-74 को 29963.28 पैसा का बकाया आडिट रिपोर्ट ने बताया । उपरोक्त सभी समितियों के विरुद्ध वसूली की गयी है या नहीं और कब तक करने का विचार है ?

उत्तर

1. अरनोद ग्राम सेवा सहकारी समिति लि० के मन्त्री श्री मनोहर सिंह के विरुद्ध रु० 17866.02 के गबन की शिकायतें प्राप्त होने पर राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 70 के अन्तर्गत जांच कराई गई । जांच के आधार पर श्री मनोहर सिंह मन्त्री के द्वारा रु० 341.73 तथा 250.00 रु० का गबन एवं दुरुपयोग का मामला प्रकाश में आया है । अग्रिम कार्यवाही जारी है । कार्यवाही पूर्ण होने पर दोषी व्यक्तियों से वसूली की कार्यवाही की जावेगी ।

2. चिकलाड़ वन श्रमिक सह०समिति लि० एवं बगड़ावाद वन श्रमिक सहकारी समिति लि० के निरीक्षण पत्रों एवं आडिट नोट के आधार पर श्री ओंकार लाल शर्मा भू०पू० मन्त्री के विरुद्ध कोई गबन का मामला प्रकाश में नहीं आया है । सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, चित्तौड़गढ़ द्वारा श्री ओंकार लाल शर्मा के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई गबन केस नहीं चला रखा है ।

3. गणेश क्रय विक्रय सहकारी समिति दलोट में कोई 94135.19 पैसे का गबन का मामला आडिट रिपोर्ट 22–3–75 के अनुसार नहीं पाया गया है ।

4. रायपुर गुड़ खांडसारी सहकारी समिति की आडिट रिपोर्ट वर्ष 1974–75 के आधार पर श्री मांगी लाल निवासी दलोट भू०पू० मन्त्री के विरुद्ध गबन का कोई आरोप प्रकाश में नहीं आया है ।

ग्राम खिरोड़, जिला झुंझुनूं की पहाड़ी की लीज का मामला

828. श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़): क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) ग्राम खिरोड़ तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं की पहाड़ी कब कब और

(श्री नवरंगसिंह)
किस किस व्यक्ति को खनिज विभाग द्वारा लीज पर दी गई व किन-किन शर्तों पर ? वर्षवार विवरण व शर्तों की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने राजनैतिक दबाव से इस पहाड़ी के लीज में अनियमितताएं बरती हैं ? यदि हां, तो इसके लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(3) उक्त पहाड़ी के पत्थरों के रायल्टी कर के रूप में किस किस वर्ष में कितना कितना रुपया प्रति मन या प्रति क्विन्टल लिया जाता है ? प्रारंभ से अब तक के वर्ष वार आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) इस पहाड़ी से अब तक राज्य सरकार को रायल्टी के रूप में कितना रुपया प्राप्त हुआ है ? वर्षवार आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) ग्राम खिरोड़ तह० उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं के निकट चूना पत्थर की माइनिंग लीज राज्य सरकार द्वारा श्री दीन दयाल अग्रवाल के नाम क्रमांक डी–1192/सी आई एम/53 दिनांक 20-3-53 से वार्षिक स्थिर भाटक 550/–पर अवधि 5 वर्ष दिनांक 19-5-53 से 18-5-58 तक नियमों एवं संविदा में अंकित शर्तों के अनुसार स्वीकृत की गई। जिसका प्रथम एवं द्वितीय नवीनीकरण आदेश क्रमशः दिनांक 13-1-59 एवं 6-2–63 से अग्रिम अवधि 15–5–58 से 18-5-63 एवं 19-5-63 से 18-5-68 तक स्थिर भाटक रु० 1000 – एवं रु० 2000/– क्रमशः पर हुये। पार्टी द्वारा संविदा की शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर खनन पट्टा आदेश दिनांक 5–8–66 से खंडित किया गया परन्तु पार्टी द्वारा न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर स्थगन आदेश प्राप्त करने के कारण क्षेत्र को पुनः अनुदान नहीं दिया जा सका। राज्य सरकार द्वारा वाद को समाप्त किया जाकर खनन पट्टे को तृतीय नवीनीकरण के बतौर रेस्टोर किया जिसमें वार्षिक स्थिर भाटक रु. 20,000/- निर्धारित किया गया। एवं खनन पट्टे की अवधि संविदा पंजीयन की तिथी दिनांक 27–11–75 से 10 वर्ष के लिये है। वर्णित आदेशों की प्रतियां मार्क एक से 6 तक संलग्न है।

(2) राज्य सरकार द्वारा खनन पट्टा स्वीकृत आदेश नियमानुसार ही है।

(3) रायल्टी की दर समय, समय पर अवधि वार एवं उससे प्राप्त वर्षवार राशि संलग्न सूची मार्क 'क' के अनुसार है।

(4) क्षेत्र को खनन पट्टे के तहत उक्त पार्टी के पक्ष में स्वीकृत किये जाने के बाद अब तक रायल्टी के रूप में कुल आय रु. 2,31, 634.03 पैसे हुई है, जिसका विगतवार विवरण सूची मार्क 'क' के अनुसार है।

सड़क निर्माण में आई कृषकों की भूमि का मुआवजा

830. श्री रामेश्वर प्रसाद गूजर (जमुवा रामगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सड़क के लिये अवाप्त की गई भूमि का मुआवजा कृषकों को राज्य सरकार दे देती है, तो वह अवाप्त की गई भूमि सरकारी होती है या कृषकों की ?

(2) यदि सरकारी भूमि होती है, तो उस पर लगे हुए पेड़ किसके अधिकार में होते हैं तथा उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किस की होती है ?

(3) इन पेड़ों से होने वाली आय किस के पास रहती है ? क्या यह आय राज्य सरकार के खजाने में जमा होती है ?

उत्तर

(1) सड़कों के लिये अवाप्त की गई भूमि सरकारी होती है।

(2) सरकारी भूमि में लगे पेड़ सरकार के ही होते हैं तथा उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी सरकार की है।

(3) इन पेड़ों से होने वाली आय सरकार की होती है तथा सरकार के खजाने में जमा कराई जाती है।

चूरू जिले के अकाल ग्रस्त गांव

832. श्री मेघराज (चूरू) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चूरू जिले में गत पांच वर्षों में किन किन गांवों में अकाल की स्थिति रही है ? तहसीलवार गांवों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इस वर्ष चूरू जिले की किस किस तहसील में कौन कौन से गांवों में अकाल व अभाव की स्थिति है, उन गांवों में अकाल व अभाव की स्थिति घोषित किये जाने के प्रस्ताव जिलाधीश चूरू की ओर से राज्य सरकार को कब प्राप्त हुये और अब तक उन गांवों को राज्य सरकार ने अकाल व अभाव ग्रसित घोषित किया अथवा नहीं ? अगर नहीं, तो क्या कारण है ?

उत्तर

(1) चूरू जिले में गत पांच वर्षों में से सन् 1973-74, 1975-76 व 1976-77 में अभाव की स्थिति नहीं रही है। इस जिले में 1974-75 में 717 गांव व 1977-78 में 307 गांवों में अभाव स्थिति की घोषणा की गई थी। तहसीलवार गांवों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) इस वर्ष चूरू जिले की अभाव स्थिति

(अकाल सहायता मंत्री)
वाले 501 गांवों की सूची तहसीलवार संलग्न है। इन गांवों में अभाव स्थिति की घोषणा किये जाने के प्रस्ताव जिलाधीश, चूरू की ओर से राज्य सरकार को दिनांक 16–3–79 को प्राप्त हुये हैं। इन गांवों को राज्य सरकार ने अभाव ग्रस्त घोषित कर दिया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

माछली नदी के पुल को ऊंचा करने का मामला

833. श्री माणक लाल ठाकोर(नैनवा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) बूंदी जिले में नैनवा तहसील की माछली नदी के पुल को ऊंचा करवाने की प्रारम्भ में स्वीकृति कब हुई थी ?

(2) क्या इस का टेंडर मंजूर हो गया है ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा करा लिया जावेगा ? कार्य प्रारम्भ नहीं करने का क्या कारण है ?

(3) क्या सन् 78–79 का वजट मार्च, के अन्त तक व्यय नहीं करने की स्थिति में लेप्स हो जावेगा ? इस सम्बन्ध राज्य सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) वर्ष 77–78 में स्टेट फ्लड कार्यों के अन्तर्गत माछली नदी पर पुल बनाने का प्रस्ताव सम्मिलित था। परन्तु धनाभाव के कारण इसे वर्ष 77–78 में नहीं लिया गया तथा अब इस कार्य की 78–79 में 2.30 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है।

(2) इस कार्य के टेन्डर स्वीकृत कर दिये गये हैं तथा कार्य 79–80 में पूरा होने की सम्भावना है।

(3) जी नहीं। कार्य चालू रहेगा।

टपूकड़ा में सबयार्ड कृषि उपज मण्डी

834. श्री अयूब खां (तिजारा) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि सब तहसील टपूकड़ा में सब यार्ड कृषि उपज मंडी बनाने का निर्णय किया गया था ? यदि हां, तो इसकी विधिवत घोषणा कब होगी ?

(2) क्या सब यार्ड कृषि उपज मंडी इस वर्ष अपना काम आरम्भ कर देगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) इस विषय में सर्वेक्षण कराया जा रहा है कि टपूकड़ा में गौण मण्डी यार्ड घोषित करने की सम्भावना है या नहीं। विभागीय सर्वेक्षण पूरा होने पर ही यह कहा जा सकेगा कि गौण मण्डी यार्ड घोषित किया जाय या नहीं।

पश्चिमी राजस्थान दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ लि० जोधपुर

835. श्री माधो सिंह कछवाह (सरदारपुरा) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(श्री माधोसिंह कछवाह)

(1) क्या यह सही है कि पश्चिमी राजस्थान दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ लि. जोधपुर में दिनांक 4-1-79 से 28-1-79 तक करीब चार लाख लीटर दूध खट्टा हो गया ? यदि हां, तो अनुमानित दस लाख रु. की हानि के लिये कौन जिम्मेदार है ? क्या जनरल मैनेजर की व्यवस्था प्रणाली और अनुभवहीनता का फल है ?

(2) क्या यह सही है कि जोधपुर डेयरी में टैंकर नं. आर. आर. क्यू. 9818 दूध से भरा हुआ दिनांक 8-1-79 को पाली से दिल्ली पहुंचा ? दूध खट्टा होने के कारण दिल्ली डेयरी ने स्वीकार नहीं किया तो जनरल मैनेजर ने निर्देश दिया कि टैंकर अजमेर ले जाओ मगर वहां भी दूध स्वीकार नहीं किया, तत्पश्चात् टैंकर को जयपुर ले जाने के लिये निर्देश दिये परन्तु जयपुर डेयरी ने भी दूध स्वीकार नहीं किया। अन्त में दूध का टैंकर पुन: पाली लाया गया ? इसी प्रकार टैंकर नं. आर. आर. क्यू. 9819 भी दूध से भरा हुआ दिनांक 9-1-79 को जोधपुर से पाली पहुंचा ? पाली से दिल्ली पहुंचा, दूध खट्टा होने के कारण दिल्ली डेयरी ने स्वीकार नहीं किया तो जनरल मैनेजर ने निर्देश दिया कि टैंकर अजमेर ले जाओ मगर वहां भी दूध स्वीकार नहीं किया तत्पश्चात टैंकर को जयपुर ले जाने के लिये निर्देश दिये परन्तु जयपुर डेयरी ने भी दूध स्वीकार नहीं किया, अन्त में टैंकर पुन: जोधपुर लाया गया ? यदि हां, तो क्या संघ को निरन्तर हानि पंहुचाने वाले जनरल मैनेजर के खिलाफ सरकार कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(3) क्या सरकार जोधपुर डेयरी में हो रही हानियों के बारे में सतर्क है ? गत वर्षों की आडिट रिपोर्ट, लाभ-हानि क्या है?

उत्तर

(1) जी नहीं। 4-1-79 से 28-1-79 तक कुल 2,63,811 लीटर दूध खट्टा हुआ है परन्तु इसमें से फेट (वसा) निकाल लिया गया जिसका घी बनाया गया इसके अलावा केसीन भी बनाया गया ।

(2) जी हां। यह सच है कि टैंकर नं०आर. आर. क्यू. 9818 एवं आर.आर.क्यू. 9819 पाली से दिल्ली को भेजे गये थे। दिल्ली में दूध खट्टा घोषित होने के कारण जयपुर दुग्ध वितरण योजना जयपुर में भेजे गये। जगह के अभाव के कारण जयपुर दुग्ध वितरण योजना जयपुर ने केवल टैंकर नं० आर० आर० क्यू० 9819 का दूध स्वीकार कर लिया। परन्तु टैंकर नं. आर० आर० क्यू० 9818 को स्थान के अभाव के कारण स्वीकार नहीं किया जिसे अजमेर होते हुए वापस लाया गया।

(3) जी हां। गत वर्षों की लाभ-हानि का विवरण संलग्न है। अब तक कुल हानि रु० 28,27,575.42 रही है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

पशुओं के इलाज हेतु पंचायत समिति वाइज उपलब्ध धनराशि

836. श्री सूरजपालसिंह (भीनमाल) : क्या पशुपालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(श्री सूरजपाल सिंह)

पंचायत समितियों में पशुओं के इलाज हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष प्रति पंचायत समिति कितनी धनराशि उपलब्ध कराई जाती है ? प्रत्येक पंचायत समिति को पिछले पांच वर्षों में पशुपालन के मद में उपलब्ध कराई गई धन राशि का ब्यौरा सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

इस वर्ष से पूर्व पंचायत समितियों में पशुओं के इलाज हेतु राज्य सरकार द्वारा धन राशि नहीं दिलायी जाती थी। केवल पंचायत समितियों में कार्यरत पशुपालन सम्बन्धी कर्मचारियों के वेतन, व्यय भत्ते की रकम अनुदान के रूप में दिलायी जाती रही है। पंचायत समितियों से यह आशा की जाती थी कि वे अपनी निजी आय से पशु के इलाज सम्बन्धी सुविधा उपलब्ध करायेंगे परन्तु पिछले कुछ वर्षों से ऐसा न होने के कारण इस वर्ष विभाग के आदेश दिनांक 17/2 से पंचायत समितियों द्वारा संचालित औषधालयों के लिये प्रति औषधालय रुपये 2000 – तक की दवाइयां उपलब्ध कराने का प्रबन्ध सम्बन्धित जिला पशु पालन अधिकारी के नाम से कर दिया गया है। पंचायत समिति मुख्यालयों पर कार्यरत प्रसार अधिकारी/पशु धन सहायक आदि का कार्य पशु पालन सम्बन्धी प्रसार रोग निरोधक टीके लगाना, बधियाकरण एवं पशु पालकों को पशु पालन सम्बन्धी जानकारी देना है, न कि इलाज करना।

गत पांच वर्षों में पशु पालन कर्मचारियों के वेतन व भत्तों के लिये एक मुश्त अनुदान के रूप में दी गई धन राशि का ब्यौरा सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(ब्यौरे के लिये कृपया परिशिष्ट 14 देखें)

कृषि उपज विपणि अधिनियम से सम्बन्धित मामले

837. **श्री खंगारसिंह चौधरी (खारची) :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि कृषि उपज विपणि अधिनियम की अनुसूची में दर्ज गुड़, चीनी व खांडसारी सीधी कृषि उपज की परिभाषा में नहीं आती हैं ? यदि हां, तो इन्हें उक्त अनुसूची में सम्मिलित करने का क्या औचित्य है ?

(2) यदि उपरोक्त जिन्सों को कृषि उपज मानने का औचित्य है, तो फिर कम्पनियां डालडा, सभी प्रकार के खाद्य तेल, जो कृषि उपज से बनते हैं व गन्ने जो सीधी कृषि पैदावार है, को अनुसूची में न लेने का क्या कारण है ?

(3) क्या राज्य सरकार प्रश्न के भाग (1) में बताई गई वस्तु, जो गन्ने से बनती है व गन्ना, जो उक्त अनुसूची में दर्ज नहीं है, को इस अनुसूची से हटावेगी ? यदि नहीं, तो क्या राज्य सरकार प्रश्न के भाग (2) में दर्ज वस्तुओं को अनुसूची में सम्मिलित करेगी।

(4) पाली जिले में प्रश्न के भाग (1) व (2) में बताई जिन्सों से 1977 तक प्रति वर्ष कितनी-कितनी आय किस-किस मण्डी को हुई ?

(5) क्या यह सही है कि दिनांक 23-4-77

(58)

(श्री खंगारसिंह चौधरी)

को अनुसूची में किया गया संशोधन नीयति, जनहित का न होकर व्यापारियों की दलाली का नतीजा है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। गुड़, चीनी व खंडसारी कृषि उपज विपणि अधिनियम में दी गई कृषि उपज की परिभाषा में सीधी ही आती है।

(2) अधिनियम के साथ दी गई अनुसूची में सम्मिलित की गई जिन्सें राज्य सरकार ने अपने विवेक के अनुसार घोषित की हैं। गन्ने की अनुसूची में न रखने का निर्णय भूतपूर्व राज्य सरकार ने किन्हीं व्यवहारिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए लिया था।

(3) जी नहीं। अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(4) पाली जिले की मण्डियों में प्रासंगिक जिन्सों से हुई आय का विवरण संलग्न है।

(5) जी नहीं। तत्कालीन सरकार ने सामयिक परिस्थितियों के अन्तर्गत यह कार्यवाही की थी।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 15 देखें)

राजस्थान राज्य लाटरी

838. श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य सरकार को लाटरी किन किन कारणों से बन्द करनी पड़ी है ? लाटरी किस वर्ष, किस माह से बन्द की गई ?

(2) राज्य सरकार को प्रति वर्ष कितना शुद्ध लाभ होता था ? पिछले तीन वर्ष के आंकड़े लाटरी बन्द करने से पूर्व के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) इस लाटरी के निकालने में कितने व्यक्ति एम्प्लोयड थे तथा कितने व्यक्ति ऐसे थे जो इस लाटरी के माध्यम से अपना जीवन यापन करते थे ?

(4) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने अपनी लाटरी तो बन्द की, पर राज्य में अन्य राज्यों के लाटरी टिकट बिकते हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह सही नहीं है कि राज्य में राजस्थान राज्य की लाटरी का चलन न होते हुए भी लाटरी यथावत चल रही है और राज्यों की आय और खरीदने वालों का व्यय उसी प्रकार कायम है ?

(5) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य की लाटरी से होने वाली आय अब और राज्यों को हो रही है और राज्य सरकार को इससे सीधा नुकसान हो रहा है ?

(6) क्या यह सही है कि जब राज्य सरकार ने अपनी लाटरी बन्द करने की घोषणा की, तब आपको सदन में कुछ सुझाव दिए गए थे कि जब तक राज्य में सभी राज्यों की लाटरी का बिकना बन्द नहीं कर देते आप अपने उद्देश्य में सफल नहीं होंगे ?

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)
अगर यह सही है, तो आपने इस सुझाव पर क्या विचार किया ? अब क्या विचार रखते हैं ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही लाटरी से राज्य को समुचित आय नहीं हो रही थी व राज्य सरकार, लाटरी चलाकर आय पाने का कोई औचित्य नहीं समझती, अत: राज्य सरकार ने दिनांक 6-9-77 से लाटरी बन्द करने का निर्णय किया ।

(2) पिछले तीन वर्ष में निम्नलिखित लाभ हुआ था :—

वर्ष	शुद्ध लाभ (अंके लाखों में)
1974–75	17.84
1975–76	16.48
1976–77	24.46

(3) लाटरी के निकालने में 39 राज्य कर्मचारी कार्य करते थे । इसके अतिरिक्त 90 व्यक्ति बतौर कैजुल लेबर लगे हुए थे एवं 2962 एजेन्ट रजिस्टर किये हुए थे ।

(4) जी हां । क्योंकि राज्य सरकार ने अभी तक दूसरे राज्यों के टिकट इस राज्य में बिकने पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया है ।

(5) अन्य राज्यों की आय व खरीदने वालों के व्यय के बारे में राज्य सरकार को जानकारी नहीं है ।

(6) राज्य सरकार लाटरी चला कर आय कमाने में कोई औचित्य नहीं समझती है ।

चौमूं में ऊनी मिल

839. श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमूं) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि चौमूं में 400 तकुओं की राज्य सरकार ने ऊन मिल खोलने की स्वीकृति प्रदान कर दी है ?

(2) ऊन मिल खोलने की स्वीकृति किस व्यक्ति को दी गई है ? क्या यह मिल चालू हो गई है ? यदि नहीं, तो कब तब चालू करने की सम्भावना है ? निश्चित तिथि बताने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) जी हां । राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम लि०, जयपुर द्वारा 400 तकुओं का एक कार्पेट वूलन यार्न प्रोजेक्ट चौमूं में संयुक्त क्षेत्र में लगाने का निश्चय किया गया है ।

(2) इसके लिए श्री बलवंत सिंह, जो कि एक उद्यमी हैं, के साथ दिनांक 30 मार्च, 1978 के अनुबन्ध पर हस्ताक्षर किये गये हैं । अनुबन्ध पत्र के अनुसार इस प्रोजेक्ट को लगाने हेतु कार्यवाही की जा रही है । आशा है कि यह मिल जनवरी–फरवरी, 1980 तक उत्पादन शुरू कर देगी ।

दौसा में उद्योग क्षेत्र कायम करने की योजना

840. श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) :

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय)

श्री हरसहाय मीणा (लालसोट) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या दौसा जिला जयपुर में उद्योग क्षेत्र कायम करने की कोई योजना उद्योग विभाग के पास विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसके लिए अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

(2) क्या दौसा में औद्योगिक क्षेत्र कायम करने हेतु भूमि अवाप्त कर ली गई है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(3) क्या सिकराय क्षेत्र में भी सरकार कोई औद्योगिक क्षेत्र कायम करना चाहती है ? यदि हां, तो कहां व कब तक ?

उत्तर

(1) राज्य में ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्रों का विकास राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम लि०, जयपुर के माध्यम से किया जा रहा है। दौसा में औद्योगिक क्षेत्र कायम करने की योजना निगम में विचाराधीन है।

(2) इस क्षेत्र में पूर्व में दो बार चयनित भूमि को आरक्षित नहीं किया जा सका लेकिन अब निगम ने 94 बीघा 18 बिस्वा सरकारी भूमि का चयन कर लिया है और उसे औद्योगिक प्रयोजनार्थ सुरक्षित करने के लिये आवश्यक कार्यवाही करने हेतु जिलाधीश, जयपुर को निवेदन कर दिया गया है। उक्त भूमि औद्योगिक प्रयोजनार्थ सुरक्षित होने के पश्चात् निगम को आवंटित कर दी जावेगी। आवंटन के पश्चात् इस क्षेत्र का विकास कार्य निगम द्वारा प्रारम्भ कर दिया जावेगा। निगम ने क्षेत्र में विकास कार्य प्रारम्भ करने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति भी प्रदान कर दी है। दौसा में औद्योगिक क्षेत्र के लिए पूर्व में निजी भूमि का चयन किया गया था लेकिन उक्त भूमि की अवाप्ति व्यवहारिक नहीं होने के कारण, अवाप्ति का प्रस्ताव त्याग दिया गया और निगम द्वारा प्रश्न के भाग (1) में वर्णित चरागाह एवं सरकारी भूमि का चयन किया गया है।

(3) सिकराय में औद्योगिक क्षेत्र कायम करने के लिये राज्य सरकार के पास अभी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

तसवारिया में कार्यरत केन्द्र ए एन. एम. को बकाया वेतन का मामला

841. श्री श्रवणलाल (हिण्डौन) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या पी. एच. सी. कादेड़ा (जिला अजमेर) उप केन्द्र तसवारिया में सेवारत श्रीमती शारदा देवी, ए. एन. एम. का जून 1976 का वेतन बाकी है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या श्रीमती शारदा देवी द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों को प्रार्थना-पत्र बार बार देने के उपरान्त भी आज तक वेतन नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) जिस चिकित्सा अधिकारी द्वारा वेतन आहरण किया गया है, उसके विरुद्ध

(श्री श्रवणलाल)
क्या कार्यवाही की गई है ? रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(4) क्या श्रीमती शारदा देवी द्वारा कोई कानूनी नोटिस भी दिया गया है ? क्या उसके उपरान्त भी विभाग द्वारा ठोस कार्यवाही नहीं की गई है जबकि कानूनी नोटिस को एक वर्ष बीत गया है ? अगर शारदा देवी अदालती कार्यवाही करें तो विभाग को कितनी हानि उठानी पड़ेगी ?

उत्तर

(1) जी हां । यह पैसा बैंक से ड्रा करने के बाद डाक्टर और कनिष्ठ लिपिक के दरमियान गबन होना लगता है जिसकी जांच करवाई जा रही है ।

(2) जी हां । वेतन भुगतान के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

(3) चिकित्सा अधिकारी एवं कनिष्ठ लिपिक के विरुद्ध विभागीय जांच करवाई जा रही है ।

(4) जी हां । विभाग द्वारा प्रशासनिक कार्यवाही की जा रही है । प्रार्थी की अदालती कार्यवाही से विभाग को कितनी हानि होगी इस का अनुमान लगाना संभव नहीं है ।

जिला जालौर की पाथेडी डिस्पेन्सरी

843. श्री सूरजपालसिंह (भीनमाल) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जालौर जिले की पाथेडी डिस्पेन्सरी में राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली औषधियां पूर्ण मात्रा में उपलब्ध नहीं कराई जातीं ? इस डिस्पेन्सरी को वर्ष 78-79 के लिए कितने रुपये की औषधियां दी जानी चाहिए थीं ? कितने रुपये की औषधियां दी गईं ? अगर कम दी गई, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि डिस्पेन्सरी के लिए 6 पलंग उपलब्ध कराने चाहिए थे जिनकी जगह एक पलंग ही उपलब्ध कराया ?

(3) क्या यह भी सही है कि इसके अलावा स्टेबलाइजर भी उपलब्ध नहीं है ? गोदरेज इमर्जेन्सी अलमारी, टेबल वगैरह कुछ भी उपलब्ध नहीं है ? यदि हां, तो नहीं होने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) जी नहीं । राजकीय चिकित्सालय पाथेडी को इस वर्ष दवाइयों के मद में स्वीकृत व सप्लाई की गई औषधियों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

आवंटित राशि	सप्लाई की गई राशि
3,000	5,767.76

(2) जी हां । दानदाता ने भवन निर्माण कार्य पूर्ण नहीं कराया है । भवन निर्माण पूर्ण होते ही पलंगों की व्यवस्था करना संभव होगा ।

(3) जी हां । इस कार्य हेतु स्टोक

(चिकित्सा मंत्री)

सप्लाई किया जा चुका है। गोदरेज इमर्जेन्सी अलमारी को रखने की जगह ही नहीं है। टेबल उपलब्ध है।

चिकित्सालय धौलपुर का भवन

844. श्री जगदीश सिंह (धौलपुर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सामान्य चिकित्सालय, धौलपुर का भवन वहां की आवश्यकता के अनुकूल नहीं है? यदि हां, तो भवन निर्माण के लिये राज्य सरकार की क्या योजना है?

(2) क्या धौलपुर के सामान्य चिकित्सालय से डाक्टरों के लिये तथा दूसरे कर्मचारियों के लिये राज्य सरकार ने आवासीय व्यवस्था सन् 1950 से नहीं की है? यदि हां, तो क्यों? और क्या राज्य सरकार आवासीय व्यवस्था हेतु भवन निर्माण कराना चाहती है? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या सामान्य चिकित्सालय में सभी वर्ग के डाक्टर उपलब्ध हैं? यदि नहीं, तो क्यों? अब कब तक इस अभाव की पूर्ति हो जावेगी?

उत्तर

(1) जी नहीं। स्वीकृत 150 रोगी शैयाओं के लिए भवन व्यवस्था उपलब्ध है।

(2) जी हां। न्यूनतम आवश्यक आवासगृह उपलब्ध है जो इस प्रकार है :—

डाक्टरों के लिए	4 आवास गृह
नर्सिंग स्टाफ के लिए	12 आवास गृह
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	4 आवास गृह

योजना मद में वित्तीय प्रावधान होने पर ही अतिरिक्त स्टाफ के लिए आवासगृह बनाना संभव होगा।

(3) जी नहीं। योजना मद में वित्तीय प्रावधान होने पर योजनाबद्ध तरीके से कमी की पूर्ति की जा सकेगी।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 8-3-1979)

चूरू जिले की सहकारी समितियां

147. श्री जगदीशचन्द्र शर्मा (रतनगढ़): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चूरू जिले में कौन कौनसी सहकारी समितियों में गबन, घोटालों की आडिट रिपोर्ट राज्य सरकार के पास है और उनमें से किन किन के खिलाफ, क्या क्या कार्यवाही की गई है?

(2) इस जिले की कौन कौनसी सहकारी समितियों के विरुद्ध अन्य स्रोतों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा उन पर किस किस पर क्या क्या कार्यवाही की गई है?

उत्तर

(1) चूरू जिले की सहकारी समितियों की आडिट रिपोर्ट स्पेशल आडिटर के पास है। उनका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट 'अ' में अंकित है।

(2) चूरू जिले की जिन जिन सहकारी समितियों के विरुद्ध जिन जिन स्रोतों से जो शिकायतें प्राप्त हुई है उनका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट 'ब' में अंकित है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 16 देखें)

समिति का गठन

वित्तीय समितियों से मनोनयन पत्र वापस लेने के समय में वृद्धि

श्री अध्यक्ष : मुख्य सचेतक महोदय।

श्री नवनीत पालीवाल (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैंने दिनांक 27 मार्च, 1979 को इस आशय का प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत किया था कि माननीय सदस्यों द्वारा वित्तीय समितियों से मनोनयन वापस लेने का समय 29 मार्च, 1979 को अपराह्न 4.00 बजे तक बढ़ा दिया जाय। यह प्रस्ताव उसी दिन सदन द्वारा स्वीकार कर लिया गया था।

कई माननीय सदस्य, जो अपना नाम वित्तीय समितियों से वापस लेना चाहते हैं, आज भी अनुपस्थित हैं अतः आपकी अनुमति से मैं पुनः प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय समितियों, 1979-80 से मनोनयन वापस लेने का समय सोमवार दिनांक 2 अप्रेल, 1979 को अपराह्न 4-00 बजे तक और बढ़ा दिया जाय।

मतदान, यदि आवश्यक हुआ तो, मंगलवार दिनांक 3 अप्रेल, 1979 को प्रातः 11-00 बजे से अपराह्न 3-00 बजे तक होगा।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है कि माननीय मुख्य सचेतक महोदय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई हैं :—

(1) श्री रामरघुनाथ चौधरी, श्रीमती सुमित्रासिंह व श्री गंगाराम चौधरी सदस्य विधान सभा की ओर से राज्य में बढ़ते हुए सफेद लट के प्रकोप के विषय में।

इस प्रस्ताव पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

(2) सर्व श्री रघुनाथ विश्नोई व सूरज पाल सिंह, सदस्य विधान सभा की ओर से साँचौर नगरपालिका क्षेत्र में पूर्वी दिशा में

(श्री अध्यक्ष)

राष्ट्रीय मार्ग चौराहे पर कुछ प्रभावशाली लोगों द्वारा सरकारी भूमि पर नाजायज कब्जा करने के विषय में।

(3) सर्वश्री रणमलसिंह व दूलाराम, सदस्य विधान सभा की ओर से ग्राम पंचायत देवली जिला टोंक के अनुसूचित जाति के एक सरपंच को वहां के तहसीलदार व बी. डी. ओ. द्वारा परेशान करने के विषय में।

(4) श्री जयकृष्ण शर्मा, सदस्य विधान सभा की ओर से राज्य सरकार के एन. सी. सी. विभाग में अनियमिततायें, गबन व धनराशि के दुरुपयोग होने के विषय में।

(5) सर्व श्री मूलचन्द डागा, शिवचरण सिंह, सुखलाल सेंणचा व रामनारायण डूडी, सदस्य विधान सभा की ओर से जयपुर के भूतपूर्व राजघराने द्वारा त्रिपोलिया एवं चन्द्र महल पर पचरगा झण्डा फहराने के विषय में।

(6) श्री श्योपतसिंह मकासर, सदस्य विधान सभा की ओर से ग्राम लाडपुरा जिला कोटा के हरिजन परिवारों को आवंटित चरागाह की भूमि जिलाधीश, कोटा द्वारा एक जागीरदार को आवंटित करने के विषय में।

मैं इन प्रस्तावों को राज्य सरकार के पास जानकारी हेतु भेज रहा हूं और इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

व्यवस्था का प्रश्न

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सम्बोधित करते सदस्यों का इधर उधर जाना

श्री टीकमचन्द कान्त : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : हां।

श्री टीकमचन्द कान्त : वह इस प्रकार से है कि जब अध्यक्ष महोदय खड़े हों, उस समय कोई भी माननीय सदस्य हाउस में इधर से उधर न जावें, यहां हलचल न करें। लेकिन कई दिनों से मैं यहां देख रहा हूं कि इस नियम की पालना नहीं हो रही है। यहां तक कि मन्त्री स्तर के लोग भी आप जिस समय स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था देते हैं, आसन पैरों पर होते हुए भी इधर से उधर आते जाते हैं और हलचल करते हैं। मैं चाहूंगा कि कृपया इस पर आप व्यवस्था दें और सदस्यों को सूचित करें।

श्री बजरंगलाल शर्मा : किसने किया है, नाम बतायें।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह नियमों का गम्भीर उल्लंघन है। इस पर व्यवस्था देकर इनको आप ताड़ना दें।

श्री गुल मोहम्मद : आप मन्त्री महोदय का नाम बतायें।

(व्यवधान)

श्री टीकमचन्द कान्त : कल बजरंगलालजी भी इसमें शामिल थे ।

श्री बजरंगलाल शर्मा : आप नाम बताइये, आप मेरा नाम लेकर समझते हैं कि आपको माफ कर देंगे । मैं तो यहीं पर बैठा हुआ हूं ।

श्री गुल मोहम्मद : आप मंत्री का नाम बताइये । वे मंत्री कौन थे ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य टीकमचन्द कान्त ने जिस महत्वपूर्ण विषय की तरफ मेरा ध्यान आकर्षित किया है उससे मैं सर्वथा सहमत हूं ।

श्री गुल मोहम्मद : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय ।

श्री नूरा : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है....

श्री अध्यक्ष : आपका व्यवस्था का क्या प्रश्न है, नूराजी ?

स्थगन प्रस्ताव आदि पर विचार

श्री नूरा : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि मेरा सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों के आन्दोलन के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव था । इस पर पहले भी चर्चा हो चुकी थी लेकिन सहकारी समितियों के व्यवस्थापक भूख हड़ताल करने जा रहे हैं । आपने यह आश्वासन दिया था कि समझौता कराने का प्रयास करेंगे लेकिन आपने इसकी तरफ कोई प्रयास नहीं किया । आपकी उपेक्षापूर्ण नीति के कारण वे लोग कल से भूख हड़ताल कर रहे हैं और कल यहां पर जुलूस बना कर आन्दोलन करेंगे । मेरा इस सम्बन्ध में प्रस्ताव है, अगर मंत्री महोदय बता दें कि उसके बारे में क्या कर रहे हैं तो मैं नहीं बोलूंगा । मेरा प्रस्ताव है लेकिन मैं नहीं बोलूंगा, अगर मंत्री महोदय कुछ बता दें ।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा बाड़मेर नगर की विद्युत समस्या के बारे में स्थगन प्रस्ताव था । वहां पर सात दिन से हालत बिगड़ी हुई है, उस सम्बन्ध में मैंने एडजोर्नमेंट मोशन रखा है । मेरा मोशन अभी तक इसमें नहीं आया है....

श्री अध्यक्ष : बिजली के बारे में ? वह जोधपुर, बीकानेर और.......

श्री वृद्धिचन्द जैन : बाड़मेर का प्रश्न अलग है ।

श्री अध्यक्ष : सारे मारवाड़ क्षेत्र का ही प्रश्न था । वह चर्चा हो ली है, सरकार का ध्यान आकर्षित हो गया है । आप अब इस पर फिर से चर्चा कृपया न करें । मेरे पास आपका नोट तो है........

श्री वृद्धिचन्द जैन : बाड़मेर की व्यवस्था अलग है । वहां पर डीजल सैटों से व्यवस्था होती है । डीजल सैट्स से बिजली देते हैं....

श्री टीकमचन्द कांत : अध्यक्ष महोदय, बजरंगलाल जी फिर चले गए।

श्री वृद्धिचन्द जैन : विद्युत समस्या की वजह से पानी की समस्या बढ़ रही है। स्पेसिफिक समस्या है ......

श्री अध्यक्ष : पहले चर्चा हो जावे पूर्व प्रस्तावों पर, फिर आपको दो मिनट का समय दे दूंगा।

श्री नूरा : अध्यक्ष महोदय, मेरे सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों के बारे में स्थगन प्रस्ताव के बारे में मैंने निवेदन किया था। माननीय मंत्रीजी इसके बारे में दो बात कह दें तो मैं अपने प्रस्ताव पर नहीं बोलूं।

श्री अध्यक्ष : आप मंत्रीजी से मिल लें। आप मंत्रीजी को कह सकते हैं।

श्री कैलाश मेघवाल (सहकारिता मंत्री) : सरकार के द्वार खुले हैं अगर वे प्रतिनिधि मण्डल लेकर आवेंगे तो मैं उनसे मिलूंगा। उनके साथ बात करने को तैयार हूं।

श्री नूरा : मैं समझा नहीं, आप क्या कह रहे हैं?

श्री कैलाश मेघवाल : आप उनको ले आइये, मैं बात कर लूंगा।

श्री अध्यक्ष : अब हो गया।

श्री नूरा : आपके विभाग के लोग हैं, आपको बुलाना चाहिए। मैं क्यों लेकर आऊं आपके पास?

श्री रामरघुनाथ चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। जो सफेद लट है वह दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और काश्तकारों के लिए बहुत ही बड़ी समस्या पैदा हो गई है। मुझे खेद है कि आज कृषि मन्त्रीजी सदन में नहीं बिराज रहे हैं।

श्री उगमराज मेहता : इससे सम्बन्धित राज्य मंत्रीजी मौजूद हैं।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : मैं यह निवेदन कर रहा था, अध्यक्ष महोदय, सफेद लट कहां से आयी, यह किसी को पता नहीं है लेकिन हमारे जिले में यह समस्या पिछले दो सालों में पैदा हुई है। हमने टैक्निकल आफिसर्स से जानकारी की तो उन्होंने बताया कि हरियाणा और पंजाब की तरफ से आई होगी लेकिन शुरुआत राजस्थान में हुई है। चूंकि नागौर जिला झुंझुनूं और सीकर जिलों के पास में आया हुआ है और राज्य सरकार इसको कन्ट्रोल करने में अक्षम रही है इसलिए नागौर जिले में कई क्षेत्रों में, प्रमुख कर शुरू में यह डीडवाना में आई थी। जो हमारे जिला कृषि अधिकारी हैं उन्होने बताया था कि यह बहुत ही खतरनाक कीड़ा है। जिस क्षेत्र में यह फैल जाता है उस क्षेत्र की फसल को प्रायः नष्ट कर देता है। किसान उससे बचाव के लिए कुछ नहीं कर सकता। लेकिन सरकार चुप रही और कुछ नहीं किया। दो साल के बाद पिछले साल यह

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

कीड़ा बढ़ते-बढ़ते लम्बे चौड़े क्षेत्र में फैल गया। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि जो कीड़ा नागौर जिले में शुरू में मात्र हजार दो हजार एकड़ में था अब फैल कर करीब पांच, सात लाख एकड़ में हो चुका है। पांच लाख एकड़ में फैलने के कारण किसान इतना डर गया है, बात यहां तक पहुंच गई है कि डर से फसल बोने के लिए तैयार नहीं हैं। आने वाले दिनों में ऐसी स्थिति आने वाली है कि कोई फसल बोने को तैयार नहीं होगा। आज भी इतने भयभीत हैं कि जो भी फसल बोते हैं उनको पता नहीं कि उनकी फसल इस कीड़े के कारण बचेगी भी या नहीं। फसल बोयेंगे तो यह कीड़ा छोड़ेगा नहीं और राज्य सरकार के पास इसके लिए कोई इलाज नहीं है। पिछले साल मेरे क्षेत्र में सब्सिडी दी थी। कहीं पचास पर्सेंट तो कहीं पर 75 पर्सेंट तक दी थी। मैं आपको एक निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले साल आपने 75 प्रतिशत सब्सिडी देकर पोलटैक्स दवाई दी थी। इस दवाई पर लाखों रुपया खर्च किया। लेकिन वह दवाई बिल्कुल बेकार साबित हुई। इससे एक भी लट या एक भी कीड़ा नहीं मरा। लाखों रुपयों का खर्चा करने के बाद भी राज्य सरकार घाटे में रही। आपने इस पोलटैक्स दवाई पर जितना पैसा खर्च किया वह बेकार गया और काश्तकारों ने इस दवाई को खेतों में डाला उसका उनको भी कोई फायदा नहीं मिला। कीड़े मरे नहीं और फसल खराब हो गई। इसके मुकाबले में जो थाईलैंड की कम्पनी है उसकी दवाई ज्यादा अच्छी है, इसके मुकाबले में वह सस्ती पड़ती है और ज्यादा इफेक्टिव है लेकिन आपने सब्सिडी देकर इस पोलटैक्स दवाई को दिया। जो फाईरमोस्ट ट्रोन एनोमल दवाई है वह ज्यादा अच्छी है, सस्ती है लेकिन मेरी समझ में नहीं आया, अध्यक्ष महोदय, यह दवाई क्यों नहीं खरीदी गई और पोलटैक्स क्यों खरीदी? इसमें राज्य सरकार की गलती है या किसी अधिकारी ने किसी एजेंट से मिलकर यह दवाई खरीदी है? इससे राज्य सरकार को नुकसान हुआ है और किसान भी घाटे में रहे हैं। राज्य सरकार के धन का दुरुपयोग करते हुए किसानों को जो सब्सिडी दी गई उससे भी उनको कोई फायदा नहीं पहुंचा। आप 75 पर्सेंट सब्सिडी दे रहे हैं लेकिन किसान 25 पर्सेंट खर्चा करके इस दवाई का इस्तेमाल करते हैं, इतना खर्चा करने के बाद भी उनको कोई फायदा नहीं मिला। यह दवाई बहुत महंगी है। सब्सिडी मिलने के उपरान्त भी हर साल इसका उपयोग कर सकें, किसानों के लिए यह बहुत मुश्किल बात है। मैं निवेदन करूंगा, अध्यक्ष महोदय, यह दवाई 25) रु० से 30) रु० किलो तक मिलती है। एक एकड़ में छः से दस किलो तक डालनी पड़ती है। अब आप इसका अन्दाज लगाइये राउण्ड फिगर में कि कम से कम दो सौ रुपये प्रति एकड़ के हुए। सब्सिडी के अलावा प्रति एकड़ 50 रुपये काश्तकार को देने पड़ेंगे। पचास रुपया प्रति एकड़ काश्तकार के लिए खर्च करना बड़ा मुश्किल है। पिछली बार भी जो पैसा लगाया गया था वह बेकार गया। काश्तकार को इस दवाई के लिये 25 पर्सेंट देना होता है लेकिन इस दवाई से कीड़े मरते नहीं हैं। इन कीड़ों से उसकी फसल का बचाव नहीं हो सकता है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, यह बीमारी पूरे गुजरात में फैल

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

चुकी है। यह कीड़ा सीकर, झुंझुनू में फैलने के बाद नागौर में भी फैल चुका है और आगे बढ़ रहा है। इसके इरेडिकेशन के लिए आप क्या सोच रहे हैं? क्या आपके पास दवाई है? पूरे भारत में, दुनियां में इसके लिए कोई दवाई है जिससे कि इसको मारा जा सके, समाप्त किया जा सके? यह जो दवाई आपने वितरित की है, वह पर्टीक्यूलर टाइम में दी जाती है। इससे वह कीड़ा पैरेलाइज हो जाता है, जब इसको बीज के साथ बोया जाता है तो दवाई का इफैक्ट पड़ता है पर्टीक्यूलर क्षेत्र में, लेकिन कीड़ा बड़ा होता है और बड़ा होने के बाद अंडे देता है। उसकी लाइफ कन्टीन्यू करती है। इससे निरन्तर राज्य सरकार का खर्चा बढ़ता जा रहा है। इसलिए जब तक आप इस कीड़े को कतई मारने के लिए दवाई नहीं निकालेंगे, काश्तकारों का भला नहीं होगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पिछली बार रेडियो पर एक सूचना का प्रसार, प्रचार किया गया था इस कीड़े को मारने के बारे में इस तरह की एक बात कही गयी थी रेडियो पर, जो कि हास्यास्पद बात थी। रेडियो वार्ता पर यह कहा गया कि यह कीड़ा खास तौर से रात को, सायंकाल के समय उड़ता है और उड़ने के बाद पेड़ पर बैठ जाता है। उसके बाद वह पेड़ पर पत्ते खाता है। फिर यह इतना सुस्त हो जाता है कि उड़ नहीं सकता। काश्तकारों को हिदायत दी गई थी कि जिस पेड़ पर कीड़े बैठे हुए हैं, उस पेड़ की डाल को हिलाया जाए। वह उड़ नहीं सकता है। हिलाने पर जब वह जमीन पर गिरे तो उनको इकट्ठा करके जला दिया जाए। यह थी आपकी ओर से किसानों को रेडियो पर सूचना। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जहां एक एकड़ में 50 पेड़ हों और हमारा जो सेमीडेजर्ट एरिया है, वहां पर 500–700 पेड़ हों तो किसान ऐसे कितने पेड़ों को हिलाएंगे? पेड़ों की कितनी डाली हिलाएंगे? इसलिए यह जो आपने घोषणा करके बताया है, इससे काम नहीं चलेगा। अध्यक्ष महोदय, यही नहीं यह कीड़ा लाइट की तरफ भी अट्रेक्ट नहीं होता है। दूसरा जो कीड़ा कातरा होता है, दूसरे होते हैं वे लाइट की तरफ अट्रेक्ट होते हैं। उन्हें रोशनी जला कर इकट्ठा कर सकते हैं। परन्तु यह तो रोशनी की तरफ उड़ कर नहीं आता है। इसलिए यह जो प्रचार है, यह गलत है। इससे समस्या हल नहीं होगी। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस समस्या के ऊपर सोच कर इसका निराकरण करें। इस समस्या के ऊपर रिसर्च किया जाए और कोई तरीका निकाला जाय। स्प्रे का तरीका निकालें जिससे यह कीड़ा मर सके, समाप्त हो सके। कृषि मंत्री महोदय, मैं इस पोलटैक्स का जिक्र इसलिए कर रहा था कि आपने यह जो दवाई बांटी है, वह बेकार गयी है। लाखों रुपया तो इस पर खर्च हो गया है और काश्तकारों को भी नुकसान हुआ है। यह बताया गया है कि ....

(व्यवधान)

(समय समाप्ति सूचक घंटी) ....

दो मिनट।

इसके बाद आपने यह जो थाईमेट-10 ग्रेन्यूअल्स का प्रयोग किया है, यह कितना

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

असर कर सकती है, यह देखने की बात है। परन्तु यह भी डेफिनेट है कि इस थाईमेट से भी यह कीड़ा नहीं मर सकता है। यह ओथेन्टिक बात मैं कह रहा हूं। जब तक आप इस कीड़े को मारने की बात नहीं सोचेंगे, तब तक न तो राज्य सरकार का भला हो सकता है, बल्कि उसका निरन्तर खर्चा होता रहेगा और न किसान का भला नहीं होने वाला है। उसको हमेशा इस कीड़े की आशंका रहेगी। उसको उसकी फसल नहीं मिलेगी। गुजरात में लोगों ने टाइम बदल दिया है क्राप का, क्राप का पैटर्न ही बदल दिया है। ज्यादा बरसात होने की वजह से, रेनफाल की वजह से क्राप का पैटर्न हमारे यहां पर भी बदला जा सकता है। गेहूं, बाजरा की क्राप के पैटर्न को बदलना होगा। यह कीड़ा तो आइल सीड्स का भी पक्का दुश्मन है। पेड़ पर होता है, सवेरा होते ही जिस पेड़ पर यह बैठा होता है, यह गिर जाता है। भूमि पर गिर पड़ता है। कीड़ा मर जाता है और उसके बाद इससे लट पैदा होती है। यह लट, अध्यक्ष महोदय, तीन इंच लम्बी और आधा इंच मोटी होती है। यह लट किसी भी पौधे को काटने में सक्षम है। बाजरे को तो यह आसानी से काट सकती है। मूंगफली, आइल सीड्स तो इसकी लाईकिंग है। अध्यक्ष महोदय, मिर्चों को भी यह नहीं छोड़ती है। मैं केवल अपने क्षेत्र की समस्या के बारे में ही नहीं कह रहा हूं, पूरे राजस्थान की समस्या के बारे में कह रहा हूं। यह पूरे राजस्थान की समस्या है। किसी एक क्षेत्र के काश्तकारों की यह समस्या नहीं है, पूरे राजस्थान के काश्तकारों की यह समस्या है। जब तक इस समस्या को सीरियसली लेकर इसके निराकरण के उपाय नहीं किये जाएंगे, किसानों को राहत नहीं हो पाएगी। सरकार पैसा खर्च कर रही है, उसके उपरान्त भी वह किसानों के साथ न्याय नहीं कर रही है। इतना ही मैं निवेदन करना चाहूंगा कि गुजरात में तो मूंगफली बोने का टाइम ही बदल दिया है। वहां पर मूंगफली बरसात के टाइम के पहले बोई जाती है और बरसात के पहले उनको मिल जाती है। उनकी क्लाइमेटिक सिचुएशन हमारे यहां से चेंज्ड है। परन्तु हमारे राजस्थान में अधिकतर क्षेत्र ऐसा है जहां पर कि एक फसल होती है और मूंगफली बोई जाती है वह बरसात के मौसम में बोई जाती है। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कृषि मंत्री महोदय आप किसानों को बचावें। किसान आज दरिद्रता में फंसा जा रहा है, यह कीड़ा उनको दरिद्र बना देगा। इसलिए यह निवेदन है कि कृषि मंत्री महोदय इस समस्या पर रिसर्च करावें, कोई तरीका ढूंढें, आल इंडिया लेवल पर इसकी रिसर्च करावें और कोई नई दवाई निकालें, इस कीड़े को पूर्णतया समाप्त करने के लिए जिससे कि किसानों को राहत मिल सके।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस कीड़े को मारने के लिये हरियाणा में क्या हो रहा है? वहां भी है यह कीड़ा।

श्री राम रघुनाथ चौधरी : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा का कम्परेटिवली मैंने अध्ययन नहीं किया है। गुजरात के बारे में मैंने सूचना एकत्रित की थी। गुजरात में इसके इरेडिकेशन के लिए कोई दवाई उपलब्ध नहीं हुई है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुन्झुनूं) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर जिसको सफेद लट कहते हैं, उससे इतना अधिक खराबा हुआ है कि खास तौर से ज्वार, मक्का और बाजरे की फसल तो नष्ट ही हो गई है । इन तीन क्राप्स में इसमे इतना जबरदस्त असर पड़ा है कि राजस्थान में पहले बाजरे का पहला दुश्मन कातरा कहा जाता था, दूसरा सफेद लट और तीसरा दीमक । इन तीन बीमारियों की वजह से काश्तकारों की बाजरे की फसल में भारी नुकसान हुआ है । कृषि वैज्ञानिकों, तथा कृषि विशेषज्ञों का यह मानना है कि इकोलाजिकल इम्बेलेन्स के कारण यह होता है । यह उनका मानना है । रबी की क्राप के अन्दर दीमक की बीमारी होती है । जब दीमक के प्रिवेन्टिव मेजर्स के बतौर बी. एच. सी. एल्ड्रीनया हैप्टाक्लोर की दवाई जब डाल दी जाती है तो दीमक प्रायः समाप्त हो जाती है तब दीमक के अभाव में यह लट अधिक प्रभावी होती है । दीमक इस लट को खा जाती है । यह जमीन में रहती है लेकिन चूंकि जैसे जैसे रबी की फसल के क्षेत्र का एरिया बढ़ता जा रहा है, सिंचाई के साधनों की वजह से भूमि के ऊपर रबी दिनों दिन बढ़ती जा रही है, रबी क्राप जैसे जैसे बढ़ती जा रही है उस इलाके के अन्दर वैसे वैसे ही सफेद लट का प्रसार होता जा रहा है । इसकी फर्स्ट च्वाइस यह बाजरा है, मक्का, ज्वार है लेकिन आज कल धीरे-धीरे इनके अभाव में यह लट दूसरी क्राप्स में भी आ गई है । यह जो सफेद लट है, इसके पैदा होने का समय जब फर्स्ट मानसून होता है और फर्स्ट मानसून में फर्स्ट शावर है । जब सूर्य छिपता है तब यह जमीन से निकलती है और धीरे-धीरे यह पेड़ पर आ जाती है । आज राजस्थान के इलाके में जो खेजड़ा है, जिसको राजस्थानी में जांटी कहते हैं यह मैनयोर है पशुओं का चारा है, इसकी लकड़ी पयूला है । इस लकड़ी से दरवाजे, किवांड़ बनाये जाते हैं । खेजड़ा एक उपयोगी पेड़ है लेकिन इस व्हाइट अब सफेद लट ने खेजड़े के पेड़ को भी बहुत नुक्शान पहुंचाया है । और इसकी पत्तियों को खा जाती है सबसे पहले खेजड़े के पत्तों को खाती है इसलिये खेजड़ा भी इस लट का शिकार है । पत्ते जब जमीन पर गिरें तो जमीन के लिए मेन्योर हो जाते हैं और जानवरों के लिए यही पत्तियां उत्कृष्ट फोडर हैं । तो इन पेड़ों को इस लट ने नुक्सान पहुंचाया है, खत्म कर दिया है । इसका अब तक कोई स्थाई, उचित हल निकाला नहीं गया । जितनी भी दवाइयां हैं कोई इस पर असर नहीं करतीं । यह व्हाइट लट, रबी के समय तो जमीन में 8–10 इंच, एक फीट नीचे चली जाती है इसलिए गेहूं और जौ को तो इससे नुकसान नहीं होता और जैसे ही खरीफ का समय आता है, यह बाजरे की जड़ों को काट कर खत्म कर देती है । इस संबंध में क्या क्रोप पैटर्न, बाजरा, ज्वार और मक्का के बदले क्या बोया जाये कि जिससे कम से कम फसल को नुक्सान पहुंचे तब तो इसकी थोड़ी बहुत कमी की जा सकती है । कृषि विद्यालय जोबनेर ने मेरे खेत में परीक्षण के तौर पर इसकी रोकथाम के उपाय किये हैं जिससे यह मालूम हुआ कि मानसून की फस्ट शावर में ही यह पतंगा जमीन से निकल कर ऊपर आ जाता है । झरबेरी के

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

पत्ते, आम के पत्ते, खेजड़े (जांटी) के पत्ते इसकी फर्स्ट चोइस है। इस लिये इसको हाथ से पकड़-पकड़ कर लाखों की तादाद में हमने डेस्ट्राय किया है, लेकिन इसमें शारिरिक श्रम जितना चाहिये एक आदमी कर नहीं सकता। उसे इतना समय नहीं। पेड़ों पर दवा का स्प्रे करने से भी इसकी रोक थाम की जा सकती है क्योंकि दवा के स्प्रे युक्त पत्ते खाते ही पतंगा मर जायेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसलिये माननीय अध्यक्ष जी, आपने घंटी बजा दी, में कृषि मंत्री जी को निवेदन करना चाहूंगी हमारे प्रदेश में मुख्य फसल बाजरा है और उसे यह सफेद लट जबरदस्त नुकसान पहुंचा रही है और हम इसके कोई कारगर उपाय खोज नहीं सके हैं। इसलिये सरकार को मुस्तैदी के साथ, चिन्तन के साथ इस बारे में सोच कर, स्थाई हल, कैसे इसे रोका जा सके, कैसे नष्ट किया जा सके, इस बारे में स्थाई हल निकालना चाहिये। इस प्रश्न को गंभीरता से लेना चाहिये क्योंकि इसको एक जगह पर खत्म भी किया जाय तो पड़ौस के दूसरे स्थान से यह आ जाती है। इसलिये जब तक आप कोई प्रिवेन्टरी मेजर काम में नहीं लेंगे तब तक इस लट का सफाया होना मुश्किल है और बाजरा पैदा करना मुश्किल है।

(समय–समाप्ति–सूचक घन्टी)

इसलिये जैसा कि राज्य सरकार के सामने हमने टिड्डी के बारे में भी प्रश्न उठाया था, हमने सूचना दी थी, इसलिये मेरा यह निवेदन है कि इस पर गंभीरता से ध्यान दिया जाय क्योंकि मानसून के फर्स्ट शावर में फिर यह जमीन से निकलेगी पंखों के साथ। इसलिए राज्य सरकार से निवेदन है कि कम से कम एक बार पहले गलती की सो की, कम से कम राजस्थान की मेन क्राप को बचाने के लिये इस संबंध में स्थाई और कारगर उपाय आप करेंगे यह मेरा निवेदन है।

श्री अयूब खां : अध्यक्ष महोदय, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक मेरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सूची में है। मुझे बोलने का अवसर दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पहले स्थगन प्रस्ताव हो जाने दीजिये।

श्री अयूब खां : अध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्ष सारा समय ले जायेगा।

श्री राम नारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, श्री रघुनाथ विश्नोई और श्रीमती सुमित्रा सिंह ने स्थगन प्रस्ताव दिये हैं। मेरा नाम तो नहीं है। मैं दो शब्दों में समाप्त कर दूं।

श्री अयूब खां : यह तो सफेद लट का किस्सा है।

श्री श्योपत सिंह मकासर : सफेद लट के साथ कातरा भी आयेगा।

श्री हरि सिंह यादव (राज्य मंत्री, कृषि) :

(श्री हरिसिंह यादव)

अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्या ने सफेद लट और दूसरी बीमारियों के बारे में चिन्ता व्यक्त की है वह वास्तव में चिन्ता का विषय है। राज्य सरकार उनके आधार पर और विभागीय जानकारी के आधार पर प्रयास कर रही है कि इस प्रकार की बीमारियां, जो हमारी फसलों को खराब करती जा रही हैं, उनका किसी भी प्रकार से निराकरण हो और फसलों की सुरक्षा व्यवस्था हो सके। जहां तक माननीय सदस्या ने इस लट को मारने के बारे में कहा जो औषधि का खर्च है उसका 25 प्रतिशत किसानों को खर्च करना पड़ता है और बाकी सारा का सारा सब्सिडाइज सरकार से होता है। इसके बारे में मैं भी निवेदन करता हूं, हम इसकी जांच करवायेंगे। यदि दवाई को गलत तरीके से किसानों को प्रोवाइड किया गया है और सफेद लट का कोई उपाय वैज्ञानिक तरीके से नहीं हो सकता तो ऐसी स्थिति में किसानों को क्या राहत दी जा सकती है? इस पर विचार किया जायेगा। मैं केवल इतना आश्वासन दे सकता हूं कि इस कार्य के लिये जितना शोध, जितनी जानकारी देश से, विदेश से जो भी उपलब्ध होगी, उसको प्राप्त करने की हम कोशिश करेंगे और जितनी जल्दी हो सकेगा इस बीमारी को खत्म करने की कोशिश करेंगे।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न का जवाब दिलवा दीजिये। आप परीक्षण के बतौर एक निश्चित एरिया लेकर जहां दवा का स्प्रे कर के मैन्युअल लेवर द्वारा इसे पकड़ने का परीक्षण कीजिये, जो पकड़ पकड़ कर डेस्ट्राय कर सके, दूसरी तरफ थाइमेट का प्रयोग करिये, तीसरी तरफ इसकी दवाई जो प्रोटोक्स है उसका प्रयोग करिये इसके बाद पता लगाइये। तीन अलग एरिया में निश्चित तौर से करिये ताकि आपको पता लग सके कि कारगर उपाय इस लट को समूल नष्ट करने का क्या है? आप कुछ न कुछ करेंगे यह आप निश्चित आश्वासन दें।

श्री हरिसिंह यादव : मैंने पहले भी कहा था, इन्होंने काफी सुलझे हुए विचार रखे। यह इतने विस्तार से फैलती है कि यदि कोई काश्तकार मैनुअल लेवर से समाप्त करे तो इसको समाप्त नहीं कर पायेगा। एक स्थान की समाप्त हो जाय तो पड़ौस से फिर आ जाती है। इसलिये मैं निवेदन करना चहता हूं कि सरकार की पूरी कोशिश है जो भी तरीका हमें मिले जैसा माननीय सदस्या ने कहा, जला कर, दवा डाल कर, मिट्टी डाल कर, इसे खत्म किया जा सकता है। इस तरह का जो भी तरीका होगा उसको सरकार हाथ में लेगी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : परीक्षण के तौर पर हमने सुझाव दिये अलग-अलग एरिया में निश्चित परिमाण में करोड़ों का आपके पास बजट होते हुए आप कुछ करना नहीं चाहते। राजस्थान में काश्तकार परेशान हो रहा है। आप नहीं चाहते कि कुछ उपाय करें। नागौर में ले लीजिये ....

(व्यवधान)

मैं निवेदन करना चाहती हूं कि छोटे-

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

जोटे एशिया लीजिये उनमें तीन जगहों पर तीनों उपायों का प्रयोग कीजिये, कौन सा प्रयोग कितने प्रतिशत तक सफल होता है, यह आप पता लगाइये। जब कि करोड़ों का आपके पास बजट है। आप अपने आपको क्यों बिल्कुल असहाय महसूस करते हैं। आपकी क्या विवशता है? वोट देने वाले हम यहां पर बैठे हैं। एक करोड़ रुपया भी खर्च होगा तो हम वोट देकर डिमाण्ड पास करेंगे। क्यों नहीं परीक्षण करते हैं इन तीनों बातों का? परीक्षण करके क्यों नहीं बतलाते हैं कि इतने इतने हैक्टेयर पर कौन सा उपाय सफल हुआ है। क्यों अपने आपको असहाय महसूस करते हैं? हम वोट देंगे अगर एक करोड़ का खर्च भी होगा तो। आप चुप क्यों बैठे हैं? बोलते क्यों नहीं हैं? क्यों आपने मौन धारण कर रखा है?

श्री मूलचन्द डागा : इतनी बड़ी फटकार के बाद भी नहीं बोलते हैं।

श्री राम रघुनाथ चौधरी : अध्यक्ष महोदय, अभी आपको निवेदन किया था कि आप प्रति एकड़ पर 200 रुपये खर्च करते हैं, लेकिन गरीब किसान इतना खर्च नहीं कर सकता है क्योंकि एक एकड़ में उतना बाजरा पैदा ही नहीं होता है। अगर आप 75 पर्सेंट सब्सिडी दें तो भी 50 रुपया प्रति एकड़ उसको खर्च करना पड़ता है। बाजरे का प्रोडक्शन इतना नहीं होता है कि वह 50 रुपये प्रति एकड़ एडीशनल खर्च करने के बाद कुछ बचा सके। इसलिए आपसे निवेदन है कि 100 प्रतिशत सब्सिडी दी जाय। इस बारे में उत्तर दें कि 100 पर्सेन्ट सब्सिडी करेंगे।

श्री हरि सिंह यादव : माननीय अध्यक्ष, जो भी माननीय सदस्यों और माननीय सदस्या ने कहा है इसके बारे में पूर्व में कहा है कि 200 रुपया प्रति एकड़ का खर्चा औषधि के रूप में वह करें, यह सही बात है कि यह किसान के बस की बात नहीं है। मैंने निवेदन किया कि 75 पर्सेन्ट सब्सिडी है, फिर भी आपका आरोप यह था ...

(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप एक्सपर्ट्स की राय से जो दवाइयां देते हैं ....

श्री सूरजपाल सिंह : कई जगहों पर आपने सब्सिडाइज नहीं किया है।

श्री रतनलाल वर्मा : माननीय मंत्री महोदय, सब कुछ करना चाहते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल में किस तरह से होगा, किस तरह से कीड़े का नाश होगा, किस तरह से बीमारी मिटेगी, किस तरह से कीटाणुओं का नाश होगा?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अगर आप इसको नहीं मिटा सकते हैं तो हर्जाना दें काश्तकारों को।

श्री सूरजपाल सिंह : आपकी दवाओं से लाभ नहीं हुआ है तो हर्जाना काश्तकारों को दें।

श्री रामनारायण चौधरी : मंत्री महोदय

(श्री रामनारायण चौधरी)

का उत्तर तो ईमानदारी से भरा हुआ है, इसमें कोई सन्देह नहीं है, लेकिन इसका रूप क्या होगा ? वह माननीय सदस्य, जो इसमें इन्ट्रेस्टेड हैं, और आपके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अधिकारी ....

(व्यवधान)

माननीय मंत्रीजी की बात से यह जाहिर होता है कि वह निष्ठावान और ईमानदार हैं। वह खुद किसान हैं, लेकिन क्रियात्मक जो पहलू है उसके बारे में मंत्रीजी का सीधा सादा उत्तर नहीं आ रहा है। उसका क्रियात्मक पहलू क्या होगा, यह बात स्पष्ट करें। करोड़ों रुपयों का बाजार लोहारू से लेकर बाड़मेर, पूरा जयपुर और भरतपुर अभी तो नहीं है लेकिन आ जायेगा, इसके कारण से नष्ट हो रहा है। इसलिए आप मेहरबानी करके अपने विभाग के वैज्ञानिकों और कृषि में जो यहां माननीय सदस्य इन्ट्रेस्टेड हैं उनको और दूसरे आपके जो एग्रीकल्चर कालेज में, यूनिवर्सिटी में लोग हैं उन सब की एक गोष्ठी बुलायें। उसमें हम, हमारे भी विचार रखेंगे और उनके भी विचार सुनेंगे। हमारा अनुभव भी बतायेंगे। उसके बाद में जो फार्मूला निकलेगा जो प्रैक्टिकल बात होगी वह बतायेंगे। इसको आप प्राथमिकता दें। यह मामूली प्रश्न नहीं है। बाजरा हमारे प्रदेश से चला गया है। इस एरिया से जैसे गधे के सिर से सींग चले गये।

श्री रघुनन्दन व्यास : माननीय अध्यक्ष, बाजरा तो इन वैज्ञानिकों के कारण खतम हुआ है। आप वैज्ञानिकों को बुलाकर क्या करेंगे ? पुराने काश्तकारों से पूछिये। बाजरे का बीज तो खतम हो रहा है। मारवाड़ में बाजरा खाने को नहीं मिलेगा, दो वर्ष में। यह वैज्ञानिकों ने इनाम दिया है, इसके बारे में विचार करें।

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : बाजरे की यह स्थिति है कि सिट्टा आता है तो....

श्री रतनलाल वर्मा : यह संकर बाजरा तो माननीय सदस्य, कांग्रेस लेकर आई थी और पैदा करके बाजरे का यह बीज छोड़ दिया। ऐसा बीज बोया बाजरे का, राजस्थान से बीज ही उठ जायेगा।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष, यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है।

श्री अध्यक्ष : कई सज्जन बोल चुके हैं।

श्री श्योपत सिंह मकासर : मैं एक ही मिनट में अपनी बात कहना चाहता हूं।

लट व कातरे ने हमारी सारी फसल को बिल्कुल तबाह कर दिया। यह एक बीमारी नहीं, यह दो-दो बीमारियां हैं। यह दोनों मन्त्री, राज्य मन्त्री और मन्त्री, शरीर से भी ठीक हैं। दोनों बराबर के हैं। एक-एक क्विन्टल के हैं। इनको लगाया जाय। कातरे व लट को मारने के लिए। यह लट और

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

कातरा दोनों काश्तकारों को तबाह कर देंगे। यह समस्या अभी नहीं मगर दो-तीन महीने बाद जबकि बुआई शुरू होगी तो हल नहीं कर सकेंगे। आप किसानों को बुलायें, अधिकारियों को बुलायें और विचार करें कि इसकी क्या रेमेडी है ?

श्री रघुनन्दन व्यास : इसके लिए जिला वाइज सेमिनार होना चाहिए।

श्री श्योपतसिंह मकासर : इसको युद्ध-स्तर पर लेना चाहिए तभी अगली फसल ठीक होगी।

श्री मांगी लाल (जायल) : काश्तकार जानते हैं जमीन में धन्स जाते हैं।

(व्यवधान)

श्री सूरजपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से एक प्रश्न करना चाहूंगा। कृपया मुझे बताने की कृपा करें कि आपके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अन्दर जो डिप्टी डाइरेक्टर्स हैं उनके कितने पुत्र पेस्टिसाइड्स आफ इंडिया, कार्बाइड आदि कम्पनियों में नौकर हैं ? Practically they recommend those medicines. गलत तरीके से अपने बच्चों को आब्लाइज करने के लिए उनकी कम्पनियों का माल बिकवाने के लिए किसानों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। गलत मैटीरियल छिड़काया जाता है। पेस्टिसाइड्स आफ इंडिया की एक दवाई से अभी सुमेरपुर में फसल बर्बाद हो गई। वह रिकमण्ड करेंगे उन्हीं दवाओं का छिड़काव किया जायगा। अगर रांग मैटीरियल रिकमण्ड किया जाता है तो किसानों को नुकसान होता है। अगर सिनोसाइड का प्रचार चल गया तो सिनोसाइड ही डिस्ट्रिब्यूट होता रहता है। अगर कोई नई प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो आपके वैज्ञानिक उसको क्यों नहीं लेते हैं ?

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

(व्यवधान)

श्री सूरजपाल सिंह : किसान को कुछ नहीं मिलता है।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय उत्तर देंगे माननीय सदस्य ने मन्त्री महोदय पर आरोप भी लगाया है और यह भी कहा है कि आप घबराते हैं। ये घबरा थोड़े ही रहे हैं। घबराहट कम हो गई है। अब जवाब आ रहा है।

श्री नवरंग सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह कातरे की बीमारी है। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इसकी रोकथाम के लिये सब्सिडी काश्तकारों को समय पर नहीं मिलती है। आप यह निश्चित रूप से प्रयास करें कि वह किसानों को समय पर मिल जाये। अभी तक देखा यह गया है कि सब्सिडी की घोषणा तब करते हैं जब कातरा समाप्त होने वाला होता है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : क्या आप जवाब दे रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : दे दिया जवाब।

श्री हरि सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय,

(श्री हरि सिंह यादव)

माननीय सदस्या, जो झुंझुनूं से पधारी हैं, से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार की भाषा उनकी है, उसमें मीठापन भी है और तीखापन भी है।

श्री मूलचन्द डागा : दोनों बातें कैसे हैं ?

एक माननीय सदस्य : खटी मीठी हैं।

श्री रतनलाल वर्मा : डागाजी को किसानों की समस्याओं का क्या मालूम ? वह तो किसानों को ही मालूम है। आपको क्या मालूम है ?

(व्यवधान)

श्री हरि सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं, कि जो सुझाव आये हैं, उनके बारे में, मैंने पहले ही निवेदन कर दिया है। जहां तक उससे लाभ उठाया जा सकेगा उठाया जायेगा, जैसा कि माननीय रामनारायण जी ने कहा है, जो सदस्य खेती से सीधा सम्बन्ध रखने वाले हैं, वह विभाग के आदमियों से मिलकर बैठकर बातचीत करें। आपके माध्यम से, मैं यह आश्वासन देना चाहता हूं कि यह बीमारी है, इससे सभी चिन्तित हैं। सरकार भी चिन्तित है कि इस बीमारी से हमारी कृषि को छुटकारा मिले। हमारे प्रदेश की उपज बढ़े।

एक माननीय सदस्य ने सरकार पर आरोप लगाया है कि सारी फसल नष्ट हो गई और सरकार कोई इन्तजाम नहीं कर सकी। मैं निवेदन करूंगा कि यह मिथ्या आरोप है। हमारे शासन काल में, भारत वर्ष की पैदावार है वह पहले से बढ़ी है।

(व्यवधान)

पिछले साल जो हमने आधार दिया था, उसके मुकाबले में पैदावार बढ़ी है। इस आधार पर कृषि उपज बढ़ाने के लिए, बीमारी को समाप्त करने के लिए, पहले के मुकाबले में ज्यादा दवाइयां भेजी हैं। ज्यादा बजट रखा है। यह सारा का सारा किया है। मैं माननीय सदस्या से यही निवेदन करूंगा कि आप ऐसे प्रश्नों को नहीं उठायें तो ज्यादा अच्छा है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस बारे में चर्चा नहीं होगी।

(व्यवधान)

श्री रामरघुनाथ चौधरी : सब्सिडी दोनों ही वक्त होनी चाहिए।

श्री सूरजपाल सिंह : मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह अपने विभाग के अधिकारियों के बच्चों के बारे में जांच करा लें। उनके लड़के किन-किन कम्पनियों में अपाइण्ट होकर गये हैं जो वह रिकमण्ड करते हैं, वही दवाइयां ली जाती हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये से राजस्व मन्त्री जी

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मैं स्थगन प्रस्ताव के जरिये से आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं । इसके पहले मेरे अतिरिक्त प्रश्न का जवाब दे दिया है, लेकिन उस पर हाउस में डिस्कशन नहीं हुआ है । मैं केवल सरकार की आंखें खोलना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय, 66–67 में जब कि रामप्रसाद लड्ढा मिनिस्टर थे । और, जी. रामचन्द्र कलेक्टर थे उस समय उनकी रांग रिकमंडेशन पर सरकार ने 2 बीघा जमीन, जो गोचर थी, ग्राम पंचायत सांचौर के नाम रिकमण्ड कर दी । यह कहा गया कि यहां पर पैट्रोल पम्प लगायेंगे । अध्यक्ष महोदय, पैट्रोल पम्प लगाने के नियम अलग होते हैं । बिना पर्पज बताये वैसे तो गोचर जमीन को कलेक्टर दे नहीं सकता इसलिए उन्होंने गलत काम किया है । वह जमीन नेशनल हाई वे पर है । जोधपुर, अहमदाबाद मार्ग और जो जोधपुर सांचौर का चौराहा है, उस पर है । उस जमीन को 20 गुणा लेकर पंचायत के नाम से जमीन दे दी है । अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि जब वहां पर कलेक्टर श्री रामचन्द्र थे, उस समय यह घोटाला किया गया । जब उनको यह मालूम हुआ कि तहसीलदार ने धोखा देकर गलती से जमीन दिला दी है तो उन्होंने जमीन को खारिज कर दिया और सरकार को जवाब भेज दिया । यह आप सब फाइल उठा कर देख लें इसमें सरकार का जवाब है । आपने मेरे प्रश्न के जवाब में कहा है कि हमें पता नहीं है । मैं क्या बताऊं । सरकार का जवाब है । विधान सभा में उस समय गोलमाल करके गलत जवाब दे दिया । जब इस स्थगन प्रस्ताव के जरिये यह पूछा गया है कि दो बीघा पंचायत जमीन क्यों चाहते हैं ? क्या यह आबादी का भू खण्ड है ? तो उन्होंने कहा कि हम अनुसूचित जाति के कुछ लोगों के लिए एवं अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों के लिये प्लाट काटना चाहते हैं । जब गोचर जमीन पंचायत को दी जाती है तो उसका पर्पज बताया जाता है । अगर जनता स्कूल बनाये तो दी जाती है । उसमें, अध्यक्ष महोदय, पैट्रोल पम्प तो 100 × 100 जमीन पर लगाया गया है और बाकी जमीन जो राज्य सरकार ने पहले 66–67 में खारिज की थी, कलेक्टर की रिकमण्डेशन पर वह फाइलें गायब कर दी गई है । आपके फैसले की फाइल गायब कर दी गई है । वह ढूंढकर निकालेंगे । यह जो गड़बड़ की है किसने की ? कलेक्टर की फाइल कहां गई ? क्या व कैसे घोटाला हुआ ? जो भी आदमी है या था, उनके खिलाफ कार्यवाही की ? उसका नाम बिरधीचन्द्र जी, मिश्री चन्द जी वगैरह थे । वे ही पैट्रोल पम्प के हिस्सेदार हैं । घमण्डीराम जी भी उसमें हैं । एक श्री सन्तोख सिंह है । एक की डेथ हो गई है, बाकियों ने जमीन दबाई है हार्ट फेल हो गया है । कलेक्टर, जालौर ने बेदखली करने की जब कार्यवाही चालू की तो उन्होंने मुन्सिफ, सांचौर में दावा किया और अपने हक में गलत पंचायत के पट्टे के आधार पर फैसला करा लिया अब अपील दूसरी कोर्ट में है । तो कलेक्टर ने कहा कि पंचायत ने कम रेट में इनको दो बीघा जमीन कैसे दे दी ? हम इनको खारिज करवायेंगे । तब उन्होंने गलत पट्टे के आधार पर स्टे आर्डर ले लिया । वह आबादी पट्टा गोचर जमीन का खारिज किया जाना चाहिए । वरना यहां ब्लैक मनी से

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

हवेलियां बना ली जावेंगी। फिर आप कुछ नहीं कर सकेंगे। आप इसकी जांच करवायें। नगरपालिका मन्त्री जी यहां बैठे हैं. अब पंचायत, सांचौर को नगरपालिका घोषित कर दी गई हैं। वह बीस रुपये गज की जमीन है। सरकार की दो बीघा जमीन, उन्होंने कैसे पंचायत से मिलावट कर उसका पट्टा लिया, सैशन कोर्ट में उसकी अपील चल रही है। ओपन लैण्ड बिना निलामी के पांच आना गज में अब पट्टा कैसे हो गया? सब घोटाला है। 25 लाख रुपये की कीमती जमीन है। उसको तुरन्त सरकार गलत पट्टा खारिज कर, अपने कब्जे में ले।

(व्यवधान)

नजूल कमेटी की रेट के अनुसार उसके प्लाट्स अगर आप बनायेंगे तो 25 लाख रुपये सरकार को प्राप्त होंगे। अभी तक ओपन लैण्ड पड़ी हुई है, उस पर कोई मकान नहीं बने हैं। इसलिए मैं आपका ध्यान इस घोटाले की तरफ दिलाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि इस प्रस्ताव के जरिये, माननीय राजस्व मन्त्री जी, आपने मेरे प्रश्न का जवाब सही नहीं दिया कि इसको कैन्सिल करके गोचर में ही रखेंगे। जैसा कि पहले सरकार जवाब दे चुकी है उस फाइल का आप पता लगावें जिन अधिकारियों ने घोटाले किये हैं, अगर उस जमीन का आँक्शन किया है तो उसकी फाइल मंगाई जा सकती है। वह लैण्ड अभी तक ओपन पड़ी है, मुझे इसमें बड़ा भारी षडयन्त्र लगता है। सरकारी फाइलें उपलब्ध क्यों नहीं हैं? पता लगाया जाय।

श्री दिग्विजय सिंह : मैंने गायब नहीं की, आप मेरा नाम क्यों·······

(व्यवधान)

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को सूचना देना चाहता हूं कि इस जमीन का ट्रान्जेक्शन 15 वर्ष पूर्व हुआ था, जो भी सरकम्स्टान्सेज हैं, माननीय रघुनाथ जी उस समय भी विधायक थे, और जी. रामचन्द्र उस समय कलेक्टर थे। 15 वर्ष से वहां पर पैट्रोल पम्प है, कानूनी है या गैर कानूनी है, माननीय राजस्व मन्त्री जी

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इस विषय में जानकारी देंगे।

श्री रघुनाथ विश्नोई : वह जमीन अभी तक ओपन पड़ी हुई है, मेरे प्रश्न का गलत जवाब दिया तब मैंने यह स्थगन प्रस्ताव दिया है, माननीय राजस्व मन्त्री जी से निवेदन है कि आप फाइलें मंगवावें, आपने इस मामले में गोलमाल जवाब क्यों दे दिया? इस मामले को मैं आर्डिनरी नहीं मानता, मैं हमेशा इस प्रश्न को उठाता आया हूं। नगरपालिका को इससे 25 लाख की इनकम होगी। अगर आप इस जमीन को आबादी में देना चाहते हैं तो प्लाट काटकर गरीब लोगों को दीजिये। यह जमीन कोई खा नहीं जाय, इससे नगर-पालिका को 25 लाख का फायदा होगा। इसमें साफ करप्शन है, मैंने पहले भी यह मामला ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिये सदन में उठाया था और अब फिर उठा रहा हूं।

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

इस प्रश्न को उठाया था और आज भी उठा रहा हूँ। क्यों इसका पंचायत द्वारा विशेष व्यक्तियों को गलत यहाँ दे दिया गया है। माननीय मन्त्रीजी आप कलेक्टर को टेलीफोन कीजिए और इससे सम्बन्धित सारे कागजात मंगवा लें।

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री (राजस्व मन्त्री) : आप रिपोर्ट क्यों नहीं करते हैं ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : इस जमीन का कैसे पट्टा हो गया जमीन सरकार द्वारा कैन्सिल करने के बाद, कैसे यह घोटाला हो गया सारी स्थिति का पता लगावें।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं, माननीय मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूँगा कि इस जमीन के लिए नियमानुसार कार्यवाही की जाय। इसकी जानकारी की जाय कि कहीं उस पर मकान नहीं बन जावें, यही मैं निवेदन करना चाहता हूँ। फाइल का आप पता लगाइये, फाइल कैसे जा सकती है, कहीं न कहीं तो मिलेगी।

श्री सूरजपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी इस विषय में स्थगन प्रस्ताव दिया है। अभी माननीय रघुनन्दन जी ने कहा कि 15 साल पुराना मामला है। हम तो नहीं करवा सके तीस साल में। आप तीसमारखाँ हो, आप ईमानदारी की बात करते हो, आप करवा लो। हम किसी को प्रोटेक्ट करने की बात नहीं कर रहे हैं। हम यह चाहेंगे, माननीय राजस्व मन्त्रीजी, स्वायत्त शासन मन्त्रीजी और पंचायत मन्त्रीजी से कि जो कुछ भी इसके फैक्ट्स हैं उसको आप मंगवाकर देखिये। अगर वह जमीन नगरपालिका में ली जाती है तो उसको 25 लाख की इनकम होती है इस विषय में आप रुचि लेकर कार्यवाही करें। हम किसी को प्रोटेक्ट करने की बात नहीं कहते।

श्री रघुनन्दन व्यास : उस समय ये एम. एल. ए. थे और इनकी पार्टी के रेवेन्यू मिनिस्टर थे, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता।

(व्यवधान)

श्री सूरजपाल सिंह : इसमें कांग्रेस या जनता का सवाल नहीं है। 25 लाख की इनकम नगरपालिका को होनी चाहिये, लैण्ड ओपन पड़ी हुई है।

(व्यवधान)

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री सूरजपाल सिंह : वे लोग आपके पास आयेंगे, इसलिए मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूँ कि समय रहते कार्यवाही कर लीजिये।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री (राजस्व मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में कहा कि कोई फाइल है, 15 साल पहले का यह मामला है किसका मामला है आप उस समय नहीं कराना चाहते थे, और अब कराना चाहते हैं, मैं तैयार हूँ। अध्यक्ष महोदय, मुझे दुःख होता है, परसों भी एक प्रश्न उठाया गया था और

(श्री पुरुषोत्तम मंत्री)
कहा गया था कि पुलिस आ गई और तनाव हो गया है। कलेक्टर से मैंने पूछा तो कहा कि कोई तनाव नहीं है। फिर भी जो कुछ है मैं इसकी जाँच कराऊंगा। आपने सनसनी फैलाने के तरीके से कह दिया, मैंने उसकी जाँच की, कलेक्टर को लिखकर भी भेजा फिर गलत तथ्य निकले....

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपने कहा था कि इसकी हमें जानकारी नहीं है, आप सैक्रेटेरियट की फाइल मंगवावें। रामप्रसाद जी लड्ढा, जो उस समय रेवेन्यू मिनिस्टर थे, ने परिवर्तन आबादी में कैन्सिल किया था।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री रणमलसिंह।

श्री गुल मोहम्मद : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी स्थगन प्रस्ताव है। वक्फ के बारे में।

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें।

श्री रणमल सिंह।

श्री रणमलसिंह (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित कराना चाहता हूँ कि देश को आजाद हुए आज 30 साल हो गए लेकिन हमारी मान्यतायें अभी तक नहीं बदलीं, विषमतायें आज भी हैं, ऊँच-नीच की भावना आज भी है, छुआ-छूत की भावना आज भी है। हम इस बात को मानकर चलते हैं कि जो सवर्ण हैं वह महान् हैं और बड़े हैं और जो हरिजन हैं वह तुच्छ हैं। इसका सबूत मैं दे रहा हूँ टौंक जिले में देवली पंचायत का एक जगन्नाथ मोरालिया है। वह सरपच के चुनाव में जीत गया सिर्फ यही उसका अपराध है और उसने एक भूतपूर्व जागीरदार ठाकुर दयालसिंह को हरा दिया। यही उसकी गलती है कि जनता ने उसको वोट दे दिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां हाउस में, जो हाउस के नेता हैसियत रखते हैं वही हैसियत पंचायत में एक सरपंच रखता है। उसको अपमानित करने के लिए श्री गजराजसिंह हाडा, बी. डी. ओ. और घीसू सिंह राठौड़ तहसीलदार दोनों आये दिन उसको परेशान करते रहते हैं कि हरिजन होते हुए वह सरपंच कैसे बन गया....

श्री मूलचन्द डागा : देश का सौभाग्य है।

श्री रणमल सिंह : एक तरफ तो हम गांधीवाद की दुहाई देते हैं और अन्त्योदय योजनाओं के जरिये नीचे के आदमी को ऊंचा उठाना चाहते हैं और विषमताओं को दूर करना चाहते हैं, समता प्राप्त करना चाहते हैं और फिर दूसरी ओर इस तरह की अड़ंगेबाजी करते हैं।

कल आपके मुख्य मन्त्री जी ने एक बात कही थी कि बुद्धिजीवी लोग हम किसानों में अन्तर पैदा करना चाहते हैं, जातिवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं। उनकी बात मेरे गले उतरी। 80 प्रतिशत लोग जो गाँवों में रहते हैं और खेती करते हैं यह बुद्धिजीवी लोग उनको लड़ाते हैं और राज सदा अपने हाथ में रखना चाहते हैं। मैं कहता हूँ कि बुद्धिजीवी ऐसा नहीं

(श्री रणमल सिंह)
करते बल्कि जो कर्मचारी हैं वह मानते हैं कि भैरोंसिंह जी के चीफ मिनिस्टर होते ही आजादी से पहले जो राजा राज्य करते थे वह पुनः आ गये और टौंक जिले के देवली पंचायत के सरपंच के साथ व्यवहार किया जा रहा है कर्मचारियों द्वारा वह इस बात का जीता जागता उदाहरण है। वह कर्मचारी परेशान करने के लिए हैं। जब हड्डियों का ठेका दिया गया तो उसके अन्दर भी जब वह अपनी हड्डियां उठा रहा था तो उस पर चोरी का मुकदमा लगाया गया, पंचायत ने सर्वसम्मति से निर्णय लेकर कांजी हाउस का निर्माण कराना चाहा तो तहसीलदार ने पंचायत के सामान को ही जब्त कर दिया और कहा कि यहां कांजी हाउस नहीं बना सकते। फिर जिलाधीश को स्टे देना पड़ा और वह सामान वापिस देना पड़ा। उसके खिलाफ माननीय अध्यक्ष महोदय, चोरी का इल्जाम लगाया

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

गया, उसका रास्ता बन्द कर दिया गया। इस तरह से उसके साथ अत्याचार किया गया। इस तरह के अत्याचार स्वयं कर्मचारी करें। इससे जातिवाद को प्रोत्साहन मिलता है और पुराने सामन्तों का फिर से राज हो गया इस तरह की बात करते हैं और उसका खामियाजा हमारे सदन के नेता को उठाना पड़े यह उचित नहीं हैं। इसलिए समय रहते इसकी फौरन व्यवस्था होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, आप तो खुद राजा रहे हैं और आपने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं। आप भी राजा रहे हैं और आपने अपने आचरण को ऐसा कभी जाहिर नहीं किया। आपका तो सदा आचरण जनता की सेवा रहा है फिर यह बी० डी० ओ० अपने आपको राजा क्यों मानते हैं? शहन्शाह क्यों मानते हैं? इसलिए मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि लोगों में इस तरह की भावना पैदा होनी चाहिए कि हम सब बराबर हैं, सब भाई भाई हैं, सब समान हैं, सब भारत के नागरिक हैं और चाहे कोई किसी भी जाति और धर्म का मानने वाला हो उसको अधिकार है कि जनता से चुनकर आया है तो वह अपने अधिकारों का उपयोग करे। मैं राज्य सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि कर्मचारियों के साथ कठोरता से पेश आयें तभी जनता में विश्वास पैदा होगा और दरअसल में आप गांधीवादी हैं और गरीबों को ऊंचा उठाना चाहते हैं तो इस तरफ आपको ध्यान देना चाहिए नहीं तो यह ढकोसला है, भ्रम है और ढोल के अन्दर से पोल निकल रही है।

श्री दूलाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज देवली के सरपंच जगन्नाथसिंह का ही प्रश्न नहीं है। सारे हिन्दुस्तान में ऐसा माहौल पैदा हो रहा है। चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं यह सहन करने के योग्य बात नहीं है।

श्री रघुनन्दन व्यास : हरिजन सरपंच तो पहली बार जनता राज्य में चुना गया है। पहले कभी नहीं चुना गया था इसलिए गर्व होना चाहिए आपको कि जनता राज

(श्री रघुनन्दन व्यास)
में हरिजन सरपंच चुना गया। खुशी होनी चाहिए आपको।

श्री दूलाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, व्यास जी ने जो कहा है वह गलत कहा है....

श्री रघुनन्दन व्यास : पंचायतों में रिजर्वेशन नहीं है। वहां कोई भी खड़ा हो सकता है। जैसा आपने बताया कि वहां के भूतपूर्व जागीरदार को एक हरिजन ने चुनाव में हराया तो यह जनता राज की ही देन है। समाज में चेतना आई है उसको स्वीकार करना चाहिए।

श्री मूलचन्द डागा : यह व्यवस्था का सवाल है। यह हमेशा बीच में बोलते हैं? एक माननीय सदस्य भाषण दे रहे हैं ये बीच में खड़े हो जाते हैं। एक भाषण में चार बार खड़े होते हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कोई व्यवस्था का सवाल नहीं है। माननीय सदस्य जनतंत्र में करिश्मे के प्रति संकेत कर रहे हैं।

माननीय सदस्य भाषण जारी रखें।

श्री दूलाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि जिस प्रजातंत्र में कोई व्यक्ति चाहे प्रधान मंत्री हो या मुख्य मंत्री हो या एम. एल. ए. हो या नगरपालिका का चैयरमैन हो या पंचायत का सरपंच हो उसको पूर्ण अधिकार है चुने जाने के बाद कि वह अपने अधिकार का प्रयोग करे। पहले तो जनता पार्टी के सरपंच के खिलाफ कांग्रेस का सरपंच बन गया। श्री दयालसिंह वहां के ठाकुर हैं उनको हरा कर वह सरपंच बन गये। इन्हीं ठाकुर साहब के नजदीकी रिश्तेदार बी. डी. ओ. श्री गजराजसिंह हैं। पंचायत में सरपंच ने एक प्रस्ताव रखा। मैं आपको निवेदन करूं कि सरपंच को अधिकार है कि वह पंचायत में बैठकर अपना डिसीजन ले सकता है लेकिन तहसीलदार को राइट नहीं है कि पंचायत के प्रस्ताव को स्टे कर दे। पंचायत ने निर्णय लिया कि ग्राम पंचायत, देवली में कांजी हाउस खोला जाये और उसके बाद उन्होंने काम शुरू करा दिया। तहसीलदार ने स्थगन आदेश जारी कर दिये और सामान उठाने के भी आदेश जारी कर दिये कि सामान जब्त कर लिया जाये। उसके खिलाफ सरपंच ने पहले जिलाधीश को प्रार्थना पत्र दिया और जिलाधीश ने स्थगन आदेश दिये। इससे उन्होंने उग्र रूप धारण कर लिया और सरपंच को जान से मारने के लिए उतारू हो गए....

श्री रघुनन्दन व्यास : गलत।

श्री दूलाराम : गलत नहीं है, सही है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : बहुत बुरा है।

श्री दूलाराम : मान्यवर, मौरया ब्रदर्स की देवली में एक फैक्ट्री है। उस फैक्ट्री के पास ठेका था, लाइसेन्स है हड्डियां उठाने का....

श्री अध्यक्ष : आप इधर उधर न देखें। आप भाषण जल्दी समाप्त करें।

श्री रघुनन्दन व्यास : देवली गांव किस दिशा में है, यह इनको पता नहीं है।

श्री दूलाराम : मैं टौंक गया हुआ हूं। भूत-पूर्व गृह मन्त्री वहां रहे हैं। चुनाव लड़ा है, गांव गांव जाकर आया हूं। आप सुनना चाहते हैं तो सुनिये, हरिजनों को जूतों से पीटा जाता है, ऐसा टौंक में रिवाज है। लाइसेन्स की रकम भरी है। पंचायत समिति ने बी. डी. ओ. के खिलाफ 310 का मुकदमा दर्ज करवाया। मुकदमा नं० 17/79 दर्ज हुआ। दर्ज होने के बाद जांच हुई। सरपंच मारा भागा होम मिनिस्टर के पास गया, प्रधान मंत्री के पास गया और जाकर के रोया। यह कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ। शर्म आनी चाहिये जनता पार्टी की सरकार को। प्रधान मन्त्री तक पंहुचा, सिर्फ इस बात के लिये कि मुझे संरक्षण नहीं मिल रहा है....

श्री बहादुर सिंह (नौहर) : शर्म तो तत्कालीन कांग्रेस सरकार को आनी चाहिए 30 साल में इस तरह....

श्री मूलचंद डागा : यह दूसरा करिश्मा है।

श्री दूलाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं बी. डी. ओ. ने फर्जी पंचों के हस्ताक्षर करके उसको सस्पैन्ड करने की कार्यवाही की। हरिजन सरपंच बन गया, उसको सस्पेन्ड करने की फर्जी कार्यवाही की। यह रक्षा मन्त्री जी का पत्र में सदन की मेज पर रखता हूं। रक्षा मंत्री जी ने लिखा है इस हरिजन को पूरा-पूरा संरक्षण दिया जाये। आपकी जनता पार्टी के एम. पी. ने लिखा है कि इस हरिजन को पूरा-पूरा संरक्षण दिया जाय मेरे माननीय सदस्य, जो हरिजन हैं, खिल्ली उड़ा रहे हैं आप रिजर्वेशन की वजह से खिल्ली उड़ा रहे हैं। यह कांग्रेस की देन है....

एक माननीय सदस्य : कांग्रेस....

श्री दूलाराम : इनको शर्म नहीं आ रही। मैं निवेदन करूं, एक हरिजन दिल्ली तक गया फिर भी संरक्षण नहीं मिला। मैं आपसे निवेदन करूं कि उसका प्रार्थना पत्र मुझे प्राप्त हुआ है, वह सदन की मेज पर रखता हूं। उस बी. डी. ओ. और तहसीलदार के खिलाफ....

(व्यवधान)

श्री बालचन्द आर्य : इमर्जेन्सी लगाकर।

श्री दूलाराम : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस समय कोई गोली नहीं चली। आपको जेलों में ठूस दिया लेकिन गोली अब चल रही है। गोली से भूना जा रहा है। आपके पास जवाब नहीं निहत्थे बैठे हैं,

(व्यवधान)

श्री नरेन्द्रपाल सिंह चौधरी : जयपुर में गोलियां चली हैं, उसका क्या हुआ था?

एक माननीय सदस्य : तुर्कमान गेट...

श्री दूलाराम : तुर्कमान गेट इनको याद है। दिल्ली में किसानों ने, हरिजनों ने

(श्री दूलाराम)

संघर्ष किया यह अब याद नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है आज राजस्थान या, हिन्दुस्तान के हरिजन यह महसूस कर रहे हैं कि जनता पार्टी की तरफ से कोई संरक्षण नहीं है। यह जनता सरकार मिट्टी का विनायक है। अध्यक्ष महोदय, आप राजपूत हैं आप जानते हैं विनायक मिट्टी का होता है जिसकी पूजा होती है....

श्री हरीश शर्मा : हम विनायक हैं यह हमारे सेवक चूहे हैं।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। विनायक, तुर्कमान गेट कहां कहां आप पहुंच रहे हैं। सहयोग दीजिये।

श्री दूलाराम : क्या यह सही है कि तहसील देवली में हरिजन सरपंच के साथ गाली गलौज हुआ, उसकी एफ० आई० आर० दर्ज हुई, उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। उसकी साईकिल, उसका सामान, जितना फैक्ट्री में पड़ा था, जब्त किया गया। क्या यह भी असत्य है? क्या उसके साथ छुआछूत का व्यवहार नहीं हो रहा है? क्या यह भी असत्य है? इस पर मन्त्री जी अपना पूर्ण जवाब दें।

श्री दिग्विजय सिंह (पंचायत मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, पहली बात तो यह है कि यह सरपंच कांग्रेस पार्टी का नहीं है, यह जनता पार्टी का सरपंच है और जनता पार्टी से ही जीत कर आया है। इसलिये आपके पास यह सूचना गलत है। आप हरिजनों के हिमायती बनते हो यह आपके लिये शोभाजनक नहीं है....

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : अगर किसी के साथ ज्यादती हुई हो तो वह कोई भी हो....

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस सरपंच की बात कही गई है और जो देवली के सरपंच के लिये आप कह रहे हो, वह मेरी कान्स्टीट्यूएंसी का है। मैं सरपंच को अच्छी तरह से जानता हूं। जो मीटिंग हुई थी, उसमें गया हूं और मेरी जानकारी में है। जैसा माननीय सदस्य ने कहा फैक्ट्री का रास्ता रोक दिया है उसके बारे में मैं कह सकता हूं, माननीय सदस्य अभी चले जांय और देख लें कि फैक्ट्री का रास्ता रुका पड़ा है क्या? कोई रास्ता रुका हुआ नहीं है। बराबर माल आता है और जाता है। अब माननीय सदस्य ने कहा, गाली गलौज हुई है। तहसीलदार और उसके बीच हुई होगी, उसकी रिपोर्ट दर्ज करवा दें। कानून के अन्तर्गत जो भी कार्यवाही होगी, कर लेंगे। कोई दोषी पाया गया तो उसको अवश्य सजा मिलेगी।

अब रहा सवाल मोरलिया सरपंच हैं, उन्होंने शिकायत की कि फूड फार वर्क में मुझे अनाज नहीं मिल रहा है। मैं वहां मौजूद था, अनाज उनको मिला। फिर बाद में चिठ्ठी आई उनकी कि और अनाज की आवश्यकता है और अनाज दिलवाया जाय।

(श्री दिग्विजय सिंह)
मैंने जिलाधीश से कहा जितना ग्रनाज चाहिये, उपलब्ध करा दें। तहसीलदार ने लिखा, बी० डी० ग्रो० ने लिखा फूड फार वर्क में ग्रनाज ले लें। सरपंच साहब को कहा गया कि ग्रनाज ग्राकर ले जांय लेकिन सरपंच ने कहा है ग्रनाज लेने नहीं ग्राऊंगा ग्रनाज देना है तो कलेक्टर घर पर देकर जायें। तो उनका भी जैसा व्यवहार होना चाहिये, वैसा नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं ग्राप सब बुद्धिजीवी हैं, वे खुद जैसा व्यवहार करते है वैसे ही व्यवहार की दूसरों से भी ग्रपेक्षा करके चलना चाहिये। मैं यह विश्वास दिला सकता हूं कि जो कुछ ग्रापने कहा है उस पर नियमानुसार कार्यवाही कर लेंगे।

श्री दूला राम : ग्रध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने सब बातें गलत कही हैं, मनगढ़न्त कही हैं....

(व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : ग्रध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य यह तो बतला दें कि वह फैक्ट्री है कहां पर ?

(व्यवधान)

श्री दूलाराम : एफ० ग्राई० ग्रार० दर्ज कराई गई है। मान्यवर तहसीलदार ने वार्ड नम्बर 8 में....

(व्यवधान)

उसको ग्राप प्रोटेक्शन दे रहे हो। ग्रगर प्रोटेक्शन देना चाहते हैं तो उसका ट्रान्सफर कर दीजिये.......

(व्यवधान)

कई माननीय सदस्य : नाम तो बता दें।

श्री दूला राम : नाम है उसका श्रीमती सिंघवी देवी। श्री किस्सू सिंह राठौड़। यह ग्राम देवली के लोगों ने कम्पलेन्ट की है। ग्राप वहां के एम० एल० ए० हैं पहले, मन्त्री तो बाद में हैं। ग्राप उसको प्रोटेक्शन दे रहे हो।

(व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : ग्रध्यक्ष महोदय, मैंने ग्रापके माध्यम से माननीय सदस्य को यह कहा है ग्रौर मैं पुनः कह रहा हूं जो कुछ बात उन्होंने कही ग्रौर जो ग्रारोप लगाये हैं, तहसीलदार ने ज्यादती की है या बी० डी० ग्रो० ने ज्यादती की है, मैं सारे मामले की जाँच करवा लूंगा ग्रौर जैसी नियमानुसार कार्यवाही होगी, कर लेंगे। माननीय सदस्य यह तो बतादें कि मोरलिया साहब की फैक्ट्री कहां लगी हुई है ?

श्री दूला राम : मैंने चुनाव थोड़े ही लड़ा है वहां से।

(व्यवधान)

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रापका नाम नहीं है।

श्री हरीश शर्मा : इनका प्रस्ताव नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करिये।

श्री राम नारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, सरपंच वार्ड नं० 8 में....

श्री अध्यक्ष : माननीय दूला राम जी के पास बैठकर सब पढ़ पढ़ा कर क्या तैयारी कर ली ?

(व्यवधान)

श्री मूल चन्द डागा : पहले मेरा है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : पहले मेरा है।

श्री जयकृष्ण शर्मा (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्थगन प्रस्ताव इस सम्बन्ध में है कि एन० सी० सी० विभाग में सुचारु रूप से व्यवस्था न होने से उसमें गत कई वर्षों में गबन एवं धान्धलियां हैं। इसके सम्बन्ध में मैं माननीय शिक्षा मन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। शिक्षा की मांग पर बहस हो रही थी तब हमारी ओर बैठने वाले माननीय सदस्य माथुर साहब ने यह कहा था कि शिक्षा में एन० सी० सी० अनिवार्य रूप से होनी चाहिये, जिससे विद्यार्थियों में डिसिप्लिन आ सके परन्तु डिसिप्लिन जिस संस्था से लाना चाहते हैं वह स्वयं इन–डिसिप्लिन्ड हो तो डिसिप्लिन की बात कैसे की जा सकती है ? अध्यक्ष महोदय, एन० सी० सी० के लिये राजस्थान सरकार एक करोड़ रुपया करीबन हर साल आवंटित करती है। मेरा निवेदन है कि राशि हम एन० सी० सी० के लिये आवंटन करते हैं तो उस पर हमारा नियन्त्रण होना चाहिये किन्तु इस पर हमारा नियन्त्रण नहीं है। एन० सी० सी० विभाग के जो डाइरेक्टर है वे मिलिट्री विभाग के रिटायर्ड अधिकारी होते हैं। वे केन्द्रीय सरकार के नुमाइन्दे होते हैं, केन्द्रीय सरकार के नुमाइन्दे मिलिट्री के रिटायर्ड पर्सनल होने की वजह से होते हैं। यह एन. सी. सी विभाग केन्द्रीय सरकार से भी अनुदान लेता है। उसके पास गाड़ियां, टेलीफोन और कई साधन उपलब्ध होते हैं। डाइरेक्टर होने के नाते वह हैड आफ दी डिपार्टमेंट होता है और हैड आफ दी डिपार्टमेन्ट होने के नाते उसकी सब जिम्मेदारी होती है। परन्तु सब जिम्मेदारी होने के साथ हमारी राजस्थान सरकार और विधान सभा के प्रति उसका कोई उत्तरदायित्व नहीं है। अगर यहां कभी कोई कमेटी में भेजना हो, राजस्थान सरकार की तरफ से, तो आर. ए. एस. अधिकारी को भेज देते हैं जो पावरलैस है। हम किसी आर. ए. एस. आफिसर को वहां डेप्यूट कर देते हैं, जिसका कोई उत्तरदायित्व एन. सी सी. के प्रति नहीं है, मगर उस पर रेसपान्सिबिलिटी आ जाती है कि वह उसके प्रति उत्तरदायी है। जब डाइरेक्टर हैड आफ दी डिपार्टमेन्ट के नाते सारी देख-रेख करता है, सारे खर्चे करता है तो हम उसको पूछ नहीं सकते हैं। वह कई तरह की अनियमितताएं करता है लेकिन उसकी कोई जवाबदारी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, गत विधान सभा सदन के अन्दर आपने देखा होगा एक बार इसी एन. सी. सी. में बहुत बड़ा घोटाला हुआ था।

फिर राजस्थान सरकार की उनके प्रति वैसी स्थिति नहीं है जिससे वह कोर्ट से बरी हो गया। यह बहुत बड़ी विडम्बना है। मैं

(श्री जय कृष्ण शर्मा)

यह कहना चाहता हूं कि जो भी एन० सी. सी. के डायरेक्टर हैं उनको सब तरह की सुविधायें दी हुई हैं। काफी गाड़ियां उनके पास में हैं हमारी जीप है, सब कुछ सुविधायें हैं। जब एन. सी सी. को बढ़ाने की बात आई तो जो हमारे यहां के अधिकारी हैं, जो हमारे यहा के शिक्षा के सचिव महोदय हैं उन्होंने भी एक जीप इस बात के लिए अलाट की हमारे अधिकारी दौरे पर जाकर एन.सी.सी. की कार्यवाहियों को देख सकें। परन्तु डायरेक्टर तो बड़ा भारी है, हैड आफ दी डिपार्टमेंट है, उसके पास कई जीपें पहले से हैं, सेन्टर की गाड़ियां हैं, टेलीफोन मौजूद है। उसके पास सैन्टर वाला टेलीफोन भी है और स्टेट वाला भी मौजूद है। उसके पास जो गाड़ियां हैं, जीपें हैं उनमें अपने घर के बच्चों को घुमाना, रिटायर्ड लाइफ को बिताना चाहते हैं। चूंकि वे रिटायर्ड हैं इसलिए रिटायर्ड लाइफ का आनन्द लेना चाहते हैं। दिल्ली से आते हैं और दिल्ली चले जाते हैं। दिल्ली में एक एक दिन में हजार-हजार किलोमीटर का उसका दौरा लागबुक में दर्ज किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, जब कि एक-एक पैसे के सदुपयोग की बात की जाती है, हम एन० सी० सी० को पैसा देते हैं वह इसलिए देते हैं कि एन० सी० सी० शिक्षा के क्षेत्र में कुछ काम करे। किन्तु खरीद में घोटाले होते हैं फर्नीचर की खरीद में घोटाले होते हैं, छोटे छोटे कर्मचारियों को उसके घर पर काम करने के लिए लगा दिया जाता है, हमारे यहां के जो सरकारी कर्मचारी हैं वह राजस्थान सरकार के कर्मचारी उसके अधीन हैं और उनको ही ए सी. आर. भरने का अधिकार है। अगर वे उनके घर पर अच्छी तरह काम करें, उनके कहने के मुताबिक रहें तो उसकी ए. सी. आर. अच्छी भर दी जाती है, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो छोटे कर्मचारी के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जाता है। इसलिए राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि समय रहते हुए इसके सम्बन्ध में कोई कदम उठाना चाहिए। अगर टेलीफोन का बिल आप देखेंगे उनका तो एक एक हजार रुपये महीने का बिल एक एक टेलीफोन का मिलेगा। आप जानते हैं कि आज कल चाहे दिल्ली हो, चाहे बम्बई हो, बंगलौर हो, कहीं पर भी आप अपने टेलीफोन से डाइरेक्ट लाइन से बात कर सकते हैं। उनका बिल जो आता है वह लोकल टेलीफोन में आता है इसलिए कहीं पर भी बात करें पता नहीं चलता। अगर दिल्ली भी बात करते हैं टेलीफोन से, तो पता नहीं चलता बिल से कि कितनी देर बात की क्योंकि लोकल बिल में आता है। इस तरह से वाहियात खर्चा किया जाता है और पैसे का उपयोग नहीं होता है। इसी तरह से जो पर्चेजिग का काम है, उसके लिए भी राजस्थान सरकार का कोई अधिकारी नहीं है। राजस्थान सरकार के किसी कर्मचारी को स्टोर के उपर नहीं लगाया जाता। इसलिए नहीं लगाया जाता है कि उस पर्चेजिग में गड़बड़ होती है। उसके अन्दर यह कर लेते हैं जो कोई मिलट्री का होता है, जो सिपाही के दर्जे का होता है, उसको स्टोर के ऊपर लगा कर हजारों रुपयों का गोलमाल किया जाता है। घोटाले किये जाते हैं और ये सारी चीजें की जाती हैं। इसके लिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह बहुत जिम्मेदारी का पद है। अब अगर सैंट्रल गवर्नमेंट का आदमी यहां पर आता

(श्री जय कृष्ण शर्मा)

है तो वह प्रतिनियुक्ति पर होता है, परन्तु जो रिटायर्ड आदमी डायरेक्टर हो जाता है वह प्रतिनियुक्ति पर नहीं माना जाता है। आपके यहां से जो अफसर कर्मचारी जाते हैं उनको भी डेपूटेशन पर नहीं माना जाता है। उनको केवल अलाउन्स दिया जाता है और उनका जीवन उसके हाथ में दे दिया जाता है ताकि वह घोटाले भी करे, दूसरे लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ भी करे तो कोई कुछ नहीं कह सके। राजस्थान के अन्दर अगर इनका इतिहास देखेंगे तो आप यही कहेंगे कि यह कोई नई बात नहीं है।

शिक्षा मन्त्री जी आप कहेंगे कि पहले जमाने में भी घोटाले हुए होंगे। मैं इस बात को मानता हूं और इस परिपाटी की याद दिलाना चाहूंगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

पहले भी काफी घोटाले हो चुके हैं, पहले भी हो चुके हैं। उदयपुर में आज भी घोटाले हो रहे हैं और आज तक उनकी जानकारी नहीं मिल पा रही है, इसका कारण यही है कि वहां का आडिट नहीं हुआ है। कई वर्षों से आडिट नहीं हुआ है। आप आडिट करा भी नहीं सकते हैं क्योंकि यह आपके नियन्त्रण में नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप इस ओर ध्यान दें। यह ऐसी संस्था है जिससे आशा की किरण नजर आती है विद्यार्थियों के अन्दर डिसिप्लिन लाने की। यह आशा की किरण भी कहीं भ्रष्टाचार में इतनी लिप्त नहीं हो जावे। आपको यह कहने का मौका नहीं मिलेगा क्योंकि आप जो भ्रष्टाचार की बात बार बार कहते हैं वह तो आप में समावेश कर गया है। भ्रष्टाचार की जड़ तो राजस्थान के सर्वोच्च पद पर जाकर बैठ गई है। इसलिए भ्रष्टाचार के लिए तो कुछ कहना नहीं है। मुझे आपसे इतना ही कहना है कि ये जो अनियमिततायें हो रही हैं, जो पक्षपात हो रहा है, उन पर ध्यान दें ताकि ये पक्षपात, ये अनियमिततायें, यह फन्ड का दुरुपयोग नहीं हो और हमारे छोटे कर्मचारियों के जीवन के ऊपर किसी प्रकार का आघात नहीं हो। समय रहते हुए सरकार कदम उठाये, इन्हीं शब्दों के साथ, मैं शिक्षा मन्त्री जी का इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं।

श्री खेत सिंह राठौड़ : पहले शिक्षा मन्त्री जी जवाब दे रहे हैं।

श्री डूंगरराम पंवार : उनको सजा देने की क्षमता राज्य सरकार में नहीं है। ये सैंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारी हैं, कोई आई० ए० एस० और आई०पी०एस० हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पहले लोक सेवा आयोग के पास जाना पड़ेगा। वहां से कुछ नहीं हो सकता........

(व्यवधान)

श्री सूरजपाल सिंह : यह सरकार भी तो आपकी ही है।

श्री डूंगरराम पंवार : जितनी भी अनियमिततायें हैं वह सरकारी मशीनरी करती है, सरकार थोड़े ही करती है।

(श्री डूंगरराम पंवार)

चुने हुए मन्त्री और एम.एल एज. थोड़े ही करते हैं........

श्री नूरा : इसकी जिम्मेदारी सरकार पर होती है।

श्री डूंगर राम पंवार : पिछली सरकार की भी जवाबदारी थी लेकिन उन्होंने अपनी जवाबदारी नहीं निभाई तो उनकी कब्र इन्होंने खोद दी और ये भी ढील छोड़ेंगे तो इनकी कब्र भी खोद देंगे।

श्री भंवर लाल शर्मा (शिक्षा मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, एन. सी. सी. की योजना केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार की मिली जुली योजना है। इसकी जो व्यवस्था माननीय सदस्य ने बताई है वही व्यवस्था है। इसके डायरेक्टर दिल्ली से ही अपाइन्ट होते हैं। वहीं से उनकी सेवा नियंत्रित होती है और उनके नीचे के अधिकारी राजस्थान सरकार में सेवारत होते हैं। यह व्यवस्था बरसों से चली आ रही है और आज भी यही व्यवस्था है। इसमें क्या सुधार किया जा सकता है, क्या बदलाव किया जा सकता है........

श्री डूंगर राम पंवार : कानून बदल दें तभी इनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं कोई पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं। आप इनको हमारी छाती पर मूंग दलने के लिए रखे हुए हैं आज भी........

(व्यवधान)

श्री भंवर लाल शर्मा : इस बारे में माननीय सदस्य ने सदन का ध्यान आकर्षित किया है। इस पर निश्चित रूप से विचार किया जाएगा। जहां तक घोटालों का सवाल है, वर्तमान में तो किसी प्रकार के घोटाले हुए हों, इस प्रकार की कोई शिकायत अभी उपलब्ध नहीं है। यदि कोई जानकारी में आयेगा तो उसकी निश्चित रूप से जांच करायेंगे। जो कर्मचारियों के प्रति अन्याय हो रहा है, ऐसी शिकायत भी प्राप्त नहीं हुई है........

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय सदस्य ने शिकायत की है कि लागबुक में हजारों किलोमीटर की एंट्री की जाती है, इसको आप शिकायत नहीं मानते हैं ?

श्री भंवरलाल शर्मा : अगर माननीय सदस्य इस प्रकार की शिकायत देंगे तो जांच करवा ली जायेगी।

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

श्री रणमलसिंह : यहां पर जो कुछ कहा जा रहा है वह शिकायत ही है।

श्री जयकृष्ण शर्मा : जिसकी ए० सी० आर० ये डायरेक्टर महोदय भरते हों उस छोटे कर्मचारी की हिम्मत हो सकती है कि वह आपके सामने आकर गवाही दे। इनको आपने इतने अधिकार और इतनी रेस्पांसिबिलिटी दे रखी है, इतनी पावर दे रखी है कि मैं कहता हूं कि किसी के शिकायत करने का सवाल ही नहीं है। मैंने उदयपुर के घोटालों की बात कही है। नाम तो तब सामने आयेंगे जब आप आडिट करायेंगे। तीन वर्षों से आडिट ही नहीं हुआ है तो मामले सामने कैसे आयेंगे ?

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : आडिट करायेंगे तो पता चल जाएगा ।

श्री भंवरलाल शर्मा : आपने जिन बातों पर ध्यान आकर्षित किया है उनमें से नियमों के अनुसार जिन पर भी कार्यवाही की जा सकती है, निश्चित रूप से कार्यवाही करेंगे ।

श्री डूंगरराम पंवार : इतना जबरदस्त राक्षस उनको बना दिया है कि वे पकड़ में ही नहीं आ सकते हैं....

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब मैं राजस्थान विधान सभा में आता हूं तो विधान सभा में आते समय रोज देखता हूं कि चन्द्र महल पर आज भी जयपुर रियासत का झण्डा फहरा रहा है और त्रिपोलिया पर भी आज वही झण्डा फहरा रहा है । न राजा रहे न महाराजा रहे, न कोई जाति रही फिर भी आज जो रियासतों के प्रतीक झण्डे हैं, वे फहराये जा रहे हैं····

श्री डूंगरराम पंवार : आप तो वकील हो । यह तो धन्धा है वकीलों का, सांठ गांठ रखने का ।

श्री मूलचन्द डागा : जोधपुर के अन्दर भी जो जोधपुर के पुराने राजा महाराजा हैं, वे भी झण्डा फहरा रहे हैं ।....

श्री डूंगरराम पंवार : वकीलों का धन्धा है कि जनता को लड़ा कर, इधर उधर सांठ गांठ करके·······

(व्यवस्था-सूचक-घण्टी)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप इस तरह से बिल्कुल चर्चा नहीं करें बीच बीच में । आप सरकारी पक्ष के सदस्य हैं, आप क्यों बार बार खड़े होते हैं । यह नियमों के बिल्कुल विपरीत है । आपको ऐसा नहीं करना चाहिए ।

श्री मूलचन्द डागा : हिन्दुस्तान के सारे अखबारों में चर्चा हुई है । पैट्रोइट अखबार जो 20 मार्च का है, उसमें जो निकला है वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं ।

"The Janta Government, it seems, has failed to ask the former princely house of Jaipur to remove the former Jaipur state flag from their buildings. Both the central and the State Governments say they did not permit former Maharaja Bhawani Singh to have the five coloured flag of the previous princely State on the Chandra Mahal (City Palace). But, surprisingly, the flag is still seen hoisted not only at Chandra Mahal but also at its gate known as Tripolia"

यह सवाल पार्लियामेन्ट के अन्दर डिस्कशन में आया है और जो गृह राज्य मंत्री हैं उन्होंने जवाब दिया है । इस बात की चर्चा उठाई गई थी तो उन्होंने, गृह राज्य मंत्री ने यह स्पष्ट किया था, हकीकत यह है कि भूतपूर्व नरेशों को अधिकारों से

(श्री मूलचन्द डागा)

वंचित किया गया है और उनके अधिकार केवल सामान्य नागरिक के रह गये हैं। इस हैसियत के ही राजा महाराजा हैं। झंडा फहराने का अधिकार उनको नहीं है। संविधान का जो 26वां संशोधन है, उसके अन्तर्गत यह अधिकार समाप्त हो गया है। यह संशोधन 28 दिसम्बर, 1971 से लागू है। श्रीमान्, यह 26वां अमेन्डमेन्ट निकला है कान्स्टीट्यूशन का, उसके बाद न तो इस धरती पर राजा रहे, न महाराजा रहे और न ही उनके लड़के ही राजा, महाराजा बनेंगे। उनको महाराजा नहीं बनाया जाएगा। आप सब तो लड़के ही हो परन्तु राजा महाराजा नहीं बनोगे।

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, माननीय डागा जी इतना महत्वपूर्ण सवाल उठा रहे हैं और सदन में न तो गृह मंत्री हैं और न मुख्य मंत्री ही हैं। यह सवाल जी.ए.डी. से सम्बन्ध रखता है। उनके कोई डिप्टी मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर भी यहां पर नहीं हैं। यह महत्व का सवाल है। इसका श्री चतुर्वेदी जी कैसे जवाब देंगे ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अभी आ जाएंगे। इसकी सूचना उनको है। वे उत्तर देने की स्थिति में हो सकते हैं। तीन माननीय सदस्य बोलने वाले हैं। आप बोलिए, जो आप को कहना है वह कहिये।

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमान्, पालियामेन्ट में सवाल पूछा गया था तो वहां पर उन्होंने कहा, the Parliament was informed that the Centre has sought for clarification from the State Government in this connection. जब उन्होंने स्टेट गवर्नमेन्ट से पूछा तो स्टेट गवर्नमेन्ट ने कहा हमने इजाजत नहीं दी। उन्होंने साफ कहा, कानून की मंशा है कि राजा, महाराजा अपना कोई झंडा नहीं फहरावें। जो रियासत का झंडा है, जयपुर रियासत, जोधपुर रियासत, इन रियासतों का अपना झंडा था वह झंडा फहराने लगा है जनता पार्टी के राज में। इस जनता पार्टी के राज में सामन्तवाद और पूंजीवाद वापस अपना सिर ऊंचा कर रहा है, यह हमने देखा है। यह शर्म की बात है। अपनी रियासत का झंडा चन्द्र महल पर, अपने महलों पर कारों पर ये भूतपूर्व राजा-महाराजा झंडा फहरा रहे हैं। जो 26वां संशोधन संविधान में किया गया है, उस संशोधन की खास बात यह थी, इसके आर्टिकल 363 (ए) में, उसके अन्तर्गत यह बात कही गई है :

"On and from the commencement of the Constitution (26th Amendment) Act, 1971, privy purse is abolished and all rights, liabilities and obligation in respect of privy purse are extinguished and, accordingly, the ruler or, as the case may be, the successor of such ruler referred to in clause (a) or any other person shall not be paid any sum as privy purse."

श्री भंवरलाल ऐरन : This relates to rights only in respect of privy purse.

श्री मूलचन्द डागा : No, no. Now they are no more Rajas or Maharajas. अगर आप राजा-महाराजाओं को मानते हैं तो मुझे आगे कोई बात नहीं कहनी है। संविधान के संशोधन के बाद राजा-महाराजाओं का पद खतम हो गया है। राजा-महाराजा खतम हो गये हैं। अब न जयपुर रियासत रही है, न जोधपुर रियासत रही है, और न आज डूंगरपुर रही है। ये सब रियासतें हिन्दुस्तान का एक अंग बन चुकी हैं।

श्री भंवरलाल ऐरन : आप जो पढ़ रहे हैं वह in respcet of the privy purse है, It does not apply to other rights.

श्री मूलचन्द डागा : In respect of all है। वह राजा-महाराजा नहीं रहे। राजा-महाराजा आज नहीं रहे। राजा-महाराजाओं की रियासतें मर्ज हो गई हैं।

श्री अयूब खां : इनको भूतपूर्व कहो।

श्री मूलचन्द डागा : हां भूतपूर्व कहो। इसका तो समर्थन मत करो। जनता पार्टी वालों राजा-महाराजाओं का समर्थन मत करो।

श्री भंवरलाल ऐरन : We are not supporting them.

श्री मूलचन्द डागा : Please try to under stand. अब रियासतें नहीं रहीं, राजा नहीं रहे। रियासत का प्रतीक था यह झंडा। जब रियासत नहीं रही तो झंडा कैसे रह गया? आज जयपुर रियासत नहीं रही है।

श्री भंवरलाल ऐरन : आर्डिनरी सिटीजन तो हैं।

श्री मूलचन्द डागा : परन्तु आर्डिनरी सिटीजन होने से यह अधिकार नहीं है। ये राजा-महाराजा अपने रहने के स्थान पर जो चिह्न राजा महाराजाओं की रियासत का था, वह चिन्ह, झंडा वे अपने मकान पर, कार पर फहरावें, इसकी इजाजत नहीं है। यह आपके गृह मंत्री ने माना है। आपके होम मिनिस्टर ने कहा है पार्लियामेन्ट में कि यह झंडा नहीं फहराया जा सकता है। आपके गृह मंत्री ने मना किया है। अगर आपको इनकी हिमायत करनी है तो हम कुछ नहीं कहेंगे। आज राजस्थान में सामन्तवाद, राजा-महाराजा, पूंजीवाद आपकी जनता पार्टी के शासन पर हावी हो रहे हैं। यह हम देख रहे हैं। यह मैं देख रहा हूं, इसको जांच रहा हूं.......

एक माननीय सदस्य : अब तो वे शहंशाह हैं जो तत्कालीन सरकार में मिनिस्टर थे। उनकी कोठियां, रहन सहन, ऐशो आराम को देखा जाए तो वे किसी राजा महाराजा से कम नहीं हैं। आजकल तो ये राजा-महाराजा हैं।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, सारे नियमों की अवहेलना करके माननीय

(श्री मूलचन्द डागा)

सदस्य बीच में बोलें, यह नियम बना दीजिए.......

एक माननीय सदस्य : आप कह दीजिए आप बीच में नहीं बोलेंगे। तो हम भी नहीं बोलेंगे।

श्री मूलचन्द डागा : बोलता होऊंगा तो पाइन्ट आफ आर्डर रेज कर बोलता होऊंगा।

श्री भंवरलाल ऐरन : यदि आप अपने आप पर कन्ट्रोल रखेंगे तो हम भी कन्ट्रोल हो जाएंगे।

श्री मूलचन्द डागा : I speak only on a point of order.

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य, आप अपनी बात कहिये।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह व्यवस्था चाहता हूं कि क्या कोई माननीय सदस्य बोलता है तो बीच में कई माननीय सदस्य व्यवधान पैदा कर सकते हैं? नियम 272, 273 और 269 है, इन नियमों का आप पालन करावें, तो हमें एतराज नहीं है। मैं आज यह कहना चाहता हूं, मुझे किसी भी समय टोक सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं आप बीच में टोक सकते हैं। मैं जब भी कभी बोलूंगा, नियमों के अन्तर्गत। नियमों के अन्तर्गत पाइन्ट आफ आर्डर उठाऊंगा।

(व्यवधान)

पिछले महीने से सिटी पैलेस के मुख्य द्वार त्रिपोलिया पर जयपुर राजघराने का पचरंगा झण्डा लगा हुआ है। रियासतों के जमाने में भी इस स्थान पर यह झण्डा नहीं लगाया जाता था। जब राज था तब भी झण्डा नहीं लगाया गया इस स्थान पर। इन दिनों में जान बूझ कर लगाया जा रहा है। कांग्रेस ने इतने वर्ष तक हुकूमत की, चन्द्रमहल के अलावा इन जगहों पर झण्डा नहीं लगता था। अब भूतपूर्व राजा अपनी कारों पर झण्डा लगा रहे हैं। 26 वां अमेन्डमेंट किया गया है उसमें इनके इस प्रकार के कोई विशेषाधिकार नहीं रखे गये, ये सिर्फ सामान्य जन रहेंगे, ये साधारण मनुष्यों के समान बन गये हैं, सामान्य जन हो गये हैं। क्या इनको पता नहीं कि रियासतें खतम कर दी गई हैं? क्या इनको झण्डा फहराने की राज्य सरकार ने परमीशन दी है? सैंटर को क्या लिखा और सैंटर ने क्या कार्यवाही की, आप यह बताने का कष्ट करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं चाहूंगा, सरकार इस पर कठोरता से कदम उठाये और जिन राजा-महाराजाओं ने झण्डे फहराये हैं, उनको रोके।

श्री शिवचरण सिंह : अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा भी समर्थन है। मैं निवेदन करना चाहता हूं राज्य सरकार ने विशेष रियायत के तौर पर राजा-महाराजाओं को झण्डे फहराने की इजाजत दी है, ऐसा मालूम हुआ है क्योंकि भारत सरकार के गृह मंत्री ने कह दिया कि हमने कोई स्वीकृति नहीं दी।

(श्री शिवचरण सिंह)

26वें संशोधन से सारे विशेषाधिकार समाप्त हो गये। आपको तो मालूम है, अध्यक्ष महोदय। आपके पास भी उसकी इत्तिला आई होगी, इसकी प्रति आपको जरूर मिली होगी तो फिर जरूर राज्य सरकार ने उनको झण्डा फहराने की स्वीकृति दी है। इन्होंने इरादतन आपको झण्डा फहराने की चिट्ठी नहीं भेजी होगी। माननीय अध्यक्षजी, इन्होंने विशेष तौर से आपको झण्डा फहराने की चिट्ठी नहीं भेजी होगी।

श्री अध्यक्ष : आपको क्या मालूम भेजी या नहीं। आपको क्या मालूम कि मेरे पास आई है या नहीं आई।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है.........

श्री अध्यक्ष : आपको कुछ कहना हो तो अपनी जगह पधारें।

एक माननीय सदस्य : आप जनता पार्टी की तरफ चली गई हैं क्या ?

श्री शिवचरण सिंह : और यह तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, आपके संस्कारों में वह बात नहीं रही और राजाओं को झन्डे फहराने की इजाजत दी और आपको चिट्ठी नहीं भेजी।

श्री अध्यक्ष : महरबानी करके आप मेरे पर दया न करें।

श्री शिवचरण सिंह : डूंगरपुर के किले पर मैंने झण्डा नहीं देखा।

श्री गुल मोहम्मद : आप क्या झण्डा देखने वहां गये थे ?

श्री शिवचरण सिंह : मैं तो आपके भी झण्डा और झण्डी देखना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष जी—

श्री अध्यक्ष : आप समय का भी ध्यान रखें।

श्री शिवचरण सिंह : विशेषाधिकार खतम होने के बाद यह इस बात का द्योतक है कि किस प्रकार सामन्तशाही लोग राज्य सरकार को डिस्करेज कर रहे हैं या राज्य सरकार ने करेज किया है। अध्यक्ष जी, जो व्यवस्था चली गई, जो बेचारे ....

श्री खेतसिंह राठौड़ : बेचारा कौन है, तू है विचारा।

श्री शिवचरण सिंह : राजा-महाराजा, पुरानी सामन्तशाही को आप एन्करेज करना चाहते हैं उनको सुविधाएं देकर। उनके पुराने मकानात के टैक्सेज हैं, बकाया हाउस टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स है, उसकी आप वसूली नहीं करेंगे। वसूली कब करेंगे ? जब आने वाली पीढ़ी मोहताज हो जायेगी। सारे प्रिविलेज खतम हो जाने के बाद टैक्सेज लागू हो गये थे, उन सब में सरकार फिर छूट दे रही है। इसका स्पष्ट प्रमाण है, किसी राजा-महाराजा से वसूली नहीं हुई। राजा-महाराजाओं की रियासतें समाप्त होने के बाद यह भी अमेण्डमेंट हो गया कि उनके प्रिविलेजेज समाप्त हो गये। उनके धार्मिक स्थानों पर ट्रस्टी बनाये गये वे राजा-महाराजाओं के ट्रस्टी हैं जिनमें करोड़ों के घोटाले हैं। देवस्थान मंत्री जी बैठे हुए हैं, इनकी जान-

(श्री शिवचरणसिंह)

कारी में है फिर भी व्यवस्था में सुधार नहीं आया। ये सामाजीकरण की योजना ला रहे हैं।

(समय–समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय अध्यक्ष जी, ये देवस्थान के मंत्रीजी बैठे हैं इन्होंने भी दबा दिया मामला। अध्यक्ष महोदय, अभी तो झण्डा फहरा रहे हैं, फिर डण्डा देंगे। राज्य सरकार को केन्द्र सरकार का उत्तर आने के बाद कोई न कोई पहल करनी चाहिये। राजा-महाराजाओं के विशेषाधिकार समाप्त होने के बाद भी ये क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं। भूतपूर्व सरकार ने बहुत घोटाले किये, उस पर तो रोते हैं लेकिन राजा-महाराजाओं को सुविधाएं दे रहे हैं उस पर आप नहीं बोल रहे हैं। अभी नहीं बोलेंगे। अभी तो राजा-महाराजाओं को शिरोपाव देने लगेंगे। झण्डा क्या उनको राज भी दे देंगे, जागीरें देंगे। मैंने सुना है, अध्यक्ष जी, इनकी योजना बन रही है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष जी, अगर यह नहीं है तो फिर ये राजा-महाराजाओं के खिलाफ बोलते क्यों नहीं? हमने राजा-महाराजाओं के खिलाफ पहल की और ये डरते हैं। क्यों डरते हैं? आप पीछे से तो हमें विशेष तौर से आमंत्रित करते हो। यह विचारणीय प्रश्न है, आप कोई न कोई इसका उत्तर दें।

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही अहम मसला है। मैं इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता। पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बहुत बड़ा अहम मसला इस सदन में प्रस्तुत किया है। मैं और बातों में नहीं जाना चाहता हूं। मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की रिपब्लिक का एक झण्डा है तिरंगा, और जो झण्डे मुख्तलिफ रियासतों के थे, वह रियासतों के इन्ट्रीग्रेशन के बाद खतम हो गये। झण्डा किसी रियासत का सिम्बल होता है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं। जब हिन्दुस्तान रिपब्लिक बन गया और देश का एक झण्डा हो गया तो इस देश में एक ही झण्डा रहेगा। अगर कोई रियासत का झण्डा फहराता है तो मैं समझता हूं कि वह तिरंगे झण्डे की तौहीन करता है। पार्लियामेंट में भी यह सवाल उठा है। संविधान की धारा मौजूद है। चीफ मिनिस्टर जवाब दें। मैं इसको पोलिटिकलाइज नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इतना इस चीज को लेकर निवेदन करना चाहता हूं कि जब हम विधान सभा आते हैं और त्रिपोलिया के ऊपर झण्डा देखते हैं तो हमको रिपब्लिक के, प्रजातन्त्र के, गणराज्य के तिरंगे झण्डे की महत्ता के ऊपर वह झण्डा फहराता नजर आता है। मैं और कुछ नहीं कहना चाहूंगा, इस स्टेज पर सिर्फ यही कहूंगा कि मुख्य मन्त्रीजी जयपुर नरेश, भूतपूर्व महाराजा को कह कर यह झण्डा उतरवा दें, जोधपुर के महाराजा से कहकर झण्डा उतरवा दें। अगर नहीं उतरवा सके तो संविधान की धारा खाली नहीं रहेगी। लोग झण्डा उतार कर फेंक देंगे। तिरंगे झण्डे के मुकाबले में और कोई झण्डा नहीं रह सकता है। आज देश एक है। न रियासतें हैं, न राजा–महाराजा हैं। भूतपूर्व

(श्री मथुरादास माथुर)

महाराजाओं को और कोई सहूलियत देनी हो, उनके रिहेबिलिटेशन का सवाल हो तो वह अलग प्रश्न है। रिपब्लिक के झण्डे के मुकाबले में कोई झण्डा फहरा कर महसूस करे कि जयपुर रियासत हो गई है या जोधपुर रियासत हो गई है तो भूल करता है। मैं मिनिस्टर आफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स और मंत्रिमण्डल के सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि अपने गुड आफिसेज से इन्फ्लुएन्स करके झण्डा उतरवा दें, वरना ऐसा न हो कि लोग पकड़ कर उतार दें। यह मौका आ सकता है। इस देश के रिपब्लिक में कोई दूसरा झण्डा तिरंगे झण्डे के मुकाबले में नहीं रह सकता है। तिरंगा झण्डा यहां फहरायेगा, तिरंगा झण्डा यू. एन. ओ. में फहरायेगा और तिरंगा झण्डा दुनिया में फहरायेगा। इसका क्या जवाब देंगे ? आप अपने इन्फ्लुएन्स को यूज करके महाराजा ने जो यह हरकत की है, उसको ठीक करें। वापस वह जमाना नहीं आ सकता है। जनता पार्टी का और बातों में कम्प्रोमाइज हो जाय लेकिन इस बात में कम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है कि देश के रिपब्लिक के झण्डे के अलावा और कोई दूसरा झण्डा भी हो। इसको उतरवा दें तो इसमें आपका कल्याण है और देश का कल्याण है।

(2·23म.प.)

(श्री रामचन्द्र, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री ईश्वरचन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो झण्डा लगा रखा है यह संविधान के आर्टिकल 18 के अनुसार नहीं है। जहां एक तरफ तो हम प्रिन्सेज के प्रिवी पर्स और प्रिविलेजेज को खतम करने की बात करते हैं····

श्री पुरुषोतम मंत्री : खतम हो गये।

श्री ईश्वरचन्द्र : खतम कहां हो गये ? राजशाही को बोर्ड में बैठा रहे हैं, लोकतन्त्र में जनता के प्रतिनिधि राज्य करते हैं। वह गरीब लोग आज गांवों से आते हैं। कुछ लोगों को, मठाधीश को चैयरमेन बनाया है। कई बुनियादी सवाल हैं। मैं इस बहस को आगे नहीं ले जाना चाहता हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामले में समाजवादी चिन्तन होना चाहिए। जो भग्नावशेष रह गये हैं राजा-महाराजाओं के इनको किसी सूरत में प्रश्रय नहीं मिलना चाहिए। तुरन्त वहां से वह झण्डा उतार कर राष्ट्रीय झण्डा फहराया जाय।

श्री वृद्धिचन्द जैन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं।

गणतन्त्र हमारे भारतवर्ष में····

(व्यवधान)

एक मिनट पहले मैं कह दूं।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : एक मिनट मेरा निवेदन सुन लें।

माननीय सदस्यों ने जो प्रश्न उठा कर राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है उसके सम्बन्ध में कल या परसों माननीय मुख्य मंत्रीजी विस्तार से इस सदन में वक्त-

(श्री सूर्यनारायण चौधरी)

व्य देंगे। इसलिए इस पर चर्चा समाप्त करें ताकि दूसरा कार्य लिया जाय।

श्री मूलचन्द डागा : मैं एक बात कहना चाहता हूं, अखबारों में यह चर्चा आई है कि भवानी सिंहजी ने मुहूर्त दिखाकर झण्डा लगाया है। उन्होंने कहा कि वापस राज्य मिल सकता है।

श्री पुरुषोतम मंत्री : क्या बातें करते हैं ?

श्री शिवचरण सिंह : खतरा तो इनको है, तुम्हें क्या खतरा है ?

श्री श्योपतसिंह मकासर : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे स्थगन प्रस्ताव पर दो मिनट बोल लूं।

चरागाह की भूमि में अगर किसी गरीब को दौराने इमर्जेन्सी या उससे पहले या बाद में जमीन दे दी गई तो वह उस गरीब के पास रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए, आज यह देश के सामने प्रश्न चिन्ह बन कर आ गया है। दिल्ली के पास एक गांव है कांझावाला। गांव के चरागाह की भूमि गांव के असरदार आदमियों के जानवरों के लिए चारा मुहैया कराने के लिए, खड़े रहने के लिए जरूरी है या नहीं, भूमिहीन किसान दो बीघा जमीन लेने के बाद अपना जीवन बसर कर सके, अपने पेट की भूख को शान्त करने के लिए कुछ अनाज पैदा कर सके, यह सवाल आज देश के सामने एक प्रश्न के रूप में आया है। हमारे राजस्थान में भी यह सवाल पैदा होने वाला है।

अभी मैं लाड़पुरा के बारे में विचार करना चाहता हूं लाडपुरा कोटा जिले में है उसके पास चरागाह की जमीन थी। उस चरागाह की जमीन दौराने इमर्जेन्सी और उससे पहले वहां के गरीब हरिजन काश्तकार काश्त करते थे। उस जमीन को लेकर सरकार ने तावान कायम किया, लगान कायम किया, जुर्माना किया, और कुछ अर्से के लिए वह जमीन उनको अलाट भी कर दी गई। चरागाह की जमीन के अलाटमेंट के बारे में गांव के लोग सामुहिक रूप से एतराज करें तो समझ में आ सकता है, चरागाह की जमीन पर दूसरे किसान काश्त करने की बात सोचें तो समझ में आ सकता है, मगर एक जागीदार को जमीन अलाट कर दी जाय तो, समाजवादी मन्त्री, आप तो फर्मान निकाल रहे थे कि सीलिंग केस रीओपन कर रहे हैं और सीलिंग लागू करने की बात कर रहे थे, तो यह लाडपुरा गांव में आपने क्या कर दिया ? अभी 1-2-79 को राज्य सरकार ने आदेश दिया है, जिलाधीश कोटा को उस गांव की चरागाह वाली जमीन का आवंटन कर कब्जा दिलाने का एक जागीरदार को और 124 बीघा 10 बिस्वा जमीन पर 27-2-79 को पजेशन दिला दिया गया। यह क्या हो रहा है ? यही है आपका सीलिंग केसेज को रीओपन करने का क्राइटेरिया ? किन जाति विशेष के लोगों पर मेहरबान हैं आप ? नागौर के एक होस्टल के लिए तो आपने बड़ा गुस्सा दिखाया था कि आप एक जाति विशेष को नहीं देंगे। यहां पर यह जाति विशेष क्या आपकी जाति है ? यह लाडपुरा में लाडला आपका है या किसी और का है ? मैं ज्यादा भाषण नहीं देना चाहता। आपने यह जमीन किस

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

नियम के अधीन दी ? उसके पहले यह किसके पास थी ? आप क्यों झुके हैं, मजबूर हुए हैं ?

श्री हरीश शर्मा : मेरा भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है चरागाह के ऊपर।

श्री ईश्वर चन्द्र । तीन-तीन साथ-साथ बोलेंगे या एक ही बोलेगें।

श्री वृद्धिचन्द जैन : मैंने एडजोर्नमेंट मोशन रखा था। मुझे दो मिनट बोलने के लिए दिये जायें।

श्री उपाध्यक्ष : यह विषय कोटा के लाडपुरा से सम्बन्धित है।

श्री हरीश शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह एक गम्भीर मसला आकर खड़ा हो गया है। राजस्व मंत्री जी उस क्षेत्र के विधायक हैं और समाजवादी रहे हैं। मैं पूछना चाहूंगा कि एक समाजवादी द्वारा कोटा के राजा को 124 बीघा 10 बिस्वा जमीन अलाट कर दी जाय क्योंकि वह असरदार राजा है, प्रभावशाली है, वह उन लोगों की जमीन छीने जो 10 वर्ष से उस पर काश्त करते आ रहे थे और सरकार के राजस्व रिकार्ड में दर्ज है........

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह गरीब अन्त्योदय का उद्धार कर रहे हैं।

श्री हरीश शर्मा : राजा-महाराजा ने जिन लोगों को दबाया था और कुचला था उन लोगों का संघर्ष करने का आपने आह्वान किया था। माननीय मंत्री महोदय को यह कहना चाहूंगा कि राजा साहब आ गये और 50 आदमी आपके सामने भूमि के नाते खड़े हो जायेंगे तो फिर आपका लोहियावाद क्या करेगा ? यह आपको मालूम होना चाहिए कि राजा-महाराजा आपके साथ में नहीं रहने वाले हैं। इनसे कभी न्याय कोटा की जनता को नहीं मिला। इन्होंने आज तक इन्साफ नहीं दिया।

वह चरागाह की भूमि है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कानून व नियमों के तहत चरागाह व ग्राम रास्ते इनको अलाट नहीं किये जा सकते। इनको मालूम हो गया कि यह हमारी राय नहीं मानते हैं, तो सीधे उन्हें ले आये, मंत्री से मिलाया, बातचीत की और अलाटमेंट हो गया।

इस प्रकार से, उपाध्यक्ष महोदय, उनको जमीन अलाट की गई है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मेरे खयाल से वह रिफ्यूजी होंगे।

श्री हरीश कुमार शर्मा : खसरा नं 186/11.2, खसरा नं. 178/6, खसरा नं. 180/10.19, खसरा नं० 181/23.10, खसरा नं० 183/21.7, खसरा नं० 188/38.10, खसरा नं० 190/14.15, खसरा नं० 184/3.6, इस प्रकार से कुल भूमि 124.10 है। इसी प्रकार से खसरा न० 13/15 है। इसको चरागाह से सिवाय चक में परिवर्तित किया जाकर राज्य सरकार ने जिलाधीश को तुरन्त पार्टी को दखल देने के लिए लिखा है।

(श्री हरीश शर्मा)

इस प्रकार से महाराजा साहब को जमीन भेंट कर दी गई है। इधर सरकार ने अन्त्योदयी कार्यक्रम हाथ में लिया है। अगर यही अन्त्योदय कार्यक्रम है तो हम इसके खिलाफ हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ईश्वरचन्द्र !

श्री ईश्वरचन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय, अलाटमेण्ट आफ लैण्ड फार एग्रीकल्चर पर्पजेज रूल्स, 1970 के अन्तर्गत मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि मन्त्री महोदय ने एक पर्टीक्युलर आदमी को अलाटमेण्ट किया है? ऐसा लगता है कि कहीं रेवेन्यू कमिश्नर ने और कागजों के बीच में धोखे से दस्तखत करा लिये हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मन्त्री महोदय ने कहा है कि धोखे में कोई दस्तखत नहीं करा सकता है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नींद में दस्तखत कर दिये होंगे।

श्री ईश्वरचन्द्र : इसके बारे में सरकार के इन्स्ट्रक्शन हैं, कि हरिजनों और अन्त्योदयी परिवारों को चरागाह की भूमि तभी अलाट होगी, उसका कन्वर्शन होगा जब कि चरागाह आवश्यकता से अधिक है। लेकिन इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हिम्मतसिंह जी की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। 124 बीघा 10 बिस्वा जमीन जिन हरिजनों और गरीब लोगों को अलाट हुई, जो उसमें बसे हुए थे उनको बन्दूक की नोक पर बेदखल करके हटाया है। लाडपुरा के गरीबों से इनको माफी मांगनी चाहिए, इस सदन से माफी मांगनी चाहिए ताकि आइन्दा ऐसी गलती नहीं करें। अगर आइन्दा ऐसी गलती की तो निश्चित रूप से यह आपको महंगा पड़ेगा। आपने अलाटमेण्ट किया है, हिम्मतसिंह को भूमिहीन मान कर किया है। क्या वह अनुसूचित जाति में हैं? क्या वह अन्त्योदयी हैं? इतना बड़ा रकबा किस आधार पर रेगुलराइज कर दिया है? इस पर वह प्रकाश डालें।

श्री गोपाल पचेरवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ज्यों ही जनता सरकार के मुख्य मन्त्री महोदय ने कार्यक्रम दिया अन्त्योदय का तो हम लोग सोचते थे कि गरीबों का भला होगा। गरीब अपना निर्वाह कर सकेंगे। 20 सूत्री कार्यक्रम देकर कांग्रेस सरकार ने जनता को गुमराह किया उसी प्रकार से हमारी सरकार भी करना चाहती हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह जो मा. सदस्य हरीश जी ने 124 बीघा 10 बिस्वा जमीन बताई है, 124 बीघा भूमि का आवण्टन उन्हाड़ी जागीरदार हिम्मतसिंह को कर दिया गया। उस भूमि पर पहले से कुछ गरीब लोगों का कब्जा था। कुछ मुसलमान लोग भी थे। वह दस साल से वहां पर काश्त कर रहे थे। उन लोगों ने राज्य सरकार में जुर्माना अदा किया है, पैसे जमा किये हैं। मैं निवेदन करूंगा कि राज्य सरकार के निर्देश थे कि अन्त्योदय योजना में उनको राहत दी जाएगी जो गरीब पीछे लाइन में खड़े हैं। लेकिन हिम्मत सिंह जी जो जागीरदार हैं उनको पीछे की लाइन से आगे लाकर खड़ा कर दिया गया है। वह गरीब

(श्री गोपाल पचेरवाल)

लोग अपने बच्चों का पेट भरते थे, वह भूमि हिम्मतसिंह को जमीन दे दी है ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : उनका भला किया ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : जनता पार्टी के शासन में यही होगा ।

एक माननीय सदस्य : यह नहीं होगा । हम ऐसा नहीं होने देंगे ।

(व्यवधान)

श्री गोपाल पचेरवाल : मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वह जमीन को कांग्रेस सरकार ने भी उन गरीबों से छीन ली थी । यह जमीन कांग्रेस के राज में हस्तगत की गई थी क्योंकि वहां की जनता ने आन्दोलन करने के बाद उन गरीबों को जमीन पर रखा था । आप कहते थे कि हम गरीबों को आगे लायेंगे, उनको रोटी कपड़ा देंगे, उनको शिक्षा देंगे । श्रीमान् जी, मैं निवेदन करूंगा कि आपने यह किया है । हमने कई बार निवेदन किया है । मैं यह निवेदन करूंगा कि यह कितने दिनों में अलाट हुई है ? राजस्व मन्त्री जी बतायें, अगर किसी को जमीन अलाट होती है तो एक महीना, दो महीना कितना लगता है । लेकिन आपको जान कर आश्चर्य होगा कि यह सब एक दिन में हो गया है । जैसे सुखाड़िया साहब के जमाने में हो गया था । क्या यही आप लोहियावादी हैं ? वह गरीब आदमियों की जमीन छीन ली है । क्या हिम्मतसिंह जागीरदार को भूमि देना डा० लोहिया की नीति के विपरीत नहीं है ? आप घोषणा करके उसको निरस्त करें । आप निरस्त करने की घोषणा करेंगे तो हम उसका स्वागत करेंगे अन्यथा यह बहुत दुःख की बात है । इससे डा० लोहिया की आत्मा को शान्ति मिलेगी । आप उसको निरस्त करने का आदेश दें ।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : क्या लोग रोयेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोल लें ।

श्री माणकलाल ठाकौर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब कभी मन्त्री जी पधारते थे तो जनता पार्टी के विधायक उनसे विशेष रूप से मिलते थे । उनको यह कहा जाता था कि आप तो भूमिपतियों की वकालत करने के लिए आ जाते हैं लेकिन यहां जागीरदारों की वकालत होती है । अब यह नहीं कहते हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय । आज मौका आया है उनका इस ओर ध्यान दिलाने का ।

मैं उनका ध्यान गरीबों की ओर आकृष्ट कर रहा हूं कि जो लाड़पुरा क्षेत्र उनका क्षेत्र है, आज या कल में गरीबों को बेदखल किया जाने वाला है । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं उनकी प्रकृति से वाकिफ हूं, ये एक त्यागी पुरुष हैं, इन्होंने आन्दोलन किया था, मुझे भी इनके साथ रहने का मौका मिला था । इसलिए मैं यह मानता हूं कि इनसे भूल हो गई होगी या कोई उच्च स्तरीय दबाव आया होगा, यह भूल से कर दिया गया होगा । गरीबों को बेदखल करने की इनकी नीयत नहीं हो सकती । भूतपूर्व

(श्री माणकलाल ठाकौर)

जागीरदार, जो सैंकड़ों और करोड़ों रुपयों का मालिक है, को गरीबों को वहां से हटाकर कब्जा दिलवाया गया है, यह समझ में नहीं आता कि क्यों हुआ और कैसे किया? मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस अलाटमेन्ट को अविलम्ब कैन्सिल करने की कार्यवाही की जावे। औपचारिकता में अगर कोई समय लगता हो तो वायरलैस या टेलीग्राम से स्थगन आदेश भिजवायें जावें और यथास्थिति रखी जावे जब तक कोई निर्णय नहीं हो जाय।

श्री डूंगरराम पंवार : उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाय जो अपराधी हैं।

श्री माणकलाल ठाकौर : टेलीग्राम या टेलीफोन के जरिये सूचना भेजी जाय, यह आश्वासन देने की सूरत में ही हम लोगों को सन्तोष होगा।

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री (राजस्व मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने लाड़पुरा ग्राम की जमीन के बारे में ध्यान आकर्षित किया है, माननीय सदस्य स्थगन प्रस्ताव पर भी बोले हैं, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर भी बोले हैं, मैं इसके पूरे तथ्य मंगाकर जानकारी प्राप्त करूंगा। जो लोग भूमिहीन हैं अल्प संख्यक हैं, जो काबिज हैं, जब तक अन्तिम निर्णय नहीं हो जाता तब तक उनको बेदखल नहीं किया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय, माननीय सदस्यों ने कहा कि राज्य सरकार ने आदेश दे दिये हैं, इस बारे में आप बता सकते हैं?

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं मालूम करूंगा और सारी जानकारी करके मैं इसके सम्बन्ध में वक्तव्य भी दूंगा।

(व्यवधान)

मैं मालूम करके इसी सत्र में वक्तव्य दे दूंगा।

श्री श्योपतसिंह मकासर : राज्य सरकार का जो पत्र है उसका क्रमांक 2(166)....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजिये।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है माननीय मन्त्री महोदय, जवाब देंगे।

श्री डूंगरराम पंवार : मैं तो सन्तुष्ट तब होऊंगा जब उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जायगा। यह भी कहें कि सरकार को धोखा दिया गया।

श्री हरीश शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय सीधी भाषा में कह दें। जमीन अलाट कर दी गई महाराजा हिम्मतसिंह को, 124 बीघा 10 बिस्वा उसको कैन्सिल कर देंगे, हमारा यह कहना है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय, जानकारी करके उत्तर देंगे।

श्री ईश्वरचन्द्र : आपको जानकारी क्यों नहीं है? आप बादाम खाइये।

(व्यवधान)

श्री हरीश शर्मा : इन्होंने आदेश दिये कि गरीबों को बेदखल करके भूतपूर्व जागीरदार को अलाट कर दो। कलेक्टर ने कहा कि कैसे अलाट कर दें, जन आक्रोश भड़क रहा है, मै नहीं कर सकता।

श्री ओंकारलाल चौहान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का नोटिस जब माननीय सदस्यों ने पहले दे दिया तो माननीय मंत्री महोदय को तैयारी करके आना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय ने आश्वासन दे दिया है कि वे जानकारी प्राप्त करके उचित व्यवस्था करेंगे।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, आरोप यह है कि कब्जा दूसरों का है पहले ही, तो अलाटमेन्ट के आदेश कर देना, यह कौन सी नीति है? कौन सा उसूल है, कौन सा कानून है?

(व्यवधान)

यह कोई न्याय की बात है?

श्री श्योपतसिंह मकासर : इनको बयान देना पड़ेगा, जब माननीय सदस्य इस बात को बता रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये, कृपया।

श्री रतनलाल वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, हम तो पालन करेंगे आपके आदेश का, लेकिन राजस्व मन्त्री जी गोलमाल क्यों करते हैं? इनको स्पष्ट कहना चाहिए कि दो तारीख को जवाब देंगे, फाइल मंगाकर।

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया, तार द्वारा स्थगन आदेश पहुंच जायगा कलेक्टर के पास कि जो काबिज हैं उनको बेदखल नहीं किया जाय।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : मुद्दे की बात यह है

(व्यवधान)

कि 27·2·79 को आज से एक महीने पहले यह आदेश दिया गया था। अगर राजस्व मन्त्रीजी की बात को मान लिया जाय तो इसका मतलब यह हुआ कि उनको बेदखल कर दिया गया और कब्जा लिया जा चुका है, जागीरदार के द्वारा। अगर कब्जा कर लिया है तो उसको बेदखल किया जाय, हमारा कहना यह है, जमीन दिलाई जावे। यह एक ही बात चाहते हैं, कोई दूसरा सवाल नहीं चाहते।

(व्यवधान)

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : सुनिये तो सही, माननीय सदस्य।

श्री हरीश शर्मा : सीधा सा प्रश्न है, महाराजा हिम्मतराज सिंह जी को जमीन

(श्री हरीश शर्मा)
अलाट की गई, क्यों की गई, किस कारण से की गई ? अब उसको निरस्त किया जाय ।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : आप एलान कीजिये कि जमीन गरीबों को मिलेगी ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया मन्त्री महोदय, का उत्तर सुन लीजिये ।

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : मैं माननीय सदस्यों को यह निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री दूलाराम : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजिये, पहले मन्त्री महोदय का उत्तर सुन लीजिये ।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : पहले मन्त्री महोदय का जवाब सुनने दीजिये ।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जिस प्रकार की आपत्तियां उठाई हैं, उनके सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तारीख का आदेश, 1-2-79 का जो बताया गया है उसका आपरेशन स्थगित किया जाता है । जिसको अलाट की गयी है उनको काश्त नहीं करने दी जाये, आगामी निर्णय तक ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : 27-2-79 का आर्डर है कब्जा दिलाने का कलेक्टर के पास ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्योपतसिंह जी बिराजें ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : सदन की कार्यवाही नहीं चलने देंगे । राजस्व मन्त्री जी यह कहें कि उन गरीबों को जमीन दी जायेगी ।

(व्यवधान)

हम कुछ नहीं सुनना चाहते हैं

(व्यवधान)

कह दीजिए कि गरीबों को मिलेगी ।

श्री जयकृष्ण शर्मा : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । हम जो भी स्थगन प्रस्ताव या ध्यान आकर्षण प्रस्ताव देते हैं वह नियमों के अन्तर्गत देते हैं, आज का जो प्रस्ताव है उसमें बहुत बड़ा मुद्दा है । इसमें सवाल यह है कि यह राज्य सरकार से अलाट हुई है, राज्य सरकार का मतलब है, पुरुषोतम जी मंत्री और पुरुषोतम जी मंत्री का मतलब है केबिनेट मंत्री । उनका खुद का सैक्रेटरी है और उनका आर्डर होता है । कोई भी आदमी अलाटमेन्ट नहीं कर सकता, कोई भी अधिकारी नहीं कर सकता जब तक कि पुरुषोत्तम जी मंत्री की कन्सेन्ट न हो । जब मंत्री महोदय की कन्सेन्ट है तो फिर हम नहीं समझ पाये । इस हाउस को गुमराह करने की बात दूसरी है । जब इनकी कन्सेन्ट यहां मौजूद है और ध्यान आकर्षण प्रस्ताव मिल गया तो कोई न कोई तो जवाब देना चाहिए था कि आपने जमीन को

(104)

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

अलाट किया। हाउस में बाद में वक्तव्य देंगे तो क्या मतलब है ?

श्री पुरूषोत्तम मंत्री : मेरे पास इत्तला नहीं आई है अभी।

श्री उपाध्यक्ष : प्रतिवेदनों का उपस्थापन।

(व्यवधान)

चर्चा हो चुकी है, माननीय सदस्य। आपका कोई स्थगन प्रस्ताव नहीं था। माननीय सदस्य किस स्थगन प्रस्ताव पर बोलना चाहते हैं ?

श्री वृद्धिचन्द जैन : बाड़मेर जिले में बिजली की समस्या के बारे में। बीकानेर की अलग समस्या थी और बाड़मेर की अलग समस्या है। इसलिए मैंने स्पेसिफिक प्रस्ताव रखा है। 7 दिन से समस्या बनी हुई है। इसलिए मैंने रखा था।

श्री उपाध्यक्ष : आप संक्षेप में कह दीजिए।

श्री अयूब खां (तिजारा) : इनके बाद मेरा नम्बर है। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है।

श्री उपाध्यक्ष : हां।

श्री वृद्धि चन्द जैन (बाड़मेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बाड़मेर जिले में 7 दिनों से बिजली की अव्यवस्था बनी हुई है। उस अव्यवस्था के कारण पानी की भी सप्लाई पर बड़ा कुप्रभाव पड़ा है। अव्यवस्था किस कारण हुई, इस संबंध में तो मंत्री महोदय, प्रकाश डालेंगे लेकिन मुझे जो सूचना प्राप्त हुई थी उसके आधार पर निवेदन कर रहा हूं। बिजली रात के समय और दिन में भी अधिकांश समय बिल्कुल बन्द रहती है। अगर बिजली आती भी है तो वोल्टेज इतना वीक है कि कोई भी विद्यार्थी पढ़ नहीं सकता। अभी विद्यार्थियों की परीक्षा का समय है। बिजली की अव्यवस्था से परीक्षा की तैयारी से विद्यार्थी वंचित रह जाते हैं। जितने भी छोटे उद्योग हैं, चक्की चल रही हैं, दूसरे धंधे हैं वह प्रायः सभी ठप्प हो गए हैं। पानी की भी सप्लाई बिल्कुल ठप्प हो गयी है। इसलिए मैं मंत्री महोदय का इस समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करके निवेदन करता हूं कि मंत्री महोदय इस पर प्रकाश डाल और इस समस्या को जल्दी से जल्दी हल करने का प्रयास करें।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (विद्युत मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने विद्युत समस्या के विषय में राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। जोधपुर से बाडमेर बालोतरा 133 के. वी. लाइन द्वारा विद्युत प्रदाय की जाती थी गत वर्ष से पहले। गत वर्ष से जालौर, बालोतरा 132 के. वी. लाइन चालू हो जाने से बाड़मेर को बिजली

105

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

मिलनी प्ररम्भ हो गयी और यह व्यवस्था बराबर चल रही थी। कुछ दिन पहले 133 के. वी. बालोतरा पर आइल सर्किट ब्रेकर का आइल बदलने के लिए एक दिन के लिए शट-डाउन किया गया और उस समय जोधपुर से विद्युत प्रदाय की व्यवस्था कर दी गयी। इस कारण से वोल्टेज में थोड़ी कमी आई, क्योंकि 132 के.वी. जो बालोतरा की थी उसका सुधार हुआ। बिजली जोधपुर से आई इसलिए वोल्टेज की कमी हो गयी। उस आइल सर्किट ब्रेकर का आइल बदलने के बाद वह सर्किट ब्रेकर वापिस सैट नहीं हो पाया। एक दिन हो गया और जोधपुर से बिजली की सप्लाई की गयी इसलिए लो वोल्टेज था। दिनांक 27 मार्च को बाड़मेर नगर के 250 के. वी के ट्रान्सफार्मर में स्थानीय गर्मी की वजह से उसका जस्ता पिघल गया, उससे विद्युत प्रदाय शाम को लगभग चार घंटे बन्द रखना पड़ा। ट्रान्सफार्मर को ठंडा करने के लिए उसको रीकनेक्ट किया गया और विद्युत सप्लाई जारी हो गयी है। कल प्रातः काल से किसी को कोई परेशानी वहां नहीं है। पानी बराबर दिया जा रहा है। टेक्निकल थोड़ी सी डिफिकल्टी थी उसके लिए मैंने निवेदन किया है।

माननीय सदस्य के यह भी ध्यान में होगा कि बाड़मेर शहर की दृष्टि से बालोतरा से 132 के. वी. एनरजाइज कर दी है। जनवरी से और 132 के. वी. से बाड़मेर लाई जा रही है ताकि कानेड तक उसका पूरा उपयोग हो सके।

श्री उपाध्यक्ष : प्रतिवेदनों का उपस्थापन।

श्री जयकृष्ण शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री अयूब खां का बहुत इम्पार्टेन्ट ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है।

श्री उपाध्यक्ष : आप भी अपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बारे में कह दें।

श्री रघुनन्दन व्यास : नियमों में बाद में है।

श्री उपाध्यक्ष : पहले प्रतिवेदनों का उपस्थापन होगा फिर बाद में श्री अयूब खां अपने ध्यानार्कषण प्रस्ताव पर बोलेंगे।

समिति का प्रतिवेदन
प्राक्कलन समिति का तृतीय–
एवं चतुर्थ प्रतिवेदन

श्री मथुरादास माथुर (सभापति, प्राक्कलन समिति) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्राक्कलन समिति, 1978–79 के निम्नांकित प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं :

(1) जन जाति क्षेत्रीय विभाग से संबंधित समिति का तृतीय प्रतिवेदन।

(2) सहकारिता विभाग से संबंधित समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन।

अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति का प्रथम, द्वितीय व तृतीय प्रतिवेदन

श्री जिंगिंग (सभापति, अनुसूचित जन-

(106)

(श्री जिंयिग)

जाति कल्याण समिति) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति 1978–79 के निम्नांकित प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

(1) अनुसूचित जन जातियों के व्यक्तियों को खनन पट्टों के आवंटन संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन।

(2) छात्र-वृत्ति संबंधी अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति (1975–76) के चतुर्थ प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर राज्य सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही से सम्बन्धित समिति का द्वितीय प्रतिवेदन।

(3) आदिवासी छात्रावासों संबंधी अनुसूचित जन जाति कल्याण समिति (1975–76) के तृतीय प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर राज्य सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही से संबंधित समिति का तृतीय प्रतिवेदन।

ध्यान आकर्षण प्रस्ताव

कान्हडका से कासिमपुर तक साबी नदी पर बांधे जा रहे बाढ़ बचाओ बांध

श्री अयूब खां (तिजारा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, साबी नदी के कारण हमारे राजस्थान में विशेषकर जिला अलवर में हमेशा फ्लड आता है। बाढ़ खास तौर से तहसील कोटकासिम में बहुत भारी नुकसान करती है। पिछले दो वर्षों में इस नदी के कारण फसलें खराब हुईं, गांवों में मकान गिरे। बाढ़ के नियंत्रण करने के लिए सरकार ने दोनों ओर बांध बांधने का निर्णय लिया और इस सिलसिले में कुछ काम भी हुआ। कोटकासिम के पास कासिमपुरा से लेकर कान्हडका तक एक बांध का प्रपोजल था। उसको पिछले वर्ष शुरू भी किया गया। यह सीधा बनाने का प्रपोजल था। काफी मिट्टी डाल दी गयी लेकिन इस वर्ष मिट्टी को भी छोड़ा, उस प्रपोजल को भी छोड़ा और दूसरी साइड से घूमकर नया बांध बांधा जा रहा है। जिस पर अधिक पैसा खर्च होगा और जिस मकसद के लिये बांध बांधा जा रहा है वह मकसद भी पूरा नहीं होगा। फ्लड को कंट्रोल करने के लिये यह बांध बांधा गया या शुरू किया गया लेकिन जिस जगह पर बांध मोड़कर बांधा जा रहा है उससे जमीन की हिफाजत नहीं हो सकती, गांव की हिफाजत हो सकती है, किन्तु उन लोगों की जमीन पेटे में आयेगी जिनको गरीबी के कारण जमीन अलाट की गई थी। वहां के हरिजनों को और अन्य पिछड़ी जाति के लोगों को नदी के आस पास जमीन अलाट की गई थी, वह जमीन नदी के पेटे में आ जायेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, इस सिलसिले में एक बात और अर्ज करना चाहता हूं कि कासिमपुर से कानेड तक बांध बांधने का सिलसिला शुरू हुआ था। काफी मिट्टी डाली गई थी और कुछ जगह छोड़ दी गई थी। मुझे इसमें शक है कि जो हिस्सा छोड़ दिया गया था शायद उसको वाश आउट दिखा कर करके पूरा पेमेंट उठा लिया गया है।

(102)

(श्री अयूब खां)

माननीय मंत्री महोदय ने खुद ने देखा है। मैं आपके साथ गया था।

इसी तरह से उसके बाद चौकी गांव है, कोई 600 फीट स्थान छोड़ दिया गया था, पिछले साल उसको पूरा नहीं किया गया। इसमें भी मुझे यह लगता है कि इसको दिखाया गया कि वाश आउट होगा। मुझे शक है बहुत थोड़ी सी मिट्टी थी, अधूरा इस लिये छोड़ दिया इसको कि पूरा पेमेंट उठाया जा सके। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं फ्लड कंट्रोल के लिये मसानी हरियाणा में एक गांव है, हरियाणा की ओर से बांध बांधा गया है। अजमेरी पुरा राजस्थान सरकार का गांव है। हरियाणा वालों ने बांध पूरा कर लिया है। वहां हमारी जमीन सिल्ट अप हो जायेगी। हमारी फसलें खराब हो जायेंगी। मेरा यह कहना है कि यह जो बांध बांधा जा रहा है, साबी नदी पर, सिर्फ दिल्ली को बचाने के लिये बांधा जा रहा है और किसानों को उजाड़ा जा रहा है। मेरा निवेदन है कि इतने बड़े बांध बांधने के बजाय छोटे बांध बांधे जायें और जो बांध पहले के फूटे पड़े हैं, उन बांधों को रोका जाये। पुराने बांधों की और कैपेसिटी बढ़ सकती है। फ्लड कंट्रोल और भी अच्छा हो सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस सिलसिले में यह अर्ज करना चाहता हूं। साबी नदी में छोटी छोटी कुछ नदियों का पानी पड़ता है और कुछ बांध हैं कल्याकी बांध। इसके ऊपर एक और बांधा जा सकता है इस तरह से बहुत कम पानी साबी में पहुंच सकता है। हसोरा का बांध भी फूटा पड़ा है। यह साबी में गिरता है। हसोरा बांध को पूरा कराया जाये। इससे वहां के लोगों को मजदूरी भी मिलेगी, और फ्लड़ कन्ट्रोल भी होगा। इसी तरह से गातौनी बांध बिलकुल अधूरा छोड़ दिया गया है। तिजारा तहसील में अगर इन सब बांधों को पूरा किया गया तो फ्लड कन्ट्रोल भी होगा और सरकार को काफी फायदा पहुंचेगा। गांव मसीत, चरवटी, घीटसावास, जायरोली का बांध अधूरा पड़ा हुआ है, बहुत कुछ काम हो गया है। आज तक अधूरा छोड़ रखा है। इसकी अभी भी मन्जूरी नहीं की गई है। सरकार के पास में है। पिछले दो साल से मैं कोशिश कर रहा हूं, सरकार मन्जूरी नहीं दे रही है। भारी नुकसान हो रहा है।

अन्त में, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि साबी नदी के ऊपर बांध बाधने में बहुत सी अनियमितायें हुई हैं। मैंने सवालों के द्वारा सरकार से पूछा है कि किन किन अधिकारियों ने गड़बड़ की है और उनके खिलाफ क्या क्या कार्यवाही हुई है? मेरा कल इस सिलसिले में एक सवाल था किन्तु मुझे जवाब नहीं मिल पाया है। किसी अधिकारी का वहां से ट्रांसफर किया गया। क्या ट्रान्सफर किसी अधिकारी के लिये कोई सजा है? मेरा निवेदन है कि उचित कार्यवाही होनी चाहिये, नियमानुसार कार्यवाही होनी चाहिये। जिन लोगों ने गड़बड़ी की है.......

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री अयूब खां)

उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिये। जैसे राजस्थान कैनाल में बेईमानी हो रही है, उसी तरह साबी नदी बांध दूसरे नम्बर पर बदनाम है। मेरी इस सिलसिले में अर्ज है कि अगर फ्लड को कन्ट्रोल करना चाहते हैं, बेईमानी को रोकना चाहते हैं और किसानों को राहत पहुंचाना चाहते हैं तो साबी नदी पर छोटे छोटे बांध बांधे जायें। जो नदियां पड़ती हैं उस पर बांध बांधे जायें ताकि बाढ़ पर नियंत्रण हो सके।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (सिंचाई मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने साबी नदी के विषय में और बाढ़ से होने वाली क्षति के सिलसिले में सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। जनरल विषय में बाद में बताना चाहूंगा। पहले उन्होंने कानडका से लेकर कासिमपुर तक जिस तट की चर्चा की है उसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा।

साबी नदी वर्षा में प्रति वर्ष अपना रास्ता बदलती रहती है। जिससे इसके किनारों पर बसे गांवों को कटाव से हानि होती है।

पिछले कुछ वर्ष हुए इन गांवों के कटाव को रोकने के लिये मार्जिनल बांध बनाना शुरू किया गया था और लोगों की मांग को देखते हुए कुछ मील लम्बा बनाया जा चुका है। मार्जिनल बांध मुख्य तट गांवों को बचाने के लिये शुरू किया गया था परन्तु ज्यों ज्यों समय व्यतीत हुआ गांवों की आबादी के साथ कृषि भूमि को बचाने की मांग उत्पन्न हो गई। साबी नदी के दायें किनारे पर मीलों तक एक लम्बे मार्जिनल बांध का निर्माण कार्य किया जा चुका है। नदी के दूसरे किनारों पर भी कुछ गांवों को कटाव से बचाने के लिये कुछ कार्य प्रस्तावित किये गये हैं। इस किनारे पर बसे हुए लोग यह चाहते हैं कि इस किनारे पर एक लम्बा मार्जिनल बांध बनवा दिया जावे। वह यह भी चाहते हैं कि मार्जिनल बांध इस प्रकार बनाया जावे कि उनके गांवों के साथ उनकी खेती की भूमि भी बचाई जा सकती हो। इस मांग के मानने का परिणाम यह होगा कि नदी का पाट बहुत कम चौड़ाई में सीमित रह जावेगा। ऐसी नदी के पाट को सीमित करना तकनीकी दृष्टि से अनुपयुक्त है। यदि इसके प्रयत्न किये गये तो नदी में पानी का स्तर ऊंचा उठने के फलस्वरूप इस क्षेत्र में बहुत हानि हो सकती है, तथा मार्जिनल बांध लाभ के बजाय हानि का कारण बन सकता है। केन्द्रीय जल आयोग ने भी इस प्रकार का मत व्यक्त किया है।

राज्य सरकार की नीति है कि बाढ़ से प्रभावित गांवों को रिंग बांध बना कर सुरक्षा प्रदान की जावे। दूसरी बात गांवों को बचाने के लिये रिंग बांध बनाये जायें, यह सरकार की नीति है। कान्हडका और कासिमपुर के लोग मुझ से दो बार मिल चुके हैं। मैंने उन्हें रिंग बांध बनाने के लिये आश्वासन दिया था लेकिन वे इसकी स्वी-

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

कृति नहीं देते हैं। वस्तुतः साबी नदी से ग्राम कान्हडका से ऊपर की तरफ एक धारा निकल गई है जिसके कारण कान्हडका एवं आगे के गांवों को खतरा हो सकता है इस लिये तकनीकी दृष्टि से ज्यादा अच्छा यह होगा, और मैं कहूंगा दूसरी तरफ बान्ध बनाना किस प्रकार उचित नहीं है क्योंकि इन दोनों गांवों के बीच में एक धारा निकल जाती है और कटाव करती है। इसके दोनों तरफ कान्हड़का और कासिमपुर है इसलिये आवश्यक हो गया, इस धारा को इस स्थान पर रोकना। इसी कारण यह विचार किया था। एक तरफ तो बान्ध बिलकुल किनारे पर है और दूसरी तरफ दूर हटकर ऊंचा रास्ता दिया गया है। इस कारण बान्ध के टूटने का डर नहीं रहेगा। इस कारण जो अलाइनमेंट पहले प्रस्तावित किया था, उसको बदला। माननीय सदस्य को जानकारी होगी, आप शायद उस मीटिंग में पधारे थे जिसमें अधीक्षक, अभियन्ता सिंचाई भी मौजूद थे। 1 जनवरी, 1979 को अलवर में मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में तकनीकी दृष्टि से विचार कर नये अलाइनमेंट पर कार्य करने का निर्णय लिया था ....

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप मौके पर थे क्या ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं भी मौके पर गया हूं और सारे तकनीकी अध्ययन के बाद ही यह फैसला लिया है, क्योंकि उसके नजदीक आने से बीच की धारा चली गई है, उसको रोकना आवश्यक था पुराने अलाइनमेंट को देखकर। यह सच है कि इस कारण बाढ़ से कुछ जमीन डूब में आयेगी। उसको बचाने के लिये किनारे लाये हैं यदि यह नहीं लाते हैं तो कभी भी काफी बड़ी हानि हो सकती है जिससे बहुत बड़ी परेशानी पैदा हो सकती है।

मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं, तकनीकी दृष्टि से सारी बात रखी है। आपकी जानकारी में यदि किसी प्रकार की बात आये और यह पुराना अलाइनमेंट करना ही आवश्यक हो तो आप उसके उचित तकनीकी आधार बता दें, इसके लिये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं राज्य सरकार पीछे नहीं रहेगी।

श्री अयूब खां : पहले वाले अलाइनमेंट बांध पर बहुत सारा राज्य सरकार का पैसा खर्च हो गया।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय सदस्य ने जो बात कही है कुछ अंशों तक सही है। जो पुराना बना है, उसमें राज्य सरकार का पैसा खर्च हुआ है किन्तु पिछली बार जब हम उन स्थानों पर गये और सारी बातों को देखा। आपने कहा कि गड़बड़ियां हुई हैं तो मैं उसके लिये भी आपको आश्वासन देना चाहता हूं, मैं स्वयं भी पर्टीक्यूलर हूं और आपकी जानकारी के लिये बता देना चाहता हूं कि एक के विरुद्ध तो विभागीय जांच चल रही है, दो के विरुद्ध प्राथमिक जांच प्रारम्भ कर दी है और एक का केस चल रहा है। मेरा

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

निवेदन है कि एक भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जायगा, छोड़ा नहीं जायेगा। पूरी जांच करेंगे और उसको ठीक करेंगे। लोगों को बाढ़ से बचाने का हमारा उद्देश्य है। जो माननीय सदस्य ने अजमेरी पुरा पर छोटे-छोटे बान्ध बनाने की चर्चा की है, उसके सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सर्वे टीम हमारे यहां की भी आई है और आल इंडिया की भी आई है। उन्होंने अजमेरी पुरा को प्रस्तावित किया है। पुराने बान्ध जो टूटे पड़े हैं, इन सब बातों पर तकनीकी दृष्टि से विचार किया जायगा कि कौनसा ठीक रहेगा और कौनसा तकनीकी दृष्टि से ठीक नहीं रहेगा। इस पर निर्णय कर लिया जायगा कि कौनसा क्षेत्र अधिक अन्न उपजाऊ क्षेत्र है, किसको बचाया जा सकता है और किसको नहीं बचाया जा सकता है तो अधिक अन्न उपजाऊ क्षेत्र का अवश्य ध्यान रखा जायगा।

अन्त में मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय विधायक को भी हम निश्चित रूप से विश्वास में लेंगे और तभी जाकर कोई काम करेंगे।

श्री अयूब खां : पिछले वर्ष जो बान्ध बन्धा था वह सीधा बन्धा था और तकनीकी दृष्टि से ही बन्धा था। अब उसको छोड़कर जिसमें पैसों का एडजस्टमेंट हो रहा है उसे बांधा जा रहा है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : पैसों की जो बात कही है वह सही है लेकिन तकनीकी आधार पर और चीफ इंजीनियर के मौके पर जाने के बाद और दो बार उस क्षेत्र में स्वयं जाने के बाद यह बता देना चाहता हूं कि जो तकनीकी दृष्टि से ठीक होगा, उस पर विचार कर लिया जायगा।

श्री अयूब खां : पिछले वर्ष जो बान्ध बांधा जा रहा था, हमने जोर लगाया लेकिन उसको पूरा नहीं किया गया। जब से सवाल आया तब से जल्दी की जा रही है और सारे पैसों का एडजस्टमेंट हो रहा है। मेरा निवेदन है कि जो पहले बान्ध बान्धा था उसको पूरा किया जाय। मैं समझता हूं उसमें अब बहुत कम पैसे खर्च होंगे। उसके बन जाने से जमीन खराब नहीं होगी और आपका उद्देश्य भी पूरा होगा।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : तकनीकी एक्सपर्ट्स के आधार पर और केन्द्रीय जल आयोग के आधार पर यह रिपोर्ट है कि पुराने अलाइनमेंट से भी कभी जन हानि पैदा हो सकती है और जन हानि का बचाना मुश्किल हो सकता है। जिसने पहले यह गलती की है, उसके खिलाफ एक्शन लेंगे और कोई गड़बड़ी सामने आयेगी तो उसकी जांच भी करेंगे।

श्री अयूब खां : उपाध्यक्ष महोदय, हरिजनों की भूमि पेटे में आती है और बड़े लोगों की जमीन बचती है। बड़े लोग राजनीतिक आड़ लेकर हरिजनों को बर्बाद करना चाहते हैं इसीलिये उसको रिंग बान्ध के रूप में बनाया जा रहा है। मंत्री महोदय यह तो कम से कम करिये कि उसको बन्द करके जाँच करें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप मेरे साथ चलिये। तकनीकी एक्सपर्ट्स आल इण्डिया के जो

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

कुछ कह देंगे उसी के अनुसार चालू करवायेंगे, वरना सम्भव नहीं है ।

श्री जय कृष्ण शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं । जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि अब टैक्निकल आधार पर बनवायेंगे । तो जो पहले बनवाया वह क्या बिना टैक्निकल आधार पर बनवाया था ? पहले जो बान्ध को सीधा बन्धाया । कानेडका और कासिमपुर मेरे काफी देखे हुए हैं । मैं माननीय सदस्य की भावना के साथ ही जुड़ा हुआ हूं । यदि उसका थोड़ा सा हिस्सा, जो अधूरा रह गया, पूरा हो जाता तो यह बात नहीं होती । अलवर जिले में जमीन की ज्यादा कीमत है । अलवर के क्षेत्र में कई जगह जमीन ऐसी है जो गंगानगर से भी ज्यादा कीमती है । हरिजनों को इस कार्यक्रम के तहत कुछ जमीन मिल गई । अच्छे मालदार लोगों की जमीनें उसमें आ जांय, यह वे बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं । तकनीकी लोग एक साल पहले कोई प्रपोजल देते हैं और दूसरे साल तकनीकी लोग दूसरा प्रपोजल दे देते हैं, यह ठीक नहीं है । मेरा निवेदन है कि पहले साल के तकनीकी लोग कहां चले गये ? या फिर आपने किसी आर. ए. एस. अधिकारी के कहने से बना दिया ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं कि प्रस्ताव तय किया गया था जिसके आधार पर यह हुआ कि कासिमपुर में यह बनाना है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मै विनम्र शब्दों में यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि पूंजीपतियों की बात कही है । तो न तो किसी पूंजीपति का इसमें कोई सवाल है और न ही किसी गरीब को सताने की बात है । दोनों तरफ बनाया जाना तकनीकी दृष्टि से उचित नहीं है । पिछले साल जो काम किया है जिसके लिये कहा जा रहा है, उसके बारे में मेरा निवेदन है जिसने प्रस्ताव किया था, उसकी भी जांच की जा रही है ।

श्री जय कृष्ण शर्मा : इरिगेशन मंत्री जी (सम्पत राम जी) खुद उस जिले के हैं, उनकी कान्स्टीट्यूएन्सी है और वे उस इलाके के चप्पे-चप्पे को जानते हैं, क्या आपने उनके कहने से बना दिया ? उसमें कुछ खर्चे ऐसे हो गये हैं जिनको आप बचाना चाहते हैं । मेरा निवेदन है कि यह टैक्निकल आधार पर नहीं बदला है । मैं कहता हूं जेलोली के बान्ध का काम दो साल पहले शुरू हुआ था, बाद में रोक दिया गया । अब वहां के लोग चीख रहे हैं, पुकार रहे हैं । जो एम.एल.ए. उस कान्स्टीट्यूएन्सी के हैं वे भी चीख पुकार करेंगे अगर जेलोली का बान्ध नहीं बन्धा तो । उपाध्यक्ष महोदय, मैंने वहां के लोगों का दुख दर्द देखा है । आप टैक्निकल आधार की बात कह कर इसको मत टालिये । सम्पत राम जी को वहां का पूरा ज्ञान है । आप तो आफिसर्स के हाथों में खेल रहे हो और उन्होंने पर्सनल जानकारी के आधार पर बान्ध बनवाया था ।

श्री अयूब खां : उपाध्यक्ष महोदय, क्या सिचाई मंत्रीजी सदन को विश्वास दिलायेंगे कि इसी बान्ध को पूरा कराया जावेगा ? नया नक्शा मैं पेश करता हूं, सदन की मेज पर रखता हूं, आप इसकी जांच करवा लीजिए ।

(112)

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। विधायी कार्य।

श्री अयूब खां : बांध बनाना स्थगित तो करवा दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय ने समुचित उत्तर दे दिया है।

माननीय प्रभारी मंत्रीजी।

श्री अयूब खां : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आश्वासन तो दिलायें कम से कम कि इसको बन्द करवा देंगे और जांच करायेंगे।

व्यवस्था का प्रश्न

विनियोग विधेयक के पारण उपरांत विवरण का वितरण

श्री परसराम मदेरणा : ग्रान ए पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर, सर। उपाध्यक्ष महोदय, यह जो अनुपूरक मांगें और एप्रोप्रियेशन बिल (78–79) कल रात को पारित किया गया था। जब कल मांगें पारित करवा रहे थे तो हमने एतराज किया था कि वित्त विधेयक पारित करने से पहले हमको इससे सम्बन्धित नोट सक्यू लेट हो जाना चाहिए जिससे यह पता लग सके कि कौन-कौन सी मांगें हैं, कौन से विभाग हैं, अब उनमें कितना संशोधन करने का प्रस्ताव है, क्या करने का विचार है? उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, जो गवर्नमेंट को विधान सभा में रिप्रेजेंट करते हैं, बैठे हुए हैं। इनको लताड़ दी जानी चाहिए, रेप्रीमेंड किया जाना चाहिए क्योंकि ये आज हमको नोट सक्यू लेट कर रहे हैं, हमको अलग अलग डिमाण्ड का विवरण भेज रहे हैं जब कि हमने कल ही एप्रोप्रियेशन बिल पारित कर दिया। कल आपने मुखबन्द कर दिया और हम लोग मुखबन्द किए हुए बैठे रहे। कल रात को एप्रोप्रियेशन बिल पारित करवा लिया। उसके बाद में इस सरकार ने यह अलग-अलग डिपार्टमेंट के नोट भेजे हैं, चार पांच डिपार्टमेंट्स के हैं। यद्यपि सेक्रेटेरियेट ने रात को ही सक्यू लेट कर दिया है फिर भी एप्रोप्रियेशन बिल उससे पहले ही पास हो गया।

श्री रघुनन्दन व्यास : यह तो हमारी जानकारी के लिए भेजा है। हमको जानकारी हो जावे, इसलिए भेजा है।

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमान्, कल मैंने प्रश्न उठाया था तो आसन से यह जवाब मिला था कि सारे प्रतिवेदन मेम्बरों के पास पहुंचा दिए गए हैं। मैंने बार बार पूछा था तो उत्तर में यह कहा गया कि हमने पहले ही सारे नोट्स सक्यू लेट कर दिए थे जबकि आज सबको मिले हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मदेरणा साहब ने जो आपत्ति उठाई है, जो पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर उठाया है उसमें दरअसल वास्तविकता है। आज सुबह जो डाक से कागजात भेजे हैं वे एक दिन पहले ही भेज देने चाहिए थे। आसन की ओर से मैंने व्यवस्था दी थी वह भी इसी आधार पर, इसी बात से आश्वस्त होकर दी थी कि नोट भेज दिए गए हैं। माननीय मंत्रीजी जानकारी दें कि

(श्री उपाध्यक्ष)

यह विवरण जो भेजे हैं, ये पहले क्यों नहीं भिजवा सके।

श्री अयूब खां : बांध की जांच के लिए मंत्रीजी किसी को भेजेंगे या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मंत्री महोदय पहले ही कह चुके हैं कि आपको साथ ले जायेंगे। अगर आप किसी भी टैक्निकल एक्सपर्ट को ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं, उनको कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अयूब खां : आप काम को बन्द करवा देंगे, यह आश्वासन तो दिलायें।

(व्यवधान)

हमारी सही बात को भी नहीं माना जाता है। मेरा इस सिलसिले में अविश्वास है। मेरी सही बात को भी नहीं सुना जा रहा है इसलिये मैं सदन से बहिर्गमन करता हूं।

(बहिर्गमन)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मदेरणा साहब ने यह आपत्ति की है कि सप्लीमेंट्री डिमाण्ड्स के बारे में जो विवरण भेजने थे वे पहले नहीं भेजे गये और आज सुबह ही भिजवाये गये हैं। ऐसी गलती किस तरह से हो गई, मंत्री महोदय कृपया बतायें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : बिना विवरण के ही मांगें स्वीकार करवा लीं। हमको विवरण बताया तक नहीं.......

(व्यवधान)

श्री सूर्यनारायण चौधरी (मंत्री संसदीय कार्य) : इस सम्बन्ध में आफ हैंड कुछ नहीं कह सकता।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आफ हैंड का क्या सवाल है ?....

(व्यवधान)

श्री सूर्यनारायण चौधरी : आप नहीं सुनना चाहतीं तो मैं बैठ जाता हूं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपके पास जवाब है ही नहीं, आप क्या जवाब देंगे ? इसलिये बैठ रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : इनके पास उत्तर नहीं है इसलिए कहते हैं कि मैं बैठ जाता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें, इनको उत्तर देने दें।

श्री जयकृष्ण शर्मा : मंत्रिमण्डल को देखना चाहिए....

श्री सूर्यनारायण चौधरी : आपकी सहानुभूति के लिए धन्यवाद। मैं अलबत्ता इस बात को स्वीकार करता हूं....

श्री मथुरादास माथुर : अलबत्ता क्या होता है ?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : बिना 'अलबत्ता' लगाए स्वीकार करता हूं कि जो विवरण सर्क्यूलेट किया गया है वह मांगें पारित

(श्री सूर्यनारायण चौधरी)

होने के बाद किया गया है। मांगें पारित हुईं, उससे पूर्व पहुंच जाना चाहिए था, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं…

श्री खेतसिंह राठौड़ : क्षमा मांगो।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मैं तो आप कहें तो आपके पास हर समय व्यक्तिगत रूप से आकर कह सकता हूं।

श्री खेत सिंह राठौड़ : व्यक्तिगत नहीं, हाउस में सभी माननीय सदस्यों से क्षमा मांगो।

श्री सूर्यनारायण चौधरी: मैं आपको…

श्रीमती सुमित्रा सिंह : व्यक्तिगत का क्या सवाल है, सदन से क्षमा मांगो।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : आप इनको समझाइये, मदेरणा साहब। ये तो बहुत पुरानी सदस्या हैं…

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं मदेरणाजी की पार्टी में नहीं हूं। मैं उनसे नहीं समझूंगी।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मैं इस बात की जानकारी करूंगा कि सरकार की तरफ से इसके आने में देरी हुई अथवा असेम्बली के अन्दर देरी हुई। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि यह विवरण इसके पहले सर्क्यूलेट हो जाना चाहिए था। भविष्य में ध्यान रखेंगे, इस बात का आश्वासन देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : राजस्थान यात्री और माल कराधान (संशोधन) विधेयक…

श्री माधोसिंह कछवाह : मैं मंत्रीजी से यह सवाल पूछना चाहता हूं, कि आज की तारीख तक और भी कोई ऐसे विभागीय विवरण पड़े हैं जो अभी तक माननीय सदस्यों को नहीं मिले हैं? इसकी जानकारी है उनको?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : इसकी भी जानकारी कर लूंगा।

श्री माधोसिंह कछवाह : आप हमको किस तरह से विश्वास में लेकर काम करना चाहते हैं,दूसरे माननीय सदस्यो को विश्वास में लेकर कैसे काम करना चाहते हैं, जबकि आप यह भी जानकारी नहीं रखते कि विवरण दिया या नहीं दिया? आप लोकतंत्र को किस प्रकार कायम रख सकेंगे।

(व्यवधान)

श्री सूर्यनारायण चौधरी : जो खामियां हैं उनको दूर करने की चेष्टा करेंगे।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : इस मंत्री मण्डल के सदस्य मुख्य मंत्री के प्रति जिम्मेदार हैं आपके प्रति जिम्मेदार नहीं हैं। आप कभी…

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : ये इस सदन के प्रति जिम्मेदार हैं या मुख्य मंत्री के प्रति जिम्मेदार हैं? इतनी बड़ी भूल हो रही है, इनको मालूम ही नहीं है कि यह आपाधापी

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)

हो रही है। यह आपाधापी कब तक चलती रहेगी.......

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य गुप्ता-जी, विराज जाइये अब।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : श्रीमान, आपके भी अधिकारों का हनन हुआ है और एक्स चैकर के पैसों का दुरुपयोग हुआ है। इनको तैयार करने में, टाइप करने में, साइक्लोस्टाइल करने में पैसा खर्च हुआ है, उसका कोई उपयोग नहीं हुआ यह मिसयूज आफ दी मनी है और माननीय मन्त्री महोदय कहते हैं कि मैं देख लूंगा। अब देख क्या लेंगे।

श्री दाऊदयाल जोशी : आपको देख लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : याचिका का उपस्थापन।

याचिका का उपस्थापन

फलासिया जिला उदयपुर के अन्तर्गत सड़क निर्माण

श्री लालू दास (फलासिया) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरे निर्वाचन क्षेत्र फलासिया जिला उदयपुर के अन्तर्गत सड़क निर्माण करवाने संबंधी एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय, राजस्थान यात्री और माल करावान (संशोधन) विधेयक, 1979।

व्यवस्था का प्रश्न

पुर : स्थापित और परिचालित विधेयक में अन्तर

श्री हरिसिंह (यातायात मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय........

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय विधेयक के बारे में कुछ कहें उससे पहले मेरा एक पाइण्ट आफ आर्डर है। वह यह है कि वित्त मन्त्री जी ने अपने बजट भाषण में यात्री और माल कर के बारे में जो बातें पढ़ी थीं और जो बिल हमारे सामने इन्ट्रोड्यूज हुआ है, हमें सर्क्यूलेट हुआ है उसमें विरोधाभास है। वित्त मंत्री जी ने जो बजट भाषण में लिखा था वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और जो बिल में लिखा है वह भी रखना चाहता हूं क्योंकि इससे हमारा काम काफी हल्का हो जाएगा। वित्त मंत्रीजी कहते हैं :—

"वर्तमान में सीमेंट की, तारकोल की, एस्फाल्ट की तथा पक्की रोड़ी एवं कंकर की सड़कों पर से ले जाए जाने वाले यात्रियों एवं माल के किराये या भाड़े पर 30 प्रतिशत की दर से यात्री एवं माल कर वसूल किया जाता है तथा अन्य अवस्थाओं में 25 प्रतिशत की दर है......" ठीक है।

"अब दरों में इस अन्तर को समाप्त कर सभी प्रकार की सड़कों पर किराये या भाड़े की 30 प्रतिशत के हिसाब से एक समान दर करने का प्रस्ताव है, तथा यह भी प्रस्ताव है कि मोटर साइकिल......."

(श्री मथुरादास माथुर)

यह उन्होंने लिखा है। अब आप जो अपना बिल लेकर आये हैं उसमें यह लिखा है : "There shall be levied, charged and paid to the State Government a tax on all fares and freights in respect of all passengers and goods carried by road by motor vehicles, at such rate not exceeding 35% of the value of the fare or freight as may be modified by the State Government........"

तो उन्होंने 25 और 30 पर्सेंट दोनों को मिला कर 30 पर्सेंट करने का प्रस्ताव किया है वहां आप 35 पर्सेंट पर इसमें आ गये हैं। इसलिए आप बता दीजिए महरबानी करके, क्योंकि उस समय तो वित्त मंत्रीजी प्रभारी मंत्री थे, उन्होंने बिल इण्ट्रोड्यूज किया था, अब आप प्रभारी मंत्री हो गए हैं। मेरा निवेदन है कि यह 35 पर्सेंट का जो आप बिल ला रहे हैं तो या तो यह कहें कि... ...

श्री सूर्यनारायण चौधरी : नोट मोर देन है।

श्री मथुरादास माथुर : यह नहीं है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : नोट मोर देन है।

श्री मूलचन्द डागा : यह सवाल नहीं है, आप पढ़िये उसको।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय माथुर साहब ने जो प्रश्न उठाया है उसके सपोर्ट में मैं भी कुछ निवेदन करना चाहूंगा। वित्त मंत्रीजी के भाषण की सेंक्टिटी होती है। ट्रांसपोर्ट मंत्रीजी से सम्बन्धित दूसरा बिल है। वह तो पारित करा दिया गया, मोटर व्हिकल टैक्सेशन एक्ट तो 30 तारीख को आ रहा है, उसको अलग रखा है। मोटर व्हिकल एण्ड गुड्स टैक्स अमेंडमेंट बिल के सम्बन्ध में बजट प्रस्तुत करते वक्त वित्त मंत्रीजी ने जो पेरा 97 में उल्लेख किया है वह यह किया है कि सड़कों पर से जाने वाले व्हिकल्स और गुड्स पर 30 पर्सेंट से ज्यादा नहीं होगा। जो दूसरे प्रकार की सड़क है जहां पक्की सड़क नहीं है और जो कच्ची सड़क है उसका रेशनेलाइजेशन करने आप जा रहे हैं। अब यह 35 पर्सेंट करेंगे। जहां बजट स्पीच में यह मेग्जिमम 30 पर्सेन्ट करने के लिए कहा गया है वहां इस बिल के द्वारा आप वह 35 पर्सेन्ट करने जा रहे हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि राजस्थान के वित्त मंत्री महोदय सही भाषण दे रहे थे या ट्रान्सपोर्ट मंत्री महोदय जो बिल ला रहे हैं वह सही है ? ऐसा लगता है, उपाध्यक्ष महोदय, इन दोनों मंत्रियों में को-आर्डिनेशन नहीं है। आपका जो झगड़ा है वह तो सामने आ रहा है। आप साफ साफ कहें आप इसका रेशनेलाइजेशन कर रहे हैं। आप जो बिल लाये हैं, इसका जो एप्रोच जो आब्जेक्ट है वह दूसरा है। डीडवाना से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां पर अभी कहा है यह जो बिल आया है, इसके क्लाज 2 का प्राविजो है :

"Provided that different rates may be notified by the State Government in respect of passen-

(श्री परसराम मदेरणा)

gers and of goods and also for diferent classes of roads."

इसका मतलब यह होगा कि नोटिफिकेशन अलग अलग होगा। व्हिकल्स अलग अलग रूटस् से जाने के लिए होंगे। या तो बिल, उपाध्यक्ष महोदय, बजट भाषण के विपरीत पेश किया जा रहा है या वित्त मंत्री महोदय को कोई अधिकार नहीं था इस सम्बन्ध में अपने भाषण में उल्लेख करने का। इसका उल्लेख बजट भाषण में नहीं होना चाहिए था। बजट भाषण में जब इसका उल्लेख है, उसके बाद इस बिल में दूसरी प्रकार की व्यवस्था आप नहीं कर सकते। उसके अनुकूल ही व्यवस्था आपको करनी होगी। या तो 35 पर्सेंट आप इसमें नहीं कर सकते या फिर वित्त मंत्री महोदय को यह नहीं कहना चाहिए था। उपाध्यक्ष महोदय, अगर इस तरह की कार्यवाही की गई तो फिर बजट की कोई सेंक्टिटी नहीं रह जाएगी। यह केवल वेस्ट पेपर रह जाएगा। इसलिए यह जो बिल ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर महोदय इस सदन में ला रहे हैं, इस सम्बन्ध में आप व्यवस्था दें कि यह बिल यहां पर नहीं लाया जा सकता है। यह बजट भाषण के बिलकुल विपरीत है।

श्री रघुनन्दन व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, इन दोनों बिल्स में एनोमोली है, अन्तर है। इस पर विचार किया जाना चाहिये।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, जब एनुअल बजट पेश होता है तो यह बजट सारी केबिनेट के निर्णय के आधार पर यहां पर पेश किया जाता है। यह सरकार की नीति का दर्पण होता है। उसमें पालिसी मैटर तय होते हैं। यह अकेले वित्त मंत्री का निर्णय नहीं होता है। इसलिए यहां पर केवल वित्त मंत्री का सवाल नहीं है। केबिनेट ने एक निर्णय लिया है कि इस प्रकार का बिल लाया जाए। लेकिन आज ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर बिल्कुल ही अलग तरह का बिल ला रहे हैं। इस प्रकार से यह हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हम लोगों को गुमराह करने के साथ साथ राजस्थान की जनता को भी इन्होंने गुमराह किया है। इसका जिम्मेदार कौन है? सारे हाउस को गुमराह किया जा रहा है। राजस्थान की जनता ने इस बात को सुना है कि इस प्रकार का बिल आ रहा है परन्तु आज आपने बिल्कुल अलग से, बजट भाषण से अलग बिल पेश किया है। केबिनेट द्वारा यह तय किया जाता है कि बजट भाषण में क्या क्या घोषणा की जानी है। आप भी केबिनेट के मिनिस्टर हैं। फिर यह अलग से बिल कैसे है? यह बिल यहां पर इन्ट्रोड्यूज नहीं किया जा सकता।

श्री रघुनाथ विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, या तो इसके अन्दर करेक्शन करा दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रभारी मन्त्री महोदय उत्तर देंगे।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : ये उत्तर क्या देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया बिराजें।

श्री हरिसिंह (यातायात मन्त्री) :

(श्री हरिसिंह)

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय डागा साहब ने गुमराह करने की बात कही। किसी को गुमराह नहीं किया जा रहा है। वे खुद ही गुमराह हों तो बात अलग है। बजट में 30 पर्सेन्ट का दिया है। यह सही है कि हम तीस पर्सेन्ट से ज्यादा नहीं लगावेंगे क्योंकि जो बिल लाया जा रहा है वह मेग्जिमम लिमिट फिक्स करने का है.......

श्री मथुरादास माथुर : इसमें तो मेग्जिमम 30 के लिए कहा गया है।

श्री हरिसिंह : इसके पीछे क्या इरादा है, क्या बेक ग्राउन्ड है, यह पूरी बात आप सुनने की महरबानी कीजिए।

पहले जो कच्चे रास्ते थे उन पर 25 और पक्के रास्ते पर 30 पर्सेन्ट था। क्योंकि इसमें पेरिटी पर लाना जरूरी था इसलिए इस बिल में यह प्रावधान है। सरकार को यह राइटस् हैं, इंडिवीजुअल रूट्स पर वह कम, ज्यादा फिक्स कर सकती है, कितना पर्सेन्टेज टैक्स लिया जाय, वह अलग है। इसका प्रावधान है लेकिन जहां तक मेग्जिमम टैक्स लेने का सवाल है। वह up to 35% can be levied. It does not mean 35% will be charged. गवर्नमेंट का यह इरादा नहीं है कि 35 पर्सेन्ट ही लिया जाय। हो सकता है जहां खराब रूट है, हमारे राजस्थान में 25 पर्सेन्ट से नीचे भी टैक्स लगाया जा सकता है परन्तु मेग्जिमम 35 पर्सेन्ट से ज्यादा नहीं होगा और बार बार यहां पर बिल लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसलिए 30 से 35 किया है। इस इरादे से यह बिल लाया गया है। बजट भाषण से कोई डिसक्रेपेन्सी नहीं है। कोई गुमराह नहीं किया जा रहा है। कोई गुमराह होना चाहे तो उसका कोई इलाज नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : पहले बिल में यह था : There shall be levied, charged and paid to the State Government a tax on all passengers and goods carried by motor vehicles, at such rate note exceeding 30% of the value of the fare or freight.......

यह तो पहले भी है। यह सवाल नहीं है। फिर बिल लाना जरूरी नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर यह है कि up to 35% you have levied the tax. परन्तु आपने बजट स्पीच में 30 पर्सेन्ट का कहा है। यहां पर, उपाध्यक्ष महोदय, आनरेबल मिनिस्टर ने जो एक्सप्लेनेशन दिया है वह काफी नहीं है। यह क्लाज 2 है, इसमें पहले से ही आपको पावर है, अप टू 30 पर्सेन्ट आप लगा सकते हैं पक्की रोडस् पर। अब आप यह 35 पर्सेन्ट कर रहे हैं। वित्त मन्त्री महोदय ने बजट स्पीच में कहा है कि हम कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। उन्होंने पावर 30 पर्सेन्ट तक दे देने को कहा। बजट के अनुसार आप यह जो बिल पेश कर रहे हैं इसमें यह लिमिट आपने 35 पर्सेन्ट तक रखी है, 35 पर्सेन्ट करना चाहते हैं। वित्त मन्त्री महोदय की स्पीच में और इसमें फर्क है। आपने 35 पर्सेन्ट की पावर देने के लिए कहा है। you can go up to 35% without corming to this ligislature. पहले 25 पर्सेन्ट था और

(श्री मथुरादास माथुर)

उसको आप 30 पर्सेन्ट तक करना चाहते थे। पर अब इस बिल में 35 पर्सेन्ट तक का ला रहे हैं। आज नहीं लगा रहे है तो कल आप लगा सकते हैं। हमसे आथोरिटी लेने के बाद हमारे पास कोई चारा नहीं रहेगा ? आप आथोरिटी ले रहे हैं। पहले यह 81 में एक्सपायर हो रहा था, इसको आप 85 तक ले रहे हैं। वित्त मन्त्री जैसे बूढ़े आदमी से आपने ऐसी बात कहलवा दी। ठीक तो यह होता कि पहले ही आप उनसे बजट स्पीच में 35 पर्सेन्ट की बात कहलवा देते। फाइनेन्स मिनिस्टर की स्पीच के कारण यह बिल आपको लाना पड़ रहा है वरना इसकी जरूरत नहीं थी। आप अलग से बिल पेश कर सकते थे। यह इनडाइरेक्टली फाइनेन्स बिल के रूप में है। यह मनी बिल है। यह बिल मोटर व्हिकल्स के लिए लाया जा रहा है। पैसेन्जर के लिए अलग से बिल आप लेकर आयेंगे। उसमें 85 तक जाने की बात है। हम इस बिल को एक तरह से इनडाइरेक्टली मनी बिल समझते हैं। It is a money bill by virtue of the Finance Minister's speech, and you cannot go beyond this in this bill also.

इसलिए ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर महोदय यह जो बिल इन्ट्रोड्यूज करना चाहते हैं, वह इन्ट्रोड्यूज नहीं हो सकता है। वे कृपा करके दूसरा बिल लेकर आवें।

श्री रघुनन्दन व्यास : इसमें यह जो 1 (ए) है, उसको पढ़ लिया जाय तो माननीय मथुरा दास जी ने जो आपत्ति उठाई हैं, वह दूर हो जायेगी। यह लागू नहीं होता 1 (ए)........

श्री परसराम मदेरणा : मोटर व्हिकल टैक्सेशन का दूसरा बिल है। यह तो, उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो आर्गुमेंट दिये प्रभारी मंत्री जी ने, वे आर्ग्यूमेंट तर्कसंगत की बात तो छोड़िये मानने लायक नहीं है। जब आपने घोषणा कर दी कि हम 30 प्रतिशत से ऊपर नहीं बढ़ायेंगे वहां यह कह रहे हैं 35 प्रतिशत करेंगे। टैक्स लगाना या न लगाना राज्य सरकार का डिस्क्रिशन है लेकिन बजट भाषण में 30 प्रतिशत की लिमिट है और यह भी फाइनेंस बिल में साफ नहीं किया गया। इसकी लिमिटेशन भी 85 प्रतिशत एक्सीड कर रहे हैं। पूरा बिल यह है इस बिल का उल्लेख पैरा 97 में है और आज यातायात मंत्री जी बता रहे हैं आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, इसमें उनका नाम नहीं। मिनिस्टर इन्चार्ज एफ. एम. है फिर भी दोनों मिनिस्टर रेस्पांसिबल हैं, कोई भी लाये। लेकिन यह डायरेक्ट मनी बिल है। डाइरेक्ट दूसरा मनी बिल है इसके लिये नोटिफिकेशन इमिजिएट निकालने की आवश्यकता थी। लेकिन आपने दलील दी है 35 प्रतिशत मेग्जिमम रखा है, 30 प्रतिशत से ज्यादा लगा ही नहीं सकते। हम कह रहे हैं 30 प्रतिशत से ज्याद लगा ही नहीं सकते दूसरी तरफ वित्त मंत्रीजी कह रहे हैं 35 प्रतिशत से एक्सीड नहीं करेंगे तो यह तो बिल्कुल फाइनेंस बजट स्पीच को एक तरफ डालकर यातायात मन्त्री जी, जो प्रभारी मन्त्री अभी बने हैं एक घंटे पहले, द्वारा यह जो लिया गया है—It is not inconsonance with the budget speech. इसलिए यह बिल आ नहीं सकता, इस प्रकार का निर्णय ले नहीं सकते।

(120)

(श्री परसराम मदेरणा)

एक बात और पूछना चाहता हूं कि जब बजट स्पीच हुई है उससे पहले मंत्रि-मण्डल ने निर्णय लिया है क्या ? अगर लिया है तो बाद में लिया होगा । 5 तारीख को बजट स्पीच हुई है उसके बाद मंत्रिमंडल निर्णय लेता है और सरकार 10 दिन बाद दूसरा निर्णय लेती है यह कोई सरकार की मोरेलिटी है । यह बिल बिल्कुल ही दूसरा बिल है वह पहला बिल कहां है जिसकी घोषणा वित्त मन्त्री जी ने सदन के प्रांगण में की है ? वह बिल लायें ।

श्री मूलचन्द डागा : "The general budget is prepared by major heads of account, prescribed in consultation with the comptroller and Auditor General. These heads fall either under the consolidated fund of India or in the public Account of Government of India."

जो बजट पेश करते हैं, वह आडिटरों की राय लेकर पेश करते हैं उसके पहले नहीं कर सकते, जब बजट पास कर दिया । स्पीच दे दी, मैं आपकी सेवा में पेज 547 पढ़ता हूं । उस समय तो कहा 25–30 पर्सेन्ट और आज आ गये 35 पर्सेन्ट पर……

श्री हरिसिंह : इस सारे मामले को माननीय सदस्य परस राम जी मदेरणा और मथुरादास जी माथुर……..

श्री बजरंगलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी से पहले मैं निवेदन कर दूं । यहां इनकंसिस्टेंसी की बात कही जा रही है । कानून प्रति वर्ष बने और प्रतिवर्ष तबदील हो, यह जरूरी नहीं । बजट स्पीच में जो कुछ कहा गया है वह इस वर्ष क्या प्रस्ताव है, क्या विचार है इसके बारे में कहा गया है । कानून 35 प्रतिशत तक किया जा सकता है, इस वर्ष किया जाय या अगले वर्ष, यह सरकार की नीति संबंधी बात है । इसलिए इसमें इनकंसिस्टेंसी इतनी नहीं है । इसमें इतना दिया है कि 35 प्रतिशत से कम होगा । सरकार ने बताया है कि इस वर्ष 30 प्रतिशत करने का विचार है । इसमें न कोई इनकंसिस्टेंसी है, न इस तरह की बात है । इसमें है "not exceeding 35"

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : यह क्या बता रहे हैं, श्रीमान ?

श्री बजरंगलाल शर्मा : बिना उत्तेजित हुए, ठंडे दिमाग से विचार करें । बात को समझ कर ठीक से इन्टरप्रेट करने की कोशिश करें तो इसमें कहीं कोई बाधा नहीं है । यही मेरा संक्षिप्त निवेदन है ।

श्री भंवरलाल ऐरन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जो प्रावधान बजट स्पीच में दिया गया है उससे अधिक नहीं होगा इसकी गारण्टी हमने दी है बजट स्पीच में । 35 प्रतिशत मौक्जिमम लिमिट है ।

श्री बंशीलाल सारस्वत : उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो स्टेज है इंट्रोडक्शन की, उपाध्यक्ष महोदय, इंट्रोडक्शन की स्टेज पर…

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह इंट्रोडक्शन की स्टेज से निकल चुका है । अब यह विचारार्थ है ।

श्री बंशीलाल सारस्वत : दूसरी बात मैं निवेदन कर रहा हूं क्लाज 1 में, 3 के

(1) में यह दिया है "not exceeding 35% of the value of the fare or freight as may be notified by the state government from time to time........"

तो यह जो कि नोटिफिकेशन है वह डिपार्टमेंट के नियमों के अन्तर्गत ही दिया है । इसमें इनकंसिस्टेंसी नहीं है । 30 प्रतिशत........

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री महोदय ।

श्री हरिसिंह (यातायात मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैं निवेदन कर रहा था कि विरोधी दल के माननीय सदस्य कंफ्यूजन क्रियेट कर रहे हैं । मामला साफ है, 35 प्रतिशत मैग्जिमम है । अगर अगले साल 32 प्रतिशत करें तो बारबार बिल लाने की जरूरत न हो, इसकी यही मंशा है........

श्री मूलचन्द डागा : यह उत्तर हुआ क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मुझे भी व्यवस्था देनी है जो व्यवस्था के प्रश्न उठाये हैं उन पर ।

जो सम्बन्धित नियम है, नियम 154 की ओर माननीय सदस्यों का ध्यान दिलाना चाहता हूं । उसमें फाइनेंस बिल की परिभाषा दी गई है । बजट भाषण होने के बाद और उसके इन्सर्शन में कोई प्रपोजल गवर्नमेंट की ओर से स्थापित किये जाते हैं उसका भी विवेचन किया जाता है । उन प्रस्तावों के इन्शरसन या क्रियान्वित करने के लिये कोई बिल प्रस्तुत किया जाता है, तो ऐसा बिल फाइनेंस बिल होता है और प्रस्तुत बिल फाइनेंस बिल है । उसके क्या परिणाम निकलेंगे इसका आभास बजट भाषण में दिया जाता है जो बिल आज ला रहे हैं उसमें स्पष्ट है कि जो रेट 25 प्रतिशत थी उसको 35 प्रतिशत तक बढ़ाया जा रहा है ।

श्री हरिसिंह : 30 पर्सेंट ।

कई माननीय सदस्य : Up to 35 percent.

श्री उपाध्यक्ष : जो बजट भाषण माननीय वित्त मंत्रीजी ने दिया था उस भाषण की ओर मैं माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करता हूं ।

वर्तमान में सीमेंट की, तारकोल की, एस्फाल्ट की तथा पक्की व रोड़ी एवं कंकर की सड़कों पर से ले जाये जाने वाले यात्रियों एवं माल के किराये या भाड़े पर 30 प्रतिशत की दर से यात्री एवं माल भाड़ा कर वसूल किया जाता है तथा अन्य अवस्थाओं में 25 पर्सेंट की दर है । अब दरों के इस अन्तर को समाप्त कर सभी प्रकार की सड़कों पर

(श्री उपाध्यक्ष)

किराये या भाड़े की 30 प्रतिशत के हिसाब से एक समान दर करने का प्रस्ताव है।

इसमें दो बातें खास तौर से कही गई, एक तो समान दर होगी और वह समान दर 30 पर्सेन्ट होगी। अब आज माननीय प्रभारी मन्त्रीजी जो बिल पारित करा रहे हैं, इसमें समानता की व्यवस्था नहीं है। इसमें 30 पर्सेन्ट से 35 पर्सेन्ट तक टैक्स लगाने का प्रावधान किया गया है। यह मैं मानता हूं कि सदन को पूरा अधिकार है कि वह इस बिल को स्वीकृति दे या न दे लेकिन प्रपो-जल की एक प्रोप्राइटी होती है, एक सैंक्टिटी होती है। हो सकता है कि माननीय प्रभारी मन्त्री महोदय या वित्त मंत्रीजी द्वारा यह बिल पुरः स्थापित किया गया तो जिस वक्त बजट भाषण दिया गया था, वह बजट भाषण देने के उपरान्त ही यह बिल पुरः स्थापित किया गया उस समय माननीय वित्त मंत्री महोदय ने शायद ध्यान नहीं दिया हो, लेकिन कम से कम यह मोटिव था कि जो भी बजट प्रस्ताव में उन्होंने विचार व्यक्त किये हैं उसी विचार के अनुरूप फाइनेंस बिल पुरः स्थापित होना चाहिए।

यह मैं मानता हूं कि जहां तक प्रोप्राइटी का सवाल है, प्रोप्राइटी के अनुरूप और प्रोप्राइटी के सिद्धान्त के आधार पर माननीय वित्त मंत्री महोदय के बजट प्रस्तावों के अनुरूप ही यह बिल प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जो बिल प्रस्तुत किया गया है वह बजट में जो सुझाव दिये गये हैं, प्रस्ताव रखने का मुद्दा व्यक्त किया गया है उससे थोड़ा डेवियेटेड है।

माननीय प्रभारी मंत्री महोदय ने यह विचार प्रकट किया कि इस वर्ष केवल 30 पर्सेन्ट लगाना चाहते हैं, जहां तक एक बिल को पारित करने का प्रश्न है उसके बाद माननीय मंत्री महोदय अगर चाहें तो उनको 35 पर्सेन्ट टैक्स लगाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। सदन से वह पारित हो जाता है तो गवर्नमेंट को अधिकार हो जाता है कि 35 पर्सेंट तक टैक्स लगा दें कभी भी। उसके लिये सदन की स्वीकृति की आवश्य-कता नहीं है। इसलिए जहां तक प्रभारी मंत्री महोदय का यह कहना है कि इस वर्ष केवल 30 पर्सेन्ट ही लगायेंगे और 35 पर्सेन्ट नहीं लगायेंगे। यह दरअसल में उनका एक मत हो सकता है, उनका एक सुझाव हो सकता है, लेकिन सदन इस सुझाव के आधार पर सहमति दे या न दे, यह प्रश्न चल रहा है। जहां तक मैं समझता हूं प्रोप्राइटी का प्रश्न है, बजट भाषण के अनुरूप यह बिल प्रस्तु-स्तुत नहीं हुआ है। फाइनेन्स बिल में कम से कम यह मुद्दा होता है कि बजट प्रस्तावों के अनुरूप ही फाइनेन्स बिल प्रस्तुत होना चाहिए। इसलिए जहां तक व्यवस्था का यह प्रश्न उठाया गया है कि इसमें इम्प्रोप्रा-इटी रही है मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं कि कि इसमें इम्प्रोप्राइटी रही है।

दूसरा प्रश्न आता है कि अगर फाइनेन्स बिल के अनुरूप कोई बिल ऐसा प्रस्तुत किया गया है, बजट प्रस्ताव से एक्सीड करके या अधिभार लगाकर बिल प्रस्तुत किया जाता है तो मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि सदन सक्षम है। अगर मान-नीय सदस्य यह महसूस करते हैं कि बजट प्रस्ताव के अनुरूप ही प्रस्तुत बिल पास होना

(श्री उपाध्यक्ष)

चाहिए तो यह सरकार और सदन के विवेक पर निर्भर है। उसकी कम्पीटेन्सी अनिवार्यत: है। कोई ऐसा बिल जो बजट भाषण के अनुरूप नहीं है और अधिभार लगा रहा है तो माननीय सदस्यों के विवेक और सहमति का प्रश्न है। मैं यह नहीं कहूंगा कि बिल जो प्रस्तुत किया है, दरअसल कम्पीटेंसी के आधार पर या लीगेलिटी के आधार पर माननीय मंत्री महोदय इसको पारित नहीं करा सकते हैं। पारित कराने का उनको अधिकार है लेकिन जहां तक प्रोप्राइटी का सवाल है प्रोप्राइटी जरूर इसके अन्दर इन्फ्रिज हुई है।

श्री मथुरादास माथुर : मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप, आपके दूसरे कलिग्स विचार करके इसको लायें। हम पास कर देंगे या आप 30 पर्सेन्ट का अमेंडमेंट कर दें तो इसको मान लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : क्या प्रभारी मंत्री····

श्री सूर्यनारायण चौधरी : Amend can mlnt be maruld.

विधायी कार्य : विधेयक पर विचार

राजस्थान यात्री एवं माल कराधान (संशोधन) विधेयक, 1979

श्री हरिसिंह (यातायात मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान यात्री एवं माल कराधान (संशोधन) विधेयक, 1979 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री मथुरादास माथुर : किस रूप में ?

श्री उपाध्यक्ष : इसमें अमेंडमेंट मूव किया जा सकता है और अमेंडमेंट स्वीकार किया जाना चाहिए।

श्री मथुरादास माथुर : ओरिजिनल बिल 35 पर्सेंट का है। आपने उसके लिए कह दिया कि उसमें इम्प्रोप्राइटी है, सब कुछ कह दिया फिर भी पारनाला तो वहीं गिरेगा।

श्री ईश्वरचन्द्र : मेन्डेट्री तो नहीं है। हाउस को कान्फिडेन्स में ले रहे हैं।

श्री भंवरलाल ऐरन : House is Competent enough to amend or reject it a part or whole.

श्री ईश्वरचन्द्र : The Bill should be consistent with the Budget speech.

श्री मूलचन्द डागा : The ruling has been given by the chair. डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को चैलेन्ज नहीं किया जा सकता है।

श्री ईश्वरचन्द्र : इसके बाद भी हाउस सक्षम है कि उसको रिजेक्ट करे या पास करे।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्य जब बोल रहे थे तो हम बीच में नहीं बोले। मैं खड़ा हुआ हूं। आप बोलना चाहते हैं तो आप बोल लें पहले। हम आपकी बात को सुन लेंगे।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, आपकी व्यवस्था है कि जो बिल हमारे प्रभारी

(श्री परसराम मदेरणा)

मंत्रीजी प्रस्तुत कर रहे हैं, कन्सीडरेशन के लिए वह बिल बजट स्पीच के अनुरूप नहीं हैं और इसमें प्रोप्राइटी का इफ्रिनमेंट हुआ है। यह सदन में पहला उदाहरण है। क्योंकि एक दफा यह बिल आ गया है और बिल आ गया है इसलिए कि सरकार की काम्पीटेन्सी या इन्काम्पीटेन्सी को चैलेन्ज नहीं किया गया। वह स्टेज थी इन्ट्रोडक्शन की। उस वक्त हम कह सकते हैं। काम्पीटेन्सी और इन्काम्पीटेन्स के साथ में प्रोप्राइटी का प्रश्न है। बजट स्पीच से बिल्कुल भिन्न, आपने कहा थोड़ा बहुत है। थोड़ा बहुत नहीं, आपने शालीनता का परिचय दिया है, यह बिल्कुल भिन्न है। उन्होंने कहा कि रेगुलेराइज्ड करके 30 पर्सेंट रखेंगे और 35 पर्सेन्ट का नोटिफिकेशन अलग निकालेंगे कि क्या होना चाहिए? यह बिल्कुल भिन्न और विपरीत है और भयानक इम्प्रोप्राइटी करने जा रहे हैं। प्रभारी मंत्रीजी बिल्कुल इन्काम्पीटेन्ट हैं। सरकार ध्यान रखती है। आप जल्दी मत करिये। आप मोरारजी भाई से भी बहुत बड़ी ब्लन्डर करने जा रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं और मैं चेतावनी दे रहा हूं, मुख्य मन्त्री जी नहीं हैं, अगर मुख्य-मन्त्री जी होते तो एक मिनट में ही इसमें अमेंडमेंट दे देते, वक्तव्य देते। यह वक्तव्य नहीं दे रहे हैं और इधर उधर तोते की तरह आंखें फिरा रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : जब उपाध्यक्ष ने रूलिंग दे दी उसके बाद आप क्या बोल रहे हैं?

श्री किशनसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, अभी आपने जो व्यवस्था दी या कमेन्ट्री की You have acceded.

श्री मथुरादास माथुर : कमेन्ट्री कैसे रूलिंग है।

श्री मूलचन्द डागा : It is not a commentary but it is a ruling of the Chair.

श्री रघुनन्दन व्यास : It is verdict.

श्री किशनसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, Your decision includes your commentary also.

श्री उपाध्यक्ष : You can say comments. Not commentary.

श्री भंवर लाल ऐरन : It is a d cision.

श्री किशनसिंह भाटी : If there is infringement of propriety of the Treasury Benches........

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : Speak in Hindi.

श्री किशनसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दी है, प्रोप्राइटी का इन्फ्रिन्जमेंट हुआ है। यह अमेण्डमेण्ड दे नहीं रहे हैं। ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या स्थिति थी? क्योंकि हाउस के अन्दर इस प्रकार

(श्री किशनसिंह भाटी)

की मांग हुई है, दूसरे पथ से जब हम 'यह उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार का नहीं हो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय प्रभारी मन्त्री जी।

श्री हरिसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह स्पष्ट है, जैसा कि बजट में कहा गया है, वैसा ही होगा। यह बिल विचारार्थ लेने के लिए कहता हूं। यह अमेण्डमेण्ट कि 35% के स्थान पर 25% कर दिया जाये। सदन के विचारार्थ पेश किया है।

श्री किशन सिंह भाटी : Infringement of propriety है इस बारे में भी कहिये।

श्री मथुरादास माथुर : यह आप जो कह रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सदन के सामने प्रस्तुत कर दिया जाये।

श्री हरिसिंह : जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं। अमेण्डमेण्ट आया हुआ है। जहां तक प्रोप्राइटी का सवाल है।

श्री किशनसिंह भाटी : हाउस को सैटिसफाई करना चाहिए।

श्री हरिसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान यात्री और माल कराधान (संशोधन) विधेयक, 1979 को विचारार्थ लिया जाये।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री डागा जी।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान यात्री और माल कराधान (संशोधन) विधेयक 1979 को एक माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जावे।

श्रीमान्, सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जो प्रभारी मन्त्री हैं, उनको मालूम नहीं है कि वह क्या करने जा रहे हैं। मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है, आपका बजट पेश हो गया था।

श्री मथुरादास माथुर : Sir, I would request you that the leader of House may be called. सदन के नेता को बुलाया जाये।

श्री किशनसिंह भाटी : आन ए पाइण्ट आफ आर्डर।

उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा आब्जेक्शन करने के बाद उसका कोई उत्तर आना चाहिए।

श्री केदार नाथ : रूलिंग हो गई है।

श्री उपाध्यक्ष : जैसा कि मैंने कहा था माननीय मन्त्री जी को अधिकार है, यह बिल संशोधित किया गया इस रूप में विचारार्थ लिया जाना चाहिए।

(120)

श्री किशनसिंह भाटी : यह आपने कह दिया है। मैं आब्जेक्शन का स्पष्टीकरण चाहता हूं। यह बताया जाये कि यह इन एक्स्ट्रा आर्डिनरी कारणों से किया गया है। क्या कोई जवाब नहीं मांग सकता ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, जब प्रभारी मन्त्री ने बिल विचारार्थ प्रस्तुत कर दिया है तो उस पर चर्चा कर सकते हैं। विचारार्थ लेने के बाद, लाने के कारणों पर भी चर्चा कर सकते हैं।

श्री किशनसिंह भाटी : मैंने निवेदन किया है।

श्री उपाध्यक्ष : बाद में चर्चा कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री मथुरादास माथुर : Infringement of propriey के बाद भी इनको शर्म नहीं आती है।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : दोनों पक्षों को सुनिये।

(व्यवधान)

श्री किशनसिंह भाटी : रिप्लाई आना चाहिए।

श्री मथुरादास माथुर : पार्लियामेण्ट्री डेमोक्रेसी में यह पहली बार हुआ है। Finance Bill is not inconsonance with the finance minister's speech. इसलिए मैं निवेदन करता हूं हमें तो कुछ आपत्ति नहीं है, हम बहस करने को तैयार हैं लेकिन यह जो कान्ट्रेडिक्शन है......

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डागा जी।

श्री परसराम मदेरणा : पार्लियामेण्ट्री प्रैक्टिस में जो व्यवस्था है, वह कर गये, माननीय मथुरादासजी माथुर ने जो अमेण्डमेण्ट रखा है, 35% शब्द वाला, उस पर विचार व्यक्त कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कई दफा बिल पायलट करने का मौका मिला है। किसी अमेण्डमेण्ट को मैंने मूव नहीं किया है। किसी माननीय सदस्य ने किया है। इस वक्त Without consulting the cabinet मंत्री महोदय कर रहे हैं। इस प्रकार का अधिकार माननीय सदस्य को मिलता है यह अमेंडमेंट माननीय मथुरादासजी ने दिया है। 35% के स्थान पर 25% रखने का संशोधन उनका है आप 30% लगा रहे हैं तो 35% रखकर प्रोप्राइटी समाप्त नहीं कीजिए। पार्लियामेण्ट्री हिस्ट्री में ऐसा बिल नहीं आया है जो बजट को इन्फ्रिन्ज करता हो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डागा जी।

श्री हरिसिंह : माननीय माथुर साहब ने जो कहा है और परसराम जी ने जो कहा है, मैं कहना चाहता हूं कि वह जो कह रहे हैं, वह मैं मान रहा हूं। मैंने यह स्पष्ट कहा था कि हाउस की इच्छा को देखते हुए इस

(श्री हरिसिंह)

पर विचार कर लिया जाएगा। बार बार कह रहा हूं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय ने कहा है।

(व्यवधान)

श्री मूलचंन्द डागा : रूलिंग होने के बाद तो मंत्री महोदय को मान लेना चाहिए। अगर नहीं मानते हैं तो यह सदन का अपमान है।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने जो व्यवस्था दी है, उसका क्या प्रभाव होना चाहिए, इसकी व्याख्या ज्यादा नहीं करें।

श्री मथुरादास माथुर : जिन पर प्रभाव होना चाहिए, उन पर प्रभाव नहीं हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया अपने प्रस्ताव के बारे में चर्चा करें।

श्री मथुरा दास माथुर: Minister for parliamentary affairs is sleeping.

श्री मूल चन्द डागा : श्रीमान, मैं एक बात कहना चाहता हूं, यह अखबारों में चर्चा होती है और कई सालों से हो रही है कि हिन्दुस्तान के अन्दर टैक्सेशन का जो तरीका है वह ऐसा है कि हिन्दुस्तान का नागरिक टैक्सेज के भार से दबा जा रहा है, आम आदमी कमजोर होता जा रहा है, उसकी क्रय शक्ति कमजोर हो रही है, आज हिन्दुस्तान पर 49497 करोड़ का कर्जा है।

श्री सूर्य नारायण चौधरी : कितना ?

श्री मूल चन्द डागा : 49497 करोड़ हिन्दुस्तान का कर्जा है और राजस्थान पर 9 अरब का कर्जा है। टी. ए. पाई ने अपने आर्टिकल में बताया कि हमारा जो टैक्सेशन है राजस्थान में और हिन्दुस्तान में, इसमें हम मैग्जिमम सीमा पर पहुंच गये हैं। उन्होंने बताया कि यह ऐसा तरीका नहीं है जिससे हम आर्थिक दृष्टि से आत्म-निर्भर हो सकें। नान प्लान एक्सपेण्डीचर इससे बढ़ेगा। इस प्रकार जो आप टैक्सेशन लगाते हैं, माननीय ट्रान्सपोर्ट मन्त्री जी मेरी बात को सुनिये--

(व्यवस्था-सूचक घण्टी)

49 हजार करोड़ के टैक्सेशन लगाने के बाद, हमारे राजस्थान पर 9 अरब का कर्जा करने के बाद, पिछले दो सालों से निरन्तर घाटे का बजट पेश करने के बाद और हर साल टैक्सेशन लगाने के बाद क्या होगा ? यह होने वाला है कि राजस्थान के गरीब आदमी, उपभोक्ता पर वजन बढ़ेगा। इस टैक्सेशन का प्रभाव आम जनता पर पड़ेगा। श्रीमान्, इस टैक्सेशन के कारण हमें जो आंकड़े उपलब्ध हुए हैं उनके अनुसार हम लोगों को 11 करोड़ 18 लाख रुपये 1976–77 में मिले, 77–78 में 11 करोड़ 95 लाख के मिले और अब आपको 78–79 में 15 करोड़ 62 लाख मिले। यह आपका टार्गेट है। हर एक साल 5 पर्सेन्ट टैक्स बढ़ने के बाद क्या होगा ? इससे सारे

(128)

(श्री मूलचन्द डागा)

उपभोक्ताओं पर वजन पड़ेगा। जो टैक्सेशन बढ़ाया है उसको मैं आपके सामने रखता हूं। अधिनियम के अन्दर टैक्सेशन का भार पहले यह था—

"There shall be levied, charged and paid to the State Government a tax on all fares and freights in respcet of all passengers and goods carried by road by motor vehicles, at such rate not exceeding 35% of the value of the fare or freight, as may be notified by the State Government from time to time."

यह टैक्सेशन था, इन्होंने स्टेटमेंट ऑफ आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में क्या दिया है ? मेरी समझ में, जो स्टेटमेंट आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स दिये हैं, उनमें कोई दलील नहीं है। उसमें दलील इस बात की नहीं है कि टैक्सेशन क्यों बढ़ाना चाहते हैं ? इन्होंने यह दिया है स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में—

"This distinction of rates is proposed to be done away and the maximum has been proposed to be raised to 35% making the provision flexible........"

श्रीमान्, अब यह फ्लेक्सिबिल क्या बनाना चाहते हैं ? टैक्सेशन के प्रपोजल्स हैं, वह फ्लेक्सिबल है क्या ? आप कितनी आमदनी चाहते हैं ? माननीय यात्रा मंत्री महोदय, मेरी बात सुन लें तो अच्छा रहेगा, आप बात सुन लें नहीं तो बाद में इधर उधर का उत्तर देंगे।

(व्यवस्था–सूचक घण्टी)

आप जानते हैं इस प्रकार से रुड मेजोरिटी के आधार पर जो बिल पास होता है, हम उसको बर्दाश्त कर लेंगे। 35 पर्सेन्ट टैक्स आप बढ़ा रहे हैं इसका यह रीजन दिया है कि विलेजेज के अन्दर कच्ची सड़कें और रास्ते हैं। वहां 25 पर्सेण्ट और दूसरी जगह 35 पर्सेन्ट, 30 पर्सेन्ट लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं फ्लेक्सिबिल रखने के लिए 35 पर्सेन्ट बढ़ा रहे हैं। मैं रीजन नहीं समझा, क्या पर्पज है आपका ? श्रीमान् इन्होंने 35 पर्सेन्ट रखा है उसका यह रीजन दिया है। 5 पर्सेन्ट सरचार्ज रखा है। 21 दिसम्बर, 1971 को सरचार्ज लगाया था, बंगाली रिफ्यूजी आए थे तब इण्ट्रोड्यूज किया था। तब जो पर्पज था वह यह था 5 पर्सेन्ट सरचार्ज इसलिए लगाया था क्योंकि दिसम्बर, 71 में बंगाल के शरणार्थी हिन्दुस्तान में आ गये थे। मैं कहता हूं वह समय बीत गया, अब यह 5 पर्सेंट का अमाउन्ट कहां जाता है ? यह कितना अमाउन्ट होता है। 1971 के बाद आज है 1979 अब वह रुपया कहां जाता है ? बंगाली शरणार्थी वापस चले गये और बंगला देश भी बन गया। फिर भी अगर कोई यात्री गाड़ी चलायेंगे तो 35 पर्सेन्ट और 40 पर्सेन्ट टैक्स देना पड़ेगा। मैग्जिमम 100 रु० फ्रेट और फेयर होगा तो 35 रु० सरकार लेगी और 5 रु० इन

(श्री मूलचन्द डागा)

एडीशन टू डेट सरचार्ज के रूप में लेगी। श्रीमान् इतना टैक्स बढ़ गया है। आप जानते हैं, यह टैक्सेशन का डिपार्टमेंट किस प्रकार से कार्यवाही

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

किस प्रकार असेसमेंट होता है, उसका क्या तरीका है ? मुझे मन्त्री महोदय बताने की कृपा करें। इस टैक्सेशन के बारे में कोई बात नहीं की एट दी टाइम आफ इण्ट्रोडक्शन और न स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में कहा है कि हमको इतनी आमदनी चाहिये, यह मालूम नहीं है कि किस किस आधार पर भार डालते हैं, 25 करोड़ एकदम। गांवों में 25 पर्सेन्ट, जहां पर कच्ची सड़कें हैं, और दूसरी जगह पर 35 पर्सेण्ट होगा जहां गांवों का ट्रान्सपोर्टेशन होगा। रोड़वेज का जो मामला है, उसमें कुछ हिस्से का तो राष्ट्रीयकरण हुआ है, लेकिन बहुत सा हिस्सा है जिसका राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ है। राजस्थान में जब से जनता पार्टी की सरकार आई है, राष्ट्रीयकरण की नीति भी ढीली हो गई है। राष्ट्रीयकरण नहीं होने के कारण और बहुत से हिस्सों में इन्होंने परमिट दिये हैं, इसलिए इस टैक्स का वजन साधारण लोगों पर और

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

गांव में दूर-दूर रहने वाले लोगों पर ज्यादातर पड़ेगा। यह इस प्रकार का टैक्सेशन लगाया है। मुझे यह बतलावें कि तीन साल में आपने कितने चालान किये जिससे कि यह टैक्सेशन ठीक तरह से वसूल किया जा सके ? मैं समझता हूं कि इसमें यह घोटाला है। राजस्थान पथ परिवहन निगम भी ठीक प्रकार से चुकाता नहीं। आज हमारी बसें गांवों में जाती हैं, लोग बस के ऊपर बैठते हैं, उनमें काफी भीड़ रहती है, यात्रियों को कोई सुविधा नहीं है। जहां पर राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ, वहां पर आप क्या सुविधा देते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : कृपया चर्चा समाप्त करें।

श्री मूल चन्द डागा : इस प्रकार का टैक्सेशन लगाया है। गवर्नमेंट आफ इण्डिया ने एक कमेटी के फार्मेशन का निर्णय लिया है।

In his budget speech in the lok sabha in June, 1977, the Hon' ble Shri H. M. Patel, Minister of Finance, Government of India, informed the House as under :–

'As hon. members are aware, the direct taxes statutes have become increasingly complicated and incomprehensible over the years. It is, therefore, necessary to take immediate action for the simplification and rationalisation of these laws with a view to making them readily intelligible to the tax payers, reducing litgiation and thus subserving the interst of the national economy. It is also necessary to examine ways and means of improving the administration of these laws and expediting assessment,

(श्री मूलचन्द डागा)

appellate and other proceedings in these laws.

It has, therefore, been decided to appoint a committee of eminent experts to make recommendations for the simplification and rationalisation of the direct tax laws."

Therefore, the committee was appointed.

राजस्थान सरकार बार बार यह कहती है कि हम टैक्सेशन के मामले में एक तरीका निकालना चाहते हैं किन्तु कोई तरीका तो निकाला नहीं, यह बिल पेश कर रहे हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इसके अलावा कई लोग जो गाड़ियां चलाते हैं और वाहन रखते हैं वह पढ़े लिखे नहीं हैं। वह अपना हिसाव किताव ठीक समय पर पेश नहीं कर पाते हैं। यहां तक कि रोड़वेज कार्पोरेशन तक टैक्स नहीं जमा कर पाता है। यह टैक्स गरीब जनता पर पड़ेगा और उपभोक्ताओं पर ज्यादा पड़ेगा। और यह एक प्रकार से हमारे ऊपर भार है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (वाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान यात्री और माल कराधान (संशोधन) विधेयक, 1979 को एक एक माह के किये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये, यह संशोधन प्रस्ताव मैंने प्रस्तुत किया है। मैं इस संबंध में यह कहना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार ने जो वजट प्रस्तुत किया और राज्य सरकार ने जो वजट प्रस्तुत किया इन वजट में जो कर प्रस्ताव थे उनसे महंगाई बढ़ी। फेयर और फ्रेट पर जो टैक्स लगेगा उससे भी महंगाई बढ़ेगी। और जब मंहगाई बढ़ती है तो उसका असर आम जनता पर पड़ता है। इसमें अगर यह प्रोवीजन होता, जो असेन्सियल गुड्स हैं जो कि आम जनता के लिए आवश्यक हैं उसके लिए कुछ एग्जेम्पशन होता या उसके लिए भी कुछ कम टैक्स का प्रोवीजन होता तो भी यह स्थिति होती कि जो असेन्सियल गुड्स आम जनता के काम आते हैं उन पर कम टैक्स करके आम जनता को राहत पहुंचाते और वह हमारा समाजवादी दृष्टिकोण होता लेकिन वह दृष्टिकोण भी इसमें नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि टैक्स बढ़ाने के लिए हम सहमति भी दें लेकिन आम जनता यह जानना चाहती है कि उनको क्या सुविधायें प्रदान होती हैं? वाड़मेर के लिए मैं कहना चाहता हूं कि वाड़मेर जिला मुख्यालय पर बस स्टेन्ड नहीं है। टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर का बस स्टेन्ड है। इसी तरह का बस स्टेण्ड जैसलमेर का है। जैसलमेर के अन्दर कार्यशाला याने वर्कशाप भी नहीं है। हमारे यहां पर जो वर्कशाप है उसकी दुर्दशा है। उसमें रिपेयर्स की कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है ताकि गाड़ियां ठीक हो सकें। अधिकाश गाड़ियां आफ दी रूट हैं। मैं आपको 1975,76 77,78 और 79 तक के फिगर्स बताना चाहता हूं। 25 पर्सेन्ट बसेज आफ दी रूट

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

हैं। जब 25 पर्सेन्ट बसेज ग्राफ दी रूट हैं ग्रौर पूरी बसेज की व्यवस्था नहीं है तो भीड़ का होना स्वाभाविक है। बाड़मेर ग्रौर जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में जनसंख्या कम है वहां भी छतों पर सवारियां बैठती हैं। सारे राजस्थान में 3 मजिस्ट्रेट मुकर्रर किये हैं वह क्या व्यवस्था कर सकेंगे ? ग्रापने उड़न दस्ते की व्यवस्था की है वह भी बहुत ही साधारण है। ग्रगर वास्तव में जनता को सुविधा दें तो टैक्स बढ़ाने का ग्रौचित्य है। जोधपुर शहर के ग्रन्दर भी लेट्रीन की बड़ी भारी ग्रव्यवस्था है ग्रौर स्नानगृह की तो व्यवस्था है ही नहीं। ग्रापकी ग्रौर जो व्यवस्थायें होनी चाहिएं जैसे यात्री शेड, बैठने की सुविधा, केन्टीन, प्याऊ शौचालय उन की व्यवस्था नहीं है। ग्रापने व्यवस्था सुधारने के लिए कोई प्रोग्रेस नहीं की है। फर्स्ट एड बाक्स कहीं पर भी नहीं हैं। ग्रगर कोई एक्सीडेन्ट हो जाये तो फर्स्ट एड की व्यवस्था भी नहीं है। किसी भी गाड़ी में नहीं है। सुपर डीलक्स गाड़ियों तक में फर्स्ट एड बाक्स नहीं हैं। कम्पलेन्ट्स बुक्स नहीं हैं। तो कोई भी सुविधा नहीं है ग्रौर मुसाफिरों को कष्ट है। जो सुपर डीलक्स गाड़ी ग्रापने जोधपुर से जयपुर के लिए ग्रनुबंधित की है वह सुपर डीलक्स गाड़ी नहीं है। एक तरफ 3 सीटें ग्रौर दूसरी तरफ 2 सीटें हैं। जो 3 सीटों वाला हिस्सा है उसमें तीन ग्रादमी बैठ ही नहीं सकते। जब भी ग्राप गाड़ियों को ग्रनुबन्धित करें तो यह भी देख लें की इसमें कहीं पक्षपात तो नहीं हुग्रा है।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

मेरा निवेदन है कि जो टैक्स बजट स्पीच में थे उससे भी सीमा ज्यादा बढ़ा रहे हैं ग्रौर सुविधायें नहीं दे रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीयकरण जो कर रहे हैं उस कार्यक्रम को न केवल ग्राप ग्रागे ही बढ़ायें बल्कि जो कार्य हाथ में लिये हैं उनको कन्सोलिडेट करके स्ट्रेन्थन करके जनता को सुविधायें दें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मथुरादास माथुर।

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह प्रस्ताव रखा है कि राजस्थान यात्री ग्रौर माल कराधान (संशोधन) विधेयक, 1979 को एक माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये। इस सिलसिले में बोलते हुये मैं राजस्थान सरकार से कुछ निवेदन करना चाहता हूं। जो मौजूदा बिल हमारे सामने है इसके सम्बन्ध में मैं जानना चाहता हूं ग्राखिर राजस्थान सरकार की क्या ट्रान्सपोर्ट पालिसी है ? कितना बर्डन ट्रान्सपोर्ट के जरिये से कन्जूमर्स के ऊपर डालना चाहते हैं ? यह बहुत बड़ा प्रश्न है। ग्राज के दिन, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के ग्रन्दर, पैट्रोल ग्रौर डीजल नार्थ जोन में जितने भी स्टेट्स हैं, उन सबसे ज्यादा मंहगे हैं। यह ग्राप सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि दिल्ली, हरियाणा ग्रौर पंजाब में ग्राज पैट्रोल, डीजल की जो दरें हैं उन सबसे हमारे यहां महंगा है 55 पैसे पैट्रोल में हरियाणा ग्रौर ग्रपनी स्टेट में डिफरेन्स है। करीब 53 पैसे का डिफरेन्स दिल्ली ग्रौर हमारी स्टेट के बीच में है।

(श्री मथुरादास माथुर)

अब मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस वक्त ओपेक का निर्णय है कि पैट्रोल का 9 प्रतिशत भाव बढ़ेगा। इसलिये आखिर आप कन्जूमर के ऊपर कितना वजन डालना चाहते हैं ? कहीं ऐसा न हो जाये, आयोजना मंत्री जी और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब, कर का वजन इतना बढ़ जाये कि चीजें और महगी हो जायें। मेरा निवेदन है कि इस वक्त पैट्रोल 4·32 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। उसमें 12 पर्सेंट तो सैल्स टैक्स है और दो पैसा प्रति लीटर आक्ट्राय है। 9 पर्सेन्ट पैट्रोल की कीमत और बढ़ने वाली है। यह फैसला ओपेक का आपने अखबारों में पढ़ा होगा। हमें 35 मिलियन डालर ज्यादा देना पड़ेगा इस कारण पैट्रोल महंगा होगा इसका और कोई इलाज नहीं। 35 मिलियन डालर तो जो 9 पर्सेंट इन्क्रीज की है उस पर देना पड़ेगा वहां से हिन्दुस्तान आयेगा फिर ट्रांसपोर्ट होकर हमारे यहां पर आयेगा। यह 9 पर्सेंट की जगह आसानी से 10,12 पर्सेंट हो जायेगा। जो पैट्रोल का भाव आज है उसमें बढ़ोतरी होगी, यह आपके और हमारे हाथ में नहीं है। तो पैट्रोल के भाव जब बढ़ जायेंगे, मुख्य मंत्री जी, जो आयल प्रोड्यूसिंग एण्ड एक्सपोर्टिंग कन्ट्रीज हैं उनका फैसला है कि 9 पर्सेन्ट भाव, वहां पर बढ़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन पर, वहां से हिन्दुस्तान और हिन्दुस्तान से शहरों में लाते लाते 5 पर्सेंट से यह 13,14 पर्सेंट बढ़ जायेगा। 35 मिलियन डालर ज्यादा देना पड़ेगा। आगे चलिये, जब पैट्रोल का भाव बढ़ जायेगा, जो सैल्स टैक्स है वह उस बढ़ी हुई रेट पर लगेगा, आक्ट्राय लगेगी। तो मेरा यह निवेदन है कि आज जो पैट्रोल 4.32 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है वह 5 रुपये पर चला जायेगा। जो कभी 3,4 रुपये गैलन मिलता था आज 5 रुपये लीटर मिलेगा। इसके साथ-साथ डीजल भी मंहगा होगा। ट्रांसपोर्ट गुड्स महगी हो जायेंगी। ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जायेगा। पैसेन्जर टैक्स 35 पर्सेंट बढ़ाने की आप सोच रहे हैं। इसके साथ ही इसी बजट भाषण में आप मोटर व्हिकल्स के ऊपर भी टैक्स बढ़ा रहे हैं। जितनी बसेज हैं ट्रांसपोर्ट की, जितनी लारीज है, इस पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ी है, वह 15 पर्सेंट होती है। जो गाड़ी लाख में आती थी अब सवा लाख में मिलेगी। कन्जम्पशन के लिये पैट्रोल और डीजल मंहगा फिर और टैक्स लगाये, आक्ट्राय लगाई, सैल्स टैक्स इन के बढ़ने से आप केलकूलेट करके देखिये। हमारे राजस्थान में आप जानते हैं रेलवे लिमिटेड है। ट्रांसपोर्ट बसों और ट्रकों के जरिये होता है। यह वजन कन्जूमर गुड्स के ऊपर डलेगा। बहुत मंहगी चीजें मिलेंगी। राज्य सरकार की यह हमेशा मन्शा रहती है कि चीजें सस्ती मिलें। मेरा निवेदन है कि पैट्रोल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। टैक्स बढ़ता जायेगा, आक्ट्राय बढ़ती जायेगी, नतीजा यह होगा हमारे ऊपर बहुत भारी बर्डन हो जायेगा। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके सोचने की बात यह है कि कर्नाटक स्टेट ने कल आक्ट्राय अबालिश कर दिया, भारत सरकार ने पहले एक कमेटी बनाई थी, राज्य सरकार ने भी पहले आक्ट्राय समाप्त करने के लिये····

श्री भैरों सिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : एक जानकारी करना चाहता हूं, आपकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, उसकी रिपोर्ट आई की नहीं ?

श्री मथुरादास माथुर : रिपोर्ट देने के पहले न मैं सदन का मैम्बर रहा, न मिनिस्टर रहा ।

श्री रघुनंदन व्यास : इसका मतलब, आक्ट्राय चीज ही खराब है ।

श्री मथुरादास माथुर : मुख्य मंत्री जी, आपको हंसी आ रही है मैं मैम्बर नहीं रहा ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मुझे बहुत दुःख है । अगर आप मिनिस्टर बनना चाहें तो आज भी आ सकते हैं ।

श्री मथुरादास माथुर : मुख्य मंत्री जी, मैं तो यहां पर हूं, मैं यहां पर ज्यादा इज्जत समझता हूं । आफर के लिये धन्यवाद ।

एक चीज मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप चिन्तन कीजिये, सोचिये आखिर यह प्राइसेज....

श्री वृद्धिचन्द जैन : आफर का जवाब दीजिए ।

श्री मथुरादास माथुर : इन्होंने कौन सा सीरियसली कहा है ?

श्री बजरंगलाल शर्मा : यह बहुत सीरियस आफर है, मजाक में मत लीजिये ।

श्री मथुरादास माथुर : मैं आपके किसी रास्ते में नहीं आऊंगा ।

मुझे अपनी बात कहने दीजिए ।

मेरा एक नम्र निवेदन है राज्य सरकार से कि पैट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं । दूसरा, मैं तो एक्सपैक्ट करता हूं, खास तौर से, मुख्य मन्त्री जी, आपसे और आपके आयोजना मन्त्री जी, जो इकनामिस्ट्स भी हैं, से कि आखिर टैक्स बढ़ाना ही सरकार का काम नहीं है । पैट्रोल, डीजल के भाव बढ़ रहे हैं । 12 पर्सेंट सैल्स टैक्स है, सैल्स टैक्स का रिडक्शन करना चाहिये । इकानामी के ऊपर ट्रांसपोर्टेशन टैक्स इतना हावी न हो जाये, कन्जूमर गुड्स की कीमत इतनी न बढ़ जाये कि कमर तोड़ दे । पैट्रोल की प्राइसेज हमारे हाथ में नहीं हैं । सैल्स टैक्स का स्ट्रक्चर जो है, इस बजट में जो 12 पर्सेंट डीजल पर लगा रहे हैं उसमें आप रिडक्शन करें । अगर सैल्स टैक्स कम करेंगे तो प्राइसेज ज्यादा नहीं बढ़ेंगी । जो आप 30, 35 पर्सेंट टैक्स करना चाहते हैं, मैं उस दृष्टि से नहीं देखता । आप सैल्स टैक्स के ऊपर कन्सीडर कीजिये, आप आक्ट्राय के ऊपर कन्सीडर कीजिये, मोटर व्हिकल टैक्स के ऊपर कन्सीडर कीजिये, पैसेन्जर टैक्स के ऊपर कन्सीडर कीजिये, रैशनल करें । उसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, पैट्रोल के भाव बढ़ेंगे, यह महंगा होगा, पैसेन्जर्स का किराया बढ़ जायेगा । ऐसी सूरत के अन्दर मैंने पब्लिक ओपीनियन की बात कही है । मैं कहना चाहता हूं कि ट्रांसपोर्ट स्ट्रक्चर इतना बढ़ रहा है, जिसका प्रभाव अल्टीमेटली कन्जूमर्स गुड्स के ऊपर पड़ेगा । एक मामूली कन्जूमर पर भार बढ़ेगा इसलिये मैं इतना ही निवेदन नहीं करना चाहता हूं कि इसे पब्लिक ओपीनियन के लिये सर्क्यूलेट किया जाय बल्कि मुख्य मंत्री जी, आप का यह फर्ज है कि जो मोटरों पर

(श्री मथुरा दास माथुर)

टैक्स लगा है, इसके लिये अपना गुड आफिस यूज करें ताकि जो भाव बढ़ रहे हैं वे कुछ वेलेन्स हो सकें। इसलिये मैंने यह प्रस्ताव रखा है और मुझे उम्मीद है कि राज्य सरकार इस सारे टैक्स स्ट्रक्चर पर पुनः विचार करेगी।

विधेयक प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मदेरणा साहब आपका प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का प्रस्ताव है।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव है, राजस्थान यात्री एवं माल कराधान (संशोधन) विधेयक, 1979 एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह में प्रस्तुत करे। समिति को सुपुर्द करने का है। वह जैसा कि जनमत जानने हेतु परिचालन करने के प्रस्ताव रखते समय इस सदन में कहा गया है, इससे रेट तो बढ़ेगी पैसेन्जर टैक्स में और उसका असर दूसरी जरूरत की चीजों पर भी पड़ेगा। रेलवे का फ्रेट बढ़ रहा है, 500 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर माल जाता है, तो उस पर भी अब एक तारीख से ज्यादा भाड़ा लगेगा। माननीय मन्त्री जी, आपने 35 पर्सेन्ट तक रेट बढ़ाई है, यह मैं जानता हूं कि आप 30 पर्सेन्ट से ज्यादा इन्क्रीज नहीं करेंगे लेकिन इसके साथ जो सरचार्ज है वह भी बढ़ेगा। एक इन्टरिम टैक्सेशन लगाया था आपने बंगला देश की लड़ाई के बाद। उस समय जो कुछ देश में खर्चा हो रहा था उसको मीट करने के लिये एक अवधि के लिये लगाया था। अब आपने उसको 85 तक लगा दिया है। गुड्स टैक्स बढ़ाते हैं, पैसेन्जर टैक्स बढ़ाते हैं तो सरचार्ज भी फिर उसी अनुपात में बढ़ेगा। जो टोटल अमाउन्ट होता है उस पर सरचार्ज बढ़ता है। सरचार्ज इन्क्रीज होने की वजह से लोगों को ज्यादा किराया देना पड़ेगा। जो चीजें और माल राजस्थान में एक जगह से दूसरी जगह ट्रान्सपोर्ट किया जायगा उस पर भी वृद्धि हो जायगी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि केवल यह सरचार्ज ही नहीं बढ़ रहा है बल्कि जो ट्रान्सपोर्ट हो रहा है माल का पूरे राजस्थान में, इसमें भी बहुत बड़ी दुर्व्यवस्था है। मैं, आपकी मार्फत, माननीय मन्त्री जी को निवेदन करना चाहूंगा। इस पर चर्चा हुई कि आक्ट्राय के लिये जगह–जगह रोका जा रहा है। एक व्यक्ति यहां से उदयपुर जाता है उसे अगर हर जगह म्यूनिसिपैलिटी नहीं रोकती है तो वह 7–8 घंटे के बीच में पहुंच जाता है लेकिन माल गाड़ी को उदयपुर पहुंचने में 18 घंटे लगते हैं। आज उसको जगह–जगह रोका जा रहा है और रोकने में काफी करप्शन है दूसरे चुंगी का अपना-अपना अलग-अलग मापदण्ड है। मुझे अभी इस सदन में पत्र मिला है, दो दिन पहले कोटा में दो गाड़ियां गईं....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मदेरणा साहब, क्या आक्ट्राय की चर्चा तर्क संगत होगी?

श्री परसराम मदेरणा : जो व्यवस्था

(श्री परसराम मदेरणा)

है ट्रान्सपोर्ट की, उस संबंध में मैं निवेदन करना चाहता हूं और इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि रेलेवेन्ट जो बात थी-प्रोप्राइटरी वाली वह भी माननीय मन्त्री को इर्रेलेवेन्ट लग रही है। यह इर्रेलेवेन्ट इसलिए नहीं है कि इस वक्त देश में चर्चा चली कि आक्ट्राय की लोगों को सुविधा नहीं है। माल को रिमोटेस्ट कोर्नर में दूरस्थ गांवों में पहुंचाने के लिये लोगों को बसेज उपलब्ध हों, सवारी गाड़ी उपलब्ध हों। गांव गांव में भी ट्रान्सपोर्ट पहुंच सके ताकि उनको आने जाने में सुविधा हो, उनकी एग्रीकल्चर प्रोड्यूज आसानी से और सस्ती दर पर बाजार में आ सके। आज सब जगह गाड़ियां नहीं पहुंचती हैं तो मेरा निवेदन है कि सब जगह इसकी सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, इन सबके लिए कुछ क्राइटेरिया तय किया हुआ है। आज यातायात की जितनी व्यवस्थाएं हैं चाहे बसेज की हों, चाहे माल ढोने की हों, इस पर हम नियंत्रण इसलिये रख रहे हैं कि जनता को आने जाने में सुविधा हो, जनता को माल लाने और ले जाने की सुविधा हो, यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुचने में सुविधा हो। यह इसमें लिखा है, ट्रेड और इन्डस्ट्रीज का भी डवलपमेंट हो। इसमें यह भी लिखा है कि मोनोपोलाइजेशन न हो, रेलवे ट्रान्सपोर्ट और मोटर ट्रान्सपोर्ट में सामंजस्य हो। यदि इन सारे आबजेक्ट्स को ध्यान में रखते हैं तो यह निवेदन करूंगा कि आक्ट्राय के सम्बन्ध में देश में यह चर्चा चल रही है कि इस आक्ट्राय की वजह से बहुत बड़ा हरैसमेंट है। एक तरफ म्यूनिसिपैलिटी के लोग चैक करते हैं, तो दूसरी तरफ पुलिस के लोग चैक करते हैं। इस तरह आपकी जो तीन-चार की एजेन्सियां है वह चैक करती हैं, रात को किसी सड़क पर चले जांये ये सब लोग वर्दी पहन कर घूमते हुए नजर आयेंगे। दस बजे बाद उनकी गतिविधियां और बढ़ जाती हैं। आक्ट्राय के सम्बन्ध में कोई निर्णय लें तो मैं समझता हूं माल ढोने वाली गाड़ियों की जो दिक्कतें हैं, समाप्त हो सकती हैं।

जो माननीय मंत्री जी ने विवरण प्रस्तुत किया है, इस विभाग की प्रगति का उस सम्बन्ध में भी निवेदन करना चाहता हूं जो बहुत ज्यादा रेलेवेन्ट है। मेरा निवेदन यह है, उपाध्यक्ष महोदय, पेज 9 पर सूचना दी है, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में। अब सार्वजनिक क्षेत्र में आटो रिक्शा को लिया है। मेरी समझ में नहीं आता है यह सार्वजनिक क्षेत्र में आटो रिक्शा कैसे आता है? मैं निवेदन करूंगा कि आज ही हमारे पास में यह प्रगति-विवरण आया है। इसमें पेज 11 पर यह इनफार्मेशन दी गई है कि जो यात्री एवं माल से सम्बन्ध रखते हैं, यात्री एवं माल कर के सम्बन्ध में जो विचाराधीन मामले हैं सन् 78–79 में 54070 मामलों को निपटाया गया। जो मामलों की संख्या है उसमें 8558 कर निर्धारण के मामलों की संख्या के हैं और फिर अवशेष मामलों की संख्या लिखी है आपने 28,878। 54070 में से निपटाये गये मामले 8558 बाकी निकाल देते हैं तो संख्या रह

(श्री परसराम मदेरणा)

जाती है 48, 212 और ये कहते हैं 28, 878 । यह कनफ्यूजन किस लेवल पर हुआ, यह तो मुझे पता नहीं लेकिन ये आपके आंकड़े दिये हुए हैं ये गलत हैं।

अब पेज 13 पर जो संख्या दी है धारा 60 के अन्दर टैक्सेशन के सम्बन्ध में–यात्री कर और माल कर के सम्बन्ध में जो संख्या दी है, मैं निवेदन करना चाहता हूं काफी डिफरेन्स है उसके अन्दर। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, धारा 60 के म मलों में जो रजिस्टर हुए हैं 2576 जो निपटाये गये हैं। वे हैं 682 । 2576 में से 682 गये तो मामले शेष रह गये 409 जब कि रहने चाहिये 1894 । इसलिये इस प्रगति विवरण के सम्बन्ध में इस पर तो कहीं चर्चा ही नहीं कर सकते हैं कि इसमें क्या सामंजस्य है? मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, कुछ एनोमलीज आपके यहां हैं क्योंकि ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट पूरी व्यवस्था करने के लिये तीन अधिनियमों के अन्तर्गत कार्य करता है। एक मोटर व्हिकल एक्ट है, एक राजस्थान पैसेन्जर्स एण्ड गुड्स टैक्सेशन एक्ट और तीसरा राजस्थान मोटर व्हिकल टैक्सेशन एक्ट है। इन तीनों के अन्दर अलग-अलग व्यवस्थायें हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत सी एनोमलीज हैं, जैसे स्कूटर के सम्बन्ध में एनोमली है। एक स्कूटर का टेम्प्रेरी परमिट एक महीने के लिए लिया जाता है तो उसके लिए दस रुपये देने पड़ते हैं। यदि उसी स्कूटर को यहां से उदयपुर ले जाते हैं, उदयपुर का परमिट है फोर आल टाइम्स तो उसका 5) रुपया देना पड़ता है। यहां तो एक महीने का दस रुपया और उदयपुर ले जाकर रजिस्ट्रेशन होता है तो पांच रुपया। इस प्रकार की बहुत सी एनोमलीज हैं जिनके अन्दर में अभी जाना नहीं चाहता हूं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने राज्यपाल के अभिभाषण में इस बात का उल्लेख किया है, नीति के तौर पर कि जो रूट्स नेशनलाइज्ड नहीं हैं वहां पर सीमित परमिट नहीं रख कर सभी के लिए ओपन कर देना चाहते हैं, तो इसके अन्दर भी मोटर व्हिकल एक्ट के सैक्शन 40 के अन्दर विरोधाभास है। इसलिए विरोधाभास है कि जो आर टी. ओ परमिट फिक्स करती है, या जो अपीलेट अथॉरिटी परमिट फिक्स करती है वह प्रोपरली पैसेंजर्स का सर्वे करने के बाद करती है। अगर अनलिमिटेड तौर पर जितने लोग परमिट लेना चाहें उनको देना चाहेंगे तो इससे अनहैल्दी कम्पीटिशन होगा। सैक्शन 40 के अन्दर यह प्रोवीजन है कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट यह देखेगा कि अनहैल्दी कम्पीटिशन नहीं हो। इसीलिए ही यह परमिट सिस्टम लगाया गया है। आप अब यह करने जा रहे हैं कि ऐसे कच्चे रूट्स पर अगर पचास आदमी परमिट लेना चाहेंगे तो उनको परमिट दे देंगे, तो उसके परिणाम स्वरूप महीने भर बाद में ही सभी गाड़ियां ठप्प हो जायेंगी। नतीजा यह हो जाएगा कि लोगों को असुविधा होगी। गवर्नर के एड्रेस में जो बात आपने कहलाई है इसके अन्दर दूसरे परमिट मांगने आते हैं उनके अन्दर से चूज एण्ड पिक करते हैं। उसके करप्शन को एलीमिनेट करने के लिए, करप्शन को समाप्त करने के लिए करना चाहते हैं वह दूसरी

(श्री परसराम मदेरणा)

बात है लेकिन यह जो सार्वजनिक क्षेत्र में, उपाध्यक्ष महोदय, रोडवेज के अन्दर आज घाटा हो रहा है और जो रोडवेज की दुर्व्यवस्था है इसके सम्बन्ध में मुझे अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है, माननीय सदस्य सभी जानते हैं। फिर आप कोई भी

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

रोडवेज की गाड़ी देख लीजिए, ऊपर भरी हुई मिलेगी। चालीस चालीस सवारी ऊपर बैठी हुई होती हैं। उसके बाद में जो गल्ला आता है गाड़ी का, वह कहीं पर बीस सवारी का है, कहीं पर तीस सवारी का है। इसके बारे में पहले भी काफी चर्चा हो चुकी है, मैं इसके बारे में और अधिक समय नहीं लेना चाहता लेकिन यह कहना चाहता हूं कि आज जो बिल आपने प्रस्तुत किया है वह बजट स्पीच से बिल्कुल भिन्न है। 35 पर्सेंट बढ़ाने को वापस लेना चाहते हैं, इसमें भी भिन्नता है। रेशनलाइजेशन की बात फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच से मेल नहीं खाती है। फाइनेंस मिनिस्टर के अनुसार रेशनलाइजेशन की बात नहीं है उसमें आर्टिकल दूसरा है, उसको आप वापस लेने जा रहे हैं। वे तो कहते हैं। कि अलग अलग जोन्स, अलग अलग रूट्स पर अलग अलग व्हिकल पर अलग अलग समय पर निर्धारित करेंगे। यह बिल्कुल विपरीत है। मुख्य मन्त्री जी भी आ गये हैं, आपने 35 पर्सेंट की बड़ी भारी प्रोप्राइटी कमिट की है, 35 पर्सेंट इसमें नहीं है लेकिन आपने जो स्पीच दी है उसके पैरा 97 में बिल्कुल विपरीत है। मेरी समझ में नहीं आता, यह बिल इण्ट्रोड्यूज किया गया 5 तारीख को, फाइनेन्स मन्त्री जी ने बजट भाषण दिया था जो उनको पकड़ाया गया बिल और उसी दिन यह बिल आया बजट स्पीच होने के बाद में। या तो उसमें इस स्थिति को भुला दिया गया या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने उस वक्त जो बिल बनाकर भेजा फाईनेंस डिपार्टमेंट ने, स्पीच को बनाते समय ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के बिल को देखा नहीं। अगर देख लेते तो निश्चित तौर पर इस प्रकार का कमिटमेंट, जो उनकी स्पीच में किया गया है इस सदन में, नहीं करते। चूंकि मुख्य मंत्रीजी आ गए हैं इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत निवेदन करूंगा कि यह जो बिल है इसकी प्रोप्राइटी को ही इन्फ्रीज नहीं करता है बल्कि यह बिल बिल्कुल बजट स्पीच से विपरीत है। इस प्रकार से बजट स्पीच से बिल्कुल विपरीत बिल में उल्लेख करने के बाद में भी एक और आया है, आज ही माननीय सदस्यों को मोटर व्हिकल टैक्सेशन के सम्बन्ध में बिल दिया है जिसमें कुछ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन्स हैं, कुछ एजूकेशनल इंस्टीट्यूशन्स हैं उनकी जो व्हिकल्स चलती है उनकी कुछ डिमाण्ड बनी है या उसका डिपोजिट हो गया है, वह उनको रेट्रोस्पेक्टिवली रिफण्ड किया जाएगा या वसूल नहीं किया जाएगा, इसके लिए यह बिल लाये हैं। इस प्रकार से किसी बिल में अमेंडमेंट लाने का आपको अधिकार है, मैं आपकी कम्पीटेंस को चैलेंज नहीं करता, प्रशासन की प्रोप्राइटी है। मुख्य मंत्री जी जब आ गए हैं तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में जो आप हिमालियन ब्लण्डर करने जा रहे हैं........

सदन की कार्यवाही
विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री नवनीत पालीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, ग्राज का विचारार्थ प्रस्तुत विधेयक पारित होने तक सदन की बैठक का समय बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है ? विचारार्थ प्रस्तुत बिल पारित होने तक सदन की कार्यवाही का समय बढ़ाया जाय ।

(स्वीकृत)

सदन की कार्यवाही का समय प्रस्तुत बिल पारित होने तक बढ़ाया गया ।

विधेयक प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री परसराम मदेरणा : बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग प्रारम्भ हो गई है, उसमें मुझे भी जाना है । इसलिये ग्रंत में, मैं यही निवेदन करूंगा कि यह ब्लण्डर कमिट कर रहे हैं मुख्य मंत्री जी की मुद्रा से ऐसा दिख रहा है । जिस प्रकार की हिमालयन ब्लण्डर मोरारजी ने लोक सभा में की उसी के ग्रनुसार ग्राप भी यहां पर कर रहे हैं, ग्राप ऐसी परम्परा मत डालिये । हम तो यह ग्रनुमान लगा रहे थे कि 30 पर्सेंट से ज्यादा नहीं बढायेंगे । थर्टी पर्सेंट कर देते तो इस सदन में इमीजियेटली पास होता । एप्रोप्रियेशन बिल जब वित्त मंत्री जी कल लायेंगे, उपाध्यक्ष महोदय, तो इस बारे में चर्चा होगी । लेकिन वित्त मंत्री जी को जिस तरह से ग्रपमानित करने जा रहे हैं, उनकी प्रेस्टिज को बट्टा लगा रहे हैं, जिस तरह से उनकी छवि को गिराया जा रहा है, कई प्रकार से जो साजिश चल रही है, मुख्य मंत्री जी इस प्रकार की कार्यवाही मत कीजिए । ग्रार्डर ग्राफ प्रिसिडेंस में जो नम्बर दो पर है, उनसे केबिनेट, मंत्रिमण्डल घोषणा करवाता है, बजट हमेशा मंत्रिमण्डल के निर्णयों को रिफ्लेक्ट करता है । उसके बाद में वित्त मंत्री जी ग्राज सुबह इस बिल को पायलेट करने वाले थे लेकिन ग्रब इनको यह काम दिया है । चीफ व्हिप के कमरे में मैं भी बैठा हुग्रा था, उन्होंने कहा कि यह मनी बिल नहीं है । ग्रापने बिल तो इण्ट्रोड्यूज किया है, 5 तारीख को ग्रापकी स्पीच जिस समय हुई थी उसी दिन यह बिल इण्ट्रोड्यूज किया था ग्रौर उसी दिन इतनी बड़ी ब्लण्डर कर दी । एक तरफ बजट रखा ग्रौर उसके 15 मिनट बाद में ही इस प्रकार का ग्रपोजिट बिल रख दिया, डायामैट्रिकली ग्रपोजिट बिल रख दिया । स्पीच के ग्रगेंस्ट में यह किस प्रकार से बिल लाये हैं ? इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जो ग्रापने सरचार्ज 1973 के ग्रन्दर लगाया है बंगलावार की वजह से, ग्रब इसको कण्टीन्यू कर रहे हैं, इसका कोई ग्रौचित्य नहीं है । कम से कम यह जो 1985 तक बढ़ा रहे हैं इसका कोई ग्रौचित्य नहीं है । सरचार्ज हमेशा प्रिंसिपल टैक्स पर होता है ग्रौर प्रिंसिपल टैक्स बढ़ाया जा रहा है । पैसेंजर टैक्स कई तरह से बढ़ा रहे हैं । तीन तरह से बढ़ा रहे हैं । एक तो रजिस्ट्रेशन फीस बढ़ा रहे हैं । दूसरे एक्ट में ग्राप सीटों के ऊपर ग्रलग टैक्स बढ़ा रहे हैं, टैक्सेशन एक्ट में बढ़ाया जा

(श्री परसराम मदेरणा)

रहा है और पैसेंजर एण्ड गुड्स एक्ट में अलग टैक्स बढ़ाया जा रहा है और फिर अलग से सरचार्ज टैन पर्सेंट बढ़ाने जा रहे हैं। पब्लिक कैरियर पर, स्टेज कैरिज पर 5 पर्सेंट है तो मैं निवेदन करूंगा कि कम से कम सरचार्ज जो पर्टीक्यूलर पर्पज के लिए लगाया गया था, अब वह पर्पज समाप्त हो गया है, अब इसको कण्टीन्यू करने का औचित्य नहीं है। रिसौर्सेज के नाम से टैक्स बढ़ा दीजिए, सरचार्ज मत रखिये। अगर सैक्शन 3 में यह कहते हैं तो थर्टी-फाइव पर्सेंट ही नहीं ज्यादा भी ले सकते हैं। थर्टी-फाइव पर्सेंट तक ही लेने का अधिकार नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय, हण्ड्रेड पर्सेंट तक है। अब हण्ड्रेड पर्सेन्ट नहीं करके थर्टी पर्सेन्ट मेन टैक्स को बढ़ाया जा रहा है और सरचार्ज के नाम से और ले रहे हैं, क्योंकि सरचार्ज मेन टैक्स पर लिया जाता है, इसलिये टैन पर्सेंट से इसका अमाउण्ट और ज्यादा बन जाएगा। उधर टैक्स इन्क्रीज हो गया तो टैक्स इन्क्रीज होने से सरचार्ज इन्क्रीज हो जाएगा। सरचार्ज लगाने का अब कोई पर्पज नहीं है। इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी विचार करें, इस सरचार्ज, जिसकी अवधि 31 मार्च तक, दो दिन तक और है, की अवधि अब और बढ़ा कर आप एक्स चैकर की जेब पर और बोझ मत डालिये। इसका असर कई तरह से होता है। एक असर तो प्राइजेज स्पाइरल का होता है, प्राइजेज बढ़ती हैं और इससे दूसरी चीजों पर भी इफेक्ट पड़ता है। इस विशिअस सर्किल को मत लाइये। मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि इससे एक पर्सेंट रेट्स बढ़ेंगी। एक पर्सेंट के सम्बन्ध में कल ही आर्टिकल आए हैं और उन आर्टिकल्स को मैंने पढ़ा है। उसके अन्दर माने हुए इकानामिस्ट्स ने कहा है कि एक पर्सेंट नहीं ज्यादा बढ़ेंगी। होलसेल कंज्यूमर गुड्स पर 8–9 पर्सेंट तक प्राइजेज बढ़ेंगी। उन्होंने इसके लिए बहुत से तर्क दिये हैं, अभी मैं उन तर्कों में नहीं जाना चाहता लेकिन आपने सारा बोझा ट्रांसपोटेशन पर डाला है। ट्रांसपोर्टस से ही टैक्सेशन लेना चाहते हैं और ट्रांसपोर्ट से ही आपको इन्कम दिखती है लेकिन, ट्रांसपोर्ट मंत्रीजी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह बर्डन शिफट करेंगे पैसेंजर्स के ऊपर और कंज्यूमर के ऊपर और निश्चित रूप से पसेंजर की जेब पर डाका पड़ेगा। इनडायरेक्टली जो टैक्स आपने बहुत हायर लगाया है, इनडायरेक्टली जो टैक्स की अवधि आप बढ़ाने जा रहे हैं सरचार्ज के नाम से, उसका कोई औचित्य नहीं है, उसकी कोई प्रोप्राइटी नहीं है। महरबानी करके इसकी अवधि मत बढ़ाइये। इस टैक्स का करने जा रहे हैं रेशनलाईजेशन, यह मैं मान सकता हूं लेकिन आपने बिना सोचे समझे कर दिया। अगर रेशनलाइजेशन करने का पर्पज है, रूट्स का नहीं, आप रूट्स की जोन के हिसाब से रेशनलाइजेशन करना चाहते हैं तो इस सम्बन्ध में आपको निर्णय यहां के लोगों की हालत, वहां की सड़कें, किस प्रकार की गाड़ियां वहां पर जा सकती है, यह देख कर लेना होगा। आपने कई प्रकार के टैक्स बिना सोचे समझे लगा रखे हैं। आपने कह दिया कि अब रीजनल परमिट नहीं रखेंगे। पूरी स्टेट का देंगे। जो पत्थर ढोने वाले हैं, जोधपुर वाले हैं। जिला और रीजन स्टेट का अलग

(140)

(श्री परसराम मदेरणा)

अलग टैक्स है। जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के बाहर पत्थर जाता है तो 99 पर्सेन्ट नहीं जाता है केवल दस पर्सेन्ट पत्थर बाहर जाता है। तो जो जिले के अन्दर पत्थर लेने वाले हैं ढोने वाले हैं उनको भी पूरे स्टेट का परमिट लेना होगा तो निश्चित तौर से मैं यह कहना चाहता हूं कि उन पर भार पड़ेगा। इस प्रकार जो छोटे छोटे मकान बनाने वाले लोग हैं वे मकान नहीं बना सकेंगे। आज जो प्राइसेज स्टेबल हैं उसमें यह मानसून आपकी बहुत मदद कर रहा है। एक दफा यह मानसून आंख मींच ले तो आपने यह जो अम्बार खड़ा किया है हवाओं का, कल्पनाओं का, वह एक दम हवा में उड़ जायगा। यह जो इकानामी आपने अडाप्ट की है, वह खतरनाक है। मैं आपको आगाह कर देना चाहता हूं कि यह मानसून ही इसका श्रेय ले सकता है, आप जो यह कह रहे हैं कि प्राइसेज स्टेबिलाइज्ड कर दी है, लेकिन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर मरता जा रहा है। उसकी इनपुटस के भाव बढ़ते जा रहे हैं और उसको उसकी पैदावार की रेमुनरेटिव प्राइज् नहीं मिल रही है। यह जो आवागमन का बोझा लाद रहे हैं, यह ग्रामीण जनता पर लाद रहे हैं, मिडिल क्लास और पावर्टी लाइन से नीचे की लाइन में जो आने वाले हैं, जिनकी संख्या हमारे राजस्थान में साढ़े तैंतालीस पर्सेन्ट है, उन पर यह भार पड़ेगा। मुझे भरोसा है कि मुख्य मंत्री महोदय सोच समझ कर तीस पर्सेन्ट से आगे नहीं करेंगे और जो सरचार्ज है उसको माफ कर देंगे। इसका असर पड़ेगा। इस पर पुनर्विचार करना आवश्यक है। मैं सदन के माननीय सदस्यों से भी अपील करूंगा कि लिमिटेड पीरियड, लिमिटेड पर्पज के लिए जो सरचार्ज लगाया गया था उसको इनडेफिनेट पीरियड के लिए बढ़ाने के लिए प्रस्ताव करना सदन के साथ खिलवाड़ करना है, उस खिलवाड़ को आपको एन्डोर्स नहीं करना चाहिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के सम्बन्ध में अभी अभी विरोधी दल के नेता महोदय बोल रहे थे। दो-तीन प्रश्नों पर उन्होंने सदन का समर्थन का आह्वान किया है। पहला प्रश्न तो यह है कि जो सरचार्ज लगा हुआ है वह सरचार्ज वापस लिया जाना चाहिए। यह आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि सरचार्ज 72 में लगा था और 1977 तक शासन आपके पास रहा। पांच वर्ष तक आपने यह उपयुक्त नहीं समझा कि इसको वापस लिया जाए। 72 में बंगला देश के नाम पर लगा हुआ कर वापस लेना चाहिए, यह आपने उपयुक्त नहीं समझा। जिस चीज को आप 77 के जून के पहले तक उपयुक्त नहीं समझते थे, परिवर्तन ऐसा आया कि जून, 77 के बाद उस चीज को उपयुक्त समझने लगे, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं कि आपके सोचने, समझने में परिवर्तन हुआ है।

श्री परसराम मदेरणा : उस एक्ट में 79 रखा था। 72 में जो अमेन्डमेन्ट आया था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं यह निवेदन कर रहा था कि सोचने, समझने का परिवर्तन आया है, इस परिवर्तन के लिए आपको

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)
धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। मैं ऐसा समझता हूं कि भविष्य में भी आप इसी प्रकार सोचते रहेंगे तो अच्छा होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के नेता महोदय को एक बात से बड़ी नाराजगी है कि फसल अच्छी क्यों हो रही है? फसल क्यों अच्छी हो रही है, भगवान की कृपा है, किसानों की कृपा है, प्रकृति की कृपा है। इन्हें इन सारी कृपा से बड़ी नाराजगी है। ये चाहते हैं कि राजस्थान में अकाल पड़े, लोग भूखों मरते रहें और भूखे आदमी को पैसा खर्च करना पड़े, इसमें सरकार की बदनामी हो। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आप हमारी आलोचना करें परन्तु राजस्थान की ढाई करोड़ जनता को भूखा मारने की भगवान से दुहाई न करें। हमारे आपस में मतभेद हो सकते हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं है, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। हम भी उधर बैठते थे परन्तु हमने हमेशा भगवान से यही प्रार्थना की कि राजस्थान में अकाल न पड़े।

श्री परसराम मदेरणा : मैंने यह नहीं कहा है। मैंने तो आपको अच्छी फसल होने के लिए बधाई दी है। मैं तो नहीं चाहता हूं कि अकाल पड़े।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अच्छा होगा, आप प्रार्थना यह करने लग जाएं, बहुत अच्छी बात है। आप यह चाहते हैं। अच्छा जमाना आ रहा है। हम भी यह चाहते हैं। सब को बधाई देनी चाहिए।

तीसरा प्रश्न, माननीय उपाध्यक्ष, आक्ट्राय का उठाया गया। इस आक्ट्राय के प्रश्न पर डीडवाना से आने वाले माननीय सदस्य बोल रहे थे, उस समय आप नहीं थे, मैंने एक प्रश्न पूछा था, जिस समय आप वित्त मंत्री थे, उस समय की सरकार ने एक समिति जिसके वित्त मंत्री उसके अध्यक्ष थे, इस पर विचार करने के लिये बनाई थी कि इस आक्ट्राय को किस प्रकार से खतम किया जाए? वे बहुत भले हैं, उन्होंने यह स्वीकार कर लिया कि मैं तो रिपोर्ट देता उससे पहले ही चल दिया। उसके बाद भी सरकार आपकी रही। फिर हमारी सरकार आई। इस रिपोर्ट के काम को आप चलाते रहते, उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत हो जाती, तो इन दो साल में हम भी किसी नतीजे पर पहुंचते। यह तय कर लेते कि इसको खतम नहीं कर सकते, तो उसकी कन्टीन्यूटी में हम भी विचार करते। आखिर एक सरकार ने तीस वर्ष तक शासन किया, राज किया, उस सरकार ने आक्ट्राय को उचित समझा, लगातार उसको सही मानती रही। सरकारी प्रतिनिधि ने विरोध नहीं किया और अब डेढ़ वर्ष से जिसको आप उचित मानते थे, उसको अनुचित मानना शुरू कर दिया। आपके इस परिवर्तन पर हमको ताज्जुब करना पड़ेगा। इतनी जल्दी परिवर्तन कैसे हो रहा है? सदन को जानकारी के लिए कहना चाहूंगा कि भारत सरकार से इस आक्ट्राय को किस प्रकार समाप्त किया जाय, इसका किस प्रकार का सब्सटीट्यूट हो, इसको क्या दूसरी आल्टरनेटिव व्यवस्था हो, इसके लिए एक कमेटी बनाई है, वह इस पर विचार कर रही है। जहां तक बजट स्पीच में 30 पर्सेन्ट का उल्लेख है....

(142)

श्री परसराम मदेरणा : चिन्तन तो 1975 में हुआ है। कई बिल्स पहले बने थे। 1952 से 1972 तक जो बिल आते थे वे आज रिडन्डेन्ट हो गये हैं। उनमें भी परिवर्तन करना पड़ रहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, जिस समय माननीय मथुरादास माथुर वित्त मंत्री थे, उस समय एक कमेटी बनी थी। आपको याद नहीं है, मुझे याद है। मुझे यह फट से याद आ जाता है। माथुर साहब ने यह एग्री कर लिया है। उस समिति ने कुछ काम करना शुरू किया, बाद में वे खुद नहीं रहे तो वह समिति भी नहीं रही। आपने जो प्रश्न उठाया है, उस पर केन्द्रीय सरकार गंभीरता से विचार कर रही है।

एक और प्रश्न आपने यहां पर उठाया है, बजट में 30 पर्सेंट का उल्लेख है और बिल में 55 पर्सेंट है। वैसे माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने इस पर व्यवस्था दे दी है, उसके अनुसार हम आचरण करेंगे परन्तु फिर भी मैं स्थिति को सदन के समक्ष स्पष्ट करना चाहूंगा कि यह केवल बजट भाषण है। सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव नहीं है। आपने कभी बजट स्पीच के ऊपर वोट होते हुए देखा है? कभी वोट नहीं हुआ है। वह बिल नहीं है। यह जो प्रपोजल्स हैं उसमें अमेन्डमेन्ट करने का गवर्नमेंट को अधिकार है, सदन को अधिकार है मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं····

(व्यवधान)

पर्सेन्टेज क्या होगा, मैं कह नहीं सकता। झुन्झुनूं से आने वाली माननीय सदस्या को मालूम होगा। उन्होंने इसका विरोध किया था। विरोध यह था कि लैण्ड रेवेन्यू पर सरचार्ज लगाया। सरचार्ज का विरोध किया। सरकारी सिस्टम इंट्रोड्यूज किया कि नीचे वालों का टैक्स कम कर दिया और ऊपर वालों का ज्यादा कर दिया। तो सरकार को टैक्स में जहां कमी करने का अधिकार है, वहां बढ़ाने का भी अधिकार है। बजट स्पीच में उसके उल्लेख के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। उस पर वोट होने जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। बजट केवल मात्र प्रपोजल्स हैं। आपने देखा होगा, माननीय वित्त मंत्री जी ने भी यही कहा है कि प्रस्ताव आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। उनकी एग्जीक्यूटरी शेप क्या देनी है, यह सदन के हाथ की बात है। उसको हम विदड्रा भी कर सकते हैं, एनहांस भी कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेज भी कर सकते हैं। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दे दी, उसके अनुसार यातायात मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि 35 पर्सेन्ट की जगह 30 प्रतिशत स्वीकार करें।

एक बात मैं, उपाध्यक्ष महोदय, कहना चाहूंगा, विरोधी दल के माननीय नेता ने वित्त मंत्री जी की पूरी तारीफ की है। यह तारीफ वे क्यों कर रहे हैं यह मैं समझता हूं। मैं ऐसा समझता हूं कि जितनी वित्त मंत्री जी की प्रशंसा की है, उसके लिये तो बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन वे कल एप्रोप्रियेशन बिल पेश करें उसकी आलोचना नहीं करेंगे इसी विश्वास के साथ.... ...

श्री परसराम मदेरणा : एप्रोप्रियेशन के संबंध में जो बात कहनी है वह तो कहेंगे लेकिन मैंने उनको आज एडवाइस किया है

(श्री परसराम मदेरणा)

कि ये मुख्य मंत्री जी आपकी छुट्टी करना चाहते हैं, क्योंकि आप ही एक ऐसे आदमी हैं। इस बिल में फाइनेंस की गलती से 35 पर्सेन्ट हुआ है। मुख्य मंत्री जी ने दलील दी है, इस सदन के अन्दर इम्प्रोप्राइटी का जो डिफेंस लिया है, इसका औचित्य तो कुछ है नहीं, आपकी व्यवस्था मुख्य मंत्री जी शिरोधार्य है। कर्म सत्य है हम कह सकते हैं घोड़ा भी सत्य है, गधा भी सत्य है। 30 प्रतिशत का प्रस्ताव रखते हुए फाइनेंस मिनिस्टर ने बिल इंट्रोड्यूस किया और यह बिल 5 तारीख के बजट स्पीच के तुरन्त बाद इन्ट्रोड्यूस किया। इसके बाद, में सरकार यह प्रस्ताव रख रही है। सरकार लंगूर की तरह लटक गई है यह सरकार का काम नहीं है, अगर आप इसको नहीं लाते और प्रस्ताव रख देते फिर चाहे 60 प्रतिशत ही हो। किसी प्रस्ताव में हाइयेस्ट लिमिट रख कर फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच की जो सेंक्टिटी है उसकी आपने दुर्गत बनाई है। यही सबसे बड़ी बात है। यही मैं कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : यातायात मंत्री जी, आप कुछ कहना चाहेंगे।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह, मंत्री जी, आप पहले कर लेते तो आपको क्रेडिट मिलती। Credit has not come to you.

(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (यातायात मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के सदस्यों को मैंने पहले ही बता दिया था कि इस बात पर विचार कर लिया जायेगा और इसको 35 से 30 करने का........

श्री रघुनाथ विश्नोई : वह तो कह दिया।

श्री हरिसिंह : सरकार ने कह दिया और आपने स्वीकार कर लिया।

श्री रघुनाथ विश्नोई : उनको टेलीफोन करके बुलाया।

श्री मूलचन्द डागा : राजस्थान मंत्रि-मण्डल के सारे मंत्री लोग मुख्य मंत्री के आधार पर बोलते हैं।

(व्यवधान)

श्री हरिसिंह : विरोधी दल के माननीय नेता और माथुर साहब ने खास तौर से बताया कि इस बिल के कारण भयंकर प्राइसेज बढ़ जायेगी। यह बिल दो ही छोटे मोटे मुद्दों को डील करता है। 35 पर्सेन्ट से 30 पर्सेन्ट करने का सरकार ने मान लिया। इसमें प्राइसेज बढ़ने का सवाल नहीं है। जहां तक सरचार्ज का सवाल है, बड़े जोर शोर से कहा गया कि बिल होशियारी से लाया गया है। यह होशियारी तो पहले की है, आपकी है।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : What was the purpose. अब क्या इरादा है ?

श्री वृद्धिचन्द जैन : उरचार्ज को समाप्त करिये आप ?

श्री मूलचन्द डागा : यह क्या ? उत्तर तो दे ही नहीं रहे हैं ।

श्री हरिसिंह : मैं एक बात बताना चाहता हूं । हम टैक्सेशन के सरलीकरण में लगे हुए हैं । कम्पलीकेटेड तो आपने कर दिये थे । इसका मैन मुद्दा यही था कि करप्शन बंद हो । विरोधी दल के माननीय नेता ने कहा कि हमने वहुत हाई टैक्स लगा दिये । मैं आश्वासन देता हूं, जो भी टैक्स हमने लगाये हैं वे किसी भी पड़ौसी स्टेट के मुकाबले में ज्यादा नहीं हैं ।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : आप पर-कैपिटा हिसाब से लगा लीजिये ।

श्री हरिसिंह : अगर किसी पर्टीक्यूलर आइटम में 5 रुपये ज्यादा हों तो दूसरे में 100 रु० कम हैं । टोटल टैक्सेशन को देखें तो उसके हिसाब से कम है । हमने एक आइटम पर ज्यादा लगा दिया तो उसके लिये कहते हैं कि प्राइसेज बढ़ जायेगी । यह सारी बातें माननीय सदस्यों ने कही हैं । मैं मानता हूं कि अब उनको यह बात ध्यान में आ गई अब वे सोच रहे हैं कि यह सही नहीं है । मैं उनका बड़ा आभारी हूं, अगर वे सही रूप में कोई सुझाव दें उसको सरकार मानने के लिए तैयार है लेकिन जो प्रोपेगण्डा करके पोलिटिकल एडवान्टेज लेना चाहते हैं, इस प्रक्रिया को छोड़ें । इस प्रक्रिया में राजस्थान की जनता का हित निहित नहीं है । कोई साउण्ड प्रपोजल्स उठायें । यही मेरा निवेदन है ।

उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में एक बात कहना चाहूंगा ।

माथुर साहब ने पैट्रोल के भावों को डिस्कस कर लिया, दुनिया भर को डिस्कस कर लिया और उन्होंने यह प्रूव करना चाहा कि भाव आसमान पर चले जायेंगे और इतने ऊंचे चले जायेंगे कि माथुर साहब के हाथ नहीं आयेंगे । मैं माथुर साहब को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भाव जिस तरह से बढ़ते आये हैं, उससे ज्यादा नहीं बढ़ेंगे । हम वाटररेट्स में सिम्प्लीसिटी लाना चाहते हैं और ट्रांसपोर्ट में सिम्प्लीसिटी लाना चाहते हैं । यह आप कहते हैं ? आपने काम्प्लीकेटेड पैसेन्जर टैक्स लागू कर रखा था, यात्रीकर जो आपने लगा रखा है उनमें जितना करप्शन होता है इसका सरलीकरण करेंगे ।

श्री मूलचन्द डागा : कब ?

श्री हरिसिंह : कर देंगे ।

श्री मूलचन्दडागा : There should be a time limit.

श्री हरिसिंह : जल्दी ही कर देंगे ।

जो काम्प्लीकेटेड चीजें आपने पैदा की हुई हैं उनका सरलीकरण कर रहे हैं । दूसरी स्टेट के मुकाबले में टैक्स नहीं बढ़ाया है । मैं यह निवेदन करूंगा कि सदस्यों का यह जो एप्रिहेन्शन है इसको दूर करें और आश्वस्त रहें कि कोई भी ऐसी बात नहीं है जिससे उनको चिन्ता करने की जरूरत हो ।

(श्री हरिसिंह)

यदि वह चिन्ता करते हैं तो पोलिटिकल चिन्ता है।

अन्त में, माननीय उपाध्यक्ष, मैं प्रस्ताव करता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : डागाजी, आप अपना प्रस्ताव वापस लेंगे ?

श्री मूलचन्द डागा : Why ? Not at all.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान यात्री और माल कराधान (संशोधन) विधेयक, 1979 को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का जो संशोधन प्रस्ताव रखा है उसे स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान यात्री एवं माल कराधान (संशोधन) विधेयक, 1979, प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का जो संशोधन प्रस्ताव रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

विधेयक पर विचार

प्रश्न यह है कि राजस्थान यात्री एवं माल कराधान (संशोधन) विधेयक, 1979 को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ किया गया।

अब विधेयक पर खण्डशः विचार होगा।

माननीय श्री मथुरादास माथुर।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन प्रस्ताव है, In the proposed sub-section (1) of Section 3. substitute the figures 25%, for the figures 35%"

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत ही तसल्ली के साथ माननीय मंत्री जी की मेडन स्पीच सुनी और मुख्य मंत्री जी ने कानूनन जो विश्लेषण किया वह भी मैंने सुना है। मैं जो आपके सामने रिडक्शन की बात कर रहा था उसको मैं फिर दोहराता हूं। यह पोलिटिकल सवाल नहीं है, यह इकानामिक सवाल है मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब एक स्टेज ऐसी आ गई है कि आपकी जनता सरकार को, जनता सरकार की केबिनेट को और पार्टी को, यह सोचना पड़ेगा कि ट्रान्सपोर्ट पर कर बढ़ा कर कितना वजन हम हमारी कामोडिटीज की प्राइस पर डाल रहे हैं। यह बहुत अहम सवाल है। यह सवाल इधर-उधर की बातें कहकर टालने का नहीं है। यह सोचना पड़ेगा अल्टीमेटली एक वेलफेयर स्टेट के कन्सेप्शन के अन्दर आपको और हमको जो कि इस सदन में बैठे हुए हैं। इस बजट के जरिये एक हजार करोड़ रुपये इकानामी पर जायगा। जब इकानामी पर जायगा तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा

(श्री मथुरादास माथुर)

कि टैक्स लगाने के एन्थुजियाज्म में ऐसा न करें जिससे इन्फ्लेट्री ट्रेन्ड के साथ-साथ यह टैक्स कहीं बहुत बड़ा झमेला नहीं डाले। एक टैक्स का सवाल नहीं है। मैं फिर दोहराता हूं कि कंज्यूमर के लिए आप विचार करें। फैसला करें या न करें आपके हाथ है। 15 पर्सेंट एक्साइज ड्यूटी बढ़ाया है सैन्टर ने, उससे भी ट्रकों के भाव बढ़ जायेंगे। बसों के भाव बढ़ जायेंगे 15 पर्सेंट। दूसरी बात यह है कि पैट्रोल के भाव ओपेक ने 9 पर्सेंट अभी बढ़ाये हैं उससे भाव अब और बढ़ जायेंगे 12–13 पर्सेंट हो जायेंगे, उसका असर ट्रान्सपोर्ट पर भी होगा। उसके बाद में सैल्स टैक्स बढ़ा है 12 पर्सेंट, और कीमतें बढ़ेंगी तो सैल्स टैक्स बढ़ेगा, और पैट्रोल के भाव बढ़ेंगे तो प्राइसेज और बढ़ जायगीं। आक्ट्राय बढ़ेगी। आप मोटर व्हिकल अमेंडमेंट बिल ला रहे हैं तो उसमें फीस बढ़ेगी और पैसेन्जर टैक्स 25, 30 या 35 पर्सेंट जो कुछ भी है इसका बर्डन गिरेगा। यह सब बढ़ोत्तरी कन्सीडरेशन में लेनी चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं आनरेबल मिनिस्टर से कि ट्रान्सपोर्ट का वजन पूरा प्राइस स्ट्रक्चर पर 50, 60 या 70 पर्सेंट तक जा सकता है। ऐसी सूरत में जरूर इस बात का आप चिन्तन करें कि जिस चीज को हम कन्ट्रोल नहीं कर सकते जैसे कि पैट्रोल और डीजल की कीमतें हैं, अभी अरब कन्ट्रीज के ओपेक वालों की मीटिंग हुई है, वह पोलिटिकल, कम्पैन हो सकता है, लेकिन उसको हम कन्ट्रोल नहीं कर सकते हैं। भाव बढ़ेंगे तो क्या 5 रुपये लीटर में आप पैट्रोल देना चाहते हैं। आप देश की इकानामी में चीजों को सस्ता करना चाहते हैं। मेरे कहने का मतलब यह नहीं है। इन सब चीजों का एक दूसरे से लिंक है....

एक माननीय सदस्य : आप रिपीट कर रहे हैं।

श्री मथुरादास माथुर : मेरा टोकन अमेंडमेंट 30 पर्सेंट का था कि 30 पर्सेंट को 25 पर्सेंट कर दिया जाय। यह अमेंडमेंट मैंने टोकन दे रखा है वह आपकी सरकार का ध्यान खींचने के लिए है कि अब वक्त आ गया है जबकि सैल्स टैक्स, आक्ट्राय और इन सबको मिलाकर कह दें। ट्रान्सपोर्ट पर 20-25 पर्सेंट टैक्स और लगायेंगे तो फिर कहां क्या करना है? कहां नहीं करना है वह आप सोचें। इसमें मैंने अमेंडमेंट रखा है 30से 25 पर्सेंट करने का वह टोकन है और यह दिखाने के लिए है कि टैक्स स्ट्रक्चर के अन्दर आपको इन चीजों को सोचना पड़ेगा। यह सब चीजें बढ़ जायेंगी तो कंज्यूमर चीजें महंगी हो जायगीं और जो मकसद हल करना चाहते हैं वह हल नहीं कर सकेंगे। इसलिए यह मैंने अमेंडमेंट रखा है कि आप चिन्तन करें। सब बातों को देखें। पूरा प्राइस स्ट्रक्चर बढ़ने वाला है, ट्रान्सपोर्ट की वजह से। उसका चिन्तन करके देखें और इकानोमिस्ट्स से पूछ लें, दूसरे मुल्कों में ट्रान्सपोर्ट का बर्डन एराइज किया जाता है उतना ही कर दें। इतना ही मेरा निवेदन है, बाकी आप विचार करें।

श्री उपाध्यक्ष : बिल पर संशोधन, श्री बंसीलाल सारस्वत !

श्री मूलचन्द डागा : It has not been moved.

श्री उपाध्यक्ष : सारे माननीय सदस्यों को सक्यूलेट कर दिया गया है वह ।

श्री मूलचन्द डागा : It has not been circulated.

श्री रघुनाथ विश्नोई : मंत्री जी पेश कर दें । The minister is entitled.

श्री उपाध्यक्ष : नियमों में व्यवस्था है ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मिनिस्टर इंन चार्ज कर दें ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ऐसा नहीं है । कोई भी माननीय सदस्य एक दिन पहले या उसी दिन, जिस दिन विचारार्थ लिया जा रहा हो, प्रस्तुत कर सकता है । नियमों में यह प्रावधान है । सक्यूलेशन का जहां तक प्रश्न है समय हो तो सक्यूलेट किया जाना चाहिए यह आवश्यक नहीं है कि पहले सक्यूलेट किया ही जाय ।

श्री मथुरादास माथुर : आप रूल को रिलेक्स करवा दें और वह लेकर दें ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह रूल का रिलेक्सेशन भी आवश्यक नहीं है । Speaker has right.

श्री मूलचन्द डागा : रूल 71 यह कहता है—If notice of an amendment to a clause or schedule of the bill has not been given one day before the day on which the Bill is to be considered, any member may object the moving of the amendment, and such objection shall prevail, unless the Speaker allows the amendment to be moved :

रूल 71 यह कहता है कि अगर अमेंडमेंट करने की इजाजत दी है तो मोशन को सक्यूलेट करेंगे । वह कर तो रहे हैं लेकिन आपने कहां कि सक्यूलेट हो गया । हमें मालूम नहीं कि क्या मोशन है ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डागा साहब, इस रूल 71 में कहा है, कितने समय पहले अमेण्डमेण्ट दे सकते हैं ।

श्री मूलचन्द डागा : हमें, आप कह सकते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने अनुमति दे दी है ।

श्री मूलचन्द डागा : वह है कहां ?

श्री उपाध्यक्ष : जहां तक सक्यूलेशन की बात है—Rule 71 (2) : The Secretary shall, if time permits, make available to members from time to time lists of amendments of which notices have been received.

किसी टाइम पर दें ।

श्री मूलचन्द डागा : किसी टाइम पर दें ।

श्री उपाध्यक्ष : समय इतना नहीं है कि उसे सर्क्यूलेट किया जा सके ।

श्री मूलचन्द डागा : हमारे पास है ही नहीं । It can be circulated. We don't say about the time.

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री बंशीलाल जी ।

श्री बंशीलाल सारस्वत : इसमें मैंने प्रस्ताव किया है कि 35% के बजाय 30% किया जाये ।

श्री मूलचन्द डागा : पहले मोशन मूव करें । आप मोशन तो मूव करते नहीं हैं । बोल रहे हैं ।—I do not have that motion. Please give that motion. सारे रूल्स का वायलेट कर रहे हैं । पढ़ भी नहीं रहे हैं । क्या कर रहे हैं ? आप ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डागा जी, आप बिराजिये ।

श्री बंशीलाल सारस्वत : "Sub–Clause (a) in the proposed sub-section (1) of section 3, substitute the figures and mark "30%" for the figures "35%".

श्री मूलचन्द डागा : अब आप बोलिये ।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा कर सकते हैं ।

श्री मूलचन्द डागा : बोलिए, बोलिए ।

श्री बंशीलाल सारस्वत : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें यातायात और आवागमन के मुख्य साधन बताये हैं । व्यापार को सुलभ बनाने के लिए.......

श्री मूलचन्द डागा : बहुत महंगा हो जाएगा ।

श्री बंशीलाल सारस्वत : डागा जी और माननीय माथुर साहब जहां से पधार रहे हैं, वहां तो सड़कें हैं, गांवों में भी यातायात के साधन हैं लेकिन रेगिस्तान में स्थिति बहुत पूअर है । उन लोगों का ध्यान रखना था । यदि ऐसे स्थानों पर 30% लगाया जाता है तो बहुत ज्यादा होता है ।

श्री मूलचन्द डागा : ये तो सपोर्ट कर रहे हैं । जो प्रस्ताव रखा है, उसका समर्थन कर रहे हैं ।

श्री रघुनन्दन व्यास : आपकी भावना को स्वीकार कर रहे हैं ।

श्री बंशीलाल सारस्वत : यह जो रखा गया है, ऐसे गांवों को ध्यान में रखकर रखा गया है जहां सड़क और यातायात के साधन नहीं हैं । मेरा निवेदन है कि ऐसी जगहों पर मैक्जिमम 30% टैक्स किया जाना चाहिए ।

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमान, इन्होंने जो अमेण्डमेण्ट दिया था ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह तो पहले ही अच्छा था ।

श्री मूलचन्द डागा : बजट की भाषा के अनुकूल था । सवाल यह है कि गांवों में

(श्री मूलचन्द डागा)

5% बढ़ेगा। आपने यह बात तो सुनी नहीं।

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : कैसी बातें करते हो? डागा जी।

श्री उपाध्यक्ष : एक संशोधन माननीय मथुरादास जी माथुर का है। चौथा संशोधन वंशीलाल जी का है।

श्री हरिसिंह : माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय सारस्वत जी ने जो 35% के बजाय 30% का संशोधन रखा है, वह मैं स्वीकार करता हूं।

श्री मूलचन्द डागा : वह तो पहले ही है। पहला बिल 30% का है। यह क्या अमेण्डमेण्ट दे रहे हैं?

श्री भंवरलाल ऐरन : यह अमेण्डमेण्ट प्रस्तुत हो गया सदन के सामने।

श्री उपाध्यक्ष : आप कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : सवाल यह है, श्रीमान्, पहले का जो बिल है वह मैं पढ़ता हूं।

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : डागा जी, बैठो न।

श्री मूलचन्द डागा :—"There shall be levied, charged and paid to the State Government a tax on all fares and freights in respect of all passengers and goods carried by road by motor vehicles, at such rate not exceeding 35%........"

श्री बजरंगलाल शर्मा : डागा जी इन पर तो कृपा रखें।

(व्यवधान)

श्री हरिसिंह : इसको ध्यान में रखते हुए इस संशोधन को मैंने स्वीकार किया है। लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय की व्यवस्था है। प्रोप्राइटी इन्फ्रिन्ज होती है तो मैं अब भी कहता हूं इसमें प्रोप्राइटी इन्फ्रिन्ज होने का कोई सवाल नहीं है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप आसन की व्यवस्था को चैलेंज कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 2 में माननीय मथुरादास जी माथुर ने जो संशोधन प्रस्ताव रखा है, वह स्वीकार किया जाये?

अस्वीकृत

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

अब प्रभारी मन्त्री जी ने जो स्वीकार किया है उसके सम्बन्ध में,

प्रश्न यह है कि माननीय वंशीलाल जी सारस्वत ने जो संशोधन प्रस्ताव रखा है, उसको स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

(व्यवधान)

श्री कौशल किशोर जैन : डागा जी, विदड्रा करो।

श्री उपाध्यक्ष : आप कुछ कहना चाहते हैं ?

श्री मूलचन्द डागा : दो क्लाजेज मैंने पढ़कर सुनाये। इसमें एक जगह अमेन्डमेण्ट किया है। बिल पेश किया है, उसमें दो जगह किया है।

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : बैठिये न।

श्री उपाध्यक्ष : डागा साहब, कुछ कहना चाहते हैं ?

श्री मूलचन्द डागा : मुझे कोई जरूरत नहीं है। गलत काम होने दो। इन्होंने सभी जगह 30% कर दिया। जो गांवों में रहते थे वहां भी लगा दिया। दोनों जगह प्राविजो है, नाम देना चाहिए। नहीं तो यह टेक्निकल गलती रहेगी। उससे आपको नुकसान होगा।

एक माननीय सदस्य : वह तो हो गया।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : बैठ जाइये।

श्री उपाध्यक्ष : आप बता रहे थे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डागा जी, क्लाॅज अमेण्डमेन्ट बिल के सब-क्लाज (1) में है,

श्री मूलचन्द डागा : 35 पर्सेंट इन्होंने कर दिया है। स्टेटमेन्ट एण्ड आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में कहा है 35 पर्सेंट, उसकी जगह जो बिल में दिया है....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : 30 पर्सेन्ट सब्स्टीट्यूट किया गया है, इसमें कहां गलती है ?

प्रश्न यह है कि खण्ड (2) जैसा कि माननीय बंशीलाल जी सारस्वत ने संशोधन प्रस्तुत किया है, उस संशोधन के सहित स्वीकार किया गया ?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 संशोधन सहित स्वीकार किया गया।

खण्ड 3 में कोई संशोधन नहीं है

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड 3 स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, अधिनियमन, सूत्र, प्रस्तावना नाम आदि स्वीकार किये जायं

(स्वीकृत)

खण्ड 1 अधिनियमन, सूत्र, प्रस्तावना नाम आदि स्वीकार किये गये।

(श्री उपाध्यक्ष)

माननीय मन्त्री महोदय,

विधेयक का पारण

श्री हरिसिंह (यातायात मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं, विरोधी दल के माननीय सदस्यों ने 'ना' कहा है। संशोधन के लिए सब कह रहे थे––

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : अब रहने दो।

श्री मथुरादास माथुर : आप इण्ट्रोडक्टरी स्पीच दे रहे हैं क्या ?

श्री हरिसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, में प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान यात्री और माल कराधान (संशोधन) विधेयक 1979 को संशोधित रूप में पारित किया जाये।

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल जो सदन में पारित किया जा रहा है उसका विरोध करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। जरूरत इस बात की थी कि राज्य सरकार पैसेन्जर और गुड्स टैक्स में ही कटौती नहीं करे, बल्कि जो दूसरे कर हैं उनमें भी कटौती करने की आवश्यकता है। पर राज्य सरकार अपनी जिद के मारे यह भार राजस्थान के नागरिकों पर इतना जबर्दस्त लाद रही है कि आम आदमी की कमर टूट रही है। मैंने, उपाध्यक्ष महोदय, शुरू में ही यह निवेदन किया था कि यह लास्ट स्ट्रा आन दी कैमल्स बैक है। आप लोग अपनी जवाबदारी और जिम्मेदारी को नहीं समझकर, इन करों का भार लाकर के राजस्थान के अन्दर चीजों को महंगी करने के लिए जवाबदार होंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन का बहुत ज्यादा समय नहीं लेना चाहता क्योंकि मैंने अपने अमेण्डमेन्ट के जरिये अपने विचार पहले ही रख दिए हैं, दुबारा उनको रिपीट नहीं करना चाहता लेकिन सरकार को आगाह करना चाहता हूं, वक्त रहते हुए नीतियों में तब्दीली लायें। वह नहीं लायेगी तो जनता का इन्कलाब होगा और लोगबाग·······

(व्यवधान)

श्री नरेन्द्रपाल सिंह (मावली) : आप तो भजन करते रहो अब।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय सदस्य, जो बुजुर्ग हैं, मावली से आए हैं, भजन करने के लिए कह रहे हैं। बुढ़ापे में तू यहां क्यूं आया है ? क्या कसूर किया था बुढ़ापे में, जो यहां आया है।

तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल को पारित नहीं किया जाय। जो यह कर भार बढ़ रहा है, उसको देखते हुए मुझे निश्चित रूप से उम्मीद है कि सरकार इस बिल को पारित करने के लिए आग्रह नहीं करेगी और वक्त रहते हुए, जमाने की हवा और दीवार पर लिखी हुई बात को समझ जायेगी।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्ष जी, प्रभारी मन्त्री जी का उत्तर हम नहीं सुन सके, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी

(152)

(श्री परसराम मदेरणा)

की मीटिंग में उपस्थिति अनिवार्य थी। मैंने एक मुद्दा रखा था उस वक्त वर्च्यु अली माननीय मुख्य मन्त्री जी भी बिराजमान थे। मेरे मुद्दे का उत्तर देते हुए मुख्यमंत्री जी ने लचर दलील दी उस टैक्सेशन को रिकन्सिडर करने के लिए मैं इसका विरोध करूंगा मैंने निवेदन किया था कि 30 पर्सेंट की सीलिंग नहीं रखी जा रही है लेकिन सरचार्ज 31 मार्च, 79 तक कांग्रेस सरकार ने लगाया था उसकी 6 साल की और मियाद बढ़ाने जा रहे हैं। इसका मतलब यह है। सैक्शन 3 (ए) कहता है कि

"This section shall remain in force upto 31st of march, 1979.... ......"

यह है सरचार्ज का सैक्शन। फेअर और फ्रेट पर सरचार्ज 5 और 10 पर्सेंट, इतना बड़ा बोझ है कि निश्चित तौर पर 12 पर्सेंट के अलावा डीजल और पैट्रोल की प्राइस बढ़ गई वह और आयेगी। उनके अलावा आइल प्रोड्यूसिंह एण्ड एक्पोटिंग कन्ट्रीज (ओ. पी. ई. सी.) ने भाव बढ़ाने का निर्णय लिया है, दो दिन पहले ही, इससे निश्चित तौर पर फ्यूअल और लुब्रिकेन्ट्स पर इसका असर पड़ेगा। 30 पर्सेंट जो आप कह रहे हैं इसके अलावा एक अधिकार आपको और है। आपके मोटर व्हिकल्स टैक्सेशन एक्ट में फ्रेट एण्ड फेयर पर फिक्स करेंगे नोटिफिकेशन के जरिये से, यह पावर सरकार ने ले रखी है। फ्यूअल की प्राइस बढ़ जायगी तो वे भाव अलग से बढ़ेंगे, 30 पर्सेंट टैक्स अलग और इसके ऊपर 5 और 10 पर्सेंट सरचार्ज लगेगा, इसका कोई औचित्य नहीं है मुख्य मंत्री जी ने तर्क दिया है, युक्तियुक्त का प्रश्न नहीं है, तर्क संगत बात नहीं है कि 77 तक विचार क्यों नहीं किया। एक निर्णय लिया बंगला देश की वार की समस्या थी। गुड्स एण्ड पैसेन्जर टैक्स एक्ट में यह अलग है।

मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि लड़ाई अब समाप्त हो गई। आप कह रहे हैं कि ये अकाल चाहते हैं। मैं अकाल और महंगाई चाहता हूं? ये दो चीजें नहीं रहेंगी तो भाव स्थिर रहेंगे, बैलेन्स आफ पेमैंट की पोजीशन जो आपने बिगाड़ी है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है, इम्पोर्ट ज्यादा हो रहा है। अब जो आपके पास ढाई तीन हजार की फारिन एक्सचेन्ज रह गई जिसकी आपने कबर खोद दी है, ओ. पी. ई. सी. ने इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अब कोई आवश्यकता नहीं है इस देश के अन्दर इस प्रकार के टैक्स को रखने की और सरचार्ज को लगाने की। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि इस बिल के पारित होने के पहले, माननीय यातायात मंत्री जी, इस पर आप विचार करें और इस सरचार्ज को समाप्त करें। आप नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं करना बड़ा मुश्किल है। आप कन्फ्यूज तो हैं ही, प्रारम्भ से ही मैं देख रहा हूं और आक्षेप हमारे ऊपर लगा रहे हैं। इसलिए हम तो इस बिल का विरोध करेंगे। इसमें यह प्रिन्सिपल इनवाल्व है कि सरचार्ज किसी विशेष परिस्थितियों में इस देश की जनता के ऊपर लगाया था और उस सरचार्ज के बाद में इसी फ्रेट और फेयर के

(श्री परस राम मदेरणा)

ऊपर जो भाव बढ़ गये हैं लुब्रिकेन्ट्स ग्रौर फ्यूग्रल की वजह से, सेल्स टैक्स में इन्क्रीज की वजह से, एक्साइज ड्यूटी की वजह से, एक्सपोर्टिंग कन्ट्रीज के भाव बढ़ाने की वजह से तो इसी ग्रनुपात में सरचार्ज ग्राप लगाते हैं तो भाव बढ़ता जायेगा इसलिए इसका कोई ग्रौचित्य नहीं है। इसको समाप्त कर दिया जाये। ग्राप नहीं करते हैं तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं सैद्धांतिक तौर पर इस टैक्स का घोर विरोध करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई।

श्री रघुनाथ विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन द्वारा यह बिल पारित करने के लिए थर्ड रीडिंग का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, मैं निवेदन करूंगा कि इस बिल को खारिज किया जाये। इसके कारण यह हैं कि ग्राज राजस्थान में रोड्स की क्या हालत है, मुख्य मंत्री जी जानते हैं ग्रौर यातायात मंत्री जी भी चार दिन पहले तो यह कह रहे थे कि राजस्थान में रोड्स की कन्डीशन खराब है। नागौर से ग्राने वाले माननीय सदस्य ने ग्रभी कहा था कि जो 30 पर्सेन्ट टैक्स है, मंत्री जी उसको नहीं लाये समान रूप से हालांकि ड्राफ्ट करके उन्होंने ग्रमेन्डमेन्ट तो पेश कर दिया। परन्तु बोले इसके विरोध में। इसमें 25 पर्सेंट ग्रौर 30 पर्सेंट है, रोड्स हैं नहीं सब जगह। बहुत जगह तो बिलकुल फेयर वेदर रोड भी नहीं हैं, वहां भी 30 पर्सेंट टैक्स लगेगा। उपाध्यक्ष महोदय, ग्रापको भली भांति मालूम है कि गांवों में रोड्स की क्या हालत है ? ट्रक वाले गांव वालों से उनका माल ढोने के मनमाने पैसे ग्रभी लेते हैं ग्रौर ग्रब इससे भी ज्यादा लेंगे उनसे। ग्रापको मालूम भी होगा कि ट्रक वाले कल प्रदर्शन करने जा रहे हैं। वह तो यही कहेंगे कि राजस्थान विधान सभा ने टैक्स बढ़ा दिया है इसलिए किराया भी बढ़ाना स्वाभाविक है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, ग्रापको मालूम है कि केन्द्रीय वित्त मंत्री जी ने कुछ कर वापस ले लिये, लेकिन ग्राज चीजों के दाम वही के वही हैं। यह तो हालत है ग्रापकी। सारे राजस्थान में रोड्स की हालत बहुत खराब है। हमारे पास रोड्स की प्रगति रिपोर्ट ग्राई। जो सड़कों की गांवों में हालत है वह ग्राप सभी जानते हैं। तो समान रूप से 30% रोड टैक्स क्यों बढ़ा रहे हैं ?

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

जनता सरकार, जो कि ग्रन्त्योदयी सरकार है, ग्रौर मुख्य मंत्री जी ने इस बारे में कीर्तिमान स्थापित किया है इन्टर नेशनल स्फियर के ग्रन्दर ग्रौर शायद ग्रमेरिका वे शील्ड लेने जा रहे हैं इस ग्रन्त्योदय प्रोग्राम के लिए। तो ग्राप ही सोचें कि गरीबों के ऊपर इसका क्या ग्रसर पड़ेगा ? 79 से 85 तक सरचार्ज कर बढ़ा रहे हैं तो क्या कोई ग्रब फिर लड़ाई होने वाली है, कोई झगड़ा होने वाला है ? ग्रापने हमारे ऊपर टैक्स लादा है ग्रौर गरीब जनता के ऊपर टैक्स लादा है, जहां सड़कें नहीं है वहां भी 30 पर्सेंट है

(154)

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

और जहां डामर सड़कें हैं वहां पर भी वही है, यह घोर अन्याय है, ग्रामीण जनता के साथ और गरीबों के साथ और कन्ज्यूमर्स के साथ । आपने घोर अन्याय किया है ।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

गांवों में जायेंगे तो लोग क्या कहेंगे ?....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय विश्नोई जी, चर्चा समाप्त करें ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्हीं फैक्ट्स को देखते हुए कहूंगा कि मैं इसका, इस बिल का घोर विरोध करता हूं । इसको आपको खारिज करना चाहिए ताकि जनता पर टैक्स का बोझ कम हो सके ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा ।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहता था कि मुख्य मंत्री जी इस बात का जवाब देते कि इस साल इनको कितना रुपया मिल जायेगा ? जो विरोधी दल की ओर से बातें रखी गयी हैं, उनमें से एक बात का भी जवाब कन्विंसिंग नहीं है । केवल यह बहुमत के आधार पर समझते हैं कि किसी बिल को पास करवा लिया जाये । इन्होंने तो अपनी सारी बुद्धि और दिमाग न जाने कहां गिरवी रख दिया है । महरबानी करके गिरवी मत रखिये ।

हम चाहते थे कि जनता पार्टी की सरकार जो हमने महत्वपूर्ण प्रश्न उठाये हैं उनका जवाब देती । हमने यह बताया कि इससे उपभोक्ताओं को उनकी जरूरत का सामान महंगा मिलेगा । राजस्थान की भौगोलिक स्थिति अलग है । यहां पर सड़कें नहीं हैं, आपने वाहनों का और मार्गों का राष्ट्रीयकरण कम किया है । इसलिए प्राइवेट ओनर्स किराया बढ़ा देंगे और माल ढोने का किराया बढ़ जायेगा तो उसका बोझ उपभोक्ताओं पर पड़ेगा । आपने आखिर में इसका भी तो हिसाब लगाया होगा कि इतना टैक्स लगेगा और इतना रुपया आयेगा । कोई उत्तर नहीं है । कुछ नहीं, केवल बहुमत के आधार पर पास कर दो, अमेन्डमेन्ट करते हैं तो बिना सोचे समझे करते हैं । जनता पार्टी के घोषणा पत्र में घोषणा की थी कि हम आक्ट्राय खतम कर देंगे, सैल्स टैक्स खतम कर देंगे यह क्या खतम कर देंगे ? इनको तो दो तीन साल राज्य करना है और जनता को तकलीफ में छोड़ना है ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे दल के महत्वपूर्ण सुझाव हैं । यह जो अभी पैसेन्जर टैक्स और गुड्स टैक्स लगाया हैं, आखिरकार इसका सफरर कौन होगा, इसका वजन किस पर जायेगा ? कार पर चढ़ने वाले पर इसका असर नहीं पड़ेगा, जीप पर चढ़ने वाले पर इसका असर नहीं पड़ेगा, फर्स्ट क्लास में चलने वाले लोगों पर नहीं पड़ेगा, यह सारे का सारा वजन गरीब आदमी पर पड़ेगा । यह जो मोटर मालिक

(श्री श्योपत सिंह मकासर)

हैं और जो दूसरे बस मालिक हैं वे तो इन्तजार करते रहते हैं। अगर आप 2पर्सेन्ट टैक्स बढ़ाते हैं, उसके बहाने वे 5 पर्सेन्ट बढ़ायेंगे। हमारी हालत तो यह है कि अभी केन्द्र में जब बजट पेश किया गया तो कहा गया कि 1 पर्सेन्ट मंहगाई बढ़ जायेगी। कभी आप बाजार में जाते हैं, कितने पर्सेन्ट महंगाई बढ़ी है? आपने कहा एक पर्सेन्ट, बाजार में महंगाई आसमान पर चली गई। कल आप से मजदूर पूछेंगे, आपके कर्मचारी पूछेंगे, आपने पैसेन्जर टैक्स और गुड्स टैक्स बढ़ाया है, अलटीमेटली गरीब आदमी के ऊपर बढ़ता है।

दूसरा, आपका जो 5 पर्सेन्ट सरचार्ज, टैक्स है, बंगला देश की लड़ाई हुई थी उस वक्त लगाया गया था, आपने उसको कायम ही नहीं किया, 5 पर्सेन्ट और बढ़ा दिया। आपने अपनी बसेज में कोई तबदीली नहीं की। बसेज को आप तबदील करते या शिकायतें दूर करते, फिर तो आप बढ़ाने के हकदार बन जाते। आपने बसेज की हालत तो ठीक की नहीं। आप आखिरकार यह कर क्या रहे हैं? हरिसिंह जी, यह केदार जी से महकमा आपको देकर आपके सर के ऊपर ठीकरा फोड़ना चाहते हैं। यह तो जरूर है, और तो कुछ नहीं होगा तनख्वाह आप डाक्टरी में अच्छी लेते थे। वह गई, बदनामी और ले ली। आप भला काम करते थे, किसी बीमार को कुछ ठीक करते थे। अभी जो पैसेन्जर टैक्स बढ़ जायेगा, इसमें आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। यह महकमा आपको सोच समझ कर दिया गया है, आप किसानों का भला करेंगे? मगर आप ने किसान पर ही सबसे पहले हमला किया है। महरबानी करके आप जो टैक्स लगा रहे हैं, वापस। लें अगर आपकी राय नहीं मानी जाती है, हमारे मुख्य मन्त्री जी, भैरोंसिंह जी शराब को चालू रखना चाहते हैं, आप में हिम्मत होनी चाहिये, क्या आप वित्त मन्त्री से कम हो, आपको इस्तीफा दे देना चाहिये........

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अगर हमारे आदमी हमारे ही सर फोड़ेंगे तो बहुत घाटे की बात है। किसानों का मुंह बन्द कर दिया। लोग पूछेंगे यह क्या हो रहा है, कहेंगे, आपका ही प्रतिनिधि है। यह पार्टी नहीं है, कई दलों की पार्टी है। अलग अलग आस्था है। किसान कहेंगे, तुम्हारे प्रतिनिधि ने लगाया है। महरबानी करके एक काम कर दीजिये। बहुत ही नेक राय दे रहा हूं। मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। दूसरे लोगों की राय पर शक किया जा सकता है.......

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त करें।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैं तो बोला ही नहीं। एक तो नौजवान मन्त्रि मण्डल में आया उसकी हालत आज बिगाड़ी जा रही है, महरबानी करके आप पुरानी छबि पर आ जावें। 2,3 साल तक यह राज चलेगा कि नहीं चलेगा। राजस्थान की जो हालत हो रही है, छात्रों पर हमले हो रहे हैं........

(158)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें आप।

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह चलेगा कि नहीं, बदनामी से दूर रहिये। इस्तीफा देकर बाहर आ जाइये।

श्री मथुरादास माथुर : इस्तीफा देकर मत आना।

श्री हरिसिंह (यातायात मन्त्री) : माननीय श्योपत सिंह जी का इर्रेलेवेन्ट भाषण मैंने सुना और कई माननीय सदस्यों ने कहा, कोई नई बात नहीं की वही घिसीपिटी बातें और वही यह शो करने वाली बातें कि यह टैक्स जनता के ऊपर है, किसानों के ऊपर है......

श्री श्योपतसिंह मकासर : परसों किसान आये थे, हमारे साथ थे, मिनिस्ट्री मिलते ही सब दोस्ती भूल गये।

श्री हरि सिंह : न कोई सोचते हैं न समझते हैं। खास तौर से माननीय सदस्यों ने कहा कि चिन्तन और मनन करें। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि चिन्तन करके ही वे बातें कहें ताकि ऐसी बातें न कहें। यह छोटा सा बिल है, कोई इससे लेन देन नहीं, प्राइसेज पर भार पड़ने से, किसानों पर भार पड़ने से मजदूरों पर भार पड़ने से। और भी कुछ बोलना हो बोल दीजिये।

अब, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा माननीय सदस्यों से और खास तौर से, आज खेतसिंह जी चुप हैं, मैं उनका आभारी हूं, माननीय मथुरादास जी मदेरणा जी, श्योपत सिंह जी से कि बिल की इश्यू बाई इश्यू जो रेलेवेन्ट बातें हैं उनका क्रिटिसिज्म करें, कोई सुझाव दें, बड़ी अच्छी बात है। मैं ज्यादा पार्लियामेंटेरियन तो नहीं हूं, कामन सेन्स की बात समझता हूं। इर्रेलेवेन्ट बात करने का मतलब किसी चीज को गफलत में डालना है। अब मैं प्रार्थना करूंगा कि इस बिल को पारित किया जाये।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मुख्य मन्त्री जी, आपकी पसन्द के लिये मुबारकबाद है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान यात्री और माल कराधान (संशोधन) विधेयक, 1979, जैसा सदन द्वारा संशोधित किया गया, पारित किया जाये?

(ध्वनि मतदान के पश्चात)

श्री परसराम मदेरणा : Noes have it.

श्री उपाध्यक्ष : क्योंकि मतदान की प्रक्रिया को चुनौती दी गई है मैं इसको दुबारा रखता हूं।

प्रश्न यह है कि राजस्थान यात्री और माल कराधान (संशोधन) विधेयक, 1979, जैसा सदन द्वारा संशोधित किया गया, पारित किया जाये?

(ध्वनि मतदान के पश्चात्)

श्री परसराम मदेरणा : Noes have it.

कई माननीय सदस्य : Noes have it.

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य गण, जो खास तौर से विरोधी पक्ष की बैंन्चेज पर बैठे हैं, से निवेदन करूंगा, यदि वे इसे चुनौती देना चाहे तो मैं माननीय सदस्यों से हाथ खड़े करके जानकारी लेने के के लिये कहूंगा।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, काफी समय से आपने डिविजन नहीं कराया है। ये मुख्य मन्त्री जी जब विपक्ष में इधर बैठते थे तो रोज डिविजन कराते थे, मुझे मालूम है। इस सदन के अधिकांश वोटिंग को भी इन्होंने नहीं माना इसलिए आज इस पर डिविजन होना ही चाहिये।

श्री रतन लाल वर्मा : माननीय भैरोंसिंह जी डिविजन कराते थे तो क्या इसमें भी नकल की जरूरत आ गई? आपको अकल भी तो थोड़ी लगानी चाहिये।

(मत-विभाजन-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : मैं पुनः प्रश्न सदन के समक्ष रख देता हूं। प्रश्न यह है कि राजस्थान यात्री कर और माल कराधान (संशोधन) विधेयक, 1979, संशोधित रूप में, पारित किया जाय?

(स्वीकृत)

राजस्थान यात्री और माल कराधान (संशोधन) विधेयक, 1979 संशोधित रूप में पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही कल प्रातः 11.00 बजे तक लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं 6-12 बजे शुक्रवार दिनांक 30 मार्च, 1979 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की गई)

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 334 की सूची)

तहसील कोटपूतली से सन् 1961–62 में चरागाह स्वीकृ ति हेतु प्राप्त प्रस्तावों के ग्रामों की सूची

परिशिष्ट 'क'

क्रम संख्या	नाम ग्राम	उप जिलाधीश कोटपूतली से प्रस्ताव भेजने का क्रमांक व दिनांक	इस कार्यालय में प्राप्ति की तिथि	इस कार्यालय से उप जिलाधीश कोटपूतली को स्वीकृति की सूचना भेजने का क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4	5
1.	हासियावास	193 दि० 27–1–61	31–1–61	आर–1 (11) (8) 61/3390 दिनांक 18–4–61
2.	पानेडा	92 ,,	31–1–61	आर–1 (11) (9) 61/3396 दिनांक 18–4–61
3.	नारहेडा	96 ,,	,,	आर–1 (11) (10) 61/3304 दिनांक 18–4–61
4.	टमोरीवास	87 ,,	,,	आर–1 (11) (11) 61/3392 दिनांक 18–4–61
5.	सांगठेड़ा	91 ,,	,,	आर–1 (11) (12) 61/3405 दिनांक 18–4–61
6.	बनार	97 ,,	,,	आर–1 (11) (13) 61/3403 दिनांक 18–4–61
7.	शेखपुरा	396 दि० 27–3–61	6–4–61	आर–1–11 (14) 61/3713 दिनांक 29–4–61
8.	फतेहपुरा कलां	1302 दि० 29–4–61	6–5–61	आर–1–11 (17) 61/5882 दिनांक 17–6–61
9.	चानचक्की	1306 ,, ,,	,,	आर–1–11 (20) 61/5884 दिनांक 14–6–61
10.	मोलाहेडा	476 दि० 9–4–61	15–5–61	आर–1–11 (22) 61/6004 दिनांक 15–6–61
11.	कालूहेडा	1244 दि० 27–4–61	3–5–61	आर–1–11 (27) 61/6962 दिनांक 21–6–61

159

1		2 3	4	5
12.	गोपीपुरा	497 दि० 9–5–61	15–5–61	ग्रार–1–11 (28) 61/6963 दिनांक 21–6–61
13.	गोपालपुरा	1303 दि० 29–4–61	6–5–61	ग्रार–1–11 (32) 61/7383 दिनांक 1–7–61
14.	रामकरणपुरा	1106 दि० 31–10–61	2–11–61	ग्रार–11 (84) 61/14208 दिनांक 28–12–61
15.	घवाली	1111 दि० 30–10–61	,,	ग्रार–1–11 (85) 14209 दिनांक 28–12–61
16.	महरमपुरनवास	1108 ,,	,,	ग्रार–1–11 (86) 61/14210 दिनांक 28–12–61
17.	खेडानिहालपुरा	1122 ,,	,,	ग्रार–11 (87) 61/14211 दिनांक 28–12–61
17.	खेडानिहालपुरा	1122 दि० 31–10–61	4–11–61	ग्रार–1–11 ,, ,, ,,
18.	शुक्लावास	1107 दि० 31–10–61	2–11–61	ग्रार–1–11 (88) 61/14212 दिनांक 29–12–61
19.	रघुनाथपुरा	1189 दि० 30–10–61	,,	ग्रार–1–11 (89) 61/14907 दिनांक 28–12–61
20.	ग्रमरपुरा	1088 दि० 20–10–61	,,	ग्रार–11 (90) 61/14206 दिनांक 28–12–61
21.	द्वारिकापुरा	1087 दि० 30–10–61	,,	ग्रार–1–11 (91) 61/14205 दिनांक 28–12–61
22.	गोवर्धनपुरा	1110 दि० 30–10–61	,,	ग्रार–11 (92) 61/14204 दिनांक 28–12–61
23.	पानेडा	1092 दि० 30–10–61	,,	ग्रार–11 (93) 61/14020 दिनांक 28–12–61
24.	विठालोदा	1085 दि० 30–10–61	,,	ग्रार–1–11 (95) 61/14202 दिनांक 28–12–61
25.	काजूखेडा	1101 दि० 30–10–61	,,	ग्रार–1–11 (96) 61/14200 दिनांक 28–12–61
26.	पुरुषोत्तमपुरा	1095 दि० 30–10–61	,,	ग्रार–1–11 (97) 61/14199 दिनांक 28–12–61
27.	कंवरपुरा	1109 दि० 30–10–61	,,	ग्रार–1–11 (2) 61/150 दिनांक 24–1–62
28.	दातिल	1086 दि० 30–10–61	,,	ग्रार–1–11 (3) 61/134 दिनांक 4–1–62

1	2	3	4	5		
29. नवरंगपुरा	1304	दि० 29-4-61	6-5-61	ग्रार-1-11 (23) 61/6003	दिनांक	15-6-61
30. संरड	1305	दि० 29-4-61	6-5-61	ग्रार-1-11 (24) 61/5999	दिनांक	15-6-61
31. बामनवास	491	दि० 9-5-61	15-5-61	ग्रार-1-11 (25) 61/5989	दिनांक	15-6-61
32. खेड़लीमुकड़	327	दि० 11-3-61	17-3-61	ग्रार-11 (26) 61/6005	दिनांक	15-6-61
33. नांगलवाला	1103	दि० 30-10-61	2-11-61	ग्रार-1-11 (12) 62/393	दिनांक	11-1-62
34. श्रजीत पुरा कलां	1029	दि० 11-10-61	24-10-61	ग्रार-1-11 (13) 62/392	दिनांक	11-1-62
35. भण्डाजमूरि	1026	दि० 11-10-61	,,	ग्रार-1-11 (14) 62/390	दिनांक	11-1-62
36. पूतली	1005	दि० 11-10-61	,,	ग्रार-1-11 (15) 62/391	दिनांक	11-1-62
37. खरखड़ी	1003	दि० 11-10-61	16-10-61	ग्रार-1-11 (16) 62/388	दिनांक	11-1-62
38. जयसिंहपुरा	997	दि० 11-10-61	16-10-61	ग्रार-1-11 (17) 62/387	दिनांक	11-1-62
39. नूरी	1007	,,	,,	,, (18) 62/398		,,
40. सुजातनगर	1004	,,	,,	,, (19) 62/399		,,
41. ललाना	1008	,,	,,	,, (20) 62/400		,,
42. पिचानी	1104	दि० 30-10-61	2-11-61	,, (21) 62/488		10-1-62
43. भोपतपुरा	1100	,,	,,	,, (22) 62/407		12-1-62
44. बेरी	1096	,,	,,	,, (2) 62/379,		11-1-62
45. कुहाडा	1024	,,	24-10-61	,, (39) 62/474,		13-1-62
46. टापरी	1030	,,	,,	,, (40) 62/472		,,

1		2	3	4		5	
47.	कासली	1033	दि० 30–10–61	24–10–61	आर–1–11	(23) 62/412	12–1–62
48.	बड़ावास	1031	–	"	"	(41) 62/471,	13–1–52
49.	कल्याणपुरा कलां	1105	दि० 30–10–61	2–11–61	"	(1) 62/151,	4–1–62
50.	देवता	140	दि० 28–2–61	9–3–62	"	(100) 62/2272,	4–4–62
51.	भालोजी	1098	दि० 30–10–61	2–11–61	"	(6) 72/409,	12–1–62
52.	गोनेडा	1010	दि० 11–10–61	16–10–61	"	(7) 62/395,	11–1–62
53.	फतेहपुरा	1028	–	24–10–61	"	(8) 62/401	"
54.	बांदोली	1043	दि० 20–10–61	"	"	(9) 62/397397	"
55.	चतरभुज	1137	दि० 4–11–61	15–11–61	"	(11) 62/394	"
56.	टोरडाकलां	1099	दि० 30–10–61	2–11–61	"	(24) 62/413	12–1–62
57.	हसनपुरा	1195	दि० 16–11–61	20–11–61	"	(25) 62/416	"
58.	महरमपुर राजपूत	1027	–	24–10–61	"	(26) 62/418	"
59.	शेखपुरा	1001	दि० 11–10–61	16–10–61	"	(27) 62/414	"
60.	सागठेडा	1016	"	"	"	(28) 62/410	"
61.	चानचक्की	1002	"	"	"	(29) 62/405	"
62.	राहेडा	1016	"	"	"	(30) 62/406	"
63.	सुन्दरपुरा	1014	"	"	"	(31) 52/419	"
64.	राजनोता	1006	"	"	"	(32) 62/417	"

161

1	2	3	4	5	6
65.	खडब	1009 दि० 11–10–61	16–10–61	आर–1–11 (36) 62/473,	13–1–62
66.	नड़नगर	– 15–11–61	—	(34) 62/4131,	29–5–62
67.	बासड़ी	1013 11–10–61	16–10–61	,, (37) 62/475,	13–1–62
68.	कीरतपुरा	299 ,,	,,	,, (38) 62/478	,,
69.	मोरचा	1079 दि० 13–12–61	30–12–61	,, (46) 62/870,	22–1–62
70.	ठीकरिया	1081 ,,	,,	,, (47) 62/869,	,,
71.	खेडकी मुक्ड	1296 दि० 19–12–61	3–1–62	आर–1–11 (48) 62/868,	22–1–62
72.	किराडोद	1078 दि० 13–12–61	30–12–61	,, (49) 62/867,	,,
73.	जाहिजद पुरा	1082 ,,	,,	,, (50) 62/938,	24–1–62
74.	मलपुरा	1097 दि० 19–12–61	3–1–62	,, (59) 62/9036,	1–2–62
75.	मोहनपुरा	1032 दि० –	24–10–61	,, (10) 62/396,	11–1–62
76.	कायमपुरावास	1201 दि० 16–11–61	20–11–61	,, (4) 62/388,	11–1–62

परिशिष्ट 'ख'

सूची जिन ग्रामों की पत्रावलियां तलफ हो गई हैं

क्रम संख्या	नाम ग्राम
1.	बूचाहेड़ा
2.	बादशहपुरा
3.	सुन्दरपुरा डाढा
4.	मैंसलाना
5.	टसकोला
6.	पवानाग्रहीर
7.	जगदीशपुरा
8.	जीनागीर
9.	नवलकिशोर पुरा
10.	पांचपहाड़ी
11.	कोटपूतली
12.	टोरडा वामनवाला
13.	कूंजोता
14.	पण्डितपुरा
15.	पवालाराहपूत
16.	पाछूडोला
17.	पाथरेडी
18.	केशवाना राजपूत

परिशिष्ट–2

समया भाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

जैसलमेर का वन विभाग का डिवीजन कार्यालय

670. **श्री किशनसिंह भाटी** (जैसलमेर) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जैसलमेर जिले में जनता सरकार द्वारा स्थापित वन विभाग का डिवीजन कार्यालय कहीं अन्यत्र ले जाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) उक्त जिले में जंगलात लगाने हेतु पिछले डेढ़ वर्ष में क्या कदम उठाये हैं ? आगामी वर्ष की क्या योजना है ? इससे कितना क्षेत्र (भू-भाग) लाभान्वित होगा ?

(3) क्या वन रोपण का कार्य उक्त जिले में किसी एक विशेष क्षेत्र में ही किया जा रहा है अथवा संतुलित रूप से जिले के सभी आवश्यकता वाले हिस्सों में ? यदि एक ही क्षेत्र में किया है, तो क्यों ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) उक्त जिले में पिछले डेढ़ वर्ष में १०० हैक्टर पशुपालीय वृक्षारोपण २०० है० में टिब्बा स्थिरीकरण एवं ५० पंक्ति किलोमीटर वृक्षावली रोपण हेतु अग्रिम कार्य कराया जा रहा है और इसके लिए चांदन एवं मनियाना पोधशालाओं में पोध तैयार की गई है।

आगामी वर्ष 150 हैक्टर में पशुपालीय वृक्षारोपण, 150 हैक्टर टिब्बा स्थिरीकरण एवं 100 पंक्ति किलोमिटर वृक्षावली रोपण कार्य कराये जाने की योजना है।

(३) जी नहीं। वनरोपण का कार्य जन सहमति प्राप्त होने पर संतुलित रूप से कराये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

राज्य के गन्ना उत्पादकों को नकद सहायता

671. **श्री माणक लाल ठाकोर** (नैनवा): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या राजस्थान के गन्ना उत्पादकों को जिन्होंने अपना गन्ना राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार के अधीन अथवा उनके द्वारा नियंत्रित मिलों अथवा फैक्ट्रियों को दिया है, कोई नकद सहायता देने का निर्णय लिया है ? यदि हां, तो कितनी सहायता पहुंचाने का निर्णय लिया है ?

(2) क्या यह सहायता उन गन्ना उत्पादकों को भी दी जायेगी जिनका गन्ना नहीं लिए जाने के कारण वो अन्य श्रोतों से गुड़ बना रहे हैं ?

(3) राज्य सरकार गत वर्ष के गन्ना-उत्पादकों के गन्ने की रकम का संबंधित मिलों द्वारा भुगतान करवाने का क्या प्रयत्न कर रही है और यह भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(कृषि मंत्री)

(3) राजकीय उपक्रम के अधीन गंगानगर शुगर मिल के द्वारा वर्ष 77-78 का रु० 495-93 का भुगतान शेष है। केशोरायपाटन शुगर मिल के प्रतिनिधि द्वारा अंकित किया गया कि इनकी फैक्ट्री में वर्ष 77-78 का कोई भुगतान शेष नहीं है। भोपाल सागर शुगर मिल से सूचना अपेक्षित है। तीनों शुगर मिलों को निर्देश दिये जा रहे हैं कि वर्ष 77-78 के शेष भुगतानों को तीन माह के अन्दर अन्दर भुगतान करें।

मकराना नगर की कृषि भूमि में पुरानी मारबल फैक्ट्रियां

673. **श्री जेठमल बरवड़** (परवतसर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या मकराना नगर में कृषि भूमि में पुरानी मारवल फैक्ट्रियों से प्रिमियम व पेनल्टीज करीब 2 लाख वसूल की हैं? यदि हां, तो यह कितनी फैक्ट्रियां हैं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या उपरोक्त फैक्ट्रियों के मालिकों को आज तक लीज नहीं दी गई? यदि हां, तो इससे राज्य सरकार को किराये की कितनी हानि हुई? इन फैक्ट्रियों की लीज कब तक कर दी जावेगी?

उत्तर

(1) मकराना नगर में कृषि भूमि में पुरानी मारवल फैक्ट्रियों से प्रिमियम पैनल्टीज विकास शुल्क व किराया राशि 81 फैक्ट्रियों से संलग्न सूची के अनुसार वसूल की गई।

(2) उपरोक्त 81 (इक्यासी) फैक्ट्रियों में से 18 को लीज की स्वकृति हो चुकी है बाकी फैक्ट्रियों की स्वीकृति हेतु कार्यबाही चालू है वसूली योग्य राशि स्वीकृत होने पर वसूल की जावेगी। अतः हानि का प्रश्न ही नहीं उठता।

166

फैक्ट्रियों की सूची

क्र०सं०	नाम फैक्ट्री
1	2
1.	श्री राम प्रसाद पुत्र हनुमान प्रसाद कावरा मकराना।
2.	,, शमसुद्दीन पुत्र इंदूजी रोशन अली मकराना।
3.	,, हालीनूर गौरी मकराना भौराड़ा।
4.	अग्रसेन मारबल इण्ड० भोरावड़ा।
5.	श्री शिवराज चौपड़ा मुगावली में।
6.	विष्णु मारबल इन्ड० रावड़।
7.	श्री रामदीन पुत्र घासीराम माली मकराना।
8.	,, किशन गहलोत मकराना।
9.	,, माणक चन्द पुत्र पन्नालाल रावड़ मकराना।
10.	,, अहमद खां पुत्र सबदल खां कामलानी।
11.	,, मांगेलाल पुत्र हाकचन्द केरावड़।
12.	,, संकटलाल पुत्र चांदमल कोर केरावड़।
13.	,, नन्द किशोर पुत्र कैलाश अग्रवाल बोरावड़।
14.	,, मोहम्द उसमान पुत्र हाजी बीरबल बोरावड़ रोड मकराना।
15.	रमेश मार्बल स्टोन वर्क्स मकराना।
16.	श्री अब्दुल रमजान पुत्र हाजी अलाबख्श गैसावत मकराना।
17.	आनन्द मार्बल इन्ड० बोरावड़ में।
18.	श्री सुशील अग्रवाल बोरावड़।
19.	,, ओम प्रकाश पुत्र घासीलाल बाके बोरावड़।
20.	खत्री मार्बल इन्ड० मकराना रोड बोरावड़।
21.	श्री हाजी बालजी सा० मकराना।
22.	,, सन्त बाबा उत्तमसिंह मकराना।
23.	,, मो. अयूब पुत्र फकरीया मकराना (गणती में)
24.	,, हनुमान राम पुत्र घासीराम माली मकराना।
25.	,, सीताराम भैरु प्रसाद स० बोरावड़ मकराना।

1	2
26.	वंक्टेश मार्बल इन्ड० बोरावड़ ।
27.	श्री रतनलाल चौपड़ा सा० मकराना ।
28.	,, हाजी हाफिज करीम अब्दुल करीम वगैरा (गुणावती) सा० मकराना ।
29.	जय भारत इन्ड० बोरावड़ ।
30.	श्री नानू गजवर सा० मकराना ।
31.	,, रामेश्वर सा० मकराना (गुणावती)
32.	,, अलानूर सा० मकराना ।
33.	,, गुलाब पुत्र हुसैन सिसोदिया मकराना ।
34.	,, गंगाधर ब्रह्मण सुमेरपुर ।
35.	,, हाजी मोहम्मद सा० मकराना ।
36.	गुलाब ब्राउन मार्बल इन्ड. मकराना ।
37.	श्री मांडू राम पुत्र मेवाराम वलाई मकराना न्याज मोहम्मद
38.	,, फरीद बख्श भाटी मकराना ।
39.	,, शोकतअली भाटी मकराना ।
40.	शारदा मार्बल कम्पनी (गुणावती) मकराना ।
41.	श्री कन्हैयालाल माहेश्वरी मकराना ।
42.	,, मनधर पुत्र सुबान लवार सा० मकराना ।
43.	,, अलानूर चौहान मकराना ।
44.	,, कुमल्ला मकराना ।
45.	,, गोविन्द राम स्वामी मकराना ।
46.	,, बंशीधर महाजन मकराना ।
47.	,, अब्दुल रजाक सा० मकराना ।
48.	,, नवाब अली मकराना ।
49.	,, शोकत अली मकराना ।
50.	,, फकीर मोहम्मद भाटी मकराना ।
51.	,, अब्दुल्ला योरावड़ ।
	, जुमा चौधरी मकराना (गुणावती)

1	2
53.	श्री अब्दुल सत्तार रौदड मकराना।
54.	,, उसमान जलालुद्दीन मकराना।
55.	,, उम्मेदसिंह पुत्र पोकरमल सीकर।
56.	,, बी. आर. सोलंकी मकराना।
57.	सैनिक मार्बल कम्पनी मकराना।
58.	श्री अहमद हसन मकराना।
59.	,, हिम्मतलाल जैन।
60.	,, रामदीन पुत्र घासीराम माली।
61.	राजस्थान मार्बल।
62.	रविन्द्रा मार्बल कम्पनी मकराना।
63.	फातमा मार्बल बोरावड़।
64.	मानधीन ब्रादर्स बोरावड़।
65.	मदीना मार्बल इन्ड०।
66.	रूबी मार्बल बोरावड़।
67.	जैन मार्बल बोरावड़।
68.	मेहता ब्रादर्स बोरावड़।
69.	श्री मूलचन्द पुनीत बोरावड़।
70.	शारदा मार्बल बोरावड़।
71.	भरत मार्बल बोरावड़।
72.	श्री रूपचन्द पुत्र बिरधी लाल बोरावड़।
73.	,, श्री जुमा पुत्र भोलू सा० मकराना।
74.	न्यू इण्डिया मार्बल कम्पनी मकराना।
75.	श्री बाबा उत्तम सिंह।
76.	उदेश मार्बल उद्योग मकराना।
77.	विनोद मार्बल इन्ड० मकराना।
78.	श्री अब्दुल अजीज स० मकराना।
79.	,, रामबल्लभ पुत्र भेरूलाल महाजन मकराना।
80.	,, श्री उमेम्द सिंह पुत्र पोकरराम जाट बोरावड़।
81.	बालकृष्ण मार्बल कम्पनी बोरावड़।

169

धौलपुर से बाड़ी 33 के. वी. लाइन

674. **श्री जगदीश सिंह** (धौलपुर) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) धौलपुर से बाड़ी की 33 के. वी. लाइन किस समय से टॉप प्रायोरिटी पर है ? आज तक क्या प्रोग्रेस हुई और बाड़ी को ही क्यों नेगलेक्ट किया जा रहा है ? क्या इसको कोई खास अधिकारी रोके हुए हैं ? इसकी रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। क्या दोषी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही की जावेगी ?

(2) क्या धौलपुर, बाड़ी में बिजली की कमी की वजह से इस क्षेत्र का सारा विस्तार रुका हुआ नहीं है ?

(3) क्या बिजली की कमी की वजह से लोग बिजली का कनेक्शन कटवा नहीं रहे हैं ?

(4) इस साल का कृषि कोटा क्या पूरा नहीं हो सका ?

उत्तर

(1) धौलपुर से बाड़ी 33 के. वी. लाइन खेंचने एवं बाड़ी पर 33/11 के. वी. सब स्टेशन बनाने के लिये वर्ष 1978–79 के बजट में प्रावधान रखा गया है। बाड़ी पर 33/11 के. वी. सब स्टेशन बनाने का कार्य लगभग पूरा हो गया है। इस चट्टानी क्षेत्र में ब्लास्टिंग से खड्डे तैयार करने का कार्य राज्य के भू-जल विभाग द्वारा किया जायेगा। जिसके शुरू होते ही लाइन खड़ी करने का कार्य किया जा सकेगा। न तो इस कार्य को कोई अधिकारी रोके हुए है और न ही नेग्लेक्ट किया गया है। अतः किसी के खिलाफ कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

(2) धौलपुर क्षेत्र में अभी तक 132 के. वी. की उच्च प्रसारण लाइन नहीं है तथा वर्तमान 33 के. वी. सिस्टम में और अधिक भार वहन करने की क्षमता नहीं है। अतः ग्रामीण विद्युतिकरण का विस्तार वर्तमान में नहीं हो पा रहा है।

(3) जी हां, परन्तु बिजली की कमी के कारण किसी के कनेक्शन नहीं रोके जा रहे हैं।

(4) धौलपुर क्षेत्र में 40 कुओं के चालू वर्ष में बिजली देने का लक्ष्य रखा गया था। अब तक कुल 41 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं जिसमें से 29 के डिमान्ड नोटिस जारी किये जा चुके हैं। 13 को कनेक्शन दे दिये हैं, 13 प्रार्थना पत्र पैसा जमा न कराने के कारण केन्सिल कर दिये गये हैं तथा बचे 3 के पैसा जमा कराने की अवधि शेष है। शेष 12 प्रार्थना पत्र जनवरी/फरवरी 79 में ही प्राप्त हुये हैं जिनके एस्टीमेट आदि बनाने का कार्य हो रहा है।

कुओं के विद्युतीकरण के विचाराधीन प्रस्ताव

675. **श्री नवरंग सिंह** (नवलगढ़) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य के कितने कुओं का विद्युतीकरण अप्रैल, 78 से अब तक किया गया है

(श्री नवरंग सिंह)

और कितने ग्रामों के प्रस्ताव विचाराधीन है ? सूची जिलेवार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि झुन्झुनूं जिले में इस समय कुओं को विद्युत् समय पर नहीं मिल रही है तथा बिजली में झटके आते हैं, जिससे कृषकों की मोटर जल जाती है ? इस अव्यवस्था को राज्य सरकार कब तक दूर कर देगी ?

उत्तर

(1) माह अप्रेल, 78 से फरवरी, 79 तक 22762 कृषि कुओं को कनेक्शन दिये गये हैं। 875 ग्रामों को विद्युत मण्डल द्वारा वर्ष 1978–80 के कार्यक्रमों के अन्तर्गत विद्युतीकरण के लिये स्वीकृति दी गई है। विद्युतीकृत कृषि कुओं की वृतवार एवं स्वीकृत ग्रामों की जिलेवार सूचियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(2) झुंझुनूं जिले में कृषि कुओं को बिजली यथा सम्भव समय पर ही मिल रही है। यदा कदा सामान्य विद्युत प्रणाली पर भार उपलब्ध उर्जा से अधिक हो जाने पर विद्युत प्रवाह मे क्षणिक उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक है जिसके कारण यदि मोटरों के स्टार्टर केपेसिटर तथा फ्यूज आदि सही काम करते हैं तो सामान्यतया मोटर के जलने की संभावना नहीं होती है।

171

वित्तीय वर्ष 1978–79 में कृषि कुओं के विद्युतीकरण के वृतवार आंकड़े

(माह अप्रेल, 78 से माह फरवरी, 79 के अन्त तक)

क्र. सं.	वृत का नाम	उपलब्धियां
1.	अजमेर	1940
2.	अलवर	2022
3.	बीकानेर	145
4.	भीलवाड़ा	3641
5.	जयपुर शहर	16
6.	जयपुर जिला	4280
7.	जोधपुर (निर्माण)	2013
8.	जोधपुर (ओ एण्ड एम)	1506
9.	झुंझुनूं	1423
10.	सीकर	2266
11.	कोटा	2117
12.	उदयपुर	1393
	कुल योग	22762

मण्डल द्वारा 1978–80 में विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत ग्रामों की सूची (जिलेवार)

क्र. सं.	जिले का नाम	स्वीकृत ग्रामों की संख्या
1.	अजमेर	25
2.	अलवर	37
3.	बांसवाड़ा	5
4.	बाड़मेर	8
5.	भरतपुर	41
6.	भीलवाड़ा	32
7.	बीकानेर	27
8.	बून्दी	17
9.	चित्तौड़गढ़	51
10.	चूरू	23
11.	डूंगरपुर	14
12.	जयपुर	64
13.	जैसलमेर	5
14.	जालौर	5
15.	जोधपुर	23
16.	झालावाड़	68
17.	झुंझुनूं	27
18.	कोटा	81
19.	नागौर	22
20.	पाली	8
21.	सवाई माधोपुर	42
22.	सीकर	49
23.	सिरोही	2
24.	श्री गंगानगर	135
25.	टोंक	32
26.	उदयपुर	32
	योग :—	875

राजस्थान के उद्योगपतियों पर बकाया कर

676. **श्री हरसहाय मीणा** (लालसोट)

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा)

श्री राम किशोर मीणा (सिकराय) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान में किन किन उद्योगपतियों में कितना कितना कर बकाया है ? राज्य सरकार इसकी वसूली क्यों नहीं करना चाहती ?

(2) क्या जयपुर उद्योग से सवाई-माधोपुर सीमेन्ट फैक्ट्री के अधिग्रहण के समय सरकारी बकाया की कोई राशि का नोटिस उसके प्रबन्धकों को दिया गया ? यदि हां, तो कितनी राशि का ?

(3) राज्य सरकार की बिक्रीकर से वार्षिक आय, इस बजट सत्र में कितनी हुई ?

(4) जिन जिन उद्योगपतियों में बकाया कर, ऋण आदि हैं, उसकी पूर्ण सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) जिन उद्योगपतियों में बिक्री कर बकाया है, उनकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है । परिशिष्ट 'क' राज्य सरकार बकाया की वसूली के लिए प्रयत्नशील है ।

(2) इस उद्योग का भारत सरकार ने अभी अधिग्रहण नहीं किया है । बिक्रीकर विभाग द्वारा रुपये 59,51,968/– का नोटिस दिया गया था ।

(3) अप्रैल, 1978 से फरवरी, 1979 तक बिक्रीकर की आय 98.93 करोड़ रुपये हुई ।

(4) जिन-जिन उद्योगपतियों में उद्योग विभाग द्वारा दिये गये ऋण बकाया हैं, उनकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है । परिशिष्ट 'ख'

परिशिष्ट 'क'

क्रम संख्या	प्रतिष्ठान का नाम	बिक्रीकर कुल बकाया राशि
1	2	3
1.	मैसर्स राज इण्डस्ट्रीज, हाथी बाबू का बाग, जयपुर	1,61,733.50
2.	,, बी. के. स्वामी एण्ड कम्पनी, 22 गोदाम, जयपुर	2,876.14
3.	,, जैश्री उद्योग, जयपुर	3,413.26
4.	,, बी. बी. आयल मिल, इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर	91,297.27
5.	,, गणेश काटन जीनिंग फैक्ट्री, ब्यावर	97,633.17
6.	,, दौलत आयल मिल, सुदर्शनपुरा, जयपुर	21,957.72
7.	,, एच. कपूर इंजिनियरिंग एण्ड कन्ट्रक्शन प्रा. लि., जयपुर	21,350.00
8.	,, मुकुल ट्रेडिंग कम्पनी, जयपुर	6,35,560.80
9.	,, जयपुर इलेक्ट्रो प्रा. लि., जयपुर	1,34,635.51
10.	,, शक्ति मिल्स, सरदार पटेल मार्ग, जयपुर	6,624.00
11.	,, राजस्थान इण्डस्ट्रीज, एम. आई. रोड, जयपुर	24,000.00
12.	,, स्टील साडर्स, 22 गोदाम, जयपुर	7,739.75
13.	,, मधु इण्डस्ट्रीज प्रा. लि., जयपुर	9,308.95
14.	,, राजस्थान इण्डस्ट्रीयल एण्ड मेटल, जयपुर	13,765.58
15.	,, मेटल इण्डस्ट्रीज, ब्रह्मपुरी, जयपुर	7,859.91
16.	,, दीपक काटेज इण्डस्ट्रीज, जयपुर	2,960.62
17.	,, नेशनल स्टोन क्रासिंग, जयपुर	7,071.00
18.	,, जयपुर मेटल एण्ड इलेक्ट्रिकल्स लि., स्टेशन रोड, जयपुर	19,35,388.00
19.	,, मान इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन, जयपुर	41,200.67
20.	,, उमा एन्टर प्राईजेज प्रा. लि., टोंक रोड़, जयपुर	2,08,940.80
21.	,, राजस्थान मेटल स्मेलटिंग, जयपुर	5,000.00

1	2	3
22.	मैसर्स कोटा रोलिंग मिल्स, कोटा	42,710,00
23.	,, ग्रोम मेटल एण्ड मिनरल, कोटा	43,021 00
24.	,, राठी गम इण्डस्ट्रीज, जोधपुर	15,611.00
25.	,, ग्रानन्द गम इण्डस्ट्रीज, जोधपुर	3,000.00
26.	,, ग्रनुप्रदाय वर्क्स, जोधपुर	19,440.00
27.	,, महालक्ष्मी मिल्स, ब्यावर	41,978.98
28.	,, विजय काटन मिल्स, विजयनगर	2,93,594.30
29.	,, कमला जीनिंग प्रेसिंग फैक्ट्री, विजयनगर	25,054.00
30.	,, राजपूताना कॉटन प्रेस, ब्यावर	5,000.00
31.	,, जयपुर उद्योग, सवाईमाधोपुर	61,22,075.00
32.	,, भगवती लाईम वर्क्स, ग्रटपड़ा, पाली	54,213.00
33.	,, प्रकाश ग्रायल मिल्स, सुमेरपुर	51,239.50
34.	,, शिव स्टील वर्क्स, फालना	21,000.00
35.	,, ग्ररुण इण्डस्ट्रीज, सुमेरपुर	11,49,151.13
36.	,, किरण एग्रिको, फालना	5,867.85
37.	,, शम्भुप्रसाद ग्रशोक कुमार, सुमेरपुर	8,000.00
38.	,, सन्तोष इण्डस्ट्रीज, फालना	10,000.00
39.	,, सहचारी उद्योग मंदिर, फालना	14,000.00
40.	,, चन्द्रा मिनरल, फुलाद	1,431.18
41.	,, भारत डाइंग एवं प्रिन्टिंग वर्क्स, पाली	6,981.98
42.	,, सत्यनारायण एण्ड कम्पनी, सोजतसिटी	2,196.39
43.	,, एसबेस्टोज सीमेन्ट प्रोडक्टस, सोजतरोड	2,738.04
44.	,, ग्रजय केमीकल्स लाईम इण्डस्ट्रीज, सोजतरोड़	902.64
45.	,, जी. चम्पालाल सुराना, सोजतसिटी	3,803.98
46.	,, मदनसिंह टांक चण्डावल, (पाली)	1,675.38
47.	,, कानाराम एण्ड संस, सोजतसिटी	2,450.00
48.	,, परमानन्द एण्ड कम्पनी, सोजतसिटी	2,245.00
49.	,, राजस्थान ग्रायरन इण्डस्ट्रीज, पाली	3,444.12

(176)

1	2	3
50	मैसर्स दीपक इण्डस्ट्रीज, पाली	15,100.00
51.	,, स्वास्तिक स्टील इण्डस्ट्रीज, रानी	1,388.16
52.	,, काकरियां हैण्डलूम इण्डस्ट्रीज, जोधपुर	800.00
53.	,, लोढा एन्टरप्राइजेज इन्डस्ट्रीज, जोधपुर	4,206.59
54.	,, अरोड़ा सोप फैक्ट्री, जोधपुर	2,000.00
55.	,, आयवनजिक प्रोडक्ट्स इण्डस्ट्रीज, जोधपुर	1,106.00
56.	,, राजहंस इण्डस्ट्रीज प्रा. लि., जोधपुर	3,000.00
57.	,, महालक्ष्मी टैन्ट फैक्ट्री, जोधपुर	261.00
58.	,, अशोक दाल मिल, जोधपुर	5,225.35
59.	,, प्रिसीजन इन्स्ट्रूमेन्ट्स, जोधपुर	3,662.34
60.	,, जे. के. फैबरिक्स इण्डस्ट्रीज, जोधपुर	51.00
61.	,, महेश्वरी प्रतिष्ठान, जोधपुर	5,086.03
62.	,, राजहंस इण्डस्ट्रीज, जोधपुर	260.00
63.	,, विजय दाल मिल, जोधपुर	2,500.00
64.	,, अपर इंडिया कास्टिंग कम्पनी, जोधपुर	8,187.02
65.	,, राजस्थान रेडियो इण्डस्ट्रीज, जोधपुर	1,236.00
66.	,, राठी केमीकल प्रा. लि., जोधपुर	3,294.50
67.	,, राबर्ड जैक्शन केनिंग कं., जोधपुर	1,300.00
68.	,, ए. जी. इंजिनियरिंग, जोधपुर	1,200.00
69.	,, बल्लभ इण्डस्ट्रीज, जोधपुर	9,160.18
70.	,, बरकी इंजिनियरिंग वर्क्स, जोधपुर	314.03
71.	,, एगजा इंजिनियरिंग मैन्यूफैक्चरिंग कं., जोधपुर	74.43
72.	,, के. वी. इण्डस्ट्रीज, जोधपुर	131.52
73.	,, राठी केमीकल प्रा. लि., जोधपुर	1,707.97
74.	,, राजस्थान आइस एण्ड कोल्ड स्टोरेज, जोधपुर	6,000.00
75.	,, दत्ता ब्रादर्स, जोधपुर	1,295.72
76.	,, मेटल आर्ट इण्डस्ट्रीज, जोधपुर	100.00

1	2	3
77.	मैसर्स लक्ष्मी इण्डस्ट्रीज, जोधपुर	101.00
78.	,, जिकों इण्डस्ट्रीज, जोधपुर	498.15
79.	,, सी. के. उद्योग, जोधपुर	77.50
80.	,, न्यू मेटल इण्डस्ट्रीज, जोधपुर	58.99
81.	,, क्वालिटी कण्डक्टैक्ट इण्डस्ट्रीज, जोधपुर	500:00
82.	,, न्यू माडल इण्डस्ट्रीज, जोधपुर	14,237.11
83.	,, श्री एग्यूकेशन इण्डस्ट्रीज, जोधपुर	3,607·82
84.	,, प्रेसीजन इन्ट्रूस्मेन्ट इण्डस्ट्रीज, जोधपुर	1,943.13
85.	,, सेल्स इण्डिया, जोधपुर	188·50
86.	,, अलंकार इण्डस्ट्रीज, जोधपुर	207·31
87.	,, जोधपुर एग्रीकल्चर इण्डस्ट्रीज, जोधपुर	91·25
88.	,, जुगसन इण्डस्ट्रीज, जोधपुर	74·79
89.	,, प्रेसीजन इन्स्ट्रूमेन्ट, जोधपुर	532·96
90	,, विजय आयल मिल्स, भीलवाड़ा	1,41,402·47
91.	,, विजय लक्ष्मी आयल एण्ड दाल मिल, भीलवाड़ा	4,548·80
92.	,, राजस्थान कापरेटिव स्पिनिंग मिल्स, गुलाबपुरा	3,700·80
93.	,, महावरी प्रा० लि०, इन्सुलेशन, भीलवाड़ा	3[illegible]0·00
94.	,, गणेश आयल मिल्स, शाहपुरा	1,062·75
95.	,, मयूर क्रेशिंग मिल्स, मांडल	5,38,227·16
96.	,, भीलवाड़ा वूलन मिल्स, भीलवाड़ा	300·00
97.	,, शिखर आयल मिल्स, भीलवाड़ा	55·00
98.	,, बजरंग आयल मिल्स, भीलवाड़ा	9,529·94
99.	,, गणेश स्पिनिंग मिल्स, भीलवाड़ा	2,680·25
100.	,, लक्ष्मी स्पिनिंग मिल्स, भीलवाड़ा	9,515·05
101.	,, शिखर आयल एण्ड दाल इण्डस्ट्रीज, भीलवाड़ा	2,686·01
102.	,, नरेन्द्र आयल मिल्स, भीलवाड़ा	58,279·95
103.	,, मोती मेटल इण्डस्ट्रीज, भीलवाड़ा	409·51

1	2	3
104.	मैसर्स नेशनल इंजिनियरिंग इण्डस्ट्रीज, जयपुर	49,000·00
105.	,, रावूल भ्रायल इण्डस्ट्रीज, भ्रादर्श नगर, जयपुर	7,365·50
106.	,, पाल सोप एण्ड केमीकल वर्क्स, भ्रादर्श नगर, जयपुर	8,497·94
107.	,, एस. जोराष्ट्र एण्ड कम्पनी सप्लाई प्रा०लि०, जयपुर	37,410·71
108.	,, राजस्थान पेंस्ट मैन्यूफेक्चरिंग कं०, भ्रागरा रोड़, जयपुर	8,853·12
109.	,, उनौटो बाड़ी सेन्टर, तिलक नगर, जयपुर	63,425·00
110.	,, भ्रजय भ्रायल मिल्स, जयपुर	10,675·50
111.	,, बी०बी० भ्रायल मिल्स, जयपुर	1,30,148·23
112.	,, जयपुर इन्टरप्राईजेज, जयपुर	2,46,560·43
113.	,, मान स्ट्रक्चर लि०, जयपुर	80,202·79
114.	,, गुप्ता इण्डस्ट्रीज, जयपुर	30,000·00
115.	,, हेमराज उद्योग, जयपुर	43,957·16
116.	,, जी०सी० टीन प्रोडक्टस, जयपुर	98,776·24
117.	,, जार्ज इण्डस्ट्रीज, विश्वकर्मा इण्डस्ट्रियल एरिया, जयपुर	30,217·15
118.	,, सूत भ्रायल मिल्स, जोधपुर	80,295·67
119.	,, इण्डो एग्रिको फर्टीलाइजर्स प्रोड़क्टस, फालना	26,607·73
120.	,, चतुर्भुज भंवरलाल, पाली	1,05,767·18
121.	,, सोजत लाईम कम्पनी, सोजत रोड	5,700·00
122.	,, स्वास्तिक केमीकल लाईम इण्डस्ट्रीज, सोजतरोड	10,056·72
123.	,, भ्रार.जे. इन्जिनियरिंग एण्ड रिरोलिंग मिल्स, जोधपुर	2,000·00
124.	,, राजस्थान इण्डस्ट्रीज, जोधपुर	5,723·75
125.	,, दुर्गा भ्रायल मिल्स, जोधपुर	2,000·00
126.	,, केमीकल लाईम, जोधपुर	6,000·00
127.	,, भ्रार.जे इंजिनियरिंग एण्ड रिरोलिंग मिल्स, जोधपुर	1,300·00
128.	,, माईन्स मैनेजर टंगस्टन प्रोजेक्ट, डेगाना	2,063·00
129.	,, मारवाड़ा टैन्ट फैक्ट्री, जोधपुर	5,000·00
130.	,, राजस्थान स्टेट केमीकल वर्क्स, डीडवाना	13,000·00
131.	,, हिन्दुस्तान शुगर मिल, उदयपुर	5,64,228·00

1	2	2
132.	मैसर्स मधुबन केमीकल फर्टीलाइजर्स, उदयपुर	1,94,771·00
133.	,, कमल इण्डस्ट्रीज, उदयपुर	16,582·00
134.	,, राधामाधव गम इण्डस्ट्री, चूरू	1,36,239·40
135.	,, राजेन्द्र प्रसाद दाल मिल, सूरतगढ़	1,34,296·71
136.	,, प्रकाश इण्डस्ट्रीज, भरतपुर	31,900·00
137.	,, हरी इण्डस्ट्रीज, भरतपुर	8,414·00
138.	,, गणपत रोलर एण्ड फ्लोर मिल, भरतपुर	13,000·00
139.	,, बजरंग इण्डस्ट्रीज, गंगापुर	16,165·11
140.	,, भगवती आइल मिल, अलवर	4,000·00
141.	,, अलवर आइल मिल, अलवर	4,982 78
142.	,, तरुण आइल एण्ड दाल मिल्स, अलवर	8,661·95
143.	,, हंसराज आइल एण्ड दाल मिल, खेरथल	3,800·00
144.	,, जी.एस. इण्डस्ट्रीज, गोविन्दगढ़	3,798·92
145.	,, ओम आइल मिल्स, अलवर	29·61
146.	,, आदर्श आइल मिल्स, अलवर	691·13
147.	,, आनन्दी आइल मिल्स, अलवर	205·00
148.	,, अमर आइल एण्ड फ्लोर मिल्स, अलवर	15·00
149.	,, अन्नपूर्णा आइल मिल्स, अलवर	214·00
150.	,, उमा आइल मिल्स, अलवर	500·00
151.	,, विश्वकर्मा आइल एण्ड फ्लोर मिल, अलवर	154·44
152.	,, विजय आइल मिल, अलवर	382·00
153.	,, विनय आइल मिल्स, अलवर	540·00
154.	,, बोर्दिया आइल मिल, अलवर	67·07
155.	,, दुर्गा आइल मिल, अलवर	143·42
156.	,, गोविन्द आइल मिल, अलवर	40·71
157.	,, गर्ग आइल मिल, अलवर	73·09
158.	,, गिरधर आइल एण्ड फ्लोर मिल्स, अलवर	117·50
159.	,, गोपाल कृष्ण आइल इण्डस्ट्रीज, अलवर	3,487·26

1	2	3
160.	मैसर्स हल्दिना घाणी तेल उपभोक्ता सहकारी समिति, अलवर	256·78
161	,, हिन्द आइल मिल्स, अलवर	3,310·00
162.	,, कैलाश आईल इण्डस्ट्रीज, अलवर	3,254·23
163.	,, राधेश्याम रमेशचन्द्र आइल मिल, अलवर	538·08
164.	,, राजेन्द्र आइल मिल्स, अलवर	690·57
165.	,, सुरेश आइल मिल्स, अलवर	150·50
166.	,, स्वस्तिक आइल मिल्स, अलवर	200·00
167.	,, श्री गनेश इण्डस्ट्रीज, अलवर	50·00
168.	,, मालीवल कास्टिंग एण्ड इंजिनियरिंग इण्डस्ट्रीज, अलवर	97·83
169.	,, हटक्स एण्ड कम्पनी, अलवर	1,236·00
170.	,, पैरीड्रम लेबोरेट्री, अलवर	4,260·00
171.	,, प्रभुदयाल रमेशचन्द्र आइल मिल, अलवर	3,275·00
172.	,, प्रकाश आइस फैक्ट्री, अलवर	3,918·81
173.	,, रतन आइस फैक्ट्री, अलवर	423·00
174.	,, फैसला लेबोरेट्री, अलवर	24,597·91
175.	,, राजस्थान स्टोन इण्डस्ट्रीज, अलवर	42,926·75
176.	,, विनय ग्लास वर्क्स, अलवर	6,666·95
177.	,, युशल गुनी, अलवर	3,240·00
178.	,, रामगढ़ स्टोन कम्पनी, अलवर	7,546·00
179.	,, अरावली एण्ड विमल इण्डस्ट्रीज, अलवर	831·00
180.	,, एस. आर मेटल वर्क्स, अलवर	409·00
181.	,, फैब्रिक्स प्लास्टिक, अलवर	3,326·00
182.	,, पम्प लोड लिफ्टर्स, अलवर	2,00·85
183.	,, सन्तोष सोप फैक्ट्री, खेरली	1,984·58
184.	" सन्तोष सोप मिल, खेरली	120·00
185.	,, कमल आइस फैक्ट्री, खेरली	404·96
186.	,, नेशनल चिप्स एण्ड मिनरल इण्डस्ट्रीज, राजगढ़	700·99
187.	,, प्रकाश आइल मिल्स, बारोदा मेव (अलवर)	1,640·00

(181)

1	2	3
188.	मैसर्स जैन ग्राइल एण्ड फ्लोर मिल्स, खेरली	50·00
189.	,, अशोक मिनरल इण्डस्ट्रीज, राजगढ़	3,150·00
190.	,, उमा ग्राइल मिल्स, उजरका (ग्रलवर)	1,650·00
191.	,, रमेश ग्राइल एण्ड फ्लोर मिल्स, बहरोड़	50·00
192.	,, जनता सोप फैक्ट्री, खेरथल	180·88
193.	,, दुर्गा सोप फैक्ट्री, खेरथल	5,985·62
194.	,, राज सोप फैक्ट्री, खेरथल	3,000,00
195	,, दुर्गा सोप फैक्ट्री, खेरथल	127·87
196.	,, खेरथल स्टोन क्रोसिंग कम्पनी, खेरथल	2,437·10
197.	,, छावड़ा स्टोन इण्डस्ट्रीज, जगता बस्ती	69·70
198.	,, विजय सोप फैक्ट्री, खेरथल	306·92
199.	,, गंगा ग्रायल मिल्स, ग्रलवर	58·80
200.	,, गोपाल ग्रायल मिल्स, ग्रलवर	200·81
201.	,, जे. के. सिन्थेटिक्स लि०, कोटा	47,50,806·84
202.	,, राजस्थान टैक्सटाइल्स मिल, भवानीमण्डी	73,500·00
203.	,, एसोसियेटेड समेन्ट कम्पनी, लाखेरी	2,63,045·62
204.	,, ऐलविन मार्केटिंग लि., सवाईमाधोपुर	3,11,516·91
205.	,, राजीव ट्रेडिंग कम्पनी, सवाईमाधोपुर	8,33,656·74
206.	,, भारत ग्रोवरसीज प्रा. लि., सवाईमाधोपुर	49,23,500·67
207.	,, जयपुर उद्योग लि., सवाईमाधोपुर	3,49,379·81
208.	,, इण्डो इंजिनियरिंग (कोटा) प्रा. लि., कोटा	1,06,312·16

राजस्थान सरकार

वित्त (ग्रुप–4) विभाग

राज्य सरकार द्वारा (उद्योग सचिव के माध्यम से) उद्योगपतियों/उद्योगों को दिये गये ऋण, उसकी वसूली एवं बकाया आदि का विवरण (रुपये लाखों में)

क्र०सं०	उद्योगपतियों/उद्योगों का विवरण	स्वीकृत ऋण राशि	कब दिया गया	31–1–1979 तक वसूली की राशि	31–1–1979 तक बकाया की राशि	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
1.	जयपुर उद्योग लि०, सवाईमाधोपुर	60–00	2–1–1957	53–34	6–66	कम्पनी को 3–66 लाख की राशि 31–7–77 व 3–66 लाख 31–10–1977 को देय परन्तु कम्पनी की आर्थिक स्थिति अभी ठीक नहीं होने के कारण ऋण किश्तों की देय तिथियों को प्राप्त नहीं हुई हैं।
2.	जयपुर उद्योग लि०, सवाईमाधोपुर	12–00	29–6–1960	12–00	—	पूरी राशि वसूल हो चुकी है। ब्याज राशि 1–49 लाख बकाया हैं।

1	2	3	4	5	6	7
3.	जयपुर उद्योग लि०, सवाईमाधोपुर	25–00	12–10–68	—	25–00	कम्पनी को 12–50 लाख रुपया 31–7–77 व 12–50 लाख 31–10–77 को देय था परन्तु कम्पनी की आर्थिक स्थिति अभी ठीक नहीं होने के कारण ऋण किश्तों की अदायगी नहीं हुई है।
4.	विजय नगर शुगर मिल्स, विजयनगर, जिला अंजमेर	3–85	20–11–1959	2–20	1–65	वसूली की कार्यवाही जिलाधीश, अजमेर के यहीं पी०डी०आर०/लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत चलरही है ।। वसूली की कार्यवाही राजस्थान जन मांग वसूली अधिनियम 1952 के अन्तर्गत वित्त सचिव द्वारा दि० 28–12–1960 को भेजे गये रिक्वीजीशन पर जिलाधीश, अजमेर द्वारा की गई ।
5.	आदित्य मिल्स लि०, मदनगंज–किशनगढ़	5–00	14–7–1973	2–50	2–50	अग्रिम किश्त 1–7–1979 को देय हैं ।

1	2	3	4	5	6	7
6.	जयपुर स्पिनिंग एण्ड विविंग मिल्स लि०, जयपुर	10–73	29–4–1974	0–50	8–78	कम्पनी ने भुगतान की तिथि के रिशडियुलिंग के लिए आवेदन किया था जो स्वीकार नहीं किया गया कम्पनी को रुपया जमा कराने हेतु नोटिस दिया गया है।
7.	फालना उद्योग मण्डल लि०, फालना	3–04	27–6–1972, 12-3-73, 23-6-73, 19–6–74	2–44	0–60	जिलाधीश, पाली के वहां पी० डी०आर० एक्ट के तहत वसूली की कार्यवाही चल रही है। (सन् 1972 से)
8.	मै० जे० के० सिन्थेटिक्स लि०,	10–00	19–3–1976	5–00	5–00	अग्रिम किश्त दिनांक 31-7-79 को देय है।

जयपुर नगर में कीटाणु रहित दूध बनाने का कारखाना

677. **श्री गिरधारीलाल भार्गव** (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार जयपुर नगर में कीटाणु रहित दूध तैयार करने का कारखाना स्थापित करने का विचार रखती है ?

(2) क्या कारखाना स्थापित करने के लिए प्रारम्भिक प्रारूप तैयार कर लिया गया है ?

(3) कारखाने का निर्माण कब तक पूरा हो जाने का अनुमान है और इस पर कितनी धनराशि व्यय होगी ?

(4) कारखाने से प्रति दिन कितने लीटर दूध उत्पन्न होगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी, अभी नहीं।

(3) प्रारम्भिक प्रारूप के तैयार होने के पश्चात् ही बतलाया जा सकेगा।

(4) प्रारम्भिक प्रारूप के तैयार होने के पश्चात् ही बतलाया जा सकेगा।

दांतारामगढ़ तहसील में राजस्व अभियान

678. **श्री मदनसिंह दांता** (दांतारामगढ़): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) क्या सीकर जिले के दांतारामगढ़ तहसील के ग्राम पंचायत भारीजा में राजस्व अभियान के तहत पिछली साल व इस वर्ष कैम्प लगाये गये थे ? यदि हां, तो कब और किस स्थान पर ? उस कैम्प में कौन कौन अधिकारीगण गये थे। तथा उन्होंने कितने नामान्तरकरण, खातों की दुरुस्ती की हैं ? क्या इस ग्राम के खातों में सैटलमेंट के समय से ही गलत इन्द्राज हुए हैं जिन्हें आज तक किसी भी पटवारी ने दुरुस्त नहीं किये है बल्कि उनमें और गलत इन्द्राज की प्रवृष्टियां कर उन्हें जटिल बना दिये हैं ?

(2) क्या इस प्रकार आपस में दुरुस्ती हेतु 500 मामले आज भी खटाई में पड़े हुए हैं और वहां के निवासी इस बारे में राज्य सरकार का ध्यान लिखित में समाचार पत्रों के माध्यम से समय समय पर कराते रहे हैं, परन्तु आज तक उनकी कहीं पर भी सुनवाई नहीं हुई ? राज्य सरकार कोई विशेष राजस्व कैम्प लगाकर खातों की दुरुस्ती कर काश्तकारों को राहत कब तक पहुंचावेगी ?

उत्तर

(१) यह सही है कि तहसील दांतारामगढ़ की ग्राम पंचायत भारीजा के मुख्यालय पर दिनांक 1-11-77 व 21-12-78 को राजस्व अभियान का कैम्प लगाया गया था। दिनांक 1–11–77 के कैम्प में उक्त जिलाधीश, सीकर, तहसीलदार, दांता रामगढ़ कैम्प में गये थे। तहसीलदार दांता रामगढ़ गए थे। तथा दिनांक 21–12–78 के कैम्प में उन्होंने दिनांक 1–11–77 को 83 नामान्तरकरण तस्दीक किये तथा 21–12–78 को 11 नामान्तरकरण तस्दीक किये। सैटलमेंट के समय से गलत इन्द्राज होने की शिकायत उक्त अधिकारियों के समक्ष पेश नहीं की गई। अतः दुरुस्ती करने का प्रश्न ही नहीं है। और न इन्द्राज करने व उनको जटिल बनाने की शिकायत ही प्राप्त हुई है।

(2) यह सही नहीं है। 500 मामले खटाई में पड़े रहने की शिकायत सामने नहीं आई। अतः विशेष कैम्प लगाने हेतु कार्यवाही का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

पीपल्दा क्षेत्र की नहरों से सिंचाई

679. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पीपल्दा क्षेत्र की कई नहरों के आगे बढ़ने से फ्लो द्वारा सिंचाई हो सकती है ? जिसकी सूचना समय समय पर उच्च अधिकारियों को मेरे द्वारा दी जाती रही है ?

(2) एल. एम. सी. ककरावदा माइनर, विजयपुरा सब माइनर, कजालिया माइनर, खेडलीबोरदा, राजपुरा माइनर, कोलाना माइनर, हथोली तथा रामपुरा के बीच ई. बी. सी. नोनेरा में गैता डिस्ट्रीब्यूटरी, रनोदिया माइनर, रनोदिया सब माइनर, रजोपा सब माइनर, सीनोता माइनर, छापोल डिस्ट्रीब्यूटरी, चाणदा माइनर, लक्ष्मीपुरा डिस्ट्रीब्यूटरी आदि के अभी तक विस्तार नहीं होने का क्या कारण है ?

(3) क्या राज्य सरकार उक्त नहरों के विस्तार किये जाने हेतु शीघ्र आदेश प्रदान करेगी ?

उत्तर

(1) पिछले वर्ष की पीपल्दा माइनर का एक्सटेंशन व लक्ष्मीपुरा डिस्ट्रीब्यूटरी का एक्सटेशन किया गया था, व इस रबी में अक्सटेन्डेड सिंचित क्षेत्र में सिंचाई की गई है। बाकी नहरों के विस्तार का कार्य इस वर्ष सर्वे कराकर जहां जहां सम्भव है करवाया जायेगा।

(2) विजयपुरा सब माइनर व रनोदिया सब माईनर के सर्वे का कार्य व उसका तखमीना बनाया जा चुका है और इसी क्लोजर (Closere) में यह कार्य शुरू करवा दिया जायेगा।

(3) कुछ माइनरों के विस्तार का कार्य रेडिनोन्स (Radinans) क्षेत्र होने के कारण सम्भव नहीं होगा। मैंने गजलिया, छापोल,व गीता डिस्ट्रीब्यूटरी मोनेरा गांव का क्षेत्र फ्लो में नहीं आता। इस वर्ष और अधिक सर्वे कराकर जहां जहां माईनर का विस्तार सम्भव है सिंचित क्षेत्र बनाने का और अधिक प्रयास किया जायेगा।

पंचायत समितियों में पशुधन सहायकों के पद

680. **श्री सूरजपालसिंह** (भीनमाल): क्या पशु पालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि हर पंचायत समिति में दो पशुधन सहायकों के पद रखे गये हैं ? किन्तु उनके यात्रा भत्ता के लिए किसी प्रकार का बजट प्रावधान नहीं रखा जाता ? अगर रखा भी जाता है, तो नगण्य है ? अगर यात्रा भत्ते का उचित प्रावधान नहीं रखा जाता तो इन पदों की क्या उपयोगिता है ?

उत्तर

प्रत्येक पंचायत समिति में दो या एक पशु सहायकों के पद हैं। पंचायत समितियों के अधीन समस्त पशु पालन कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों की राशि अनुदान के रूप में एक मुश्त पंचायत समितियों को प्रति वर्ष

(पशु पालन मंत्री)

दी जाती हैं। इन पदों की उपयोगिता पंचायत समिति क्षेत्र में पशु पालन प्रसार कार्यों हेतु है।

रींगस में उद्योग लगाने हेतु किसानों से ली गई भूमि

681. **श्री हरलाल सिंह खर्रा** (श्री माधोपुर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम रींगस जिला सीकर में उद्योगपति द्वारा उद्योग लगाने हेतु किसानों से काश्त की भूमि ली गई थी? यदि हां, तो कब? कितनी भूमि किस कीमत पर?

(2) क्या यह सही है कि उक्त उद्योगपति द्वारा उद्योग नहीं लगा कर उक्त भूमि कृषि कार्य में ली जा रही है? यदि हां, तो ऐसा क्यों?

(3) क्या यह सही है कि राज्य सरकार उक्त ग्राम में इस साल औद्योगिक क्षेत्र कायम करने जा रही है? उसके लिए क्या उक्त भूमि को अधिग्रहण करने का प्रस्ताव है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) यह सही है कि श्री पोद्दार मिल्स लि., पारसी बाजार स्ट्रीट, बम्बई के प्रतिनिधि श्री विरेन्द्र नाथ सोरल के द्वारा ग्राम रींगस जिला सीकर में वर्ष 1962 में 5 काश्तकारों से 50 रुपये प्रति बीघा की दर से 80 बीघा 3 बिस्वा काश्त की भूमि खरीदी थी। विक्रय पत्र एवं राजस्व रेकार्ड में इस भूमि पर उद्योग लगाने हेतु खरीद करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) जी हां। उक्त भूमि उद्योगपति द्वारा कृषि कार्य के लिये दाम में ली जा रही है। क्योंकि विक्रय पत्र और राजस्व रेकार्ड में इस भूमि पर उद्योग लगाने हेतु खरीद करने का कोई उल्लेख नहीं है और न ही उक्त व्यक्ति द्वारा इस भूमि में उद्योग लगाने का आवेदन पत्र ही प्रस्तुत किया है, इसलिए उद्योग लगाने के लिये पाबन्द किया जाना संभव नहीं है।

(3) जी हां। रींगस में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने हेतु 11-81 एकड़ निजी भूमि अवाप्त की जाकर राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम लि०, जयपुर द्वारा औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जा रहा है। उसके लिये उक्त भूमि को अधिग्रहण करने का प्रस्ताव नहीं है। क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र के लिये भूमि का चयन औद्योगिक संभाविता को ध्यान में रखते हुए निगम, उद्योग विभाग एवं जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा किया जाता है।

सहायक अभियन्ताओं को भुगतान सम्बन्धी अधिकार

682. **श्री सूर्यप्रकाश डोडा** (खैरवाड़ा): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सहायक अभियन्ताओं (ए. ई. एन.) को पांच हजार रुपये तक का भुगतान करने के अधिकार हैं?

(श्री सूर्य प्रकाश डोडा)

(2) क्या सहायक अभियन्ता के होते हुए भी अधिशाषी अभियन्ता भी भुगतान करते हैं ?

(3) क्या छोटी पार्टियों को इससे परेशानी है ? ऐसे भुगतान करने वाले कितने अधिशाषी अभियन्ता हैं ? पूर्ण सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) सामान्यत: अधिशाषी अभियन्ता, भुगतान करते हैं, सहायक अभियन्ता, सिर्फ 5000 रु. के लिए अधिकृत है। लेकिन उन पर निम्नलिखित अंकुश भी हैं :—

(i) भुगतान मासिक होना चाहिये। न कि इससे कम अवधि में।

(ii) भुगतान पूर्ण निविदा की राशि के 90 प्रतिशत से अधिक न हो।

(iii) रनिंग भुगतान को अधिशाषी अभियन्ता, के कार्यालय में निश्चित रूप से पोस्ट आडिट कराना होगा।

(2) जी हां।

(3) भुगतान में समय ज्यादा लगने से परेशानी हो सकती है। ऐसा भुगतान लगभग समस्त अधिशाषी अभियन्ता, करते हैं। क्योंकि नियमानुसार से नियन्त्रक अधिकारी होने से, भुगतान करने के लिए सक्षम अधिकारी भी हैं।

जहाजपुर लघु उद्योग

683. **श्री रामनारायण चौधरी** (मण्डावा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या जहाजपुर जिला भीलवाड़ा में जहाजपुर लघु उद्योग नाम से एक उद्योग का पंजीकरण 1977–78 के वर्ष में हुआ ?

(2) उद्योग के आवेदक कौन हैं ? पूरा नाम व पता आदि बताने की कृपा करें।

(3) क्या यह लघु उद्योग स्टील का फर्नीचर एवं बर्तन बनाने के उद्देश्य से खोला गया था ?

(4) इस उद्योग को स्टील का कितना कोटा मिला, तथा कब कब ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(5) इस उद्योग को कारखाना चालू करने के लिए विद्युत कनैक्शन कब मिला ?

(6) क्या इसी उद्योग ने बाद में हास्पीटल पैरेटा एवं एप्लाएन्सेज बनाने के लिए स्टैनलैस स्टील का कोटा मिलने के लिए आवेदन-पत्र दिया था ? यदि हां, तो इस आवेदन-पत्र पर क्या कार्यवाही हुई ? कोटा मिला या नहीं ?

उत्तर

(1) जहाजपुर जिला भीलवाड़ा में

(उद्योग मन्त्री)

जहाजपुर लघु उद्योग जहाजपुर के नाम से लघु उद्योग का अस्थाई पंजीयन वर्ष 1977-78 में व स्थाई पंजीयन फरवरी, 1979 में किया गया है।

(2) पंजीकृत उद्योग के मालिक श्री विमल चन्द पुत्र श्री त्रिलोक चन्द जैन, निवासी जहाजपुर, जिला भीलवाड़ा हैं।

(3) जी हां। यह स्टील के बर्तन एवं हास्पीटल के उपकरण बनाने के लिए पंजीकृत किया गया है।

(4) अभी तक स्टील का कोटा नहीं मिला है।

(5) विद्युत कनैक्शन माह नवम्बर, 1978 में मिला है।

(6) स्टैनलैस स्टील के यूटेन्सीयलस् एवं हास्पीटल इक्यूपमेन्ट्स बनाने के लिए स्टैनलैस स्टील की मांग की है। वह दि. 11-9-78 को एम. एम. टी. सी. को स्टैनलैस स्टील शीट्स आवंटन हेतु भेजी गई थी। एम. एम. टी. सी. नई दिल्ली से एक मै. टन स्टैनलैस स्टील के लिए दिनांक 28-2-79 को रिलीज आर्डर मिला है। माल अभी प्राप्त नहीं हुआ।

बिलासी परियोजना

684. **श्रीमती नारंगी देवी** (किशनगंज) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) शाहबाद–किशनगंज क्षेत्र में बिलासी परियोजना कब से चालू की जावेगी ?

(2) इसके लिये कितना धन खर्च होगा ?

(3) यह योजना कब तक समाप्त हो सकेगी ?

उत्तर

(1) शाहबाद, किशनगंज क्षेत्र में बिलासी परियोजना का प्राक्कथन तैयार किया गया कुल नलियों को ठीक किया जा रहा है इसका प्रारम्भिक कार्य इस वर्ष 1978–79 में चालू कर दिया गया है।

(2) इस योजना की अनुमानित लागत 400 लाख रुपये है।

(3) इस योजना को छठी पंचवर्षीय योजना में पूर्ण करने का प्रस्ताव है।

नया समाज मण्डल संस्था में गबन आदि के मामले

685. **श्री रघुनन्दन व्यास** (सरोही) : क्या खादी ग्रामोद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या सिरोही, खादी ग्रामोद्योग में नया समाज मण्डल नामक संस्था का रजिस्ट्रेशन है जो खादी का काम करती है ?

(2) क्या यह सही है कि इसमें पांच

(श्री रघुनन्दन व्यास)

लाख रु. का गबन है और जिसका ग्राडिट नहीं हो रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां । नया समाज मंडल एक रजिस्टर्ड संस्था है और वह खादी का काम करती है । उसका रजिस्ट्रेशन नं. 41–60–61 है ।

(2) जी नहीं । इस संस्था में 5 लाख रु. का गबन नहीं है । संस्था के खादी भण्डार ग्राबू रोड पर वर्ष 74–75 में रुपया 18,080-13 तथा वर्ष 75-76 में रुपया 2,353–15 का गबन होना बताया है । संस्था का ग्राडिट प्रति वर्ष चार्टर्ड ग्रकाउन्टेन्ट द्वारा होता है । वर्ष 77-78 का ग्राडिट सम्पन्न हो चुका है ।

ग्राहोर से सामूजा सड़क

686. श्री गोपाल सिंह (ग्राहोर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(1) क्या ग्राहोर से सामूजा होती हुई कोई सड़क बिशनगढ़ (जिला जालौर) को जाती है ? ग्रगर हां, तो वह कैसी सड़क है तथा उसकी हालत किस प्रकार की है ? ग्रगर उस सड़क की हालत बहुत खराब है, तो क्या उस सड़क का जो कि दो विधान सभा क्षेत्रों के लिये बहुत ही महत्वपूर्ण सड़कें हैं, जीर्णोद्धार करना ग्रावश्यक नहीं है ?

(2) क्या इसी ग्राहोर-सामूजा बिशनगढ़ सड़क को मैटल या डामर का बनवाने का राज्य सरकार विचार रखती है ? ग्रगर हां, तो कब तक ? ग्रगर नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या इसी सड़क को मैटल करवाने का पूर्व में कभी भी राज्य सरकार द्वारा ठेका दिया गया था ? ग्रगर हां, तो उस समय इस सड़क पर कार्य क्यों नहीं हुग्रा ?

उत्तर

(1) जी नहीं । ग्राहोर से सामूजा होती हुई बिशनगढ़ सड़क नहीं हैं । ग्राहोर से बिशनगढ सड़क गोदान होती हुई ग्रेवल रोड है ।

(2) जी नहीं ।

(3) जी नहीं ।

राज्य की सहकारी समितियों में सरकार की लगी हुई पूंजी

687. श्री बत्तीलाल मीणा (टोडाभीम) क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) राज्य में सहकारी समितियों की कुल संख्या कितनी है ग्रौर उनमें कितनी पूंजी सरकारी लगी हुई है ? तथा शहरी ग्रौर ग्रामीण क्षेत्र में इस ग्रान्दोलन के तहत पूंजी के विनियोग का ग्रनुपात क्या है ?

(श्री बत्तीलाल मीणा)

(2) राज्य में इन समितियों में कुल कितनी धनराशि का गबन है ?

(3) क्या यह सही है कि यह आन्दोलन राज्य में सफल नहीं हो रहा है ? क्या राज्य सरकार इस प्रकार के असफल आन्दोलन को भविष्य में सही दिशा देने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो किस प्रकार ?

उत्तर

(1) राज्य में सहकारी समितियों की कुल संख्या 18705 है। इन संस्थाओं में से 1580 सहकारी समितियों में सरकारी हिस्सा पूंजी 3305·88 लाख रु. लगी हुई है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में हिस्सा पूंजी विनियोग का अनुपात 1.19 है।

(2) आडिट रिपोर्ट, जांच निरीक्षण आदि के आधार पर राज्य की सहकारी समितियों में 30 जून, 1978. को 1271 मामलों में 296·89 लाख रुपयों के गबन एवं दुरुपयोग के आरोप हैं।

(3) जी नहीं। कमजोर समितियों का विलीनीकरण व अवसायन, ऋणदायी संस्थाओं का नया ढांचा नये उपनियम कड़ी जांच व उचित व्यवस्था, व अनियमितताओं के पुराने मामलों में कठोर कदम आदि द्वारा राज्य सरकार इस आन्दोलन को नई दिशा देने को प्रयत्नशील है।

गंगानगर जिले में उपनिवेशन अलाटमेंट नियमों के अन्तर्गत कृषकों को भूमि

688. श्री गुरुशरण छाबड़ा (सूरतगढ़)—क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) जिला गंगानगर में राज्य सरकार द्वारा कितने भूमिहीनों को उपनिवेशन अलाटमेंट नियमों के अन्तर्गत भूमि प्राप्त करने हेतु सक्षम करार दिया गया है ?

(2) क्या यह सही है कि जिला गंगानगर में उपरोक्त भूमिहीनो के अलाटमेंट हेतु कैनाल एरिया में उपलब्ध नहीं है और राज्य सरकार द्वारा जिले से बाहर अलाटमेंट पर प्रतिबंध लगा रखा है ? क्या यह उचित है ? यदि नहीं, तो क्या राज्य सरकार इस प्रतिबन्धित को हटाकर राजस्थान नहर के दूसरे चरण में अन्य जिलों में भी जिस पर गंगानगर जिले में जिले से बाहर के लोगों को अलाटमेंट हुआ था उसी प्रकार से अलाटमेंट करने का विचार करेगी ?

उत्तर

(1) जिला गंगानगर में 2499 भूमि हीनों को सक्षम करार दिया गया है।

(2) जी हां। भूमिका आवंटन नियमों में वर्णित

(उपनिवेशन मन्त्री)
प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है अभी दूसरे चरण का कार्य राज्य सरकार द्वारा हाथ में नहीं लिया गया है ।

कोलायत तहसील में प्राप्त खनि के खनन हेतु लीज की शर्त

689. **श्री रामकृष्ण दास गुप्ता** (कोलायतः) क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगेः—

(1) क्या यह सही है कि कोलायत तहसील में प्राप्त खनिजों के खनन हेतु लीज प्राइवेट व्यक्तियों को इस शर्त पर दी हुई है कि वे निर्धारित अवधि में इन खनिज पर आधारित उद्योग वहीं लगाएंगे किन्तु निर्धारित समय व्यतीत होने के बाद भी इस शर्त की पालना नहीं की गई ?

(2) यदि उपरोक्त कथन सही है, तो क्या इस शर्त के तोड़ने पर किसी की लीज खारिज की गई ?

(3) क्या यह सही है कि यदि उद्योग स्थापित करने की शर्त नहीं होती तो अधिक संख्या में अन्य इच्छुक व्यक्तिगण खनन के लिए लीज प्राप्त करने की चेष्टा करते और इससे सरकार की आय में भी बढ़ोत्तरी होती ?

(4) क्या राज्य सरकार इस महत्वपूर्ण शर्त की अवहेलना करने वाले लीज होल्डर्स की लीज निरस्त करेगी ?

उत्तर

(1) विशेष शर्त केवल उन्ही खनन पट्टों में लगाई गई है जिन पर उद्योग स्थापित होने की सम्भावना प्रतीत होती थी । कुल स्वीकृत 65 खनन पट्टों में से 16 में ही विशेष शर्त लगाई गई है । परन्तु विशेष शर्त की पालना नहीं की गई है ।

(2) विशेष शर्त की पालना न करने के कारण तीन खनन पट्टे निरस्त कर दिये गये हैं एवं चार व्यक्तियों के खनन पट्टों के निरस्तीकरण के लिये प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

(3) नहीं । क्योंकि विशेष शर्त 65 खनन पट्टों में से केवल 16 खनन पट्टों में ही लगाई गई है । अतः इससे सरकार की आय पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है ।

(4) फिलहाल राज्य सरकार इस क्षेत्र में चीनी मिट्टी पर आधारित उद्योग की सहकारी क्षेत्र में स्थापना की सम्भावनाओं पर विचार कर रही है । अतः फिलहाल निरस्तीकरण के प्रस्तावों पर विचार स्थगित कर दिया गया है ।

खण्डार क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा

690. **श्री चुन्नीलाल जोलिया** (खण्डार) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगेः—

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र खण्डार में स्थित ग्राम फलौदी क्वारी तहसील सवाई-माधोपुर में एक भी चिकित्सालय नहीं है, जब कि उसकी एवं 5 मील के अन्दर आने वाले गावों की आबादी 25 हजार के लगभग है ? क्या वहां चिकित्सालय खोलना

(श्री चुन्नी लाल जेलिया)
न्याय संगत नहीं है ? यदि न्याय संगत है, तो कब चिकित्सालय खोल दिया जावेगा ?

(2) क्या चिकित्सा के अभाव में कितने ही व्यक्तियों को मौत के घाट उतरना पड़ता है ? यदि हां, तो राज्य सरकार की चिकित्सा सुविधा का यही महत्व है ? यदि नहीं, तो इस बारे में कब तक चिकित्सालय खोल दिया जावेगा एवं उनकी जान की रक्षा कब तक हो जावेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं । वहां सीमेन्ट फैक्ट्री का चिकित्सालय तथा एक राजकीय उपकेन्द्र कार्यरत है । चिकित्सा सेवा हर जगह उपलब्ध कराना न्याय संगत है किन्तु वित्तीय साधन उपलब्ध होने पर ही राजकीय चिकित्सालय खोलना संभव होगा ।

(2) जी नहीं । शेष प्रश्न का उत्तर प्रश्न के भाग 1 में दिया जा चुका है ।

जयपुर उद्योग कोल साईडिंग जिप्सम स्टोन मजदूरों का बकाया वेतन

691. **श्री सैय्यद मंजूर अली** (सवाई माधोपुर) : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर उद्योग लिमिटेड (सीमेंट फैक्ट्री) सवाई माधोपुर के कोल साईडिंग जिप्सम स्टोन मजदूरों को तीन महीने की तनख्वाह नहीं मिली है ?

(2) राज्य सरकार जल्दी से जल्दी कितने दिनों में यह चढ़ी हुई तनख्वाह दिलाने का आदेश कर देगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रतापगढ़ जिला चिकित्सालय

692. **श्री कारू भाई मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) प्रतापगढ़ जिला चिकित्सालय को 100 बैड का क्रमोन्नत करने की योजना कब तक पूरी होने जा रही है ?

(2) क्या मन्त्री महोदय को अपने प्रतापगढ़ प्रवास के समय उक्त चिकित्सालय को क्रमोन्नत करने की घोषणा का स्मरण है ? यदि हां, तो विलम्ब किन कारणों से हो रहा है ?

उत्तर

(1) योजना मद में वित्तीय प्रावधान होने पर 100 बैड में क्रमोन्नत करना संभव होगा ।

(2) जी हां । शेष प्रश्न का उत्तर प्रश्न के भाग एक में अंकित है ।

परिशिष्ट–3

तारांकित प्रश्न सं. 326 की सूची

बाढ़ से बचाव कार्यों की संख्या व आवंटित धनराशि की सूची

क्र. सं.	नाम जिला	सार्वजनिक निर्माण विभाग		सिंचाई विभाग		जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग	
		कार्यों की संख्या	राशि लाखों में	कार्यों की संख्या	राशि लाखों में	कार्यों की संख्या	राशि लाखों में
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अलवर	11	20·00	30	43.85	–	–
2.	बीकानेर	4	5.00	–	–	–	–
3.	बूंदी	6	13.00	–	–	–	–
4.	भरतपुर	11	25.00	83	38.58	–	–
5.	जयपुर	27	73·00	16	22.00	4	20·50
6.	गंगानगर	13	26.00	10	6.41	–	–
7.	सवाई माधोपुर	13	14·00	–	–	–	–
8.	सीकर	15	40.00	6	12.50	3	16.00
9.	झुन्झुनू	17	22.00	12	22.16	–	–
10.	कोटा	11	30.00	–	–	–	–
11.	पाली	8	32.00	–	–	–	–
12.	चूरू	19	35.00	–	–	8	63·50
13.	झालावाड़	6	15.00	–	–	–	–
14.	टोंक	–	–	1	4.50	–	–
	योग :—	161	350·00	158	150.00	15	100.00

परिशिष्ट–4

तारांकित प्रश्न सं. 331 की सूची

कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा कराई गई पुलिया निर्माण सम्बन्धी स्थिति

क्र. सं.	नाम	वर्ष	पुलियाओं की संख्या	अग्रिम राशि	सीमेंट	ईंटें	निर्माण सम्बन्धी स्थिति
1	2	3	4.	5	6	7	8
1.	श्री सत्यपाल लाखर रंगमहल	1970–71	2	600	–	–	पुलिया बनवा दी गई
		1975–76	7	2100	70 बैग	21000	,,
2.	श्री रामनारायण चमडिया	1972–73	4	1200	–	–	,,
		1975–76	10	3000	100 बैग	30,000	,,
3.	श्री बीरबल	1970–71	2	600.	–	–	पुलिया बना दी गई
4.	श्री भागीरथ जाखड़	1975–76	20	6,000.	200 बैग	60,000	इन 20 पुलियाओं में से 9 पुलियाओं का निर्माण हो चुका है। 11 का नहीं हुआ। मण्डी समिति द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

परिशिष्ट 5

तारांकित प्रश्न सं. की सूची

जिलाधीशों द्वारा तहसीलों को किये गये पाम ग्रायल के ग्रावंटन की सूची

नाम जिला 1	नाम तहसील 2	ग्रावंटन मात्रा (किलो ग्राम में) 3
1. झुन्झुनू	खेतड़ी	8134
	उदयपुरवाटी	6270
	चिड़ावा	6628
	झुन्झुनू	6583
		27615
2. सीकर	सीकर	3700
	फतेहपुर	2100
	लक्ष्मणगढ़	2800
	दांतारामगढ़	3000
	श्री माधोपुर	4568
	नीम का थाना	2600
		18768
3. चूरू	चूरू	3219
	सरदार शहर	5125
	रतनगढ़	3000
	सुजानगढ़	2665
	श्री डूंगरगढ़	4091
	राजगढ़	6150
	तारानगर	4100
		28350

(197)

पाम ग्रायल के रख-रखाव व ढुलाई पर हुये जिलेवार, तहसीलवार खर्च की सूची

नाम जिला 1	नाम तहसील 2	राशि 3
1. झुन्झुनू	बम्बई से चिड़ावा	7,236.23
	वम्बई से झुन्झुनू	14,864.50
		22,100.73
2. सीकर	जिलाधीश कार्यालय	17,000.00
	तहसील सीकर	1,000.00
	तहसील फतेहपुर	1,000.00
	लक्ष्मणगढ़	1,000.00
	दांतारामगढ़	1,000.00
	श्री माधोपुर	1,000.00
	नीम का थाना	1,000.00
		23,000.00
3. चूरू	बम्बई से जिला मुख्यालय	14,034.80
	चूरू से रतनगढ़	144.00
	चूरू से राजगढ़, तारानगर, सरदार शहर	1,971.00
	रतनगढ़ से सुजानगढ़ व डूंगरगढ़	1,500.00
	रतनगगढ़ तहसील में ढुलाई व मजदूरी खर्च	117.00
	मुख्यालय पर ढुलाई व मजदूरी खर्च	226.50
		17.993.30

198

बाढ़ पीड़ित परिवारों को तहसीलवार बांटे गये पाम ग्रायल की सूची

	नाम जिला 1	नाम तहसील 2	कुल परिवारों की संख्या 3
1.	झुन्झुनूं	झुन्झुनूं	665
		चिड़ावा	285
		उदयपुरवाटी	382
		खेतड़ी	356
			1688
2.	सीकर	सीकर	1682
		फतेहपुर	989
		लक्ष्मणगढ़	1300
		दांतारामगढ़	1329
		श्री माधोपुर	2284
		नीमकाथाना	1007
			8591
3.	चूरू	चूरू	1173
		सरदार शहर	1734
		रतनगढ़	1023
		सुजानगढ़	587
		श्री डूंगरगढ़	1045
		राजगढ़	1230
		तारानगर	1030
			7822

तीनों जिलों के कुल परिवारों का योग :— 18,101 परिवार

(199)

परिशिष्ट 6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 808 की सूची)

क्र०सं	नाम पटवारी मय वल्दियत	नियुक्ति दिनांक	प्रशिक्षित अप्रशिक्षित	विशेष विवरण
1.	श्री विजेन्द्रसिंह वल्द श्री महेन्द्रसिंह	20·1.78	प्रशिक्षित	
2.	श्री गोपालराम वल्द श्री चिमनलाल	7·2·78	अप्रशिक्षित	इनके पिता की सेवा में रहते हुए मृत्यु होने के कारण इनकी नियुक्ति की गई।
3.	श्री जोधदान बारठ वल्द श्री देवीदान	21·3·78	प्रशिक्षित	
4.	श्री हनुमान प्रसाद वल्द श्री बहादर राम	13·4·78	,,	
5.	श्री रामप्रताप वल्द श्री गणपतराम मुन्डा	13·4·78	,,	
6.	श्री उदयपाल वल्द भजनलाल	5·6·78	,,	
7.	श्री नारायणदान वल्द श्री जुगतदान।	5·7·78	,,	

जिलाधीश (भू. पू.)
श्री गंगानगर

परिशिष्ट 7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 809 की सूची)

सूची—'क'

क्रम० सं०	नाम बांध	तहसील
1.	पश्चिमी भनास	पिण्डवाडा
2.	मान्दवाडा	,,
3.	लूनेरी	,,
4.	कादम्बरी	,,
5.	जुमली	,,
6.	केर	,,
7.	भूला	,,
8.	ओड़ा	शिवगंज
9.	कानाओतर	,,
10.	घुरदाना	,,
11.	गोहाना	,,
12.	पालडो (करन सागर)	,,
13.	अथेलाब	सिरोही
14.	मान सरोवर	,,
15.	सान्ता	,,
16.	सुरोयत (खड्वाल)	,,
17.	पोईदरा	,,
18.	लबरी	,,
19.	टोकरा	रेयदर
20.	मच्छारनाला पंचम	,,
21.	शंख	,,
22.	बूटरी	,,
23.	गिरवर	आबूरोड
24.	मन्डोवरी	,,
25.	चन्डेलाव	,,
26.	स्वरूपसागर	पिण्डवाड़ा

201

परिशिष्ट 8

अतारांकित प्रश्न सं० 810 का आदेश

RAJASTHAN STATE ELECTRICITY BOARD

(Finance & Rules Section)

No. RSEB/F&R/F. 24 (20)/D. 19 Dated 7th March, 1979.

ORDER

Sub :—Amendment in the R. S. E. B. Travelling Allowance Rules.

The Rajasthan State Electricity Board in its 269th meeting held on 21st December, 1978, decided to make the following amendments in the Rajasthan State Electricity Board Travelling Allowance Rules, namely.

In the said rules :—

(1) **Rate of admissibility of mileage allowance for travel by Rail :**

(i) The existing entries at item A to D under Col. 1 of Appendix–'A' Part–I be substituted by the following :

(a) Chairman, Members of the Board, Secretary and officers drawing pay above Rs. 2,000/–

(b) Employees drawing pay of Rs. 1,400/– and above but not exceeding Rs. 2,000/–

(c) Employees drawing pay of Rs. 525/– and above but below Rs. 1,400/–.

(d) Employees drawing pay below Rs. 525/–

(ii) The existing item E of Appendix–'A' Part–I be deleted.

(2) **Admissibility of mileage allowance for travel by Road :**

(i) The words and figures "Rs. 400/–" appearing against category 1 and 2 under Col. 1 of Appendix–'A' Part–II be substituted by the words & figures "Rs. 525/–".

(3) **Appendix–'B' Halting Allowance :**

The existing categories under Col. 2 from S. No. 1 to 8 of Appendix–'B' alongwith conditions for drawal of special rates of D.A. be substituted by the following :

S.	Categories	For all localities in Rajasthan			For all localities out side Rajasthan.		
		Ordinary rates of D.A.	Special rates of D.A. Boarding	Special rates of D.A. Lodging.	Ordinary rates of D.A.	Special rates of D.A. Boarding	Special rates of D.A. Lodging
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Chairman & Members	40/–	25/–	35/–	60/–	50/–	150/–
2.	Head of Department and employees drawing pay above Rs. 2000/–	40/–	25/–	35/–	60/–	50/–	100/–
3.	Employees drawing pay of Rs. 1400/– & above but upto Rs. 2000/–	25/–	15/–	20/–	45/–	25/–	45/–
4.	Employees drawing pay of Rs. 1,000/–& above but less than Rs. 1400/-	20/-	10/–	20/–	40/–	20/–	40/–
5.	Employees drawing pay of Rs. 650/–& above but less than Rs. 1000/-	15/–	10/–	15/–	35/–	15/–	30/-
6.	Employees drawing pay of Rs. 525/- & above but less than Rs. 650 –	12/–	–	–	30/–	15/–	25/–
7.	Employees drawing pay of Rs. 374/–& above but less than Rs. 525/–	10/–	–	–	20/–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8
8. Employees drawing pay of less than Rs. 374/-		7.50		–	15/-	–	–

Conditions for Drawing Special rates of Daily Allowance

(1) If the Member/officer/Employee of the Board stays in a Hotel or in a circuit house/State Government Guest House/Tourist Bunglow/Guest House of any other State Electricity Board and is charged lodging rates at full rates as applicable to private persons staying in such places, the lodging allowance will be admissible on production of actual receipts limited to the maximum amount shown in column No. 5. & 8 or actual amount paid whichever is less.

(2) In the eventuality of charging lodging allowance as provided in condition (1) above, no receipt would be necessary for boarding expenses and the same shall be paid on the rates mentioned in column No. 4 or 7 as the case may be.

(3) In case the lodging charges of the hotel include the boarding charges also as per hotel rules, no boarding charges will be payable separately, provided the sum payable for boarding and lodging does not exceed the prescribed limit.

(4) Actual taxi charges admissible under Rule-22 shall be in addition to halting allowance, boarding allowance and lodging allowance shown above.

(5) The employees posted at stations outside Rajasthan shall if they are required to under-take journey on duty to any place in Rajasthan or within the State (other than Rajasthan) in which they are posted, get halting allowance etc. at the rates indicated in Col. No. 3, 4 & 5 of this Appendix. Halting Allowance etc., at the rates given in Col. No. 6, 7 & 8 shall be

admissible only when they travel on duty to places outside the state in which they are posted.

(4) Appendix–'C'–Travelling Allowance admissible on transfer (by Rail/Road)

(i) The Existing entries from item–1 to 3 under column—1 of Appendix–'C' Part–I be substituted by the following :—

(1) Chairman, Members of the Board and other officers of the Board drawing pay of Rs. 1,400/-and above.

(2) Employees drawing pay of Rs. 525/- and above but below Rs. 1,400/-.

(3) Employees drawing pay of below Rs. 525/-.

(ii) The existing item No. 4 of Appendix–'C' Part—I be deleted.

(iii) Appendix—'C' Part–II–Travelling Allowance on transfer (Cost of carriage of conveyance) :

The existing entries from item 1 to 3 under column-1 of Appendix–'C' Part–II be substituted by the following :—

(1) Chairman, members of the board and employees drawing pay of Rs. 525/– and above.

(2) Employees drawing pay of Rs. 374/– and above but less than Rs. 525/–

(3) Employees drawing pay of less than Rs. 374/–

(5) The words and figures "Rs. 400/–" appearing in note under rule–10, in exception No. 1 & 2 of Rule No. 22, Rule No. 63, Rule No. 64 (a) and in column No. 2 against category No. 2 at Sl. No. 1 of Appendix–'C' part–II be substituted by the words & Figures "Rs. 525/–".

(6) The existing Rule–53 with its notes be deleted.

(7) The existing Rule–54 (except note) be substituted by the following :—

205

"In case of employees drawing monthly consolidated pay, the pay for the purpose of these rules means the amount which is equal to 60% of the monthly consolidated pay."

NOTE :—(1) In case any employee is placed in a dis-advantageous position as a result of this amendment regarding class of travel by rail/bus or drawal of daily allowance, be will continue to avail the facility enjoyed by him prior to this amendment, till he becomes entitled to the same/higher facility.

(2) This amendment will be deemed to have come into effect with effect from lst april, 1978. Claims already decided will not be re-opened.

BY ORDER,
(HARISH NAYYAR)
SECRETARY

Copy to the following for information and necessary action :—

1. Chief Engineer (O&M/Const/Gen/MM/Mahi/Thermal project), Rajashan State Electricity Board, Jaipur/Banswara/Kota.
2. Chief Engineer (Elec./Const.) Beas Construction Board, Chandigarh
3. Additional/Deputy Chief Engineer (   ), Rajasthan State Electricity Board..................
4. Financial Adviser & Controller of Accounts, Rajasthan State Electricity Board, Jaipur.
5. Controller of Accounts (Thermal Project), Rajasthan State Electricity Board, Kota.
6. Chief Internal Auditor, R.S.E.B., Jaipur.

7. Superintending Engineer (   ) RSEB.
8. Executive Engineer (   ) RSEB.
9. Director of Personnel, RSEB., Jaipur.
10. Accounts Officer (   ) RSEB
11. Personnel Officer (   ) RSEB.
12. Officer Incharge (Training), RSEB. Jaipur.
13. Managing Director, KREC., Kotputli.
14. Resident Audit Officer, RSEB , Jaipur.
15. All Sections of the Board Secretariat (Sec-), Rajasthan State Electricity Board, Jaipur.
16. P.S. to Chairman/p a to Accounts & Finance Member, Technical Member/Secretary, RSEB., Jaipur.

Sd.

(K.P. Mishra)

Asstt. Secretary (Rules)

207

परिशिष्ट 9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 813 की सूची)

विद्युत ठेकेदारों द्वारा किये गये अपूर्ण कार्य की शिकायत सहायक अभियन्ता द्वारा किये जाने की सूचि ।

क्र. सं.	सहायक अभियन्ता	ठेकेदार का नाम
1	2	3
1.	स० अ० (डी) कोटा	मै० खजान्ची इलेक्ट्रिकल्स, कोटा
2.	स० अ० (आर. ई. सी.) केकड़ी	मै० गनपत लाल एण्ड सन्स, बीकानेर
3.	स० अ० (ग्राविनि) शाहपुरा, भीलवाड़ा	मै० गनपत लाल एण्ड सन्स, बीकानेर
4.	स० अ० (एल. डी.) भीलवाड़ा	मै० गनपत लाल एण्ड संस, बीकानेर
5.	स० अ० (ग्रा.वि.नि.) खारची	मै० नेशनल इलेक्ट्रिकल्स, जोधपुर
6.	स० अ० (ग्रा.वि नि.) कनवास	कोहीनूर इलेक्ट्रिक फिटिंग कं० कोटा
7.	स० अ० (ग्रा.वि.नि.) वल्लभनगर	महावीर इलेक्ट्रिक स्टोर, उदयपुर
8.	स० अ०, बारां	मै० जवाहर इलेक्ट्रिक वर्क्स, कोटा
9.	स० अ० (ग्रा.वि.नि.) दोसा	मै० कलाना इलेक्ट्रिक स्टोर, सिकन्दरा मै० धामानी इलेक्ट्रिकल्स, जयपुर ।
10.	स० अ० (डी) चित्तौड़	मै० दुर्गेश इलेक्ट्रिक स्टोर, चित्तोड़गढ़
11.	स० अ० (सी डी.) भीलवाड़ा	मै० लाईट हाउस, भीलवाड़ा
12.	स० अ० (आर.ई.सी.) उदयपुरवाटी	मै० राजस्थान इलेक्ट्रिक स्टोर, नीम का थाना
13.	स० अ० (डी एस.डी-वेस्ट) भीलवाड़ा	मै० सुवालका इलेक्ट्रिकल्स, भीलवाड़ा
14.	स०अ० (ओ. एण्ड एम.) मकराना	मै० कृष्णीया इन्जिनियर्स, जयपुर मै० विजय इलेक्ट्रिकल्स, फुलेरा
15.	स०अ०, विलाड़ा	मै० के. सी. वर्मा एण्ड कं० बीलाड़ा मै० नेशनल इलेक्ट्रिक कं०, जोधपुर
16.	स० अ० (ग्रा.वि.नि.) परबतसर	मै० प्रताप इलेक्ट्रिकल्स, हरसोर
17.	स० अ० (ग्रा.वि.नि.) सिलोरा	मै० राजस्थान इलेक्ट्रिकल्स स्टोर, नीम का थाना
18.	स० अ० (ग्रा.वि.नि.) गंगापुरसिटी	मै० काशलीवाल इलेक्ट्रिक स्टोर, सवाईमाधोपुर
19.	स० अ०, सवाईमाधोपुर	मै० कासलीवाल इलेक्ट्रिक स्टोर, सवाईमाधोपुर

208

1	2	3
20.	स० श्र० (ग्रा.वि नि.) जमवारामगढ़	मै० धामानी इलेक्ट्रिकल्स, जयपुर मै० शर्मा इलेक्ट्रिक कं जयपुर
21.	स० श्र० (ग्रा.वि.नि.) गोविन्दगढ़	मै० कृष्णीया इन्जिनियर्स, जयपुर मै० देवली इलेक्ट्रिक स्टोर, देवली
22.	स० श्र० (ओ. एण्ड एम.) श्रीमाधोपुर	मै० राजस्थान इलेक्ट्रिक स्टोर, नीम का थाना मै० देवली इलेक्ट्रिक स्टोर, देवली
23.	स० श्र० (ग्रा.वि.नि) श्रराई	मै० प्रताप इलेक्ट्रिकल्स, हरसोर
24.	स० श्र० (ग्रा वि.नि.) साँगोद	मै० कोहीनूर इलेक्ट्रिक फिटिंग कं० कोटा
25.	स० श्र० (ग्रा.वि.नि.) नीम का थाना	मै० देवली इलेक्ट्रिक स्टोर, देवली
26.	स० श्र० (ग्रा.वि.नि.) पाली	मै० सुरेश प्रकाश एण्ड कं०, रानी मै० मेहता इलेक्ट्रिक एण्ड जनरल स्टोर, पाली
27.	स० श्र० कांकरोली	मै० चेतन इलेक्ट्रिकल्स, भीलवाड़ा मै० शर्मा इलेक्ट्रिक स्टोर, उदयपुर
28.	स० श्र० (ग्रा.वि.नि) छबड़ा	मै० रामपाल एण्ड संस, कोटा
29.	स० श्र० (डी) जालौर	मै० रुपचन्द जैन, भीनमाल
30.	स० श्र० (ग्रा.वि.नि.) निवाई	मै० देवली इलेक्ट्रिक स्टोर, देवली मै० घनश्याम इलेक्ट्रिक स्टोर, जयपुर
31.	स० श्र० (ग्रा.वि.नि.) घाटोल	मै० लाईट हाउस, उदयपुर
32.	स० श्र० (ग्रा.वि,नि.) दूदू	मै० खालसा इलेक्ट्रिक सर्विस, जयपुर मै० धामानी इलेक्ट्रिक वर्क्स, जयपुर
33.	स० श्र० (ओ. एण्ड एम.) बाड़मेर	मै० लखपत इलेक्ट्रिक कारपोरेशन, जोधपुर
34.	स० श्र० (ग्रा.वि.नि.) लालसोट	मै० मिश्र कृषि उद्योग प्रतिष्ठान, लालसोट
35.	स० श्र० (ग्रा.वि.नि.) डेगाना	मै० सरस्वती इलेक्ट्रिक स्टोर, बोरावर
36.	स० श्र० (ग्रा.वि.नि.) बहरोड़	मै० गणेश ट्रेडर्स, श्रलवर
37.	स० श्र०, टोंक	मै० प्रेम इलेक्ट्रिक स्टोर, कोटा
38.	स० श्र० (एस.डी.) नसीराबाद	मै० वेदी इलेक्ट्रिक हाउस, श्रजमेर

1	2	3
39.	स० अ० (ग्रा.वि.नि.) सवाईमाधोपुर	मै० श्रोम इलेक्ट्रिक, सवाई माधोपुर मै० इन्डस्ट्रीयल ट्रेडर्स, सवाई माधोपुर
40.	स० अ० (नगर सं.) गंगानगर	मै० शर्मा इलेक्ट्रिक सर्विस, गंगानगर
41.	स० अ० (ग्रा.वि.नि.) रींगस	मै० राजस्थान इलेक्ट्रिक स्टोर, नीम का थाना
42.	स० अ० डीडवाना	मै० राजा एजेन्सीज, लाडनूं मैं० अशोका इलेक्ट्रिक, सरदारशहर
43	स० अ० (सी) अलवर	मै० जय भारती इले० एण्ड जनरल सप्लायर, अलवर
44,	स० अ० (डी) चित्तौड़	मै० भारत इले० एण्ड रेडियो वर्क्स, चित्तौड़
45.	स० अ० (ओ-एण्ड-एम) सांगानेर	मै० शंकर इलेक्ट्रिक सर्विस, जयपुर
46.	स०अ० (के. आर. ई. सी. सी,) कोटपूतली	मै० गोल्डन इलेक्ट्रिक सर्विस, जयपुर मै० न्यू प्रेम इलेक्ट्रिक सर्विस, जयपुर
47.	स० अभि० रामगढ़, अलवर	मै० राज इलेक्ट्रिक अलवर
48.	स० अ० (डी) फालना	मै० महावीर इलेक्ट्रिक कार्पो. सुमेरपुर
49.	स० अ० (डी) बून्दी	मै० महावीर इलेक्ट्रिक स्टोर, सवाई माधोपुर
50.	स०अ० (ओ.-एण्ड-एम.) खैरथल	मै० विश्वकर्मा एग्रो सर्विस सेन्टर, अलवर
51.	स० अ० (डी) नीम का थाना	मै० देवली इलेक्ट्रिक स्टोर, देवलो
52.	स० अ० (ओ-एण्ड-एम) नागौर	मै० सच्चलमल गोतमचन्द नागौर
53.	स० अ० (ओ-एण्ड-एम) बालोतरा	मै० हाजी एग्रो सर्विस सैन्टर, बालोतरा

विद्युत निरीक्षक,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

अप्रेल, 1975 से मार्च, 1978 तक निरस्त किये गये विद्युत ठेकेदारों की सूची

1.	मैसर्स लाइट हाऊस, कोटा।	लाइसेन्स नं.	435	'बी'
2.	मैसर्स गिरधर इलेक्ट्रीकल्स, ब्यावर।	,,	208	'बी'
3.	मैसर्स सोलंकी ब्रदर्स, सियाना (जालोर)	,,	383	'ऐ'
4.	मैसर्स इलेक्ट्रिकल्स, रेनवाल (जयपुर)	,,	514	'सी'
5.	मैसर्स कमला एग्रो सर्विस सेन्टर, पाली।	,,	566	'ऐ'
6.	मैसर्स निर्माण इलेक्ट्रिकल्स स्टोर, नागौर	,,	235	'ऐ'
7.	मैसर्स टांक एग्रो इन्जीनियरिंग सर्विस, नसीराबाद	,,	623	'सी'
8.	मैसर्स गोलहम, उदयपुर	,,	583	'सी'
9.	मैसर्स विनोद इलेक्ट्रिक स्टोर, भीलवाड़ा	,,	562	'सी'
10.	मैसर्स जय भारत इलेक्ट्रिक स्टोर, फतेहपुर	,,	485	'सी'
11.	मैसर्स राठौड़ इलेक्ट्रिक एण्ड इन्जीनियरिंग वर्क्स बड़ी सादड़ी (चित्तौड़गढ़)	,,	501	'सी'
12.	मैसर्स सुराना इलेक्ट्रिकल, कोटा	,,	625	'सी'
13.	मैसर्स चन्देल इलेक्ट्रिक एण्ड मशीनरी स्टोर, सीकर	,,	566	'ऐ'
14.	मैसर्स जय इलेक्ट्रिक सर्विस जयपुर।	,,	559	'ऐ'
15.	मैसर्स दत्ता ब्रदर्स, भरतपुर।	,,	14	'बी'
16.	मैसर्स रस्तौगी इलेक्ट्रिकल धोलपुर।	,,	498	'बी'
17.	मैसर्स गिरीश इलेक्ट्रिकल, जयपुर।	,,	708	'सी'
18.	मैसर्स प्रेम इलेक्ट्रिक स्टोर, जयपुर।	,,	207	'ऐ'
19.	मैसर्स जैन ब्रदर्स, चौमूं।	,,	553	'ऐ'
20.	मैसर्स स्वास्तिक इलेक्ट्रिकल एण्ड फिर्टेलाइजरस जयपुर	,,	442	'ऐ'

ह०
विद्युत निरीक्षक,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

परिशिष्ट 10

(अतारांकित प्रश्न संख्या 822 की सूची)

क्र. सं.	लाइम स्टोन खनन पट्टे का क्षेत्र तहसील सोजत जिला पाली के	खनन पट्टाधारी का नाम	खनन पट्टे का क्षेत्रफल	खनन पट्टे की अवधि
1	2	3	4	5
1.	निकट ग्राम अटवड़ा जिला पाली	(1) श्री गुलाबसिंह पुत्र बेरीदास (2) श्री केशवसिंह पुत्र शिवजीसिंह वर्तमान में खनन पट्टा शासन के आदेश क्रमांक 17 (51) खान/72 दिनांक 4-8-73 द्वारा सर्व श्री सोजत लाइम कम्पनी के नाम परिवर्तित किया गया।	10 वर्ग मील 10 वर्ग मील (×)	मूल अवधि 1-1-55 से 5 वर्ष समयावधि 6-6-61 तक बढ़ाई गई मूल अवधि 1-9-62 से 5 वर्ष प्रथम नवीनीकरण 1-9-67 से 5 वर्ष द्वितीय नवीनीकरण 1-9-72 से 10 वर्ष
2.	निकट ग्राम मण्डला जिला पाली	सर्वश्री केशवसिंह शिवजीसिंह सोजत रोड़ (2) श्री राजेन्द्रसिंह कछवाह	10 वर्ग मील 10 वर्ग मील (×)	मूल अवधि 4-4-55 सें 5 वर्ष प्रथम 1-6-60 से पांच वर्ष नवीनीकरण द्वितीय नवीनी करण 1-4-65 से 5 वर्ष पार्टी ने क्षेत्र का अध्यर्पण किया शेष दिनांक 4-6-68 से स्वीकार किया गया। मूल अवधि 1-3-74 से 10 वर्ष

211

212

1	2	3	4	5
3.	निकट ग्राम रून्दिया जिला पाली	श्री केवलचन्द भाण्डौत	10 वर्ग मील (×)	मूल अवधि 15-12-70 से 5 वर्ष तक प्रथम नवीनीकरण 15-12-75 से 10 वर्ष

नोट (×) राज्य सरकार द्वारा दिनांक 9–11–76 को लिये गये निर्णय नई नीति के अनुसार खनन पट्टों का अधिकतम क्षेत्र 15 वर्ग किलो मीटर करने के फलस्वरूप उपरोक्त पटटाधारियों से 25 वर्ग किलोमीटर से अधिक का क्षेत्र छुड़वाया गया है और वर्तमान में उनके पास 15 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र रखा गया है ।

परिशिष्ट–11

(अतारांकित प्रश्न संख्या 425 की सूची)

लिस्ट खनन पट्टाधारियों की जो निकट ग्राम रंगपुर में बजरी के ठेके हैं।

क्रम संख्या	नाम पट्टाधारी	क्षेत्र	अवधि	मृत भटक
1.	श्री मोती लाल सन आफ नेनगाकीर नि० रंगपुर तह० लाड़पुरा जिला कोटा।	120×60 व. मी. रंगपुर	22–3–74 से 21–3–79 22–3–79 से 21–3–84	720– 3730 (नवीनीकरण)
2.	श्री गुरदीप सिंह सूरी सन आफ भगवान सिंह वल्लभनगर कोटा	500×चम्बल नदी की चौड़ाई प्लाट नं० 6	9–2–77 से 8–2–62	3003/–
3.	श्री पेसूमल सन आफ गंगूमल नि० बावयपाडा श्रीपुरा कोटा	120×60 व० मी० रंगपुर	19–8–74 से 18–8–79	720/–
4.	,, ,, ,,	,,	,, ,,	720/–
5.	श्री रविशंकर सन आफ मूलचन्द नि० रवि रेडियो के पास आर्य समाज रोड कोटा	150×150 व० मी० रंगपुर	18–3–77 से 17–3–82	2475/–
6.	श्री अनूपचन्द गुप्ता सन आफ श्रवण लाल नि० वेशवरायपाटन जिला बून्दी।	150×60 व० मी० रंगपुर	16–4–77 से 15–4–82	2475/–

213

(214)

परिशिष्ट–12

(अतारांकित प्रश्न संख्या 826 की सूची)

वर्ष 1956 से वर्ष 1978 तक जो नियुक्तियां सहायक रजिस्ट्रार के पद पर राज्य सरकार द्वारा की गई है उसकी सूचना निम्न प्रकार है।

वर्ष	पदोन्नति				डाइरेक्ट नियुक्तियां			
	अनु० जाति	जन जाति	गैर	कुल योग	अनु० जाति	जन जाति	गैर	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1956	–	–	4	4	–	–	–	–
1961	–	–	18	18	–	–	–	–
1963	–	–	6	6	–	–	15	15
समायोजन	–	–	5	5	–	–	–	–
1973	–	1	25	26	3	2	13	18
1974	2	1	24	27	2	–	7	9
1975	–	–	–	–	2	1	8	10
1976	–	–	28	28	–	–	–	–
1977	–	–	3	3	1	5	17	23
1978	–	–	25	25	–	–	–	–

परिशिष्ट (अ)

सहकारी विभाग में नियुक्ति किये गये कर्मचारियों का

वर्ष वार वांछित विस्तृत विवरण

क्र० सं० वर्ष	संख्या नियुक्तियां जो की गई	अनु० जाति	अनु० जन जाति	अनुपात (प्रतिशत)		विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1970 तक	2244	110	29	अनु० जाति	अनु० जाति जाति	वर्ष 1956 से 1970 तक वर्ष वार ब्योरा नहीं रखा जाता था। वर्ष वार ब्योरा 1971 जब से रोस्टर प्रणाली लागू हुई है जब से रखा गया है।
1971 तक	11	7	–	163.6%	–	
1972 तक	1	–	–	–	–	
1973	39	6	3	15%	7.6%	
1974	4	3	–	75%	–	
1975	–	–	–	–	–	
1976	21	4	2	19%	9.5%	
1977	95	15	12	16.8%	12.6%	
1978	148	19	14	13.5%	9.5%	

परिशिष्ट–13

(अतारांकित प्रश्न संख्या 835 का विवरण)

हानि लाभ विवरण जोधपुर डेयरी

	लाभ (रुपये)		हानि (रुपये)
72–73	+	–	92833–57
73–74	+	–	287023–34
74–75	—	–	554313–44
75–76	—	–	1012661–38
76–77	634745–61		
77–78	—	–	1515483–30
	×634745–61	–	34,62,321–03
	कुल हानि 2827575–42		
	34,62,321–03		3462321–03

परिशिष्ट—14

(अतारांकित प्रश्न 836 का ब्यौरा)

गत 5 वर्षों में पंचायत समितियों को अनुदान के रूप में दी गई राशि :—

74–75	30–13 लाख
75–76	32–60 लाख
76–77	25–49 लाख
77–78	31--36 लाख
78–79	36–00 लाख

परिशिष्ट–15

(अतारांकित प्रश्न 837 का विवरण)

पाली जिले की मण्डियों द्वारा गुड, खाण्डसारी तेल आदि पर प्राप्त शुल्क ।

कृषि उ० मं० स०	वर्ष	गुड	चीनी	डालडा	तेल
पाली	75–76	7700	9693 137	–	69
	76–77	21210	29742 215	–	23690
	77–78	34914	11006 450	–	1344
	78–79	23485	25724 5287	–	–
जेतारण	75–76	5223	3898	105–00	355
	76–77	11435	7170	2767	7288
	77–78	9450	6775	342	861
रानी	73–74	1100	–	–	–
	74–75	4800	–	–	–
	75–76	6600	8000	7000	3000
	76–77	9500	10700	1000	6200
	77–78	2866	11800	500	1500
	78–79	18100	18100	19500	–
सुमेरपुर	योग 1977–78	11,87,209	852345	16756	271078

पाली जिले की मण्डियों द्वारा गुड़, चीनी, तेल आदि पर प्राप्त शुल्क

क्र० उ० मं० सीमत	वर्ष	गुड	चीनी	डालडा	तेल
सोजतरोड	69–70	5700	5550	–	–
	70–71	9700	5280	–	–
	71–72	10800	12000	–	–
	72–73	5033	2828	–	–
	73–74	20902	13581	–	–
	74–75	14723	31508	–	–
	75–76	399	–	5813	18897
	76–77	1349	5240	475	1965
सुमेरपुर	66–67	6844	2625	–	–
	67–68	11898	5336	–	–
	68–69	14058	8049	–	–
	69–70	13227	11070	–	–
	70–71	15143	17157	–	–
	71–72	21078	30160	–	–
	72–73	24144	27106	–	–
	73–74	32366	16218	–	–
	74–75	131936	54578	–	–
	75–76	131662	47077	15983	74655
	76–77	173131	131204	773	183690
	77–78	195438	168591	—	12934

परिशिष्ट–16

(अतारांकित प्रश्न सं. 147 का विवरण)

धारा 74 के मामलों की सूची (गबन एवं दुरुपयोग)

क्र० सं० नाम सहकारी समिति	नाम व्यक्ति जिसके विरुद्ध मामला चल रहा है।	गबन एवं दुरुपयोग की राशि	केस किस आधार पर दर्ज किया	मामला किस स्टेज पर है।
1 2	3	4	5	6
1–श्री डूंगरगढ़ क्रय विक्रय स. स. लि.,	1–श्री सोहनराम	4524–27	आडिट	जांच जारी है।
	2– ,, ,,	4696–07	,,	,,
	3–श्री लीवांराम	1120–68	,,	,,
	4–श्री सोहनराम, नथूराम बंबाराम	3899–84	,,	,,
2–चूरू को. मार्के. सोसायटी लि.,	1–श्री कुरड़ाराम	3000–00	आडिट	,,
	2–श्री नारायणसिंह	2547–50	,,	,,
	3–श्री प्रतापसिंह	186–10	,,	,,
	4–श्री श्रीचन्द	510–00	,,	,,
	5–श्री हुक्माराम	4940–00	,,	,,
3–मालेरी ग्राम सेवा सह. स. लि.,	1–श्री भूरामल	2320–00	,,	,,
4–रतनगढ़ दीप सलाबा स. स.	1–श्री मांगीलाल	2842–12	,,	,,

1	2	3	4	5	6
	5–सेडू छोटी ग्राम सेवा सह. स. लि.,	1–श्री पूरखाराम	600–00	ग्राडिट	जांच जारी है।
		2–श्री सोहनराम	212–00	,,	,,
		3–श्री पूरखाराम, सोहनराम	2200–00	,,	,,
	6–सुजानगढ़ चमड़ा उत्पा. स. स. लि.,	1–श्री गणेशाराम	1873–85	,,	,,
	7–रतनगढ़ चमड़ा उत्पा. स. स. लि.,	1–श्री गोगाराम	13988–00	,,	,,
	8–पहाड़सर ग्राम सेवा स. स. लि.,	1–श्री फूलाराम	6134–80	,,	,,
	9–सरदार शहर क्रय विक्रय स. स. लि.,	1–श्री कृष्णकुमार शाखा व्यवस्थापक	1397–61	,,	फैसला हो चुका है।
		2– .. टेकचन्द			
		3– ,, चुन्नीलाल ,, ,,			
		4– ,, मोतीलाल ,, ,,			
	10–कामाण ग्राम सेवा स. स. लि.,	1–श्री दयानन्द, दरियासिंह	790–00	,,	जांच कार्यवाही चालू है।
	11–भगेला ग्राम सेवा स. स. लि.,	1–श्री ग्रम्मीलाल	7169–40	,,	,,
	12–बीदासरे ईंट भट्टा उत्पा. स. स. लि.,	1–श्री सकूरखां	4100–00	,,	,,
	13–मुरड़ाकिया ग्राम सेवा सह. स. लि.,	श्री पोकरराम	219–00	,,	फैसला हो चुका है।
	14–बिग्गा ग्राम सेवा सह. स. लि.,	श्री मालूराम	8000–00	,,	,,

(221)

1	2	3	4	5	6
15–	सेऊवा ग्राम सेवा स. स. लि.,	श्री लालचन्द श्री मनीराम	530–00	ग्राडिट	फैसला हो चुका है।
16–	बिरमीबालेखा ग्राम सेवा सह. स. लि.,	श्री सांवतराम श्री श्योराम, श्री फताराम	3620–40	"	"
17–	हरपालू ग्राम सेवा सह. स. लि.,	श्री ठाकेरराम, हरफूल	2590–00	"	जांच में है।
18–	लम्बौरबड़ी ग्राम सेवा सह. स. लि.,	श्री चम्दगीराम, हरफूल,	4539–63	"	"
		श्री रिछपालराम	700–00	"	"
19–	ददरेया ग्राम सेवा सह. स. लि.,	श्री रामजीलाल	2556–50	"	नोटीसेज दिये गये।
20–	चूरू नगर उत्पा. सह. स. लि.,	श्री भगवतीप्रसाद	7722–37	"	"
21–	लौहसना वड़ा ग्राम सेवा सह. स. लि.,	श्री जयनारायण सिंह, श्री रामलाल डीलर, सोहनराम श्री लालचन्द, नारायणराम, श्री हरिसिंह, मनफूलसिह			
22–	कुसुमदेसर ग्राम सेवा सह. स. लि.,	श्री सत्यनारायण श्री भूराराम, द्वारकाप्रसाद श्री श्रोमप्रकाश	5621–76	"	प्रथम पेशी के नोटिसेज जारी हुए हैं।

1	2	3	4	5	6
23	पिचकराईताल ग्राम सेवा सह. स. लि.,	श्री घराराम, जवानाराम	3723–32	ग्राडिट	प्रथम पेशी के नोटिसेज़ जारी हुए हैं।
24	पड़िहारा ग्राम सेवा सह. स. लि.,	श्री मानसिंह	1067–76	"	
25	रतनसरा ग्राम सेवा सह. स. लि.,	श्री ग्रासूराम, सुगनाराम	390–00	"	"
26	रिड़ी घाणी तेल उत्पा. सह. स. लि.,	श्री प्रभूराम, देवाराम	3787–01	"	"
27	नेश लबड़ी हाथकर्घा वस्त्र उत्पा स. लि.,	श्री हरलाल, रामजीलाल,	1229–93	"	"
28	डूंगरगढ़ चमड़ा उत्पा. सह. स. लि.,	श्री मंवरलाल	864–25	"	"
29	दुसारणा हाथकर्घा वस्त्र उत्पा. स. स. लि.,	श्री सुगनाराम, मालाराम	407–02	"	"
30	इन्दपालसर दास गुसाईसर वड़ा ग्राम सह. स. लि.,	श्री चुनाराम, मेघाराम	910–90	"	"
31	ग्रटालड़ ग्राम सेवा सह. स. लि.,	श्री पूर्णसिंह, गोरधनराम	3515–29	"	"
32	पीथीसर ग्राम सेवा सह. स. लि.,	श्री डूंगरराम, पेमाराम	12444–00	"	"

223

(224)

क्र० सं०	नाम सहकारी समिति	नाम व्यक्ति जिसके विरुद्ध मामला चल रहा है ।	गबन व दुरुपयोग की राशि	केस किस आधार पर में दर्ज हुआ	मामला किस स्टेज पर है ।
1	2	3	4	5	6
1–	चूना ईंट भट्टा उत्पा. सह. स. लि.,	श्री गोविन्दराम	21492–00	उद्योग विभाग की जांच पर शिकायत निरीक्षण	जांच जारी है ।
2–	सुलखानियां ग्राम सेवा सह. स. लि.,	श्री बजरंगलाल	9124–:7	,,	,,
3–	चूरू कुशोधक सह. स. लि.,	श्री रामेश्वरलाल खटीक	9850–00	,,	,,
4–	कर्मचारी ग्राम सेवा सह. स. लि.,	श्री शिवकरण	25350–38	,,	,,
5–	लोढसर ग्राम सेवा सह. स. लि.,	श्री भगवानाराम, श्री हरकचन्द	1287–62	,,	,,
6–	देपालसर ग्राम सेवा सह. स. लि.,	श्री टीकूराम	740–88	,,	मामला पुलिस. में दर्ज करवाया जा चुका है दि० 10–5–72 से एम० एम० कोर्ट चूरू में चल रहा है ।
7–	आंवसर ग्राम सेवा सह. स. लि.,	श्री हरिराम, किशनलाल	8598–17	,,	जांच चल रही है ।
8–	आनन्दसिंहपुरा ग्राम सेवा सह. स. लि.,	श्री गनपतराम, श्री फूलाराम	918–79	,,	,,
9–	मालेरी ग्राम सेवा सह. स. लि.,	श्री रावतराम	5155–59	,,	,,
10–	तोलियासर ग्राम सेवा सह. स. लि.,	श्री बालदास, हुकमाराम, वेगाराम, अध्यक्ष	7542–43 800–00	,, ,,	,, ,,
11–	अछरारा ग्राम सेवा सह. स. लि.,	श्री जगमालसिंह कोषाध्यक्ष,	6261–72	विजिट	,,

1	2	3	4	5	6
12–	रेया टून्डा ग्राम सेवा सह. स. लि.,	श्री जियाराम रिबिया	40796–91	निरीक्षण	पुलिस में एफ॰आई॰आर॰ दर्ज करवाई गई है।
13–	मेलूसर ग्राम सेवा सह. स. लि.,	श्री डूंगरराम पुत्र बालूराम अध्यक्ष	5851–57	,,	,,
14–	सहकारी भण्डार चूरू शाखा रतनगढ़	श्री परमेश्वरलाल खेतान	—	,,	जांच जारी है।
15–	राजगढ़ लोहा उत्पा. सह. स. लि,,	श्री लक्ष्मणसिंह भूतपूर्व व्यवस्थापक	—	,,	पुनः पत्रावली की जांच की जा रही है। श्री पंतजी पूर्व में बादी संघ रतनगढ़ में व्यवस्थापक थे उक्त संस्था से त्याग पत्र देकर पुनः इस संस्था में कार्य प्रारम्भ किया है। अब भी बारी संघ व पंतजी का विवाद है।
16–	हुडेरा ऊनी बादी उत्पा. सह. स. लि.,	श्री हरिशचन्द्र पद–भूतपूर्व वर्तमान व्यवस्थापक	—	,, ,,	